

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

आधुनिक हिन्दी निबन्ध

गंगानारायण चतुर्वेदी



साहित्याकादमी

सवाई मानसिंह हार्डवे, जयपुर-३

मूल्य : चालीस रुपये मात्र

© : साहित्यागार

संस्करण : 1985

प्रकाशक साहित्यागार,
एस्० एम० एस्० हाई वे,
जयपुर-302 003

मुद्रक : एजुकेशनल प्रिण्टर्स, जयपुर-3

साहित्यागार

अनुक्रमणिका

1. जीवन में समुदाय का महत्व	1
2. राष्ट्र निर्माण में युवा-शक्ति का योगदान	4
3. विद्यार्थी-जीवन	8
4. परिश्रम का महत्व	12
5. समय का सदुपयोग	16
6. परीक्षाएं	20
7. स्वावलम्बन बनना आवश्यकता	24
8. नरसम्भ-गाथा	28
9. देश-प्रेम बनना देश-भक्ति	33
10. पुस्तकालय से लाभ	37
11. समाचार पत्र और उसकी उपयोगिता	41
12. विज्ञान से लाभ और हानियाँ	45
13. भिन्नपक्ष बनना विद्या	49
14. वर्तमान भारत की प्रमुख समस्याएँ	53
15. भारत में बेकारी की समस्या	58
16. जनसंख्या : समस्या और समाधान	62
17. बहुराज्य-प्रथा	66
18. महंगाई की मार	70
19. राष्ट्रीय एकता	74
20. भारत में अजातिवाद का अविध्य	78
21. शक्ति का फल	83
22. गणोबल	88
23. गिनत	92
24. भारतीय समाज में गरीबी की स्थिति	96
25. देश की वर्तमान स्थिति में हमारा नरसम्भ	100

26. किसी मैच का धाँवो-देखा हाल
27. यात्रा-वर्णन
28. किमी ऐतिहासिक स्थान की यात्रा
29. किसी रमणीक स्थान की यात्रा
30. चाँदनी रात में नौका-विहार
31. दहेज न मिलने पर जब बरात लौट गयी
32. मनोरंजन के आधुनिक साधन
33. विज्ञान के चमत्कार
34. बाल्य-जीवन की सुखद स्मृतियाँ
35. जब मेरा परीक्षा-परिणाम आया
36. एक विकसित ग्राम
37. भीड़ भरे बाजार की मँर
38. स्वाधीनता-दिवस समारोह का आयोजन
39. मेरे देश की धरती सोना चमले
40. गुलाबी नगर जयपुर
41. एक भीषण दुर्घटना
42. जब मेरा छोटा भाई मेले में खो गया था
43. बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा
44. घरारत जो मैंहगी पड़ी
45. मतदान के दिन एक मनोरंजक घटना
46. विद्यालय का वार्षिकोत्सव
47. एक भीषण अग्निकाण्ड
48. मेले में जब अचानक बर्षा होने लगी
49. जीवन की वह चिरस्मरणीय घटना
50. फूस की छत के नीचे बरसात की एक रात

श्रामुख

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् प्रायः सभी क्षेत्रों में हिन्दी की प्राश्चर्यजनक उन्नति हुई है। देश के कोने-कोने में अनेक हिन्दी-लेखक पैदा हो गए हैं। सभी उसे राष्ट्र-भाषा के पद पर आसीन करना चाहते हैं। वास्तव में आजकल देश में हिन्दी का जितना अधिक मान है और उसके प्रति जितना अधिक अनुराग है, उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारी भाषा सचमुच राष्ट्र-भाषा के पद पर आसीन होती जा रही है।

हिन्दी में निबन्ध-लेखन का कार्य खूब हुआ है और हो रहा है। इसी श्रृंखला में मेरा भी यह एक प्रयास है। हिन्दी हमारी राष्ट्र-भाषा है। इसे समृद्ध बनाना और इसका विकास करना हम सब का नैतिक दायित्व है। माध्यमिक शिक्षा बोर्डों, विश्व-विद्यालयों तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में 'हिन्दी-निबन्ध' एक अनिवार्य विषय है। मेरा विश्वास है कि निबन्धों की यह पुस्तक विद्यार्थियों की मांग को पूरा करेगी एवं हिन्दी-निबन्ध साहित्य की रिक्तता का किन्हीं अंशों में पूर्ण करेगी। निबन्धों के लिए जिन विषयों का चयन किया गया है, वे प्राथमिक तथा परीक्षोपयोगी हैं। निबन्ध की दृश्य विषय-वस्तु को रूपरेखा के आधार पर क्रमबद्ध करने का प्रयास किया गया है, जिससे विद्यार्थी निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे।

जिन विद्वानों के अनुभवों का मैंने इस पुस्तक के लेखन में लाभ उठाया है, उनके प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन करना मैं अपना नैतिक दायित्व समझता हूँ। निबन्ध-लेखन के लिए सतत प्रेरणा देने और आवश्यक सहयोग देने के लिए मैं श्री रमेश वर्मा, संचालक एवं श्री मनोहर सिंह, व्यवस्थापक 'साहित्यागार' का आभारी हूँ।

निबन्ध की रूप रेखा

1. प्रस्तावना
2. अनुशासन का अर्थ
3. अनुशासन के प्रकार
4. अनुशासन से लाभ (व्यक्तिगत, सामाजिक तथा राष्ट्रीय)
5. अनुशासन के विकास के उपाय
- 6 उपसंहार

1 प्रस्तावना—ईश्वर की रचना में सर्वश्रेष्ठ रचना मानव है। इसलिए मन्तो, महात्माओं और ज्ञानियों ने सत्तार में मानव-जीवन को दुर्लभ माना है। बुद्धि, विवेक, भावना और शारीरिक कार्य-क्षमता की दृष्टि से मनुष्य-जीवन प्रकृति की ओर से दिया हुआ एक वरदान है। सत्तार में ज्ञान-विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों में जो कुछ भी आश्चर्यजनक कार्य हुए हैं वे सब मनुष्य की ही देन हैं। ऐसा सुन्दर अवसर 'मनुष्य-जीवन' पाकर भी जो लोग अपना तथा दूसरों का हित नहीं कर पाते हैं और ऐसे मनुष्य को व्यर्थ ही गवाँ देते हैं, उन जैसा मूल्य कौन होगा? मानव-जीवन की सफलता में सबसे बड़ी बाधा है—अनुशासन का अभाव। अनुशासन के अभाव में मनुष्य में मनुष्यता ही उत्पन्न नहीं हो पाती। उसे अपनी बुद्धि, विवेक और बल का सही उपयोग करना नहीं आ पाता। इसके उसका जीवन अभाव युक्त होकर अक्षय फल हो जाता है। वह अपने जीवन में स्वयं भी कष्ट पाता है और दूसरों को भी कष्ट देता है।

2 अनुशासन का अर्थ—अनुशासन का ठीक-ठीक अर्थ समझने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि अनुशासन मन की एक भावना का नाम है। जिन प्रकार प्रेम, दया और परोपकार मन की भावना होती है उसी प्रकार अनुशासन भी एक भावना ही है। 'अनु + शासन' इन दो शब्दों से मिलकर 'अनुशासन' शब्द बनता है। 'अनु' का अर्थ है—पीछे और शासन का अर्थ है—नियंत्रण। नियंत्रण का भाव जिसके पीछे हो, वह अनुशासन कहलाना है। यहाँ यह और समझ लेना आवश्यक है कि यहाँ 'पीछे' का अर्थ आन्तरिक प्रेरणा से है। जब हम अपने भाव-रस और कार्या को आन्तरिक प्रेरणा से नियंत्रित करते हैं तो वह अनुशासन कहलाना

है। धीरे-धीरे नियमित अभ्यास से ही अनुशासन की भावना का विकास होता है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के हित में नियमों तथा मर्यादाओं का पालन करने के लिए अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना ही अनुशासन कहलाता है।

3 अनुशासन के प्रकार—अनुशासन दो प्रकार का माना जाता है—

1 आन्तरिक और 2 बाह्य। आन्तरिक अनुशासन वह अनुशासन है जिसमें व्यक्ति अपनी स्वयं की प्रेरणा से नियम और मर्यादाओं का पालन करता है। वह स्वयं ही यह निश्चय करता है कि उसे अमुक-अमुक कार्य करने चाहिए और अमुक-अमुक कार्य नहीं करने चाहिए। वह अपनी भावनाओं पर स्वेच्छा से अकुश लगता है। चाहे उसे कितना ही कष्ट हो पर वह ऐसे कार्य नहीं करता जो नियम और मर्यादाओं के विरुद्ध हों। बाह्य अनुशासन वह अनुशासन होता है जिसमें किसी प्रकार के दण्ड के भय में नियम और मर्यादाओं का पालन करने के लिए व्यक्ति विवश होता है। इस प्रकार का अनुशासन अस्थायी होता है क्योंकि जब भी भय की स्थिति समाप्त होती है, व्यक्ति का आचरण अनियंत्रित हो जाता है और अनुशासन समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत आन्तरिक अनुशासन में स्थायित्व होना है। उसमें व्यक्ति किसी के दबाव अथवा भय से नहीं, अपनी आन्तरिक प्रेरणा से ही अपने आचरण को नियंत्रित करता है। वास्तव में आन्तरिक अनुशासन ही श्रेष्ठ अनुशासन है किन्तु जीवन में उपयोगिता की दृष्टि से बाह्य अनुशासन का भी उतना ही महत्व है जितना आन्तरिक अनुशासन का। इसके अतिरिक्त निरन्तर अभ्यास से बाह्य अनुशासन ही आन्तरिक अनुशासन भी बन जाता है।

4 अनुशासन से लाभ—अनुशासन व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के हित में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। अनुशासन से ही व्यक्ति के जीवन में सुधार होता है और वह श्रेष्ठ कार्यों में प्रवृत्त होकर अपना विकास कर पाता है। सभ्यता, आज्ञा-पालन, सेवा, कठोर परिश्रम और नियमितता अनुशासन में ही आती हैं। इनके अतिरिक्त और ऐसे अनेक श्रेष्ठ गुण हैं, जिनका विकास अनुशासन में ही होता है। जो व्यक्ति अनुशासित होते हैं, वे अपने जीवन में विद्या, धन, दान, योग और स्याति बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। एक मात्र अनुशासन का भाव उत्पन्न होने से मनुष्य-जीवन की सफलताओं के सभी द्वार खुल जाते हैं। अनुशासित व्यक्ति सभी को प्रिय लगता है और सब उसका हित चाहने लगते हैं।

समाज और राष्ट्र अनुशासन से ही स्थिर रह पाते हैं और उन्नति करते हैं। यदि समाज में अनुशासन न हो, कुछ मान्य मर्यादाएँ और नियम न हों तो उस मानव-समाज नहीं कहा जा सकता। वह मनुष्य की एक भीड़ मात्र रह जायेगी। अनुशासन से ही उसमें सामाजिकता का भाव उत्पन्न होता है। बड़ों के प्रति आदर, छोटों के प्रति स्नेह, पड़ोसियों के प्रति मदद्भाव, दुखी पीड़ित और असहायों के प्रति

सहायता के भाव अनुशासन से ही उत्पन्न होने हैं। किसी को कष्ट न देना और दूसरों के साथ प्रच्छन्न बर्ताव करना अनुशासन ही मिखाता है। समाज में एकता, प्रेम, सहयोग और सहानुभूति के भाव अनुशासन से ही विकसित होते हैं जो उसके मूल आधार हैं। राष्ट्र की स्थिरता, सुरक्षा और उन्नति का आधार भी अनुशासन ही है। अनुशासन ही राष्ट्र को महान बनाता है। अपने राष्ट्र को मातृभूमि के रूप में मानना और उसकी सुरक्षा, स्वाधीनता तथा उन्नति के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देने की भावना अनुशासन से ही उत्पन्न होती है। यदि सेना और पुलिस में अनुशासन न हो तो न तो राष्ट्र की स्वाधीनता कायम रह सकती है और न ही कानून व्यवस्था रह सकती है। जिस राष्ट्र के नागरिक जितने अनुशासित होने हैं, वह राष्ट्र उतना ही सबल, समृद्ध और सुरक्षित होता है। इस विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के हित में अनुशासन बहुत उपयोगी होता है।

5. अनुशासन के विकास के उपाय—अनुशासन व्यक्ति पर थोपा नहीं जा सकता, इसके लिए आदर्श उपस्थित करना आवश्यक होता है। अतः अनुशासन की भावना का विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि बड़े लोग छोटे के सामने अपना आदर्श प्रस्तुत करें। उनके कार्य-कलापों और आचरणों को देख कर ही छोटे लोग उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों और बालकों को चाहिए कि वे बड़ों की आज्ञा का पालन करना सीखें। आज्ञा-पालन ही अनुशासन की पहली सीढ़ी है। इसी से बालकों में स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण रखने का अभ्यास प्रारम्भ होता है। आज्ञा-पालन जिनका स्वभाव बन जाता है उनमें तनत्रता, कष्ट सहिष्णुता और कठोर श्रम करने के गुण उत्पन्न हो जाते हैं तथा वे शनै-शनैः पूर्ण अनुशासित हो जाते हैं।

6. उपसंहार—जीवन में अनुशासन का बहुत अधिक महत्त्व है। मनुष्य में मनुष्यता अनुशासन से ही विकसित हो पाती है। जिनके जीवन में अनुशासन नहीं होता वे मनुष्य होते हुए भी पशु-तुल्य ही रहते हैं। न तो वे अपनी कुत्सित भावनाओं पर अंकुश लगा पाते हैं और न ही दूसरों के हित के विचार उनके मस्तिष्क में आते हैं। येन बिन प्रकारेण स्वार्थ-साधन ही उनके जीवन का एक मात्र लक्ष्य हो जाता है। इससे उनका स्वयं का जीवन ही निष्पन्न हो ही जाता है, साथ ही समाज और राष्ट्र को भी वे बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं।

निबन्ध को रूप-रेखा

1. प्रस्तावना

2. युवकों के कर्तव्य

(i) अनुशासन का पालन (ii) कठोर परिश्रम (iii) संगठन और नेतृत्व (iv) शिक्षा-प्रसार (v) समाज-सुधार (vi) समाज-सेवा (vii) राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा (viii) सांस्कृतिक परम्पराओं की रक्षा (ix) विकास-योजनाओं में सहयोग

3. उपसंहार

1. प्रस्तावना—युवावस्था जीवन का दसन्त काल है। यह जीवन का स्वर्णिम काल होता है जब प्रकृति की ओर से दी गई समस्त शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ पूरे उभार पर होती हैं। नया खून और नया जोश होता है। धकना और हार मान लेना जवानी जानती ही नहीं है। समाज के सभी महान् कार्यों का सहारा युवकों के ही सिर बाँधा गया है। युवा-शक्ति में आधी का सा वेग होता है जो अन्याय और अनाचारों के स्थापित स्तम्भों को उखाड़ फेंकने की क्षमक्य रखता है तथा व्यापक चर्चों की सी नव-जीवन दायिनी शक्ति होती है। समाज सदा ही नव-निर्माण के लिए युवा-शक्ति पर निर्भर रहता आया है। युवा-शक्ति ने जब भी करवट ली है समाज का काया पलट कर डाला है। संसार का इतिहास युवा-शक्ति के अर्पणों और आश्चर्यजनक कार्यों का ही लेखा-जोखा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में राष्ट्र-निर्माण का कार्य चल रहा है। यह महान् कार्य देश की युवा-शक्ति के योगदान के बिना पूरा होना सम्भव नहीं है। अतः देश के युवकों को चाहिए कि वे राष्ट्र-निर्माण के कार्य में तन-मन से जुट जाँय और बढ़ती हुई परिस्थितियों के अनुसार एक सुदृढ़, समृद्ध एवं विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर भारत का एक गौरव पूर्ण चित्र प्रस्तुत करें।

2. युवकों के कर्तव्य—भारत की युवापीढी निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करके राष्ट्र-निर्माण के महान् कार्य को पूरा कर सकती है :—

(i) अनुशासन—देश की युवापीढी में अनुशासन की भावना उत्पन्न होना अत्यन्त आवश्यक है। अनुशासन के बिना व्यक्ति, समाज और राष्ट्र किसी का भी

हित नहीं हो सकता। किसी भी जन-कल्याणकारी योजना की सफलता अनुशासन पर ही आधारित होती है। यह एक खेद का विषय है कि स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् युवा-श्री में अनुशासन की भावना का हास हुआ है। स्वच्छन्दता और उच्च श्रमिता की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे हमारा राष्ट्रीय चरित्र दूषित होने लगा है। स्वार्थ, पक्षपात, भ्रष्टाचार और अनाचार की घटनाएँ बढ़ रही हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा है। इससे राष्ट्र कमजोर हो रहा है और जन-कल्याणकारी योजनाओं की सफलता में बाधाएँ उत्पन्न हो रही हैं। एक मुटु तथा समृद्ध राष्ट्र का स्वप्न अनुशासन के अभाव में साकार नहीं हो सकता। अतः युवकों का यह पहला कर्तव्य है कि वे जीवन के प्रत्येक स्तर पर अनुशासन की स्थापना में व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से सहयोग करें।

(ii) कठोर परिश्रम—परिश्रम का महत्त्व सर्वव्यापी है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। कठोर परिश्रम से असम्भव दिखने वाले कार्य भी सम्भव हो जाते हैं। राष्ट्र-निर्माण का महान् कार्य बिना परिश्रम के कभी सम्भव नहीं हो सकता। आधुनिक युवा-श्री में परिश्रम से कतराने की भावना बढ़ने लगी है। शारीरिक श्रम को तो हीन भावना से देखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कम से कम परिश्रम से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की भावना बढ़ती जा रही है। यह एक अशुभ लक्षण है। इससे राष्ट्रीय उत्पादन पर तो बुरा असर पड़ ही रहा है साथ ही युवकों की शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग न होने के कारण वे शारीरिक रूप से रुग्ण होते जा रहे हैं। उत्तम आरोग्य, प्रमाद और विलासिता के भाव उत्पन्न होने लगे हैं। राष्ट्र-निर्माण के कार्य में यह प्रवृत्ति बहुत बाधक है। अतः युवा-श्री को चाहिए कि वह अनवरत कठोर श्रम में लीन हो जाय। तभी राष्ट्र मुटु और सम्पन्न बन सकेगा।

(iii) सगठन का नेतृत्व—राष्ट्र की मानवीय शक्ति के सगठित हुए बिना राष्ट्र-निर्माण का कार्य सम्भव नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व विदेशी शासक ने अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए हमारी सगठित इकाई को जाति, धर्म, सम्प्रदाय और भाषा के नाम पर विभाजित करने का प्रयास किया था। उनका प्रभाव हमारे समाज में अब भी यदाकदा दिखाई पड़ जाता है। यह राष्ट्र के लिए हानिकारक है। भारत का प्रत्येक निवासी एक ही राष्ट्र का नागरिक है। भेद-भाव की भावना फँसाने की कोशिश हमारी युवा-श्री के लिए एक चुनौती है। युवकों को चाहिए कि वे इस चुनौती का डटकर मुकाबला करें और राष्ट्र में उपलब्ध सभी साधनों की सगठित शक्ति से राष्ट्र-निर्माण के कार्य में लगे रहें। इसके साथ ही उन्हें समाज को कुशल नेतृत्व भी प्रदान करना चाहिए जिससे अपने वाली पीढ़ियाँ उनके बताये गये भागें

(iv) शिक्षा-प्रसार—शिक्षा एक ऐसा प्रकाश है जिनके प्राप्त हो जाने पर मनुष्य के भीतर-बाह्य का अन्धकार दूर हो जाता है और उसमें विवेक का भाव उत्पन्न हो जाता है जिससे अनेक समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाता है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि सदियों की गुलामी के कारण हमारे देश में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या बहुत कम है। हमारे देश की वर्तमान युवा-पीढ़ी-विशेषकर विद्यार्थी शिक्षा-प्रसार के कार्य में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हो सकते हैं। वे अपने अवकाश-काल में अपने घर, ग्राम-पड़ोस तथा अन्य स्थानों पर बालकों, प्रौढ़ों और स्त्रियों को पढ़ना-लिखना सिखाकर समाज और राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं।

(v) समाज-सुधार—समाज में व्याप्त अन्धविश्वासों, कुरीतियों और रूढ़ियों के रहते राष्ट्र सुदृढ़ एवं सम्पन्न नहीं बन सकता। युवा-पीढ़ी को चाहिए कि वह इन कुरीतियों को समाप्त करने में पहल करें। छुमा-छूत, दहेज आदि ऐसी रूढ़ियाँ और कुरीतियाँ हैं जिनको केवल युवा-पीढ़ी ही समाप्त कर सकती है कानून बना देने से इसमें कोई लाभ नहीं हो सकता। इसके अलावा धार्मिक अन्धविश्वास भी उन्हीं के द्वारा समाप्त किये जा सकते हैं। यदि युवा-पीढ़ी इन्हें समाप्त करने का संकल्प करले तो शीघ्र ही समाज में आश्चर्यजनक सुधार हो सकता है और राष्ट्र की मजबूती को बल मिल सकता है।

(vi) समाज-सेवा—जब तक समाज में विषमताएँ व्याप्त रहेंगी, शोषण और अत्याचार होने रहेंगे तथा अमीर-गरीब में अन्तर कम नहीं होगा, राष्ट्र मजबूत नहीं बन सकेगा। देश की युवा-पीढ़ी को ही विषमताओं को समाप्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। वे जागरूक और सगठित रह कर दीन, हीन तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करें तथा उनमें ऊँचा उठने के लिए आत्म-विश्वास पैदा करें तो विषमताएँ समाप्त होकर एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखी जा सकती है।

(vii) राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा—प्रायः देखने में आता है कि अपनी मांगे मनवाने के लिए आन्दोलनकारी राष्ट्रीय सम्पत्ति—बन, रेल, इमारतें आदि को क्षति पहुँचाते हैं। अपनी उचित माँगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने तथा उस पर नैतिक दबाव डालने के लिए हड़ताल और आन्दोलन जनता का हथियार है किन्तु आन्दोलन के दौरान राष्ट्रीय सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने से राष्ट्र की हानि होती है और राष्ट्र कमजोर बनता है। युवा-पीढ़ी को इस सम्बन्ध में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए तथा सतर्क एवं जागरूक रहकर राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

(viii) सांस्कृतिक परम्पराओं की रक्षा—किसी भी देश की आत्मा उसकी संस्कृति है। अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं के कारण ही कोई भी देश संसार में सम्मानित होता है। यह सौभाग्य की बात है कि हमारे देश का संस्कृति और

उसकी परम्पराएँ बहुत ऊँची हैं। हजारों वर्ष पुरानी हमारी सस्कृति अनेक उथल-पुथल और परिवर्तनों के बाद भी अश्रुण बनी हुई है। युवा पीढ़ी को इसे बनाये रखने का दायित्व निभाना चाहिए। पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध से अन्धे बन कर अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं को त्यागने वाले युवक-युवतियाँ भारी भूल कर रह गई हैं। उनका यह कदम आत्मघाती है। यदि सङ्घर्ष नष्ट हो गई तो देश का गौरव पूर्णरूपेण ही समाप्त हो जायगा। युवा पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि अपने परम्परागत सांस्कृतिक स्वरूप को सही रूप में पहचानें और उसकी परम्पराओं की रक्षा करने का प्रयत्न करें।

(ix) विकास-योजनाओं में सहयोग—सरकार देश का योजनाबद्ध विकास करने के लिए सच्ची अवधि की विकास-योजनाएँ चलाती है किन्तु इन योजनाओं की सफलता जन-सहयोग के बिना सम्भव नहीं है। युवा-पीढ़ी को चाहिए कि इन योजनाओं के बारे में जन-समुदाय को जानकारी करावे तथा इनकी सफलता के लिए अपनी ओर से पूरा सहयोग करे। राष्ट्र का आर्थिक-सामाजिक विकास इन्हीं योजनाओं पर निर्भर है। ये योजनाएँ ही राष्ट्र को एक सुदृढ आधार प्रदान करेंगी। इनमें सहयोग देकर युवक राष्ट्र निर्माण के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

3. उपसंहार—राष्ट्र निर्माण का कार्य एक महान् कार्य है। पूर्ण सजाता, कठोर परिश्रम और उत्तरदायित्व की भावना में ही यह महान् कार्य पूरा हो सकता है। किसी भी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान् पूँजी और शक्ति उसकी युवा-पीढ़ी ही है। युवा शक्ति ही इस कठिन कार्य को सरलता से कर सकती है। आज के युवक ही बल राष्ट्र के कर्णधार बनेंगे। एक सुदृढ तथा समृद्ध राष्ट्र का लाभ बल उन्हें ही मिलने वाला है। राष्ट्र निर्माण का कार्य स्वार्थ और परस्वार्थ दोनों ही दृष्टियों से सामकारि है। अतः युवा-पीढ़ी को चाहिए कि वह अपनी पूर्ण शक्ति और क्षमता के साथ इस कार्य में जुट जाय तथा इतिहास में अपना नाम कर दे।

निबन्ध की रूप-रेखा

1. प्रस्तावना
2. विद्यार्थी-जीवन का महत्त्व
3. विद्यार्थी के लक्षण
4. विद्यार्थी के कर्तव्य
5. स्वतंत्र भारत के विद्यार्थी
6. उपसंहार

1. प्रस्तावना—संसार के सभी प्राणियों में मानव-जीवन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मनुष्य को प्रकृति की ओर से विशिष्ट शक्तियाँ, गुण और क्षमताएँ मिलती हैं। जो लोग अपने इस दुर्लभ जीवन को सफल बनाने हैं, वे ही मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते हैं। मानव-जीवन अन्य प्राणियों की तरह खाने-पीने, उठने-बैठने, सोने-जागने और सन्तान उत्पन्न करने तक ही सीमित नहीं होता बल्कि इन कार्यों से आगे बढ़कर विवेक कुटिल करने में ही मानव-जीवन की सफलता है। मानव-जीवन निरुद्देश्य नहीं हो सकता। जब मनुष्य को प्रकृति की ओर से बुद्धि तथा अन्य प्रकार की शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ बरदान स्वरूप मिली हैं तो इनका उपयोग उद्देश्यपूर्ण जीवन में ही किया जाना आवश्यक है। तभी मानव-जीवन की मार्यकता है।

2. विद्यार्थी-जीवन का महत्त्व—मानव-जीवन की सफलता के लिए विद्यार्थी-जीवन का महत्त्व सर्वाधिक है। यह अवस्था भावी जीवन की तैयारी करने की अवस्था होती है। इस अवस्था में ही शरीर और बुद्धि दोनों का विकास होता है। इसी अवस्था में आदतें बनती हैं, रुचियों और अभिरुचियों का विकास होता है तथा मन पर सस्कार स्थायी होने हैं। यह अवस्था जीवन का बसन्त काल है, जिसमें अगणित शारीरिक और मानसिक शक्तियों का प्रस्फुटन होता है। यह अवस्था भावी जीवन की आधारशिला है। जित्त भवत की नीव जितनी मुट्टड होती है, वह भवन उतना ही मजबूत बनता है। साथ ही जिस प्रकार के नक्शे से नीव लगायी जाती है, उस पर वंसा ही भवन बनता है। अतः इन सभी दृष्टियों से हमें विद्यार्थी-जीवन के महत्त्व को समझना चाहिए। जो लोग विद्यार्थी-जीवन के महत्त्व को समझ लेते हैं और अपने इस जीवन में कठोर परिश्रम, अनुशासन और समय का पालन करते हुए विद्याध्ययन में लगे रहते हैं, उनका भावी जीवन सुखी और सफल होता है। संसार के प्रायः सभी महा-

पुरुषों के बाल्यकाल की घटनाएँ इसके प्रमाण हैं। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, प० जवाहर लाल नेहरू तथा डा० राजेन्द्र प्रसाद आदि महापुरुषों के व्यक्तित्व का निर्माण उनके विद्यार्थी-जीवन से ही हुआ था।

3. विद्यार्थी के लक्षण—विद्यार्थी शब्द विद्या+अर्थी इन दो शब्दों के सधि योग से बना है, जिसका अर्थ है—वह व्यक्ति जिसका एक मात्र उद्देश्य विद्या प्राप्त करना है। विद्या प्राप्त करना अथवा अनेकानेक विषयों का गूढ़ ज्ञान प्राप्त करना एक प्रकार की तपश्चर्या है। इस तपस्या में वे ही सफल होते हैं जो एक विशेष प्रकार की जीवन-चर्या को अपनाते हैं।

हमारे संस्कृत साहित्य में विद्यार्थी के प्रमुख पाँच लक्षण बताए हैं—

काक चेष्टा धको ध्यान श्वान निद्रा तथैव च।

अल्पाहारी च स्त्री त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम् ॥

विद्यार्थी कोए की तरह चेष्टावान् भ्रमवा चंचल होना चाहिए। उसमें पूर्ण जिज्ञासा होनी चाहिए। जिस प्रकार कौआ एक क्षण के लिए भी शान्त और स्थिर नहीं रहता उसी प्रकार विद्यार्थी को भी शान्त और स्थिर नहीं रहना चाहिए। सब ओर से चौकता रहकर पूर्ण सजगता के साथ प्रतिक्षण कुछ न कुछ करने ही रहना चाहिए।

विद्यार्थी का दूसरा लक्षण है—बगुले का सा ध्यान लगाने वाला। जिस प्रकार बगुला पानी में एक टाँग से खड़ा रहकर ध्यान लगाता रहता है और अपने पास में मड़नी के आते ही चट से उसे पकड़ लेता है, उसी प्रकार विद्यार्थी को भी अपने अध्ययन की प्रक्रिया में शान्त चिन्त से पड़ने रहना चाहिए और महत्वपूर्ण ज्ञान के बिन्दु को तत्काल ग्रहण कर लेना चाहिए।

विद्यार्थी का तीसरा लक्षण श्वान निद्रा है। जिस प्रकार कुत्ता गहरी नीद में सोता हुआ भी पाँव की जरा सी आहट से ही जाग पड़ता है उसी प्रकार की नीद विद्यार्थी की भी होनी चाहिए। लगातार घटो गहरी नीद में सोते पड़े रहना विद्यार्थी का लक्षण नहीं है।

विद्यार्थी का चौथा लक्षण अल्पाहारी होना है। अत्यन्त मादा भोजन अल्प मात्रा में करने वाला ही पूर्ण स्वस्थ रहकर विद्याध्ययन में लगा रह सकता है। खूब भरपेट भोजन करने वाला झालसा बन जाता है और वह पूर्ण स्वस्थ भी नहीं रह पाता। ऐसी स्थिति में विद्याध्ययन करने में बाधा उत्पन्न हो जाती है।

विद्यार्थी का पाँचवाँ लक्षण स्त्री-त्यागी अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जो विद्यार्थी अपने अध्ययन-काल में ब्रह्मचर्य का पालन न करके भोग विलास का जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं, उनका विद्यार्थी-जीवन विगड़ जाता है और वे अपने उद्देश्य में विफल हो जाते हैं।

अपर्युक्त प्रमुख पाँच लक्षणों के अनिश्चित कुछ अन्य लक्षण और भी हैं। विद्यार्थी में गुरु, माता पिता तथा बड़े लोगों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए तथा उसके

व्यवहार में नम्रता होनी चाहिए। नम्रता और श्रद्धा के अभाव में वह गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने में वंचित रह जाता है। विद्यार्थी के जीवन में निरपमिता होनी चाहिए। उनके सोने-जगने, पढ़ने-लिखने और खेलने-सूदने का एक निश्चित कार्यक्रम होना चाहिए तथा निर्धारित कार्य क्रमानुसार ही उसकी दिनचर्या होनी चाहिए। विद्यार्थी के लिए परिश्रमी होना भी आवश्यक है। परिश्रम से जी चुराने वाला विद्यार्थी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता।

4. विद्यार्थी के कर्तव्य—विद्यार्थी के कुछ विशेष कर्तव्य हैं जिनका पालन उसे अपने विद्यार्थी-जीवन में अवश्य करना चाहिए.—

(i) समय का सदुपयोग—विद्यार्थी-जीवन एक निश्चित अवधि का होता है। इन अवधि के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग किया जाना विद्यार्थी-जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। फातू बँटे रहना, मित्रों के साथ गप्पें लड़ाना तथा आवश्यकता से अधिक मनोरंजन के कार्यों में समय गुजारना समय का सदुपयोग करना है। विद्यार्थी को इन बुराईयों से बचना चाहिए।।

(ii) अनुशासन और आज्ञा पालन—गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना तथा अनुशासन में रहना विद्यार्थी का प्रमुख कर्तव्य है इसके अभाव में न तो वह सही दिशा में अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही उसे अच्छे सस्कार मिल सकते हैं।

(iii) सादगी और सरलता—विद्यार्थी को अपने जीवन में सादगी और सरलता को अपनाये रहना चाहिए। तटक-भडक, दिखावा और फैशन के चक्कर में पड़ जाने वाले विद्यार्थी अपने मार्ग से भटक जाते हैं और उनका विद्यार्थी-जीवन विफल हो जाता है।

(iv) सत्संगति—जीवन में संगति वा महत्त्व सर्वोपरि है। अच्छी संगति से जीवन में सुधार होता है और बुरी संगति जीवन को विगाड देती है। विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह अच्छे लोगों की संगति में रहे और बुरे लोगों की संगति से बचे। अनेक प्रकार की बुरी आदतें और दुर्व्यसन बुरी संगति को ही देन होती हैं।

(v) अध्ययन के साथ व्यायाम—मानसिक विकास के साथ-साथ शारीरिक विकास होना भी आवश्यक है। अतः विद्यार्थी को चाहिए कि वह विद्याध्ययन के साथ-साथ नियमित रूप से खेल-कूद तथा अन्य प्रकार का व्यायाम करता रहे। विद्यार्थी-जीवन भावी जीवन की तैयारी का समय होता है। अतः बौद्धिक विकास के साथ शरीर को भी स्वस्थ और सबल बनाना आवश्यक है।

5. स्वतंत्र भारत के विद्यार्थी—बड़े वेद का विषय है कि हमारे देश की जनता के प्रत्येक वर्ग ने आज स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छन्दता समझ लिया है। मजदूर, किसान कर्मचारी, व्यापारी, राजनेता और विद्यार्थी सभी स्वच्छन्द हो गये हैं। विद्यार्थी-समाज ने तो सभी मान्य मर्यादाएँ त्याग दी हैं और स्वच्छन्दता तथा अराजकता की सीमाएँ लांघना

जा रहा है। अनुशासन, नम्रता, आज्ञा-पालन, सदाचार, सादगी और शिष्टाचार से जैसे उनका कोई सम्बन्ध ही नहीं रह गया है। आज का विद्यार्थी क्या नहीं कर सकता। हड़ताल धेराव और तोड़-फोड़ जैसी असामाजिक गति विधियों से लेकर मारपीट तथा हिंसा जैसे जघन्य अपराधों में भी उसे कोई हिंशक नहीं है। आदर्श के पात्र गुरु कहलाने वाले अध्यापकों के साथ अशिष्टता और मारपीट करने की बात अब सामान्य सी हो गई है। खुले आम शराब आदि मादक द्रव्यों का सेवन करना और मगठित गिरोह के रूप में किसी भी स्थान पर आतंक फैला देना वे अपनी वहादुरी समझने लगे हैं। पढलिख कर ज्ञानाजन करना तथा शालीनता एवं शिष्टतापूर्ण आचरण से अपने व्यक्तित्व का विकास करने की बात को अब दकियानूसी विचार-धारा समझा जाने लगा है। विद्यार्थी-समाज की यह स्थिति निश्चय ही देश और समाज के लिए घातक सिद्ध हो रही है।

6. उपसहार—आज का युग प्राचीन युग में प्रायः सभी मामलों में भिन्न है। प्राचीन मान्यताएँ और धारणाएँ बदल गई हैं। जीवन के कुछ मूल्य भी बदले हैं और इस बुद्धि प्रधान भौतिक युग में समाज का एक नया स्वरूप उभर कर सामने आ रहा है। ऐसी स्थिति में प्राचीन परिपाटी को पकड़े रहने का आग्रह करना तो किसी भी दशा में उपयुक्त नहीं होगा किन्तु विद्यार्थी जीवन का महत्त्व आज भी उतना ही है बल्कि स्वनम्र भारत में प्रत्येक व्याक्त सुयोग्य नागरिक बने, इसके लिए आधुनिक विद्यार्थी को कर्तव्य निष्ठ होना और भी आवश्यक हो गया है। उसे इस नये वातावरण में भी अनुशासित रहकर पन्थिमी बनना ही पड़ेगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसमें नम्रता और थडा होनी चाहिए। दुर्घटना से दूर रहकर अपने में सद्गुणों का विकास करना ही होगा। शुद्ध स्वार्थ-बुद्धि की दृष्टि में भी उसकी आत्मोन्नति कर्तव्य-पालन से ही सम्भव हो सकेगी।

निघन्तु की रूप-रेखा

1. प्रस्तावना
2. परिश्रम का आशय
3. परिश्रम की आवश्यकता
4. परिश्रम का महत्त्व
5. उपसंहार

1. प्रस्तावना—हम जब अपने चारों ओर के वातावरण पर दृष्टि डालते हैं तथा समाचार पत्रों, रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से देश-विदेश की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम पाते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की स्थिति भिन्न है। एक समाज से दूसरे समाज और एक देश से दूसरे देश की स्थिति में प्रयाप्त अन्तर है। कोई अत्यन्त निर्धनता में ग्रस्त होकर नारकीय जीवन बिताने को विवश है तो कोई सब प्रकार के साधन-सुविधायों से पूर्ण स्वर्गीय जीवन बिता रहा है। व्यक्ति-व्यक्ति की स्थिति में इतना अधिक अन्तर प्रकृति को देन नहीं है। प्रकृति ने अपनी ओर से सभी मनुष्यों को लगभग समान साधन और शक्तियाँ दी हैं। सभी को ज्ञानेन्द्रियो, कर्मेन्द्रियो और बुद्धि का वरदान दिया है किन्तु फिर भी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य की स्थिति में आकाश-याताल का अन्तर होना यह सिद्ध करता है कि इस स्थिति के लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है। जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त साधनों का भरपूर उपयोग करते हैं, वे अच्छी से अच्छी स्थिति में पहुँच जाते हैं और जो इन साधनों का उचित मात्रा में उपयोग नहीं करते, वे होनावस्था में चले जाते हैं।

2. परिश्रम का आशय—मन और बुद्धि के संयोग से ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो का अधिकतम उपयोग करना ही परिश्रम कहलाता है। इन दूसरे शब्दों में हम यों भी सम्मिलित कर सकते हैं कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित रीति में मन लगाकर बार-बार प्रयत्न करना ही परिश्रम कहलाता है। उदाहरण स्वरूप किसी विद्यार्थी का लेख खराब है और वह उसे सुधारना चाहता है तो पहले उसे अपने मन में यह निश्चय करना होगा कि उसे अपना लेख सुधारना है। फिर बुद्धि से सुधारने की युक्ति सोचनी होगी या बिन्ही लोगों से पूछ कर युक्ति समझनी होगी और फिर उस युक्ति के अनुसार बार-बार प्रयत्न करना होगा। बालान्तर

मे उसका लेख निश्चय ही मुद्रण जायेगा और वह अपने उद्देश्य में सफल हो जायेगा। उसका यह समस्त क्रिया-कलाप परिश्रम ही कहलायेगा।

3. परिश्रम की आवश्यकता—जीवन में परिश्रम सबसे अधिक आवश्यक होता है। परिश्रम के बिना मानव-जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अपनी सामान्य दिनचर्या में उठने-बैठने और हाथ-पाँव हिलाने-डुलाने से लेकर अपनी आजीविका के लिए अथवा किसी से मिलने-जुलने जाना-आना परिश्रम के अन्तर्गत ही आता है। बिना परिश्रम के साधारण से साधारण काम भी नहीं हो सकता फिर बड़े और महान् कार्यों की तो बिना परिश्रम के कल्पना ही नहीं की जा सकती। इस सम्बन्ध में कवि रहीम की उक्ति बहुत सार्थक है—

अम ही सों सब मिलत है, विनु अम मिले न काहि ।

सीधी अ गुरी घी जम्बो, क्यो हू निवसत नाहि ॥ ,

जमा हुआ घी सीधी अगुली से नहीं निकल पाता। उसे निकालने के लिए अगुली को टेढ़ा करना ही पड़ता है और यह टेढ़ा करना परिश्रम के अन्तर्गत ही आता है। संस्कृत की एक सूक्ति और देखिए—

‘उद्यमेन हि सिद्धयति कार्याणि न मनोरथं,
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा ॥’

पर्याप्त सत्कार के सभी कार्य उद्यम (परिश्रम) करने से ही सिद्ध होते हैं। केवल इच्छा करने मात्र से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सिंह अत्यन्त बलवान् पशु है किन्तु उसके सोते हुए के मुँह में कोई पशु नहीं चला जाता। उसे अपना आहार प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है।

इस प्रकार के अनेक उदाहरण हम स्वयं ढूँढ सकते हैं। परिश्रम की आवश्यकता हम अपने दैनिक जीवन में हर क्षण अनुभव करते हैं। अतः हमें यह भली-भाँति समझ लेना चाहिए कि परिश्रम हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है।

4. परिश्रम का महत्त्व—परिश्रम का जीवन में बहुत अधिक महत्त्व है। परिश्रम के बल पर असाध्य कार्य भी साध्य हो जाते हैं और असम्भव भी सम्भव हो जाता है। सत्कार का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो परिश्रम के बल पर पूरा न हो सके। कवि रहीम ने इसे यों समझाया है—

‘करत-करत अभ्यास के, जडमति होत सुजान ।

रसरौ आयत जात ते, तिल पर होत निशान ॥’

अभ्यास करने रहने से महामूर्ख भी जानी हो जाता है। जिन प्रकार कुए की पाल के पत्थर पर रस्मी के बार-बार आने-जाने की रगड़क से गहरा निशान बन जाता है। जब महामूर्ख और कठोर पत्थर की स्थिति में अभ्यास (परिश्रम) करते रहने से इतना अन्तर पड़ जाता है तो सामान्य व्यक्तियों की तो बात ही क्या है। परिश्रम के बल पर मनुष्य जो चाहे, सो प्राप्त कर सकता है।

हमारे धर्माचारियों ने जीवन के चार पुरुषार्थ बतलाये हैं—(1) धर्म (2) धन्य (3) काम (4) मोक्ष । ये चारों ही पुरुषार्थ परिश्रम के बल पर ही सिद्ध हो सकते हैं । परिश्रम के अभाव में मनुष्य अपने स्वयं का ही कोई हित नहीं कर पाता तो उसके द्वारा परिश्रम की बात अथवा किसी प्रकार का धर्माचरण करने की बात तो सोचना भी उचित नहीं है । धर्मोपासन अथवा धन कमाना परिश्रम के बिना कैसे सम्भव हो सकता है ? सत्कार के सभी भोग-विलास और इच्छाओं की प्राप्ति के लिए भी परिश्रम आवश्यक है और मोक्ष प्राप्ति के लिए त्याग, तपस्या, भजन और ध्यान ये सभी धर्म साध्य हैं । परिश्रम से ये सभी पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं । परिश्रम के बल पर ही मनुष्य अपना जीवन सफल बना सकता है ।

मानव-जीवन की उन्नति का प्रमुख साधन परिश्रम ही है । जो मनुष्य जितना अधिक परिश्रम करता है, वह अपने जीवन में उतना ही अधिक सफल होता है । आज विज्ञान अपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच गया है । चिकित्सा, यानायात, मंचार, युद्ध तथा अन्तरिक्ष यात्रा आदि सभी क्षेत्रों में अविश्वसनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की जा चुकी हैं । इन सब उपलब्धियों का यदि कोई रहस्य है तो वह है वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया निरन्तर कठोर परिश्रम । आगे आने वाले वर्षों में विज्ञान और भी उन्नति करेगा । इसका कारण यही है कि वैज्ञानिक अब भी नयी-नयी खोज और नये-नये आविष्कार करने के कार्य में गुटे हैं और निरन्तर कठोर परिश्रम कर रहे हैं ।

परिश्रमी व्यक्ति में धैर्य, साहस, कष्ट-सहिष्णुता और आत्म-विश्वास के गुण उत्पन्न हो जाते हैं । वह अपने मार्ग में आनेवाली किसी बाधा से नहीं घबराना बल्कि अपने परिश्रम के बल पर उन बाधाओं को ही दूर हटा देता है । वास्तव में सफलता का रहस्य परिश्रम ही है । परिश्रमी व्यक्ति दुःख-मूल की परवाह किये बिना अपने कार्य में लगा रहता है और प्रयत्नशीलता सफल हो ही जाता है । ससृष्ट में एक सूक्ति है—

‘मनस्वी कार्यार्थी गणयति मुषं न च दुःखम्’

कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि किसी कार्य में हमने परिश्रम तो बहुत किया किन्तु फिर भी हम सफल नहीं हो सके और इसका कारण हम यह समझ लेते हैं कि भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया । ऊपरी तौर से देखने पर तो यह बात सत्य दिखाई देती है किन्तु यदि गहराई से सोचें तो हम समझ सकेंगे कि भाग्य अपने आप में कोई अलग वस्तु नहीं है । हमारे द्वारा पूर्व में किये गये परिश्रम का फल ही भाग्य बन कर हमारे सामने आता है । जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं तो इसका एक मात्र कारण यही होता है कि हमारे प्रयत्न में कहीं न कहीं कमी अवश्य रह जाती है । सोच-समझकर विधिपूर्वक किया गया प्रयत्न कभी असफल हो ही नहीं सकता ।

आज ससार के देशों में अमेरिका, रूस, जापान, चीन और इंग्लैंड ये देश पूर्ण विकसित और समृद्ध माने जाते हैं। इसका कारण इन देशों की प्राकृतिक सम्पदा या अन्य कोई बात नहीं है। मुख्य बात है इनके नागरिकों की परिश्रम शीलता। इन देशों के नागरिक बड़े परिश्रमी हैं। व्यवसाय के दिशाओं से दूर रहकर बठोर परिश्रम करने का उन्हें अभ्यास है। दूसरे महायुद्ध में जापान बुरी तरह से तहम-नहस कर दिया गया था किन्तु वहाँ के नागरिकों ने अपने परिश्रम से जापान का पुनर्निर्माण किया और आज वह अमेरिका के मुकाबले का घनाद्वय देश बन गया है। विज्ञान का क्षेत्र हो या व्यापार का अथवा राजनीति का क्षेत्र हो या खेल-कूद का सभी क्षेत्रों में ये देश आगे रहते हैं। इसका एक मात्र कारण उनका परिश्रमी होना ही है।

5. उपसंहार—ससार को ज्ञान का प्रवाह दिखाने वाला और ससार का गुरु कहलाने वाला हमारा देश भारत आज सभी दृष्टियों से पिछड़ा हुआ है। इसके अनेक अन्य कारण भी होंगे किन्तु एक प्रमुख कारण यह है कि हमारे देश के लोग परिश्रम से जी चुराने वाले हैं। व्यापारी, कर्मचारी और श्रमिक सभी कम से कम कार्य करके अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। विद्यार्थी बिना पढ़े ही परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने की बात सोचते हैं। जद धर्म का इस प्रकार घोर अनादर हो रहा है तो फिर लाभकारी परिणाम सामने कैसे आ सकते हैं ? इतना ही नहीं स्वतन्त्रता के बाद बानी नयी पीढ़ी तो ऐसी सामने आ रही है, जिसे शारीरिक श्रम से घृणा है। आज देश में व्याप्त बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अराजकता का मूल कारण हमारा परिश्रम से जी चुराना ही है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बने, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार समाप्त हो तथा देश में अमन-चैन और खुशहाली आवे तो हमें व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक तौर पर कठिन परिश्रम करना होगा। यही इन सब व्याधियों की एक मात्र रामबाण औषधि है। कवि जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियाँ देखिए—

यह नोड मनोहर कृतियों का
यह विद्वद कर्म रंग स्थल है।
है परम्परा लग रही यहाँ
ठहरा जितने जितना दल है ॥

निबन्ध की रूप-रेखा

1. प्रस्तावना—जीवन में समय का महत्त्व
2. समय के सदुपयोग की आवश्यकता
3. समय के सदुपयोग से लाभ
4. समय के सदुपयोग करने की विधि
5. उपसंहार

1. प्रस्तावना—यदि हम जीवन की व्याख्या करें और यह समझने का प्रयास करें कि जीवन क्या है, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जीवन वास्तव में प्रकृति अथवा ईश्वर की ओर से मानव-जीवन के रूप में दिया गया एक निश्चित समय है। जन्म के पश्चात् शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु—जीवन का यह क्रम निरन्तर अबाध गति से चलता रहता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे जीवन में ये परिवर्तन कब और कैसे हो जाने हैं। यही समय का लक्षण है। समय निरन्तर गतिशील है। वह कभी एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता। उसके बीत जाने पर ही पता चलता है कि समय चला गया और फिर वह लौट कर कभी नहीं आता। समय ही जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान, शक्तिशाली और महत्त्वपूर्ण होता है। ठीक समय पर उचित निर्णय लेने वाले तथा उचित कार्य करने वाले लोग ही वाञ्छित लाभ प्राप्त कर पाते हैं। जो लोग समय के महत्त्व को समझ नहीं पाते उनका समय व्यर्थ ही निकल जाता है और फिर वे जीवन भर पछताते रहते हैं। समय का महत्त्व समझ लेने वाले लोग जीवन की सफलता का रहस्य जान लेते हैं। समय का सदुपयोग करने की विधि वे सीख जाते हैं और कुछ भी प्राप्त करना उनके लिए कठिन नहीं होता।

2. समय के सदुपयोग की आवश्यकता—समय के सदुपयोग का अर्थ है—सदा कुछ न कुछ उपयोगी कार्य करते रहना और जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ के कार्यों में अथवा ठाने बैठकर नहीं बिताना। जिस समय जो कार्य करना अपेक्षित है उस समय वही कार्य करना। जीवन में समय का सदुपयोग करना बहुत आवश्यक है क्योंकि समय पर वाञ्छित कार्य करने से ही मनुष्य को लाभ होता है। समय एक अक्सर ही तो है। जो लोग अक्सर का लाभ नहीं उठाते—उपयुक्त समय पर वाञ्छित कार्य नहीं करते—वे अक्सर भँवा बेते हैं और जीवन भर पछताते रहते हैं। उदाहरण के लिए

हम विद्यार्थी-जीवन का ही लें। यह वह समय है जब बालक भ्रमवा नवयुवक को अपना शारीरिक, मानसिक और चार्ित्रिक विकास करने का सुभवसर प्राप्त होता है। वह सब प्रकार के पारिवारिक-सामाजिक दायित्वों से मुक्त होता है। अधिकाधिक ज्ञानार्जन करना, शरीर को सबल एवं स्वस्थ बनाना तथा अग्दी आदतें डालना ही विद्यार्थी-जीवन का लक्ष्य है। जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं, इस अवसर का पूरा लाभ उठा लेते हैं। उनका जीवन सुखी, समृद्ध तथा सम्मानजनक बन जाता है। इसके विपरीत जो लोग समय का दुरुपयोग करते हैं, खेल-तमाशे और इधर-उधर के अन्य अनुपयोगी कार्यों में ही अपना समय गँबा देते हैं। उनसे हाथ से जीवन निर्माण का यह अमूल्य अवसर निकल जाता है और फिर वे जीवन भर पढ़ाने रहते हैं। साक्ष प्रयत्न करने पर भी वे इस अवसर को पुनः प्राप्त नहीं कर पाते। इसी तथ्य को गौस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरित मानस में प्रकाशित किया है

‘का बरषा जब कृषी सुखाने
समय चूकि पुनि का पछताने ॥

3. समय के सदुपयोग से लाभ—जीवन की सफलता का रहस्य समय के सदुपयोग में ही छिपा हुआ है। जीवन का एक-एक क्षण मूल्यवान होता है। हमारे सामने कितनी ही कठिन परिस्थितियाँ हो, वंसी भी चुनौती हो लेकिन यदि हम समय का सदुपयोग करना जानते हैं तो हम उन परिस्थितियों पर विजय अवश्य प्राप्त कर लेगे। समय का सदुपयोग करने की आदत से मनुष्य में उत्साह, कठोर धर्म, उत्तर दायित्व की भावना, कष्ट सहिष्णुता और सदाचार की भावना उत्पन्न हो जाती है। वह बुरी सगत, बुरी आदतें और दुर्गुणों से बच जाता है। जो लोग बुरी सगत और बुरी आदतों के शिकार होते हैं, समय का सदुपयोग करने की आदत बनाने पर वे भी इन बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। समय का सदुपयोग करने वाले लोग आर्थिक दृष्टि से समृद्ध, शारीरिक दृष्टि से नीरोग एवं सबल, चार्ित्रिक दृष्टि से सन्चरित्र और सामाजिक दृष्टि से सम्मानित होते हैं। ससार के सभी महापुरुषों के जीवन की घटनाओं और उनकी दिनचर्या की जानकारी करने पर यही तथ्य प्रमाणित होता है। उनकी महानता का मूल रहस्य समय का सदुपयोग करने की आदत ही रहा है। ससार के इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुष, वैज्ञानिक, लेखक और समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने अपनी मर्यादा में ही बड़े-बड़े कार्य कर डाले। इसका यही रहस्य था कि उन्होंने समय के मूल्य को समझा था और जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग किया था। समय का सदुपयोग करके कोई भी सामान्य व्यक्ति महान बन सकता है। जिस देश यथवा समाज में कितने अधिक लोग समय का सदुपयोग करते हैं वह देश भ्रमवा नमाज उतना ही अधिक उन्नत होता है। एक विचारक का कथन है कि किसी देश भ्रमवा समाज के स्वरूप को देखना चाहो तो लोगों की दिनचर्या को देखो। इसका यही तात्पर्य है कि समय का सदुपयोग करने से ही व्यक्ति समाज और राष्ट्र का स्वरूप

उज्ज्वल बनता है। समय सर्वशक्तिमान होता है। समय की शक्ति और उसका मूल्य समझने वाले लोग स्वयं शक्तिमान बन जाते हैं। जो समय की परवाह नहीं करते, समय उनकी परवाह नहीं करता। गोरखामो तुलसीदास ने समय की शक्तिमत्ता को इस प्रकार परिभाषित किया है—

‘तुलसी नर को का बड़ो, समय बड़ो बलवान।

भीलन सूटो गोपिका, बहि धनुं न बहि बान ॥’

4. समय का सदुपयोग करने की विधि—समय का सदुपयोग करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है—समय के मूल्य को समझना। हमें यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि समय अमूल्य है और प्रतिदिन बीतता जा रहा है। भूली हुई विधा, नष्ट हुई सम्पत्ति और खोई हुई प्रतिष्ठा तथा विद्युत् हूए लोग दुबारा मिल सकते हैं लेकिन बीता हुआ समय दुबारा कभी नहीं मिलता। समय निरन्तर गतिशील तथा परिवर्तनशील बना रहता है। वह कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अतः समय को अमूल्य समझकर एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। अपनी दिनचर्या इस प्रकार निर्धारित करनी चाहिए जिसमें जीवन का प्रत्येक क्षण उपयोगी कार्य में ही व्यतीत हो। सोना, उठना, नित्यकर्म करना, पढ़ना-लिखना, व्यायाम करना, आजीविका चलायाना तथा आभोग-प्रमोद के कार्य करना आदि सभी कार्य निर्धारित समय और निर्धारित अवधि में ही करने चाहिए। छुट्टी अथवा अवकाश के समय के उपयोग को भी एक योजना होनी चाहिए ताकि फालतू अथवा खाली समय में जाने वाले समय को भी उपयोगी कार्यों में लगाया जा सके। शारीरिक थक के बाद मानसिक थक और मानसिक थक के बाद शारीरिक थक के कार्य करने से एकान दूर हो जाती है और कार्य करने में रुचि बनी रहती है।

समय का सदुपयोग करने के लिए दूसरी आवश्यकता है—जीवन का एक महान् उद्देश्य निर्धारित करना। निरर्हेय कार्य करने वाले व्यक्ति का समय प्रायः व्यर्थ नष्ट होता है। इसके विपरीत जो लोग अपने जीवन का एक बड़ा उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं वे समर्पित भाव से उस उद्देश्य को प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। उनका प्रत्येक क्षण उद्देश्य के चिन्तन और कार्यों में ही बीतता है और इन प्रकार समय का सदुपयोग हो जाता है।

समय का सदुपयोग करने में एक बड़ी बाधा झालस्य और दीर्घसूत्रता है। झालस्य मनुष्य का शत्रु है। झालसी व्यक्ति अपने जीवन का अधिकाल समय व्यर्थ ही रखा देता है। अतः हमें झालस्य का त्याग करना चाहिए और जो कार्य करना है उसे कल पर न छोड़कर तत्काल कर लेना चाहिए। कबीर ने इसी तथ्य को प्रतिपादित करते हुए कहा है—

‘काल करं तो आज कर, आज करं तो अब ।’

‘दस में परसं होयमी, बहुरि करंगो अब ॥’

धालस्य के अतिरिक्त प्रमाद और दीर्घसूत्रता से भी समय का दुरुपयोग होता है। लापरवाह व्यक्ति समय का मूल्य नहीं पहचान पाता। इसके साथ ही बुरे लोगों की सगति और दुर्व्यसनो की आदत भी समय का दुरुपयोग करती है। अतः समय का दुरुपयोग करने के लिए कुसगति तथा दुर्व्यसनो को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए।

5 उपपहार—समय के मूल्य को पहचानने वाले तथा समय का सदुपयोग करने वाले लोग ही जीवन में सफल होते हैं। धन, विद्या, बल, पद, प्रतिष्ठा, यश और ईश्वर-प्राप्ति आदि सभी पुण्यार्थ वे सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। उनके लिए जीवन में कुछ भी प्राप्त करना असम्भव नहीं होता। ये लोग न केवल अपना ही, बल्कि अपने साथ ही अपने परिवार, समाज और राष्ट्र का भी कल्याण कर देते हैं। वे महापुरुष कहलाते हैं और अनन्त काल तक अपने आदर्शों तथा कार्यों से आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहते हैं।

यह दुर्भाग्य की बात है कि हम भारतीय समय का मूल्य नहीं पहचानते और व्यर्थ की गपशप तथा प्रदर्शन के कार्यों में अपने जीवन का बहुत अधिक समय बर्बाद कर देते हैं। समय की पाबन्दी बरतने में हम बहुत शिथिल हैं। यही कारण है कि हमारा देश ससार के अन्य देशों की तुलना में अनेक क्षेत्रों में बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है। हमें और विशेष रूप से हमारी नयी पीढ़ी को चाहिए कि वह समय का सदुपयोग करने की आदत डालें जिससे व्यक्ति समाज और राष्ट्र सभी का हित हो सके।

□□□

निबन्ध की रूप-रेखा

1. प्रस्तावना
2. परोपकार का आशय
3. मानव-जीवन और परोपकार
4. परोपकार का क्षेत्र
5. कुछ आदर्श
6. उपसंहार

1. प्रस्तावना—पाप और पुण्य की परिभाषा करना एक अत्यन्त कठिन कार्य है। एक व्यक्ति किसी कार्य को पाप समझ कर उससे बचने का प्रयास करता है तो दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को बड़ी रुचि से करता देखा जाता है। कुछ लोग झूठ और बेइमानी को पाप समझ कर इनसे बचने का प्रयास करते रहते हैं और बदने में अनेक प्रकार के अभावों का कष्ट उठाते रहते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग झूठ, बेइमानी और पावड को ही अपना धर्म बना लेते हैं। वे बेइमानी करने का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देते और प्रत्यक्ष में वे सब प्रकार के साधन-सुविधाओं से सम्पन्न होकर सुखी जीवन व्यतीत करते प्रतीत होते हैं। ऐसे उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में नित्य ही देखने रहते हैं। सामान्य व्यक्ति की बात ही क्या, बड़े-बड़े चिन्तक और विचारक भी एक मत होकर नहीं बता पाते कि वास्तव में पाप और पुण्य की सर्व-मात्र परिभाषा क्या है। इन सम्बन्ध में प्राचीन भनीषी वेदव्यास का मत सटीक और सही प्रतीत होता है। उन्होंने पाप और पुण्य की परिभाषा बतलाते हुए थोड़े बहुत शब्दों में स्पष्ट कर दिया था कि हमारे जिस कार्य से दूसरों को कष्ट पहुँचता है, वह पाप है और हमारे जिस कार्य से दूसरे का हित होता है, वह पुण्य है।

‘आष्टदश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्
परोपकार’ पुण्याय, पापाय पर पीडनम्’

2. परोपकार का आशय—वेदव्यास की परिभाषा के अनुसार परोपकार ही एक मात्र हमारा धर्म है। परोपकार शब्द पर+उपकार के संधियोग से बना है जिसका सीधा सादा अर्थ है—दूसरों की भलाई। पर अर्थात् दूसरों से आशय उन व्यक्तियों और प्राणियों से है, जिनसे हमारा सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसे लोगों के हित के कार्य करना ही परोपकार कहलाता है। अपने परिजनों, मित्रों,

सगे-सम्बन्धियों और परिचितों के कल्याण के कार्य करना परोपकार के अन्तर्गत नहीं आ सकता। क्योंकि उनके हित से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारा स्वयं का भी हित जुड़ा रहता है। परोपकार तो तभी माना जायगा जबकि हम किसी ऐसे व्यक्ति अथवा प्राणी का हित करें जिससे हमारा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से कभी कोई सम्बन्ध न था, न है और न रहेगा। जब हम केवल मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर किसी का हित करते हैं, तभी वह परोपकार कहलाता है।

3. मानव जीवन और परोपकार—मानव-जीवन अन्य प्राणियों के जीवन से इसी आधार पर भिन्न है कि उसमें अपने अतिरिक्त दूसरों के हित के कार्य करने की भी समझ है। इसी समझ का नाम मानवता है। प्रेम, दया, सहानुभूति, त्याग और बलिदान आदि गुण मनुष्य में ही पाये जाते हैं। यदि हम यह कहे कि इन गुणों के समूह का नाम ही मानवता है तो यह उचित ही होगा क्योंकि अन्य प्राणियों से मानव जाति की पहचान को अलग से बतलाने वाले यही गुण हैं। इन गुणों से विहीन मनुष्य और पशु में कोई अन्तर नहीं है। ऐसा मनुष्य पूँछ और सींग से विहीन मनुष्य का शरीर धारण किये बिना पशु ही है।

परोपकार एक उदात्त भाव है। मानवता के उपर्युक्त गुण ही परोपकार के भाव को जन्म देते हैं। जिसके हृदय में प्रेम, दया, सहानुभूति और त्याग के भावों का अस्तित्व ही न हो वह दूसरों के कष्टों को समझ ही नहीं सकता और यदि किसी प्रकार समझ भी ले तो उनको दूर करने के लिए प्रयत्न करने की बात तो उसकी समझ में आ ही नहीं सकती। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि परोपकार का सम्बन्ध मानवता से ही है।

मानव-जीवन की सार्थकता परोपकार करने में ही है। मानव शरीर धारण करके यदि परोपकार नहीं किया तो समझना चाहिए उसका वह दुर्लभ जन्म व्यर्थ ही चला गया। परोपकार के बिना मनुष्य, मनुष्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। कवि मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों में देखिए—

‘ यह पशु प्रवृत्ति है कि आप आप ही चरे ।
 वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे ॥ ’

हमारी भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ स्वाभाविक कर्तव्य से लिया जाता है। परोपकार मनुष्य का धर्म माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने इसे बड़े स्पष्ट रूप से समझाया है—

‘ परहित सरित घरम नहि भाई
 पर पीडा सम नहि अघमाई ॥

सत्सार के इतिहास की बात छोड़ भी दें तो भी हमारे भारत का इतिहास परोपकार को अपना धर्म समझ कर अपना सर्वस्व त्याग देने वाले महापुरुषों की कथाओं के गौरव से भरा पड़ा है। उनके त्याग का स्मरण करके आज भी हमारा

ही नहीं संसार के मानव समाज का मस्तक गौरव से उन्नत हो रहा है। महाविद्वान् लोका-कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान करना, रत्निदेव का भूल होने पर भी परोसे हुए धाल को अपने से अधिक भूखे व्यक्ति को दान कर देना, राजा शिवि द्वारा एक पक्षी के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काट कर दे देना, परोपकार के ऐसे उदाहरण हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं है। महात्मा बुद्ध और भगवान् महावीर द्वारा लोका-कल्याण के लिए सर्वस्व त्याग करना परोपकार के धर्म का पालन करना ही है। परोपकारी लोगों के ऐसे असंख्य उदाहरण हमें मिल सकते हैं। संत महात्माओं का तो अवतार ही परोपकार के लिए होता है। अपनी तपस्या के बल पर वे अनेक सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं किन्तु उनका उपयोग वे स्वयं अपने हित में कभी नहीं करते। उनके जीवन का लक्ष्य ही परोपकार करना होता है। महात्मा कबीर के शब्दों में देखिए—

‘ तरवर सरवर संतजन चौया बरसण मेह ।
परमारय के कारण ध्यारों घारो बेह ॥ ’

ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान, ध्यान, भजन और कीर्तन ये सब साधन माने गये हैं किन्तु परोपकार के भाव के अभाव में ये सब साधन फीके हैं। समस्त सृष्टि ईश्वर ही की रचना है। उसकी इस रचना की उपेक्षा करके उसकी प्रार्थना करना असंगत बात जान पड़ती है। संसार के प्राणी मात्र से प्रेम करना, उनके हित में लगे रहना ही ईश्वर की सच्ची प्रार्थना और सेवा है। एक अंग्रेज मनीषी ने इसे यों समझाया है—

“ The best way to pray to god is to love his creation.”

संसार के सभी धर्मों ने परोपकार को मान्यता दी है और परहित के कार्यों को ईश्वर की सेवा माना है। प्रेम, दया और दीन-दुखियों की सेवा को सभी धर्मों ने एक व्रत के रूप में स्वीकार किया है। हिन्दू धर्म के अतिरिक्त बौद्ध, जैन और ईसाई धर्मों में तो परोपकार के कार्य को अत्यधिक महत्त्व मिला है। छोटे-बड़े श्रीय-घालयो, विद्यालयो, जलाशयों और धर्मशालाओं के निर्माण परोपकार की भावना से करवाये गये हैं। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक कार्य परोपकार की भावना से करवाये जाते हैं।

प्रकृति स्वयं अपने आवरण से हमें परोपकार करने की प्रेरणा देती है। वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते और नदियाँ स्वयं पानी नहीं पीती। प्रकृति के समस्त त्रिव्या कलाप दूसरों के ही लिए होते हैं। वास्तव में मनुष्य-जीवन की सार्यकता परोपकार में ही है। परोपकार एक उदात्त भाव होने के कारण इससे अनिबन्धनीय सुख और सतोष मिलता है। किसी भूखे को छोटी खिन्नाते से, असहाय को सहायता करने से और पीड़ित के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने से जो सुख और सन्तोष मिलता है तथा मन में जो अपार शान्ति का अनुभव होता है, उसको तो बही जान सकता

है जिसने परोपकार किया हो। कवि रहीम ने इसे यों समझाया है—

‘रहिमन यों सुख होत है, पर उपकारी अंग ।
बाटन थारे को लगै, व्यो मेहदी को रंग ॥’

4. परोपकार का क्षेत्र—परोपकार का क्षेत्र बहुत विस्तृत और व्यापक है। किसी दुखी प्राणी की सहायता करना ही परोपकार नहीं है बल्कि तन, मन, धन, वचन और बुद्धि में किसी भी प्रकार दूसरे का हित करना परोपकार के अन्तर्गत आता है। परोपकार के लिए हमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, समय अथवा परिस्थिति की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। परोपकार के अवसर तो हमारे पास सदा सुलभ रहते हैं। हम जिस समय जिस स्थान पर हैं, वही हमारे पास परोपकार के अनेक अवसर उपलब्ध रहते हैं। जब हम एकान्त में अकेले बैठे अपने मन में यह विचार भी करते हैं कि अमुक व्यक्ति का हम किस प्रकार हित करें, तो हमारा यह विचार भी परोपकार के अन्तर्गत ही आता है।

उपसंहार—हमारे देश में परोपकार की भावना आदिकाल से ही प्रवाहित होती चली आ रही है। परोपकार हमारी धरकृति का एक प्रमुख अंग है। परोपकार की भावना से प्रेरित होकर हमारे देश के निवासियों ने मानवता की अनुपम सेवा की है। आज के बुद्धिवादी तर्क प्रधान युग में दया, प्रेम, सहानुभूति और परोपकार के भाव को निरी भावुकता समझ कर मूर्खता भी समझा जाने लगा है किन्तु ऐसी समझ मानवता की विरोधिनी है। आज सभार में चारों ओर कलह, अशान्ति और अराजकता व्याप्त है। यह इसी छिछली समझ और स्वार्थवाद को अत्यधिक महत्त्व देने का ही परिणाम है। आज भी यदि विनाशोन्मुख सभार को कोई बचा सकता है और सब जगह सुख शांति का साम्राज्य स्थापित कर सकता है तो वह है भारतीय ऋषि मुनियों के द्वारा विश्व-कल्याण की कामना के लिए बतलाया गया यह भाव-सूत्र—

‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् ॥’



निबन्ध की रूप-रेखा

1. प्रस्तावना—स्वावलम्बन का आशय
2. स्वावलम्बन का महत्त्व
3. स्वावलम्बन से लाभ
4. उपसंहार

प्रस्तावना—स्वावलम्बन का आशय—संसार में सभी प्रकार के लोग निवाम करते हैं। कुछ लोग परमुखापेक्षी होते हैं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों की सहायता की अपेक्षा रखते हैं, दूसरों की सहायता के बिना उनका काम ही नहीं चलता। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही करते हैं। उन्हें अपने किसी कार्य के लिए दूसरों का मुँह ताकना अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही लोग स्वावलम्बी या आत्मनिर्भर कहलाते हैं। स्वावलम्बन शब्द 'स्व + अवलम्बन' इन दो शब्दों के मेल से बना है। 'स्व' का अर्थ है—सुद, निज, स्वयम् अथवा अपना। 'अवलम्बन' का अर्थ है—आधारित अथवा भरोसे पर रहना। इस प्रकार स्वावलम्बन का अर्थ है—अपने स्वयं पर आधारित होना। जो लोग अपनी स्वयं की शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता और गुणों पर आधारित होते हैं, वे स्वावलम्बी कहलाते हैं। वे अपने सब काम स्वयं ही करते हैं और अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने ही चलचूते पर करते हैं। ऐसे लोगों को दूसरे शब्दों में आत्म-निर्भर भी कहा जाता है।

2. स्वावलम्बन का महत्त्व—स्वावलम्बन की भावना एक दैवी गुण है। यह मनुष्य का एक उदात्त भाव है। स्वावलम्बन का भाव मन में आते ही मनुष्य का व्यक्तित्व आदर्श गुणों से युक्त हो जाता है। स्वावलम्बी मनुष्य में स्वाभिमान जागृत हो जाता है। उसे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी से याचना करने में अपना अपमान महसूस होता है। उसका सम्पूर्ण जीवन स्वावलम्बनपूर्ण होता है। वह किसी मामले में भी पराश्रित नहीं रहता। अपने सुखमय जीवन के लिए वह अथक प्रयास और कठोर परिश्रम करता है तथा जीवन-यापन के लिए सभी सामग्री और सुविधाएँ स्वयं ही जुटाता है वह बात-बात में दूसरों का सहारा नहीं ढूँढता, बल्कि दूसरे लोग ही उससे सहायता की याचना करते हैं।

स्वावलम्बन का भाव मनुष्य को स्वतंत्र और निर्भीक बनाता है। स्वतंत्रता की अनुभूति मनुष्य के लिए सबसे अधिक सुखकर होती है क्योंकि पराधीन व्यक्ति कभी सुखी हो ही नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में—

‘पराधीन सपने सुख नहीं
करि विचार देखो मन माहीं।’

पराधीन रहकर सोने के थाल में पट्टरस व्यजन खाने वाले व्यक्ति की तुलना में स्वाधीन रहकर रूखा-सूखा खाने वाला व्यक्ति अधिक सुखी होता है। स्वाधीनता की रक्षा स्वावलम्बन के बिना सम्भव नहीं हो सकती। पराश्रय और पराधीनता में कोई अन्तर है ही नहीं। जो लोग पराश्रित होते हैं, वे निर्भीक नहीं हो सकते। उनके मन में हमेशा यह भय बना रहता है कि जिनके सहारे उनका काम चल रहा है, वे किसी बात पर उनसे अप्रसन्न न हो जायें। इसी से भयभीत होकर वे उनकी पुशामद और गुलामी में लगे रहते हैं। अनेक अवसरों पर अपनी आत्मा को आबाज को दवाकर भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। स्वावलम्बन ही एक मात्र ऐसा गुण है जो मनुष्य के मन को निर्भीक और आत्मा को प्रबल बनाता है।

स्वावलम्बन मनुष्य में उत्साह, धैर्य और कष्ट सहिष्णुता के गुण उत्पन्न करता है। उत्साह से कार्य करने पर ही मनुष्य को सफलता मिलती है। स्वावलम्बी व्यक्ति में उत्साह सदा बना रहता है। वह अपनी पूरी शक्ति और क्षमता के साथ अपना कार्य पूरा करने में जुटा रहता है। यदि उसके कार्य के सफल होने में विलम्ब भी होता है तो वह धमं नहीं खोता और अपना उत्साह बना ही रहता है। स्वावलम्बी व्यक्ति को अनेक अवसर पर अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं किन्तु वह कष्टों से विचलित नहीं होता। स्वावलम्बन की अनुभूति का आनन्द उसे कष्ट का अनुभव होने ही नहीं देता। उसे चिलचिलाती धूप में चाँदनी की सी शीतलता का आनन्द मिलता है। घोर निर्जन वन में बनी भौंपट्टी में रहने में उसे राजमहलों के से आनन्द की अनुभूति होती है। वनवास के समय कुटिया में रह रही सीता ने स्वावलम्बन के भाव के कारण ही कवि मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों में कहा था—

‘मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया।’

आत्म नियंत्रण, आत्म-विश्वास और सतोप ऐसे गुण हैं जो स्वावलम्बन से ही उत्पन्न होते हैं। स्वावलम्बी व्यक्ति अपने ही साधनों से काम चलाने में विश्वास करता है। अनेक अवसरों पर वह अपनी इच्छाओं को सीमित रखता है और अनेक प्रकार से आत्म नियंत्रण भी करता है। वह दूसरों के वैभव को देखकर ईर्ष्या नहीं करता और सुख-सुविधा के साधनों को जुटाने में अनर्तिकारी नहीं अपनाता। वह जानता है कि सच्चा और स्थायी सुख इच्छाओं की पूर्ति में नहीं बल्कि आत्म-नियंत्रण और सतोप में ही है। स्वावलम्बन की भावना

मनुष्य में आत्म-विश्वास का भाव जागृत कर देती है। आत्म-विश्वास के कारण उसमें हठ निश्चय के साथ आगे बढ़ने का उत्साह उत्पन्न हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए ससार में कुछ भी प्राप्त करना असम्भव नहीं होता है। अपनी प्रबल इच्छा-शक्ति के बल पर वह जो चाहता है, उसे बड़ी मिनकर रहता है।

3. स्वावलम्बन से लाभ—जैसाकि पहले कहा जा चुका है, स्वावलम्बन मनुष्य का एक वैश्विक गुण है। व्यक्ति में स्वावलम्बन का भाव स्थायी होने से न केवल उसका व्यक्तित्व जीवन ही उन्नत और सुखी होता है बल्कि उससे राष्ट्र और समाज का भी हित होता है। यत हम सभी दृष्टियों से स्वावलम्बन के लाभ पर विचार करेंगे।

(क) व्यक्तिगत लाभ—स्वावलम्बन मनुष्य की उन्नति में बहुत सहायक होता है। स्वावलम्बन में ही उसमें उत्साह, बड़ोर परिश्रम, तत्परता, धैर्य, कष्ट नहिष्णुता, आत्म-नियंत्रण, आत्म-विश्वास, निश्चितता और निर्भङ्गता आदि श्रेष्ठ गुणों का विकास होता है। जिस व्यक्ति में ये सब गुण हों, उसके लिए जीवन में सफलता प्राप्त करना बड़ा सरल हो जाता है। उसके लिए असम्भव कुछ भी नहीं होता। जीवन के हर क्षेत्र में वह उत्तरोत्तर उन्नति करता चला जाता है। उसका जीवन सुखी और समृद्ध हो जाता है। लोग उसके गुणों की सराहना करते हैं और उसे सुख-शान्ति तथा यश मिलता है। वह परेयकारी बनकर दूसरों का कल्याण करने के साथ-साथ स्वयं का भी कल्याण करता है। वह अपनी जाति, धर्म और कुल का नाम उज्ज्वल करके इतिहास में अपना नाम प्रमर कर देता है। उसके कार्यों से प्रेरणा लेकर दूसरे लोग भी लाभान्वित होते रहते हैं।

(ख) सामाजिक लाभ—जिस जाति अथवा समाज में स्वावलम्बन की भावना होती है, वह कभी पिछड़ा हुआ नहीं रहता। अपने बलबूते पर वह अपना निरन्तर विकास करता रहता है। ससार का इतिहास इन बात का साक्षी है कि जिस समाज में परावलम्बन का भाव उत्पन्न हुआ, उसी का पतन हुआ। भारतीय इतिहास में पिछली कुछ शताब्दियों परतंत्रता और दासता के काल से कलकित रही हैं। पराधीनता के इस लम्बे समय में भारतीय समाज का बहुत पतन हुआ है। यदि हम पराधीनता के कारणों पर गम्भीरता से विचार करें तो पायेंगे कि हमारा समाज आपसी फूट और विजासिता के कारण परावलम्बी बनकर इतना कमजोर हो गया था कि विदेशी आक्रमण के धक्के को सहन नहीं कर सका और गुलाम हो गया। गांधी जी और अन्य नेताओं के नेतृत्व में जब हमारे समाज में स्वावलम्बन का भाव जागृत हुआ तो हमने गुलामी की जंजीरें तोड़ कर फेंक दीं। स्वतंत्र भारत में उन जातियों का पतन निरन्तर होता जा रहा है, जो परावलम्बी बन कर जीने की आदी हो गई हैं। इसके विपरीत स्वावलम्बन के सहारे सबी होने वाली जातियाँ ऊपर उठती चली जा रही हैं।

(ग) राष्ट्रीय उन्नति—राष्ट्र की उन्नति स्वावलम्बन से ही होती है। दूसरे महायुद्ध में जापान को भारी जन धन की हानि हुई थी। नगना था कि यह देश सदियों तक भी नहीं उठ पायेगा किन्तु आज जापान की उन्नति को देखकर सारा ससार आश्चर्यचकित है। इसका एक मात्र कारण है—वहाँ की स्वावलम्बी जनता। उन्होंने यह भिन्न करके दिखा दिया कि सकलता और सनृद्धि परिश्रमी और स्वावलम्बी व्यक्ति के चरण चूमती है। एक जापानी मनीषी का यह कथन है—
 “हमारी दस करोड़ श्रमगुलियाँ हमारे देश के सभी काम स्वयं करती हैं। इन ही श्रमगुलियों के बल से सम्भव है, एक दिन हम ससार को जीत लें।”

जिस देश के नागरिक स्वावलम्बी होने हैं उस देश में कभी भुखमरी, बेरोजगारी और गरीबी नहीं होती। कोई प्राकृतिक विपदा उस देश को हानि नहीं पहुँचा पाती। राष्ट्रीय जीवन के स्रोत वे स्वयं उत्पन्न कर लेते हैं। वह देश निरन्तर प्रगति करता रहता है और अपना सम्मान तथा गौरव बनाये रहता है।

4 उपसंहार—आज हम राजनैतिक दृष्टि से स्वाधीन हैं किन्तु सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से हम आज भी पराधीन हैं। राष्ट्रीय योजनाओं तथा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी हम दूसरों के आगे हाथ फैलाने हैं। देश में अकाल पड़े या मूला, चाड़ आदि या अन्य प्राकृतिक विपदा, हमें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विदेशों से सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। हमारी यह स्थिति निश्चय ही अपमानजनक, चिन्ताजनक और कष्टकारी है। स्वावलम्बन के अभाव में ही हमारी यह दयनीय स्थिति बनी हुई है। परिश्रम से हम जी चुराते हैं और अपने हर कार्य में दूसरों की सहायता की अपेक्षा रखते हैं। सरकारी स्तर पर हमारे देश में अनेक बड़े उद्योग स्थापित किये गये हैं तथा अनेक छोटी-छोटी परियोजनाओं के माध्यम से देश को आत्म-निर्भर बनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं, किन्तु जब तक हमारे देश के नागरिकों में स्वावलम्बन का भाव जागृत नहीं होगा, तब तक इन परियोजनाओं का लाभ देश का नहीं मिल सकता। स्वावलम्बन की भावना से ही नागरिकों में आत्म-सम्मान का भाव जागृत होगा और आत्म-विश्वास के साथ कठोर परिश्रम के बल पर हम अपनी दशा में सुधार लाने में सफल हो सकेंगे।

8 | कर्तव्य पालन

निबन्ध की रूप-रेखा

- 1 प्रस्तावना
2. कर्तव्य-पालन का आशय
3. कर्तव्य-पालन का महत्त्व
4. कर्तव्य पालन में बाधाएँ
5. कुछ आदर्श कर्तव्य-पालन
- 6 उपसंहार

1 प्रस्तावना—संसार कर्मभूमि है। यह एक प्रकार का रंगमंच है, जहाँ प्रत्येक मनुष्य निश्चित समय के लिए निश्चित रूप में आता है और अपनी निश्चित भूमिका अदा करके रंगमंच से हट जाता है। एक ही मनुष्य को अपने जीवन-काल में अनेक प्रकार की भूमिकाएँ अदा करनी पड़ती हैं। कभी वह पुत्र होता है और कभी पिता। इसी प्रकार उसे समय-समय पर अनेक भूमिकाएँ निभानी होती हैं। एक ही व्यक्ति मित्र, शत्रु, रक्षक, भक्षक, पति अथवा पत्नी, भाई अथवा बहन, राजा, प्रजा, न्यायार्थी एवं न्यायकर्ता के रूप में संसार के रंगमंच पर प्रकट होता है और अपना अभिनय प्रस्तुत करके निश्चित समय के पश्चात् रंगमंच से हट जाता है। यदि वह अपनी भूमिका भली प्रकार निभाता है तो दशक संसार उसकी प्रशंसा करता है और उसे भी सतोष तथा आनन्द की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत यदि वह अपनी भूमिका के निर्वाह में चूक जाता है तो दशक संसार उसकी हींसी उड़ाता है। वह बदनाम होता है, उसे अपयश मिलता है और अन्ततोगत्वा उसे दुःख तथा पश्चात्ताप का भागी बनना पड़ता है। संसार रूपी रंगमंच पर अभिनेता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह ही कर्तव्य-पालन है। कर्तव्य-पालन से मनुष्य-जीवन सफल होता है और कर्तव्य-पालन में चूक करने अथवा शिथिलता बरतने से जीवन असफल हो जाता है।

2 कर्तव्य-पालन का आशय—कर्तव्य-पालन का आशय समझने के लिए हमें 'कर्तव्य' शब्द का ठीक-ठीक अर्थ समझना होगा। कर्तव्य का सीधा अर्थ करणीय कार्य से लगाया जाता है। अर्थात् जो कर्म करना हमारे लिए उचित एवं आवश्यक है, यही कर्तव्य है। संस्कृत शब्दकोष में कर्तव्य की व्याख्या इस प्रकार की गई है—

‘यस्मिन् क्रियमाणे न दोषस्तत् कर्तव्यम्’

अर्थात् जिस कर्म के करने में मनुष्य किसी प्रकार के दोष का भागी न बने वही कर्तव्य है। इस व्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्तव्य मनुष्य की बुद्धि और विवेक से सोचा-समझा एक पवित्र कर्म होता है। जिस कर्म को सम्पादित करने से पहले मनुष्य खूब सोच और समझ लेता है और यह निश्चय कर लेता है कि श्रमक कर्म करना उसके लिए आवश्यक है, उस कर्म के सम्पादन में वह किसी भी प्रकार के दोष का भागी नहीं बनेगा चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, बल्कि उस कर्म को न कर पाना दोष का कारण बनेगा। वही कर्म कर्तव्य कहलाता है और उस कर्म का निष्ठापूर्वक सम्पादन ही कर्तव्य-पालन कहलाता है। उर्दू भाषा में इसे ‘फर्ज’ और अंग्रेजी में ‘ड्यूटी’ के नाम में जाना जाता है। भारतीय मस्त्रुति में कर्तव्य को ‘धर्म’ के नाम से स्वीकार किया गया है।

3 कर्तव्य पालन का महत्त्व— जैसा हम पहले कह चुके हैं— यह ससार वरमभूमि है। इससे कर्तव्य-पालन का महत्त्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है। ससार में मनुष्य का जन्म कर्म के लिए ही हुआ है। मनुष्य जन्म को भोग-विलास करने का साधन मानना सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य जीवन की सार्थकता कर्तव्य पालन में ही है। गीता में भगवान् श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते समय यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि तेरा अधिकार केवल कर्म करने में ही है, उसके फल में तेरा कोई अधिकार नहीं है—

‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन’

जब मनुष्य को केवल कर्म करने का ही अधिकार है तो यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि कर्तव्य पालन मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है। यदि वह कर्तव्य-पालन में चूक करता है तो वह स्वयं के साथ अन्याय करता है और प्रकृति के विपरीत आचरण करता है। राष्ट्र कवि मैथलीशरण गुप्त के शब्दों में—

‘अधिकार छोकर बंठ रहना यह, महा दुष्कर्म है।

ग्यापार्य अपने बन्धु को भी दण्ड देना धर्म है ॥’

अपने कर्तव्य का पालन धर्म मान कर करने वाले लोगों का जीवन ही ससार में धादश होता है। वे ही ससार की सच्ची सेवा कर पाते हैं। ससार की बुराइयों को समाप्त करने का पवित्र कार्य वे ही करते हैं। वे मानवता के रक्षक तथा श्रेष्ठ परम्पराओं को विकसित करने वाले माने जाते हैं। वे इतिहास में सदा मदा के लिए अमर हो जाते हैं और भावी पीढ़ियाँ उनके आचरण से शिक्षा तथा प्रेरणा ग्रहण करती रहनी हैं। मैथिलीशरण गुप्त के ही शब्दों में देखिए—

‘इच्छा रहित भी वीर पाण्डव रत हए रण में अहो !

कर्तव्य के वश विजय जन क्या-क्या नहीं करते कहो ?’

कर्तव्य-पालन की भावना मनुष्य में अनेक श्रेष्ठ गुणों का विकास कर देता है। इस भावना से प्रेरित होकर वाय करने वाले व्यक्ति में निडरता उत्पन्न हो जानी

है। वह निर्भीक होकर अपने कर्म में लगा रहता है। उसके स्वभाव में आलस्य और लापरवाही नहीं आ पाती। इनके स्थान पर उसमें तत्परता और सावधानी के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। कर्तव्य-पालन की भावना से न्याय-बुद्धि का विकास हो जाता है और वह उचित-अनुचित में स्पष्ट भेद करने लग जाता है। जो न्यायोचित फल होता है, उसके सम्पादन में वह तनिक माय भी नहीं हिलकता। कर्तव्य-पालन की भावना से ही मनुष्य में त्याग और बलिदान का भाव उत्पन्न होकर स्थायी बन जाता है। कर्तव्य-पालन में जब उसे बड़े से बड़ा त्याग करने की आवश्यकता अनुभव होती है और जब आत्म-बलिदान का अवसर आता है तो वह बेकिभक्त अपना सर्वस्व बलिदान करने को तत्पर हो जाता है। कर्तव्य-पालन का भाव मनुष्य में प्रेम, दया, सहानुभूति, सहयोग, कठोर श्रम, परोपकार और कष्ट-सहिष्णुता आदि श्रेष्ठ मानवीय गुणों को जन्म देता है। यदि पार रूप में हम यह कहे कि कर्तव्य-पालन की भावना ही मनुष्य में मनुष्यता विकसित करती है तो कोई अनुचित नहीं होगा। कर्तव्य-पालन के भाव के बिना हमें मनुष्य को मनुष्य कहने में भी संकोच ही होगा।

कर्तव्य-पालन का महत्त्व सामाजिक दृष्टि में और भी अधिक है। समाज की सारी व्यवस्था का यह मूल आधार है। परिवार से लेकर अन्य सभी सामाजिक एवं राजनैतिक संस्थाएँ कर्तव्य-पालन के आधार पर ही टिकी रहती हैं। जिन परिवारों में परिवार के मुखिया अपने परिजनो के प्रति अपने कर्तव्य-पालन में उदासीनता बरतते हैं अथवा परिवार के अन्य सदस्य एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, वे परिवार बर्बाद हो जाते हैं। इसी प्रकार समाज के प्रति भी व्यक्ति के कुछ कर्तव्य होने हैं और व्यक्ति के प्रति समाज के कर्तव्य होने हैं। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो समाज का स्वरूप विकृत हो जाता है तथा व्यक्ति और समाज दोनों ही परेशानी में पड़ जाते हैं। इसके विपरीत जिन परिवारों के और समाज के सदस्य अपने कर्तव्य का पालन करते रहते हैं वह परिवार और समाज उत्तरोत्तर उन्नति करता चला जाता है। चाहे कोई सरकारी कार्यालय हो या निजी संस्थान, सामाजिक संस्था हो या राजनैतिक अथवा नासृष्टिक संगठन, सभी की उन्नति का आधार कर्तव्य-पालन की भावना ही है। जिस संस्था में जितने अधिक लोग कर्तव्य-पालन में हठ और जागरूक होते हैं, वह संस्था उतनी ही अधिक उन्नत तथा अपने उद्देश्य की प्रगति में सफल होती है। इसके लिए हम राजकीय एवं निजी संस्थाओं को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। आजकल राजकीय संस्थाओं में कर्तव्य-पालन की भावना बहुत कम देखने में आती है। इसी का यह कुपरिणाम है कि इन संस्थाओं से जनता का हित होने के स्थान पर अहित अधिक हो रहा है। प्रायः सभी संस्थाएँ पूरी सुविधा मिलने के बावजूद घाटे में चल रही

है। इसके विपरीत निजी सस्याएँ उत्तरोत्तर उन्नति करनी जा रही हैं। कर्तव्यपालन की भावना ही इसका प्रमुख कारण है।

4 कर्तव्यपालन में बाधाएँ—कर्तव्यपालन में व्यक्ति के मामूली निम्नलिखित बाधाएँ आती हैं जिन्हें दूर करने पर ही वह व्यक्ति कर्तव्यपालन में सफल हो सकता है—

(1) विवेक बुद्धि का अभाव—विवेक बुद्धि के अभाव में मनुष्य को अपने कर्तव्य का सही ज्ञान नहीं हो पाता और वह कर्तव्यपालन में असफल रहता है।

(2) भय तथा लोभ-लालच—जब मनुष्य में भय उत्पन्न हो जाता है और उसमें लोभ-लालच की भावना प्रमुख हो जाती है तो वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है।

(3) उदासीनता तथा लापरवाही—मनुष्य के स्वभाव में ये दोनों ही ऐसे दुर्गुण होते हैं जो उसके कर्तव्यपालन में बाधा डालते हैं।

(4) आत्म-सम्मान की भावना का अभाव—जिन मनुष्यों में आत्म-सम्मान की भावना होती है, वे कर्तव्यपालन में शिथिलता कभी नहीं बरतते। इसके विपरीत आत्म-सम्मान का भाव नहीं रखने वाले लोग कर्तव्यपालन में ढीले ही रहने हैं चाहे लोग उन्हें किसी प्रकार भी अपमानित क्या न करें।

इसके अतिरिक्त ईश्वर के भय का अभाव, देश प्रेम की भावना का अभाव तथा स्वजनों का दबाव आदि और भी अनेक कारण हो सकते हैं जो मनुष्य को कर्तव्यपालन से विमुख करते हैं।

5 कुछ आदर्श कर्तव्यपालक—संसार के इतिहास की बात छोड़ भी दें तो भी हमारा भारतीय इतिहास कर्तव्यपालकों की सूची से भरा पड़ा है। उनके त्यागपूर्ण कर्तव्यपालन की गरिमा से हम आज भी प्रेरणा ले सकते हैं। राम, लक्ष्मण, सीता, भरत और हनुमान से लेकर पाण्डवों तक का सारा पौराणिक साहित्य कर्तव्यपालन की ही महिमा बतलाता है। हरिश्चन्द्र, दधीचि और राजा शिवि तथा महाराणा प्रताप, शिवाजी, छत्र साल आदि की गाथा त्याग व कर्तव्यपालन की ही महिमामय गाथा है। सूर्योदय बाद भारत को स्वतंत्रता दिलाने का श्रेय महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बालगंगाधर तिलक, सुभाष चन्द्र बोस, जहीर भात सिंह, जयप्रकाश आसफ अली आदि अनेक कर्तव्यपरायण देश-भक्तों को ही है।

6 उपसंहार—बड़े दुःख और आश्चर्य की बात है कि वर्तमान समय में हमारे देश और समाज में कर्तव्यपालन की भावना का निरन्तर ह्रास होता जा रहा है। इसी का यह कुपरिणाम है कि संसार का गुरु और सोने की चिड़िया बहलाने

वाला हमारा देश भारत आज प्रायः सभी क्षेत्रों में पिछड़ रहा है। ऊपर से लेकर नीचे तक सभी तबकों के लोग कर्तव्य-पालन में उदासीनता बरत रहे हैं। यह स्थिति अत्यन्त गम्भीर और चिन्ताजनक है। अब भी समय है कि हम इस दिशा में गम्भीरता से सोचें और कर्तव्य-पालन की भावना उत्पन्न करें ताकि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी का हित हो सके।

आज हमारे देश की स्थिति यह है कि हम में से अधिकांश लोग यह भली प्रकार जानते हैं कि उनका कर्तव्य क्या है और कर्तव्य का पालन नहीं करने के क्या परिणाम होंगे। फिर भी क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए अथवा उदासीनतावश जान-बूझ कर कर्तव्य-पालन में उपेक्षा बरतते हैं। शिक्षा का प्रसार निरन्तर हो रहा है। अब अनपढ़ों और अज्ञानियों की संख्या घटती जा रही है। शिक्षा को मनुष्य में तर्क शक्ति और विवेक के विकास का सबल साधन माना जाता है। इस दृष्टि से हम में कर्तव्य-पालन की भावना का विकास अधिक होना चाहिए था, किन्तु स्थिति इसके विपरीत दिखाई दे रही है। शिक्षा से जो तर्क-शक्ति का विकास हुआ है उसने कर्तव्य-पालन की जानकारी करने के मामले में भ्रमात्मक धारणाएँ उत्पन्न करने में ही सहायता की है। कर्तव्य निश्चित करके उसके पालन में तत्परता की प्रेरणा उत्पन्न नहीं हुई है। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि आज हमारे सामने आदर्शों का अभाव है। हमारे देश और समाज के नेतृत्व को प्रेरणास्पद आदर्श उपस्थित करके देश की नयी पीढ़ी को कर्तव्य परायण बनाने का महान् कार्य अपने जिम्मे लेना होगा। तभी इस स्थिति में सुधार सम्भव है।



निबन्ध की रूप-रेखा

1. प्रस्तावना
2. देश-प्रेम का आशय
3. देश-प्रेम से ही देश की उन्नति
4. देश के प्रति हमारा कर्तव्य
5. कतिपय देश-भक्तों के उदाहरण
6. उपसंहार

1. प्रस्तावना—देश-प्रेम मनुष्य की एक स्वाभाविक भावना है। जिस भूमि पर मनुष्य जन्म लेता है, जिसकी रज में लोट-लोट कर वह बड़ा होता है और जिसका म्रत्त तथा जल ग्रहण करके अपने शरीर का पोषण करता है, उस भूमि से उसका लगाव, अपनापन और प्रेम होना स्वाभाविक है। जिस प्रकार जन्मदायी माता के प्रति उसकी सन्तान का प्रेम स्वाभाविक होता है उसी प्रकार अपनी जन्म-भूमि अथवा स्वदेश से प्रेम करना भी मनुष्य की एक स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया है। देश-प्रेम की भावना मनुष्य मात्र में होना स्वाभाविक है और जिनमें इस भावना का अभाव होता है, उन्हें मनुष्यों की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। या तो वे पशु हैं या फिर वे जीते जी ही मुर्दों के समान हैं।

‘जिसको न निज भाषा तथा निज देश का अभिमान है।

वह नर नहीं, नर पशु निरा है, और मृतक समान है ॥’

अपनी माता सुन्दर हो या बुरी, दरिद्र हो या साधन-सम्पन्न, हमारे लिए वह सबसे अच्छी है। हमें मनुष्य शरीर देकर जन्म देने तथा पाल-पोषण कर बड़ा करने में जो कष्ट हमारी माता ने उठाये हैं, उतना त्याग कोई नहीं कर सकता। यही कारण है कि माता के प्रति सन्तान के मन में अगाध प्रेम और श्रद्धा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाती है। मातृ-भूमि भी माता के समान ही हमारे प्रेम और श्रद्धा की अधिकारिणी है। अतः उनके प्रति भी मनुष्य के हृदय में प्रेम की भावना अत्यन्त स्वाभाविक होती है। जिनके हृदय में स्वदेश के प्रति प्रेम का भाव न हो, उनके हृदय को हृदय नहीं, कठोर पत्थर समझना चाहिए।

‘जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रत्नधार नहीं ।

वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं ॥

2 देश-प्रेम का आशय—देश-प्रेम से आशय किसी विशेष भूखण्ड मात्र से प्रेम करना नहीं है, बल्कि उस भूखण्ड पर निवास करने वाली जनता, पशु-पक्षी, वहाँ की प्रकृति—नदी, पहाड़, समुद्र और मिट्टी, वहाँ की भाषा, मस्तिष्क, सम्पत्ता, आचार-विचार और मान्यताएँ तथा वहाँ की कला और ऐतिहासिक गौरव—इन सभी से प्रेम करना स्वदेश-प्रेम कहलाता है। स्वदेश-प्रेम का भाव गहरा हो जाने पर मनुष्य को अपना देश ससार में सबसे अछ्छा लगने लगता है। उसके मन और मस्तिष्क में स्वदेश के प्रति इतना गौरव जागृत हो जाता है कि उसकी तुलना में उसे स्वर्ग भी तुच्छ प्रतीत होता है—

‘जननी जन्म-भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी’

प्रेम के दो पहलू होते हैं। एक तो यह है कि हम जिससे प्रेम करते हैं, वह हमें सबसे अछ्छा लगता है और दूसरा यह कि हम जिससे प्रेम करते हैं, उसमें सेना कुछ नहीं चाहते बल्कि उसके हित-साधन में हम अपना सर्वस्व बलिदान करने को आनुर रहते हैं। देश-प्रेम में भी यह बात पूरी तरह लागू होती है। हम अपने देश की जनता की भलाई के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश की सम्पत्ता और मस्तिष्क की रक्षा के लिए तथा देश की अखण्डता, स्वाधीनता और मान-मर्यादा की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को आनुर रहे, तभी यह माना जा सकता है कि हमारे हृदय में स्वदेश-प्रेम की भावना है। देश के कल्याण-कल से प्यार करना, उसे ससार में सर्वश्रेष्ठ मानना और उसके हित-साधन में अपना सर्वस्व त्याग देने के लिए तैयार रहना ही स्वदेश-प्रेम या देश-भक्ति कहलाती है।

3 देश-प्रेम से ही देश की उन्नति—देश-प्रेम की भावना से ही देश उन्नति के शिखर पर पहुँचता है। जिस देश के निवासी जितनी अधिक संख्या में देश-भक्त होते हैं, वह देश उतना ही अधिक उन्नति करता है। देश-भक्त नागरिक देश के कल्याण में ही अपना कल्याण समझता है। देश पर आई विपत्ति को वह अपनी विपत्ति मानता है और उसे दूर करने के लिए जो जान से लग जाता है। देश-भक्ति की भावना से नागरिकों में एक स्वदेशाभिमान जागृत हो जाता है। फिर उनका जीवन स्वयं के लिए न रहकर स्वदेश के लिए समर्पित हो जाता है। उनके मस्तिष्क में व्यक्तिगत हानि-लाभ का विचार उत्पन्न ही नहीं होगा। अपने देशवासियों के कष्ट दूर करना, देश में व्याप्त अभावों को दूर करने के लिए निरन्तर कठोर परिश्रम करना, देश की समस्याओं से जूझना और देश के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना उसका स्वाभाविक धर्म हो जाता है। इसने लिए उसे किलना ही परिश्रम करना पड़े, वह बिना थके अपने कार्य में लगा रहता है।

इस समय हमारा देश राजनैतिक दृष्टि से तो स्वतंत्र है किन्तु सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होना अभी बाकी है। हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए देश-वासियों का देश-भक्त होना नितान्त आवश्यक है। देश में धर्म भी दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा आदि अनेक सामाजिक कुुरीतियाँ प्रचलित हैं। अब भी बुराई देशवासी गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहकर किसी प्रकार अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। अब भी लोग सूत और पेंच जल की समस्याओं से भस्त हैं। इनके अतिरिक्त महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जातिवाद, साम्प्रदायिकता और क्षेत्रीयता की समस्याएँ भी हैं। इन सब समस्याओं का समाधान नागरिकों के देश-भक्त होने से ही हो सकता है, बल्कि यदि यह कहें कि इनमें से अधिकांश समस्याएँ हमारे देश के नागरिकों में देश-भक्ति की भावना न होने से ही उत्पन्न हुई हैं तो कोई अनिश्चयता नहीं होगी। जिन देशों के दालक युवा, वृद्ध, पुरुष तथा नारियाँ अपने स्वार्थों को राष्ट्र की बलिबेदी पर चढ़ाकर अपना तन, मन, धन देश के हित में न्यौतावर कर देते हैं, वे देश-समार में महान् शक्तिशाली राष्ट्र बन जाते हैं। जापान, जर्मनी, दक्षिण, रूस आदि देशों के उन्नत होने का कारण इन देशों की जनता की देश-भक्ति अथवा स्वदेश की प्रेम भावना ही है। देश-प्रेम की भावना ही देश की जनता को संगठन के सूत्र में बाँधती है और जब देश की जनता संगठित होकर देश के कल्याण के लिए कामर कस लेती है तो वह देश का काया पलट कर देती है। फिर न तो देश के भीतर कोई समस्या रह पाती है और न ही बाहर से आक्रमण करने का किसी को साहस होता है। सब लोग सुख-समृद्धि का जीवन बिताते हुए मनुष्यता का विकास करते हैं—

‘देश-प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम ध्याय से बिलसित।

जिसकी दिव्य रश्मियाँ पाकर, मनुष्यता होती है विकसित ॥’

4 देश के प्रति हमारा कर्तव्य—देश के प्रति हमारे अनेक कर्तव्य हैं। हमें अपने इन कर्तव्यों का पालन अपना धर्म समझ कर करना चाहिए—

(i) हमें देश-हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और अपने व्यक्तिगत लाभ-हानि की ओर ध्यान न देते हुए देश-हित के कार्यों में अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा देनी चाहिए।

(ii) देश की जनता के दुःख-दर्दों को मिटाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने के साथ-साथ समाज और सरकार के द्वारा अपनाये गये कार्यक्रमों में पूरा सहयोग देना चाहिए।

(iii) दम में व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास करने के साथ-साथ सामूहिक रूप से भी प्रयास करने चाहिए और देश में अव्यवस्था फैलाने वाले समाज-जण्डलों तथा देश-द्रोहियों को कानून के हवाले करना चाहिए।

(iv) जिस स्थल अथवा पद पर हम कार्य कर रहे हैं, वहाँ पूरी ईमानदारी

श्रीर मेहनत से कार्य करना चाहिए ताकि हमारे परिश्रम का लाभ देश को मिल सके ।

(v) देश की जनता, मस्कृति और भूमि से प्रेम करना चाहिए और ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की एकता और अखण्डता के लिए खतरा उत्पन्न हो ।

(vi) हमें देश-भक्तों से त्याग और बलिदान की प्रेरणा लेनी चाहिए और देश-भक्तों के प्रति आदर सम्मान का भाव अपने हृदय में गौरव के साथ धारण करना चाहिए । माखन लाल खसुबंदी की ये पंक्तियाँ देखिए जो पुण्य की अभिलाषा के रूप में उन्होंने लिखी हैं—

‘मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तू फेंक ।

भात-भूमि पर शोष घड़ाने, जिस पथ जाते वीर अनेक ॥’

5 कतिपय देश-भक्तों के उदाहरण—विश्व का इतिहास देश-भक्तों की गौरव-गाथा से भरा पड़ा है । भारत में भी देश-भक्तों की परम्परा बड़ी उज्ज्वल रही है । चन्द्र गुप्त मौर्य के समय से ही मिकन्दर के आक्रमणों को रोकने के लिए देश के छोटे-बड़े राजाओं ने जिस वीरता का परिचय दिया, वह भारत के इतिहास में अद्वितीय है । मुगल शासन-काल में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, छत्र साल, गुरु गोविन्द सिंह आदि वीरों ने जो स्वदेश-प्रेम और स्वदेशाभिमान का परिचय दिया वह आज भी अनुकरणीय है । भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम में महारानी लक्ष्मी बाई का नाम सदा अमर रहेगा । इसके अतिरिक्त सुभाष चन्द्र बोस, मदन मोहन मालवीय, शहीद भगत सिंह, चन्द्र शेखर आजाद आदि अनेक ऐसे देश-भक्त हुए जिन्होंने विदेशी शासन की जड़ों को हिला दिया । महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डा० राजेन्द्र प्रसाद और मौलाना आजाद आदि देश-भक्तों ने ही देश को आजादी दिलवाई । इस शृंखला में प० जवाहर लाल नेहरू का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिन्होंने विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त स्वतन्त्र भारत को अपने पाँवों पर खड़ा होने के लिए मजबूत आधार प्रदान किया ।

6. उपसंहार—देश-प्रेम एक उदात्त भाव है । यह भाव मनुष्य की सकीर्ण भावनाओं का दमन करके उसे परमार्थी और उदार बनाता है । देश-प्रेम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है और उसमें समरस-हित की भावना जागृत होती है । देश-भक्त मनुष्य एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है जिसमें मानवता के सभी गुणों का स्वतः समावेश हो जाता है । देश-भक्त ही मानवता को विकसित करने हैं ।

बड़े सैद का विषय है कि हमारे देश के नागरिकों में देश-प्रेम की भावना लुप्त होती जा रही है । यही कारण है कि चारों ओर अव्यवस्था फैल रही है और अनेक जटिल समस्याएँ देश की प्रगति में बाधा डाल रही हैं । इन समस्याओं का समाधान देश-प्रेम से ही सम्भव है । हमें चाहिए कि समय रहने आत्मघाती विचार धारा का पौरत्याग करके देश-हित की भावना में कार्य करें ताकि एक स्वतन्त्र देश के नागरिक के रूप में हम अपनी मान-भरपाई को बनाये रख सकें ।

निबन्ध की रूप-रेखा

1. प्रस्तावना-पुस्तकालय का महत्त्व
- 2 पुस्तकालय के प्रकार
- 3 पुस्तकालय से लाभ
- 4 उपसंहार

1. प्रस्तावना—ज्ञान का क्षेत्र असीम और अनन्त है। मनुष्य अपने सीमित और थोड़े से जीवन में बहुत थोड़े ज्ञान को आत्मसात् कर पाता है। अनेक प्रकार की परिस्थितियों में रहकर वह जीवन में कुछ कटु-मयूर अनुभव करता है और उनसे ज्ञान के कुछ सूत्र ज्ञान हो पाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने अर्जित ज्ञान को लिपिबद्ध करते हैं। यही ज्ञान पुस्तकों के रूप में सुरक्षित रहता है जिससे भावी पीढ़ियाँ लाभ उठाती रहती हैं। जिस स्थान पर पुस्तकों का व्यवस्थित संग्रह होता है उसे पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। पुस्तकालय में अनेक विषयों की पुस्तकें होती हैं। पुस्तकालय का ज्ञानार्जन की दृष्टि से विशेष महत्त्व है। हम पुस्तकालय की सहायता से वह ज्ञान बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, जिस ज्ञान की प्राप्ति में नेत्रक को कठोर साधना और श्रम करना पड़ा था। पुस्तकालय में बैठकर कोई भी व्यक्ति किसी भी देश के इतिहास, भूगोल, सभ्यता, सभ्यता और आध्यात्मिक चिन्तन के स्वरूप की जानकारी बड़ी सरलता से कर सकता है। पुस्तकालय ज्ञान का एक विशाल सरोवर होता है जिसमें निमग्न होकर ज्ञानपियानु अपनी मानसिक और बौद्धिक तृप्ति प्राप्त करता है। जगली अवस्था से लेकर आधुनिक विकसित स्वरूप तक की पूरी कहानी पुस्तकालयों में सुरक्षित है। पुस्तकालय ही प्राचीन ज्ञान को सुरक्षित रखते हैं और चिन्तन तथा मनन की कई दिशाओं का बोध कराते हैं।

2. पुस्तकालय के प्रकार—पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। जहाँ भी विभिन्न विषयों की और विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का व्यवस्थित संग्रह हो, वही पुस्तकालय का स्वरूप धारण कर लेता है। हमारे देश में अनेक प्रकार के पुस्तकालय ही पाये जाते हैं—

प्रथम प्रकार के पुस्तकालय वे हैं जो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्व-विद्यालयों में छोटे-बड़े रूप में होने हैं। छात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुसार इन पुस्तकालयों

में उनके उपयोग की पुस्तकें अधिक होती हैं जिससे छात्र अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करने रहते हैं। अध्यापकों के स्तर के अनुसार शिक्षा और मनोविज्ञान सम्बन्धी पुस्तकें भी होती हैं तथा कला और साहित्य से सम्बन्धित सामान्य पुस्तकें भी पर्याप्त मात्रा में होती हैं। किन्तु फिर भी इन पुस्तकालयों का कार्य-क्षेत्र सीमित ही रहता है। प्रति वर्ष इन पुस्तकालयों में पुस्तकों की संख्या में वृद्धि होती रहती है जिनसे छात्र, अध्यापक और उनके माध्यम से समाज के अन्य लोग भी लाभान्वित होने रहते हैं।

दूसरे प्रकार के पुस्तकालय राज्य-पुस्तकालय होते हैं, जिनकी व्यवस्था सरकार स्वयं करती है। ये पुस्तकालय विशेष रूप से निम्नित भव्य भवनों में चलाये जाते हैं और इन पुस्तकालयों का लाभ सार्वजनिक रूप से सभी उठाते हैं। इनके उपयोग की दृष्टि से इन्हें सार्वजनिक पुस्तकालय भी कहा जाता है। इनकी व्यवस्था पुस्तकालय विज्ञान में प्राशिक्षित कर्मचारियों और अधिकारियों के जिम्मे होती है। इन पुस्तकालयों में सभी विषयों और सभी स्तरों की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। नव-पुराने स्वदेशी साहित्य के अतिरिक्त विदेशी भाषा और साहित्य का भी भण्डार इन पुस्तकालयों में सुरक्षित रखा जाता है। प्राचीन से प्राचीन पुस्तकों से लेकर नवीनतम प्रकाशनों के उपलब्ध कराने की व्यवस्था इन पुस्तकालयों में होती है। वास्तव में ये पुस्तकालय ज्ञान का अक्षय भण्डार होते हैं, जिनका लाभ उठाकर विद्वान् और ज्ञान-पिपासु अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करते हैं।

तीसरे प्रकार के पुस्तकालय विभिन्न संस्थाओं, सोसाइटियों तथा क्लबों द्वारा स्थापित और मंचालित होते हैं। इन पुस्तकालयों का कार्य-क्षेत्र छोटा और बड़ा दोनों ही प्रकार का होता है जो संचालक संस्था की स्थिति और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। इन पुस्तकालयों में सामान्य प्रकार की पुस्तकें ही होती हैं जिनका उपयोग प्रमुख रूप से उन संस्था के सदस्य ही करते हैं या फिर उन सदस्यों के माध्यम से समाज के अन्य वर्ग भी लाभ उठा लेते हैं। इन पुस्तकालयों की व्यवस्था और देख-रेख संस्था की कार्यकारणी के सदस्य ही करते हैं। इन पुस्तकालयों का कार्य-क्षेत्र छोटा और सीमित होने पर भी ये पुस्तकालय समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।

चौथे प्रकार के पुस्तकालय निजी पुस्तकालय होते हैं। विद्या-व्यसनी धनाढ्य लोग अपनी ज्ञान-पिपासा को शान्त करने के लिए अपने घर अथवा कार्यालय में ही पुस्तकालय स्थापित कर लेते हैं। इन पुस्तकालय में सग्रहकर्ता की रुचि के विषय की पुस्तकों की ही प्रधानता होती है। यदि सग्रहकर्ता आध्यात्मिक रुचि का हुंसा तो आध्यात्म की विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का सग्रह उस पुस्तकालय में हो जाता है। यद्यपि यह पुस्तकालय पूरी तरह से व्यक्तिगत उपयोग के लिए होता है किन्तु स्वामी के परिचय के दायरे के लोग भी इसका लाभ उठाते हैं। यदि उसका उत्तराधिकारी

उमकी ही जैसी रुचि का न हुमा तो कालान्तर मे वह पुस्तकालय भी सार्वजनिक हित-साधन के ही काम मे आता है ।

3 पुस्तकालय से लाभ—पुस्तकालय से अनेक लाभ हैं जिन्हे हम निम्न लिखित शीर्षकों के अन्तर्गत समझाने का प्रयास करेंगे—

(i) ज्ञान वृद्धि—ज्ञान-वृद्धि की दृष्टि से पुस्तकालय अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होने है । जो ज्ञान हमे अध्यापकों और गुरुओं से भी नहीं मिल पाता वह पुस्तकों से अनायास ही प्राप्त हो जाता है ? अनुभव-जन्य ज्ञान ही सच्चा ज्ञान माना जाता है और वही स्थायी रहता है । किन्तु सीमित साधनों से युक्त सीमित जीवन-काल मे सभी प्रकार के अनुभव कर लेना किसी के लिए भी सम्भव नहीं है । ऐसी स्थिति मे पुस्तकालय इस अभाव की पूर्ति कर देता है । स्वानुभव से अर्जित ज्ञान के आधार पर लिखी गयी टिप्पणियों से हम बड़ी सरलता से अपने ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत बना लेते हैं । विद्यार्थी किसी विषय पर एक ही पुस्तक पढता है तो उसका उस विषय मे ज्ञान सीमित ही रहता है किन्तु यदि वह उस विषय पर अनेक पुस्तकों का अध्ययन करता है तो उसे अन्य अनेक बातों की जानकारी मिलती है और फिर वह अपने स्वतन्त्र चिन्तन मे अपना मौलिक आधार तैयार कर लेता है । इस कार्य मे उसे पुस्तकालय से ही सहायता मिलती है ।

ज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त कर लेने के पश्चात् कोई उसे गुप्त रूप से सुरक्षित रखने का प्रयास करे । यह स्वाभाविक है कि मनुष्य अपने अर्जित ज्ञान की जानकारी दूसरों को भी देता है । इस प्रकार पुस्तकालय से ज्ञान-वृद्धि के साथ-साथ ज्ञान प्रसार मे भी सहायता मिलती है ।

(ii) श्रेष्ठ मनोरंजन—पुस्तकालय श्रेष्ठ मनोरंजन का बहुत ही सरल साधन है । काम करते रहने से थकान हो गई हो या मानसिक चिन्ताओं से मन ऊब गया हो अथवा फालतू बैठे समय न कट रहा हो तो पुस्तकालय मे जाकर अपनी रुचि की पुस्तकें पढने से भरपूर मनोरंजन हो जाता है । समय का पता ही नहीं चलता और सब प्रकार की चिन्ताएँ दूर हो जाती हैं । मन मे शांति और हल्कापन धा जाता है । साथ ही कुछ नवीन जानकारीयाँ भी अनायास ही हो जाती हैं । पुस्तकालय मनोरंजन का सबसे सस्ता साधन भी है । इसके लिए कोई धन नहीं खर्च करना पडता ।

(iii) सत्संगति—पुस्तकालय मनुष्य को सत्संगति का लाभ भी पहुँचाता है । जब हम श्रेष्ठ व्यक्तियों की जीवन-गाथाएँ पढते हैं तो हमारे मन, पर चरित्र, वैसा ही असर होता है जैसा श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति करने से होना है । हमे उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है और हमारे सस्कार अच्छे बनते हैं धीरे धीरे हमारी रुचियों का परिष्कार होता है । बुरी आदतें दूर जाती हैं और श्रेष्ठ आचरण को अपनाकर हम अपने जीवन को उन्नत बना लेते हैं । पुस्तकालय हमें ऐसी सत्संगति

का लाभ देता है जिसके लिए हमें किमी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा समय के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। हम पुस्तकालय के माध्यम से सत्कार के बड़े से बड़े व्यक्ति के साथ सत्संग करने का भी लाभ उठा सकते हैं।

(iv) समाज-हित—पुस्तकालय से व्यक्तिगत हित के साथ-साथ समाज का भी बहुत हित होता है। जिन लोगों की ज्ञान-वृद्धि होती है और मस्तिष्क का विकास हो जाता है, वे अपने ज्ञान से पूरे समाज को लाभ पहुँचाते हैं। विभिन्न देशों की सामाजिक व्यवस्था, आचार-विचार और रीति-रिवाजों का तुलनात्मक अध्ययन कर लेने के पश्चात् हम यह समझ जाते हैं कि हमारे समाज में कौन-कौन सी बुराइयाँ हैं और उन्हें दूर किस प्रकार किया जा सकता है। इस प्रकार मनुष्य के सोचने-समझने का तरीका बदल जाता है जिसका लाभ समाज को मिलता है। धीरे-धीरे समाज में व्याप्त बुराइयाँ, कुरीतियाँ और अन्ध-विश्वास समाप्त हो जाते हैं तथा समाज उन्नति के पथ पर अग्रसर होने लगता है।

4 उपसंहार—हमारा देश मद्रियो की गुलामी के बाद अब स्वतंत्र हुआ है। इसलिए प्रायः सभी क्षेत्रों में यह पिछड़ा हुआ है। देश में गरीबी और अज्ञानता भी बनी हुई है। यही कारण है कि हमारे देश में पुस्तकालयों का बहुत अभाव है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सभी क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति हुई है किन्तु देश की आवश्यकता को देखते हुए अभी इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। सरकार और समाज इस दिशा में प्रयत्न-शील हैं। आगे आने वाले वर्षों में निश्चय ही हमारे देश में पुस्तकालयों का अभाव समाप्त हो जायगा और गाँव-गाँव में अच्छे पुस्तकालय स्थापित हो जायेंगे। पुस्तकालयों की स्थापना के साथ-साथ हमें लोगों की रुचि में भी सुधार लाना होगा। इस समय लोग पुस्तकालयों से लाभ उठाने में रुचि नहीं रखते हैं। फालतू बैठ कर गप्पें लड़ाने अथवा अन्य प्रकार के कार्यों में ही समय व्यतीत करते हैं। जब स्थान-स्थान पर अच्छे पुस्तकालय स्थापित हो जायेंगे और लोगों में पुस्तकालय से लाभ उठाने की रुचि जागृत हो जायगी तब देश का सर्वतोन्मुखी विकास होगा और हमारे देश की गणना उन्नत देशों में की जाने लगेगी।

निबन्ध की रूप-रेखा

- 1 प्रस्तावना
2. समाचार पत्रों का विकास
- 3 समाचार पत्रों से लाभ
- 4 समाचार पत्रों से हानियाँ
- 5 उपसंहार

1. प्रस्तावना—जब हम किसी कारण वश कुछ दिनों के लिए अपने घर से दूर चले जाते हैं तो वहाँ रहने हुए हमें अपने घर तथा परिवार के विषय में जानकारी करने की प्रबल इच्छा होती है। यह स्थिति मानव-मात्र की होती है। इसका कारण यह है कि मनुष्य में जिज्ञासा और कौतुहल ये दो ऐसी स्वाभाविक वृत्तियाँ हैं कि इनसे प्रेरित होकर वह अपने घर और परिवार की ही नहीं, बल्कि अपने पास-पड़ोस, नगर-मुहल्ला और देश-विदेश के विषय में भी जानकारी करने का प्रयत्न करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी सामाजिक आवश्यकताएँ विभिन्न प्रकार की होती हैं। व्यापारी व्यापार के क्षेत्र की, राजनेता राजनीति के क्षेत्र की, समाज-सुधारक समाज के क्षेत्र की, साहित्यकार साहित्य के क्षेत्र की और सामान्य जन सामान्य जीवन के क्षेत्र की नवीनतम जानकारी प्राप्त करने को उत्सुक रहता है। यह उसकी एक आवश्यकता है और इसी आवश्यकता ने समाचार पत्र को जन्म दिया है। आज समाचार पत्र हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया है। आज यदि हमें किसी दिन समाचार-पत्र पढ़ने को नहीं मिलते तो हमें बहुत ही अटपटा या लगने लगना है और हमारी दिनचर्या में व्यवधान सा उत्पन्न हो जाता है।

2 समाचार पत्रों का विकास—आज समाचार पत्रों को हम जिस विकसित रूप में देखते हैं, वह स्वरूप इसे अनेक वर्षों के निरन्तर विकास के पश्चान् प्राप्त हुआ है। समाचार पत्रों का उद्गम स्वान इटली है। इसका जन्म इटली के वेनिस् नगर में 13वीं शताब्दी में हुआ था। धीरे-धीरे इसकी उपयोगिता को सभी ने स्वीकार किया और इसका प्रचार होने लगा। सत्रहवीं शताब्दी में इसका प्रचार इंग्लैंड में हुआ और निरन्तर समाचार-पत्रों की संख्या में वृद्धि होने लगी।

अठारहवीं शताब्दी में अंग्रेज भारत में आये और उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपनी बात जनता तक पहुँचाने के लिए समाचार-पत्र भारत में भी प्रारम्भ करने चाहिए। उनकी इसी इच्छा के फलस्वरूप भारत में समाचार-पत्र का श्री गणेश हुआ। इसके पश्चात् धीरे-धीरे समाचार-पत्रों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गई। ईसाई पादरियों ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए 'समाचार-दर्पण' नामक पत्र निकाला तो उसी का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए राजा राममोहन राय ने 'कौमुदी' नामक पत्र निकाला। ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने 'प्रभात' नामक समाचार-पत्र का संपादन किया।

मुद्रण कला का विकास होने पर समाचार पत्रों का तीव्र गति से विस्तार हुआ। आज देश की सभी भाषाओं और देश के सभी क्षेत्रों में समाचार-पत्रों का प्रकाशन होता है। बड़े नगरों की तो बात ही क्या, छोटे-छोटे कस्बों से भी अनेक समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं। आजकल यह एक व्यवसाय बन गया है। लाखों लोग इन व्यवसाय से अपनी आजीविका कमाते हैं और अनेक पूँजीपति इस व्यवसाय से धन बटोर रहे हैं।

3 समाचार पत्रों से लाभ—समाचार पत्र समाज के सभी वर्गों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। समाचार पत्रों से समाज को जो लाभ प्राप्त होते हैं, वे निम्नलिखित हैं—

(i) सूचना सम्बन्धी लाभ—शिक्षित वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में समाचार-पत्र बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। रोजगार के लिए विज्ञापन अखबारों में प्राये दिन छपते रहते हैं। वैवाहिक विज्ञापनों से योग्य वर-वधु को खोजने में बहुत सहायता मिलती है। किसी समाज की कोई सभा का आयोजन हो, किसी भी प्रकार का सम्मेलन अथवा गोष्ठी का आयोजन हो, किसी व्यक्ति के मर जाने पर उसकी शोक-सभा का आयोजन हो, सरकार द्वारा चलाये जाने वाले किसी विशेष कार्यक्रम की जानकारी देनी हो, विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा किसी विधेय अभियान की सूचना प्रसारित करनी हो तथा किसी लोभे हुए व्यक्ति अथवा सामान को सूचना देनी हो—इन सब का विवरण समाचार पत्रों से प्राप्त हो जाता है जिससे आवश्यकतानुसार सम्बन्धित लोग लाभान्वित होते हैं।

(ii) जन-मानस की जागृति—समाचार-पत्र जन-मानस में जागृति उत्पन्न करने में बहुत सहायक होते हैं, समाज में व्याप्त कुरीतियों का त्याग करने के लिए वे जनमत बनाते हैं और समाज में होने वाले भ्रष्टाचार तथा सदाचारों पर अनुशंसा लगाने का काम करते हैं। किसी राष्ट्रीय समस्या के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालकर जनता को उस समस्या पर गम्भीरता से विचार करने और उसका सही हल खोजने का प्रेरणा देते हैं।

(iii) व्यापार की उत्थिति—व्यापार की उत्थिति में समाचार पत्रों की भूमिका

बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा व्यापारिक प्रतिष्ठान किस-किस वस्तु का उत्पादन करता है, उसके उत्पादनों की क्या-क्या विशेषताएँ हैं, अन्य उत्पादनों की तुलना में उसके उत्पादन में क्या-क्या ध्वंशताएँ हैं तथा उसके उत्पादनों के प्राप्ति के स्थान कहाँ-कहाँ हैं—इन सब बातों की जानकारी के विज्ञापन समाचार पत्रों में छपते रहते हैं जिसे व्यापार में उन्नति होती है और उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों को ही लाभ मिलता है। हमारे देश का फिल्म व्यवसाय तो विज्ञापन के सहारे ही फलता-फूलता है। प्रायः सभी समाचार पत्रों तथा पत्र-पत्रिकाओं में सिनेमा के बड़े-बड़े विज्ञापन रोज छपते रहते हैं।

(iv) मनोरंजन—समाचार पत्र मनोरंजन के साधन के रूप में भी बहुत उपयोगी होते हैं। नयी-नयी कहानियाँ, कविताएँ, चुटकले, कार्टून तथा अन्य रोचक घटनाओं का विवरण समाचार पत्रों में दिया रहता है। इनके अतिरिक्त भवियों, राजनेताओं तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के आश्चर्यजनक कारनामों को पडकर पाठकों का भरपूर मनोरंजन होता है। डाकुओं के अमानुषिक कृत्यों तथा पुलिस अथवा नागरिकों के साहसिक कार्यों के समाचारों से पाठकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं किन्तु मनोरंजन भी होता है। फिल्म अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों के आकर्षक मुद्राओं में छपे चित्र भी हमारा खूब मनोरंजन करते हैं।

(v) सरकार के क्रिया-कलापों का मूल्यांकन—जनतांत्रिक शासन-व्यवस्था में सरकार के क्रिया-कलापों की जानकारी सामान्य जनता को होना बहुत आवश्यक है। इसी जानकारी के आधार पर जनता चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग सोच-समझकर कर सकती है। समाचार पत्र इस कार्य में जनता और सरकार दोनों की सहायता करते हैं, समाचार पत्रों में छपी खबरों से जनता सरकार द्वारा किये गये प्रचार का वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर अपने स्तर पर मूल्यांकन करने में सफल होती है।

(vi) अन्तर्-विश्लेषण—वर्तमान युग बुद्धिवादी युग है। इस युग में अनेक प्रकार की सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक विचारधाराएँ प्रवाहित हो रही हैं जिन सबका अपना दर्शन है और तर्क सगत आधार है। इन विभिन्न प्रकार के वादों, मतों और विचारधाराओं से सामान्य जन का अभिमत हो जाना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में समाचार पत्रों में छपे लेखों, टिप्पणियों तथा साक्षात्कारों का अध्ययन करने से इन सब का तुलनात्मक स्वरूप स्पष्ट हो जाता है और जिन विचारधारा से हम प्रभावित हैं उसका सही आधार ढूँढने का प्रयास करने है। इससे हमें धारम-विश्लेषण करने का अवसर प्राप्त होता है।

4 समाचार पत्रों में हानियाँ—समाचार पत्रों में जहाँ हमें अनेकानेक लाभ होते हैं वही कुछ हानियाँ भी होती हैं। समाचार पत्र जब तटस्थ नहीं रह पाते और किसी विशेष राजनैतिक दल अथवा किसी विशेष वर्ग या व्यक्ति विशेष के

हिंनों के पोषण का कार्य करने लग जाते हैं तो इनसे देश और समाज को बहुत हानियाँ उठानी पड़ जाती हैं। वह राजनैतिक दल अथवा विशेष वर्ग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए दूषित विचार धारा का प्रचार करते हैं जिससे वर्ग संघर्ष द्विज जाता है और देश में एतता की भावना समाप्त हो जाती है। राष्ट्र में भ्रमरजकता फैल जाती है। साम्प्रदायिक उपद्रव होने लगते हैं और चारों ओर हिंसा, लूट-पाट और घागजनी की घटनाएँ घटित होने लगती हैं जिससे अपार जन-धन की हानि होती है तथा राष्ट्र कमजोर हो जाता है। इनके प्रतिरिक्त सवाइदाताओं की निरकुशता अथवा असावधानी से अस्तव्य एव मनगढन्त समाचारों का प्रकाशन हो जाता है जिससे बहुत से लोग भ्रमकरण ही परेशानी में पड़ जाते हैं। धन के लोभ में समाचार पत्र अश्लील विज्ञापन तथा नग्न चित्र छाप देते हैं, इससे समाज के चरित्र का ह्रास होता है।

वास्तव में ये हानियाँ समाचार पत्रों से नहीं होती बल्कि उनके दोषपूर्ण सम्पादन से होती हैं, किन्तु इसे समाचार पत्र से होने वाली हानि ही समझा जाता है।

5. उपसंहार—आज ममार के प्रायः सभी बड़े-देशों ने जनतन्त्रात्मक शासन-प्रणाली को स्वीकार किया है। इस प्रणाली में व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्त्व दिया जाता है। व्यक्ति को अन्य प्रकार की स्वतंत्रताओं के साथ विचार-प्रकाशन की पूर्ण स्वतंत्रता होनी है। स्वतंत्ररूप से विचार प्रकट करने का सर्वोत्तम माध्यम समाचार पत्र ही है। समाचार-पत्रों के माध्यम से ही जनता सरकार की नीतियों की आलोचना करती है और स्वतंत्ररूप से सरकार के सामने अपना मत प्रस्तुत करती है। इससे लोकप्रिय सरकार को जन-हित के कार्यों के लिए बाध्य होना पड़ता है।

हमारे देश में अभी जनतंत्र पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। जनतंत्र को सुदृढ बनाने तथा इसे पूरी तरह से सफल बनाने का दायित्व समाचार पत्रों का ही है। यह खेद का विषय है कि हमारे देश के अनेक समाचार-पत्र अपनी भूमिका भली प्रकार नहीं निभा रहे हैं। अगपसी गुटबन्दी, दलीय हित तथा व्यक्तिगत स्वार्थों के घेरे में फसकर वे राष्ट्रीय हिंनों को हानि पहुँचा रहे हैं। हमें आशा करनी चाहिए कि आगे आने वाले समय में इस स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा और समाचार-पत्र देश को उन्नत एव शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में ऊँचा उठाने में अपनी उपयोगी भूमिका निभायेंगे।

निबन्ध को रूप-रेखा

- 1 प्रस्तावना
- 2 विज्ञान से लाभ
- 3 विज्ञान से हानियाँ
4. उपसंहार

1 प्रस्तावना—मानव-सम्यता के विकास की कहानी विज्ञान के विकास की बहानी है। मग्यता का सम्बन्ध मानव-जीवन के बाहरी स्वरूप से है। पहनने-प्रोडने के वस्त्र, रहने के मकान, आवागमन के साधन, मचार-साधन भोजन जल और प्रकाश, चिन्तित्वा तथा प्राकृतिक प्रकोपों एव युद्ध से सुरक्षा—ये सब मानव के शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक है। यही मानव-जीवन का बाहरी स्वरूप है तथा इनके समन्वितरूप का नाम ही मानव-सम्यता है। जो मनुष्य जंगलों में नगा फिरता था और हिपक पशुओं की तरह शिकार करके अपना जीवनयापन करता था, उस मनुष्य का जीवन आज कितना विकसित हो गया है। मानव-सम्यता को विकसित करने का श्रेय विज्ञान को ही है। आवश्यकता अविष्कार की जननी है। मनुष्य को अपनी सुविधा के लिए जिन-जिन पदार्थों की आवश्यकता होती गयी, वह नये-नये अविष्कार करता गया और इसी के साथ विज्ञान का विकास होता चला गया। आज विज्ञान अपने विकास की चरम सीमा पर पहुँच गया है और वह मानव-जीवन का अभिन्न भग बन गया है। आज मनुष्य की सभी भौतिक आवश्यकताएँ वैज्ञानिक विधि से विकसित उपकरणों में ही होनी हैं।

2 विज्ञान से लाभ—विज्ञान मानव-जीवन के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। विज्ञान ने मनुष्य की शक्ति और क्षमता में अमाधारण वृद्धि कर दी है। किसी समय अरम्भव समझे जाने वाले कार्य आज विज्ञान की महायत्ना में पूरी तरह सम्भव हो गये हैं। अज्ञेय प्रकृति पर मनुष्य किसी हद तक विजय प्राप्त करने में सफल हो गया है। विज्ञान से हुए लाभों को हम निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत भली प्रकार समझ सकते हैं—

(1) आवागमन की सुविधा—आवागमन की सुविधा की दृष्टि से विज्ञान से मनुष्य को बहुत लाभ हुआ है। एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी अब कोई महत्त्व नहीं रखती। तेज गति से चलने वाले स्वचालित वाहनों से हम किसी भी

स्थान पर बहुत शीघ्रता से पहुँच सकते हैं। रेत, मोटर हवाई-जहाज और अब अंतरिक्ष यानों के रूप में विज्ञान ने मनुष्य की यह उपयोगी सेवा की है।

(ii) संचार की सुविधा—एक जमाना था जब कि कुछ ही दूरी पर बसे स्वजनों से सम्पर्क करना हमारे लिए एक अत्यन्त कठिन कार्य था। दूसरे देशों की जानकारी कर पाने की तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। अब विज्ञान ने संचार साधनों का विकास करके इम असम्भव ममके जाने वाले कार्य को सम्भव बना दिया है। तार, टेलीफोन वायरलैस, रेडियो और टेलीविजन के आविष्कार करके समस्त समार को एक ही समुदाय के रूप में आमने-सामने लडा कर दिया है। संसार के कियी भी कोने में कोई भी घटना घटित हो, हम उसी क्षण उसकी जानकारी कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो टेलीविजन के माध्यम से अपने कमरे में बैठे-बैठे ही उन घटना को आँखों के सामने घटित होने देख सकते हैं। यह महत्त्वपूर्ण देन विज्ञान की ही है।

(iii) चिकित्सा की सुविधा—चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की सेवा अत्यन्त सराहनीय है। रोग निदान के क्षेत्र में विज्ञान ने ऐसे उपकरणों, यंत्रों तथा विधियों का आविष्कार किया है कि शरीर की अत्यन्त जटिल रचना में रोग का ठीक-ठीक निदान करना बहुत सरल कार्य हो गया है। निदान के अतिरिक्त रोग चिकित्सा में भी वैज्ञानिक प्रयोगों से ऐसी औपधियों तथा चिकित्सा की विधियों की खोज करली गई है, जिनसे असाध्य समझी जाने वाली व्याधियों की बडी सरलता से चिकित्सा हो जाती है और रोगी स्वस्थ हो जाता है। अब कैंसर के अतिरिक्त कोई रोग ऐसा नहीं बचा है जिसकी चिकित्सा सम्भव न हो। शल्य-चिकित्सा के क्षेत्र में तो विज्ञान ने गजब ही कर दिया है। चीरा-फाडी करके रोगी को स्वस्थ कर देना तो कोई विशेष बात नहीं रही। अब तो परखनली से बच्चे को जन्म देना और हृदयारोपण कर देना भी सम्भव हो गया है।

(iv) दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति—मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में विज्ञान ने बहुत अधिक सहायता की है। विद्युत और विद्युत से चालित यंत्रों तथा उपकरणों का आविष्कार करके विज्ञान ने मनुष्य-जीवन में एक भ्रान्ति उत्पन्न कर दी है। प्रकाश, जल तथा गैस के चूल्हे से लेकर पखा, कूलर, हीटर, फ्रिज तथा मिक्सी आदि अनेक ऐसे वैज्ञानिक उपकरण आज उपलब्ध हैं जो हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इनके अतिरिक्त टाइपराइटर, साइक्लो-स्टाइल, टुप्लीकेटर और मुद्रण-यंत्र आदि भी हमारी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हैं।

(v) मनोरंजन की सुविधा—विज्ञान ने मनुष्य को मनोरंजन के लिए भी अनेक उपयोगी उपकरण दिये हैं। विनेमा इम दिशा में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसके अतिरिक्त रेडियो, टैप्रीस्काइर, टेलीविजन और वीडियो मनोरंजन तथा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं।

(vi) कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन—विज्ञान की सहायता से कृषि के क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति हुई है। नहरो, नलकूपों, तथा पम्प सँटो से बिचाई की सुविधा के साथ साथ जुताई, बुझाई और कटाई में ट्रैक्टरों का उपयोग बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। उन्नत बीज और उन्नत खाद के प्रयोग ने कृषि उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया है।

स्वचालित मशीनों के प्रयोग से औद्योगिक उत्पादन में भी बहुत वृद्धि हुई है तथा इसके साथ ही नवी वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी होने से तथा आवश्यक यंत्रों का आविष्कार होने से खनिज-उत्पादन में भी आशातीत सफलता प्राप्त हुई है।

(vii) सामरिक सुविधा—युद्ध के क्षेत्र में विज्ञान ने मनुष्य को असाधारण शक्ति से सज्जित कर दिया है। रॉकेट स्वचालित मशीनगत, विमान भेदी तापों, प्रक्षेपास्त्र, राडार, टैंक, पनडुब्बी और तारपीडो आदि के आविष्कारों से देश की स्वाधीनता की रक्षा में बहुत सहायता मिली है। अब यकायक कोई देश किसी देश की सीमा पर आक्रमण करने की बात नहीं मोचता और यदि आक्रमण करता है तो उसे विफल बना दिया जाता है।

उपर्युक्त लाभों के अनिश्चित विज्ञान ने मानव-जाति को और भी अनेक महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाये हैं जिनमें परमाणु शक्ति की खोज और उसका शान्तिपूर्ण कार्यों में उपयोग प्रमुख है। इसके अतिरिक्त गणना यंत्र कम्प्यूटर और कृत्रिम उपग्रह भी मानव जाति की अत्यन्त महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं। य सभी वैज्ञानिक-साधन हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं और हम इनसे लाभान्वित हो रहे हैं। अतः हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि विज्ञान हमारे लिए बरदान सिद्ध हुआ है।

(3) विज्ञान से हानियाँ—जहाँ विज्ञान से मानव-समाज को अनेक लाभ हुए हैं वहीं उसे कुछ हानियाँ भी उठानी पड़ रही हैं जो निम्न प्रकार में हैं—

(i) दृष्टिकोण में परिवर्तन—विज्ञान की उन्नति में मनुष्य के दृष्टिकोण में बहुत परिवर्तन हुआ है। आज मनुष्य पूर्णरूपेण बुद्धिवादी और भौतिकवादी बन गया है। भौतिक-समृद्धि की चक्काचौंध से उसकी भीतर की अस्ति अन्धी बन गयी है। प्रेम, दया, सहानुभूति, परोपकार, सहयोग और त्याग आदि मानवीय गुणों का लोप हो गया है और वह पूर्णरूपेण स्वार्थी बनकर जीने में विश्वास करने लगा है। अनीति और भ्रष्टाचार को उसने नीति और शिष्टाचार मान लिया है। इससे मानव जाति का बहुत अहित हुआ है। सभ्यता संस्कृति पर चढ़ बैठी है और जीवन के शाश्वत मूल्य धूमिल हो गये हैं।

(ii) अकर्मण्यता—वैज्ञानिक साधनों ने मनुष्य को अकर्मण्य, आलसी और सुविधा भोगी बना दिया है। इससे उसकी शारीरिक और मानसिक दोनों ही शक्तियों का ह्रास हुआ है। वह पूर्णतः पराधीन बन गया है और शारीरिक श्रम से दूर हट गया है। उसमें कष्ट-सहिष्णुता की शक्ति नहीं रह गई है। थोड़ी सी भी कठिन परिस्थिति

ग्राने पर वह ध्वरा जाता है। शारीरिक-धम के अभाव में अजीर्ण, गैस, रक्तचाप और हृदय रोग आदि के रोगी का वह स्थायी घर बन गया है। यह बड़ी हानि विज्ञान की ही देन है।

(iii) अशान्त जीवन—वैज्ञानिक उपकरणों की बहुतायत से मनुष्य का जीवन अशान्त हो गया है। मशीनों और वाहनो की खट-पट तथा रेल-पेल से वायुमण्डल में शोर-शरावा तथा व्यस्तता हमेशा बनी रहती है। वाहनो और कारखानो की चिमनियो से निकलने वाले धुँआ से वातावरण क्षुब्ध बना रहता है जिससे अनेक रोग उत्पन्न होने है। इसके प्रतिरिक्त तेज गति से चलने वाले वाहनो से अनेक आकस्मिक दुर्घटनाएँ घटती हैं जिनमें मनुष्य कुत्ते की मौत मरने को विवश हो जाता है। मनुष्य-जीवन के लिए यह हानि-प्रद स्थिति विज्ञान की ही देन है।

(iv) सम्पूर्ण विनाश का खतरा—विज्ञान ने मनुष्य को एटम बम, हाइड्रोजन बम और इसी प्रकार के अन्य अनेक विनाशकारी अस्त्र दे दिये हैं जिनका प्रयोग होने पर सम्पूर्ण मानवता के विनाश का खतरा ससार पर मड़रा रहा है। कहा नहीं जा सकता कि मनुष्य अपने स्वार्थ एव अह की तुष्टि के लिए कब अपना विवेक खो देगा और इन विनाशकारी अस्त्रो के प्रयोग से सर्वनाश कर देगा।

उपसंहार—विज्ञान अभिशाप है या वरदान अथवा विज्ञान से हानियाँ अधिक है या लाभ यह निश्चित रूप से बतलाना सरल नहीं है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि विज्ञान मनुष्य के हाथ में असाधारण शक्ति है। अब यह मनुष्य के विवेक पर निर्भर करता है कि वह इस शक्ति का उपयोग लाभकारी कार्यों में करता है या विनाशकारी कार्यों में। इसके साथ ही यह बात भी स्पष्टरूप से समझ ली जानी चाहिए कि विज्ञान अब मनुष्य जाति के लिए अपरिहार्य बन चुका है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य में विवेक शक्ति को जागृत किया जाय जिससे इसके विनाशकारी प्रयोग से बचा जा सके। इसका एकमात्र उपाय यही हो सकता है कि मनुष्य की बौद्धिक उन्नति के साथ-साथ उसकी आध्यात्मिक उन्नति के भी प्रयास किये जाएँ। आध्यात्मिक उन्नति से ही उसमें मानवीय गुणो का विकास होगा और तभी वृद्धि तथा हृदय में समन्वय स्थापित हो सकेगा। उम समन्वय के अभाव में विज्ञान से प्राप्त लाभो का कोई मूल्य नहीं रहेगा और मानवता नदा वस्त, भयभीत और आतंकित ही बनी रहेगी।

निबन्ध की रूप-रेखा

- 1 प्रस्तावना
- 2 आविष्कार और विकास
- 3 समाज पर प्रभाव—साभ एव हानियाँ
- 4 चित्र निर्माताओं तथा सरकार का दायित्व
- 5 उपसंहार

1 प्रस्तावना—मनोरजन मनुष्य की एक अनिवार्य आवश्यकता है। यह आवश्यकता आदिकाल से ही बनी रही है और आज भी है। दिनभर काम करने के बाद अथवा किसी स्थिति से उकता जाने पर या जीवन की विपमताएँ से चिन्ताग्रस्त होने पर मनुष्य मन-बहलाव के लिए मनोरजन चाहता है। इससे उसकी स्थिति में सुधार होता है और वह नयी स्फूर्ति तथा शक्ति प्राप्त करके जीवन-सघर्ष में पुन जुट जाता है। सत्तार के सभी मानव-समुदायों में मनोरजन के साधन किसी न किसी रूप में अवश्य पाये जाते रहे हैं, जिनमें नृत्य, संगीत, विचित्र वेश-भूषा और अभिनय प्रमुख हैं। भारत में नाट्य-कला बहुत प्राचीनकाल से चली आ रही है और वह अपने पूर्ण विकसित रूप में रही है। अन्य देशों में भी नाट्य-कला विभिन्न रूपों में रही है। मनुष्य की दृश्य और श्रव्य दो ज्ञानेन्द्रियों को एक साथ तुष्ट कर देने के कारण नाटक मनोरजन का एक सशक्त एवं श्रेष्ठ साधन है। विज्ञान की उन्नति और फोटोग्राफी के आविष्कार ने नाटक को सिनेमा के रूप में विकसित किया है। सिनेमा या चित्रपट आज मनोरजन का अत्यन्त प्रभावशाली साधन बना हुआ है और इसकी लोकप्रियता निरन्तर बढ़ती जा रही है।

2 आविष्कार और विकास—जैसा हम कह चुके हैं चित्रपट का उद्गम नाटक से ही है। पूरी सत्र-सज्जा के साथ खेले जाने वाले ये नाटक सारे रात चलते थे, किन्तु इनसे बहुत कम लोग मनोरजन कर पाते हैं। धीरे धीरे नाटकों में छायाचित्रों का प्रवेश हुआ, किन्तु इन छायाचित्रों के द्वारा प्रदर्शित आकृति धुंधली होती थी और सत्र सज्जा के अभाव में इनमें कोई विशेष आकर्षण भी नहीं था। धीरे-धीरे ये छायाचित्र भी लुप्त हो गये और इनके स्थान पर आधुनिक चित्रपट प्रारम्भ हुए। चल-चित्र का आविष्कार सन् 1830 में अमेरिकामें हुआ। इसके आविष्कारक थे मिस्टर एडीसन। एडीसन अनेक स्थिर चित्रों को एक निश्चित गति से

चलाने थे और तीव्र प्रकाश द्वारा उनकी छाया श्वेत-पत्र पर प्रक्षिप्त करते थे, जिसमें छायाएँ चलती-फिरती और हाव-भाव करती आती थीं। यहीं से चल-चित्र का सूत्रपात हुआ। प्रारम्भ में चलचित्र मूक ही बनते थे, किन्तु जर्न जर्न इनमें ध्वनि का भी योग हो गया। सन् 1928 में बोलने वाली फिल्म का श्री गणेश हुआ और सन् 1931 में 'आलम आरा' नाम की भारत की पहली फिल्म बनी जो बम्बई की इम्पीरियल फिल्म कम्पनी ने बनाई थी। इसके साथ ही लोगों का ध्यान इस और आकृष्ट हुआ और गायक, अभिनेता, निर्देशक तथा पूँजीपति फिल्म-उद्योग में तग गये। दृश्यों की स्वाभाविकता तथा सजीवता के कारण चलचित्र अत्यन्त लोकप्रिय हुए और इनका निरन्तर विक्रम होता चला जा रहा है। रंगीत फिल्म के आविष्कार ने तो चलचित्र को और भी स्वभाविक बना दिया। आज चलचित्र अपने पूर्ण यौवनकाल में है।

3 समाज पर प्रभाव—आज चित्रपट भारतीय समाज में सर्वाधिक लोकप्रिय है। भारत की सभी भाषाओं में प्रतिवर्ष सैकड़ों फिल्में बनती हैं और फिल्म व्यवसाय में सगे सभी लोग मालामाल हो रहे हैं। यह चित्रपट की लोकप्रियता का स्पष्ट प्रमाण है। भारतीय समाज पर चित्रपट का प्रभाव भी सर्वाधिक पड़ रहा है। नई पीढ़ी के युवक युवतियों के आचार-विचार और रहन-सहन पर इसके प्रभाव की स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चित्रपट में समाज को अनेक लाभ होने हैं। यह मनोरंजन का सबसे सरल, सस्ता और प्रभावशाली साधन है। दिनभर का बचामांदा बर्बाद करनेवाले में जा कर फिल्म देखने में पूरी तरह खो जाता है और तीन घंटे बाद वह अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस करता है। मनोरंजन के साथ ही ज्ञान-विज्ञान में भी चित्रपट बहुत सहायक है। देश-विदेश की विभिन्न जातकारियों के अतिरिक्त इतिहास, कला तथा विज्ञान की अनेकानेक जातकारियाँ चित्रपट के माध्यम से समाज को मिलती हैं। यह शिक्षा प्रसार का भी एक सशक्त माध्यम है। समाज सुधार और सामाजिक प्रगति का साधन आज चित्रपट में अधिक शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं है। समाज में व्याप्त अनेक कुत्सीतियों और अन्धविश्वासों में मुक्ति दिलाने का कार्य चित्रपट के द्वारा बड़ी सरलता से किया जाना सम्भव है। राष्ट्रीय एकता, सम्प्रदायिक सद्भाव और देश-प्रेम तथा समाज-सेवा का कार्य चित्रपट बड़ी मरुततापूर्वक सम्पन्न कर सकता है। अछूतोंद्वारा और नारी को समाज में उचित स्थान दिलाने में चित्रपट की भूमिका अत्यन्त पराहनीय रही है।

चित्रपट से जहाँ इनके लाभ हैं वहीं इसमें समाज को अनेक हानियाँ भी उठानी पड़ती हैं। यदि हम यह कहे कि लाभ की अपेक्षा हानियाँ ही अधिक हैं तो कोई अनुचित बात नहीं होगी। अधिकांश फिल्म निर्माता नयी पीढ़ी की भावनाओं का का लाभ उठाकर ऐसी फिल्में बनाने हैं जो कमोत्तमजक होती हैं। अल्पवयस्कबालकों के युवक-युवतियों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ना है और समाज दूषित होता है।

अधिक्राश फिल्मो में चोरी, डकैती, तस्करी व गु डा-गर्दी के ऐसे दृश्य दिखलाये जाते हैं जिनसे प्रभावित होकर नयी पीढ़ी वैसा ही आचरण करने लग जाती है। भद्दे गाने, अश्लील भाषा, बेहूदी पौशाक और अमर्यादित व्यवहार आज चित्रपट की हो देन हैं। ऐसी फिल्मो से ही फिल्म निर्माताओं को अधिक लाभ होता है। वे धन बटोर कर अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं और समाज तथा देश पतन की ओर बढ़ता जा रहा है।

हमारे समाज पर चित्रपट का इतना अधिक प्रभाव पड़ रहा है कि समाज में एक नयी सभ्यता और सस्कृति पनप रही है। इसे यदि 'फिल्म-सभ्यता' या 'फिल्म-सस्कृति' कहा जाय तो अनुचित नहीं होगा। हमारे समाज की रहन-सहन, वेश-भूषा और बोल-चाल इस नयी सभ्यता से बहुत अधिक प्रभावित है। इसी प्रकार हमारे आचार विचार, रीति-रीवाज और मान्यताओं पर इस नयी सस्कृति का प्रभाव स्पष्टरूप से देखा जा सकता है। जितना अच्छा होता कि इस नई सभ्यता और सस्कृति से हमारी प्राचीन सभ्यता और सस्कृति में कोई मेल या समन्वय हो पाता।

(क) चित्र निर्माताओं का दायित्व—भारतीय समाज पर चित्रपट का अत्यधिक प्रभाव होने के कारण चित्र-निर्माताओं को इस विषय में गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए। उन्हें ऐसे चित्रों का निर्माण करना चाहिए जो समाज और देश की प्रगति में सहायक हों। प्रत्येक फिल्म का एक विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए जिससे प्रेरणा लेकर समाज एक नयी दिशा में आगे बढ़ सके। देश-प्रेम, समाज-सुधार, राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय समृद्धि फिल्मों में प्रमुख होनी चाहिए। यह सही है कि आज सामान्य जनता की रचि फिल्मों में कामोत्तेजना और मार-धाड़ के दृश्य ही देखने में अधिक है, किन्तु इस रचि का निर्माण फिल्म-निर्माताओं ने ही किया है और वे इसे बदल भी सकते हैं। पूरे देश और समाज को पतन के गर्त में ढकेल कर धन बटोरने की प्रवृत्ति देश-द्रोह है, समाज द्रोह है और महापाप है। फिल्म निर्माता यदि अपनी इन प्रवृत्ति पर थोड़ा भी अंकुश लगा सकें तो वे समाज-सेवा और देश-सेवा का बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। वे बड़ी कुशलता से हमारी प्राचीन आदर्श सस्कृति की रक्षा करते हुए उसका नये रूप में विकास कर सकते हैं। यह उनका एक सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व है।

(ख) सरकार का दायित्व—हमें यह कहने में सकोच नहीं है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार भी इस दिशा में पूर्ण जागरूक प्रतीत नहीं होती। सरकार ने संसार बोर्ड स्थापित कर रखा है, जिसका प्रमाण-पत्र मिलने पर ही फिल्म प्रदर्शित होती है। किन्तु संसार बोर्ड इस दिशा में पूर्ण जागरूक होकर कार्य नहीं कर रहा है। अनेक आपत्तिजनक दृश्यों के रहते भी फिल्म को संसार बोर्ड का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाता है। संसार बोर्ड को चाहिए वह कुछ नीति निर्देशक सिद्धान्त तैयार करे और फिल्म निर्माताओं से उनका कठोरता से पालन करवाये। यदि फिल्म निर्माता सहयोग न करे तो सरकार को चाहिए कि वह फिल्म-उद्योग का

राष्ट्रीयकरण कर दे जिससे फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रीय और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जा सके। स्वार्थी फिल्म निर्माताओं के हाथों समाज और देश का पतन होते देखना लोकप्रिय सरकार के लिए उचित नहीं है।

5 उपसंहार—चित्रपट हमारे जीवन का भाग एक अभिन्न अंग बन गया है। यद्यपि यह समाज के लिए अनर्थकारी सिद्ध हो रहा है तथापि इसको सामाजिक जीवन से अलग कर देना सम्भव नहीं है। समाज पर इसकी प्रभावशालिता चिन्ता का विषय नहीं है। चिन्ता का विषय तो चित्रपट का घटिया स्तर है। यदि हम इसके स्तर में सुधार कर सकें तो यह हमारे लिए एक बरदान सिद्ध हो सकता है। राष्ट्र और समाज में नयी चेतना, नयी जागृति और चरित्र-निर्माण के जो महान् कार्य राष्ट्र के नेता अथवा समाज-सुधारक वर्षों तक कठोर परिश्रम करके भी पूरा नहीं कर सकते, वह कार्य चित्रपट द्वारा बड़ी शीघ्रता से और सरलता से किया जा सकता है। हमें चित्रपट की इस लोकप्रियता का लाभ उठाना चाहिए और इसे समाज की प्रगति का प्रमुख आधार बनाना चाहिए।

निबन्ध की रूप-रेखा

1. प्रस्तावना
2. प्रमुख समस्याएँ
 - (क) सामाजिक
 - (ख) आर्थिक
 - (ग) राजनैतिक
3. उपसंहार

1 प्रस्तावना—सदियों की पराधीनता के पश्चात् हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतन्त्र हुआ है। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में अनेक ऐसे तरीके अपनाये जिनसे भारत की जनता में एकता की भावना समाप्त हो, अशिक्षित और गरीब बनी रहकर उनकी गुलामी करती रहे। देश के भौतिक विकास की ओर उन्होंने बिलकुल ध्यान नहीं दिया। स्वदेशी उद्योग-धन्वों को जानबूझ कर चौपट कर दिया ताकि भारत आत्मनिर्भर न बन सके और हर बात में वह अंग्रेजों का मोहनाज बना रहे। हमारी प्राचीन वर्ण-व्यवस्था को विकृत रूप देकर जाति-गत भेदों को उभारा गया तथा धर्म और सम्प्रदाय के नाम पर भोली जनता की भावनाओं को उभार कर फूट डालने का पूरा-पूरा प्रयास किया। सामाजिक धुरीतियाँ और अंध-विश्वासों को बनाये रखने का उनकी ओर से पूरा प्रयास किया गया। इन सब प्रयासों के बावजूद जब भारतीय जनता ने स्वातन्त्र-प्रान्दोलन छेड़ दिया तो उन्हें अपने खोरिया-बिस्तर समेट कर जाना पड़ा, किन्तु जिन समस्याओं को उन्होंने अपने शासनकाल में उत्पन्न करके पनपाया था, वे आज भी विद्यमान हैं। इनके प्रतिरिक्त स्वतन्त्र भारत में कुछ नई समस्याएँ और भी उत्पन्न हुई हैं।

2 प्रमुख समस्याएँ—आज भारत अनेक समस्याओं से ग्रस्त है जिनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समस्याएँ प्रमुख हैं। इन समस्याओं के कारण भारतीय जनता आज भी दुखी है और देश के विकास में अनेक बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इन समस्याओं के विषय में हम पृथक्-पृथक् चर्चा करेंगे—

(ग) सामाजिक समस्याएँ—

(1) नारी की दासता—हमारे समाज में सबसे प्रधान समस्या स्त्रियों की

है। यद्यपि हमारे मविद्यान में स्त्री को समान अधिकार दिये हैं, किन्तु व्यवहार में आज भी उसे कोई अधिकार नहीं है। वह पुरुष को इच्छानुसार चलने को बाध्य है। आज भी वह पुरुष के मनोविनोद और विलास का साधन मात्र ही है। पति के द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों को वह मूक-पशु की तरह सहन करने को विवश है। बाल-विवाह, अनमेल-विवाह, वृद्ध-विवाह, विवाह-विच्छेद, विवाह-निषेध आदि ने उसकी दुर्दशा बना रखी है नारी समाज का आधा अंग है जब आधा अंग अविक्सित, निष्क्रिय, स्मृत और पीडित रहे तो विकास करना सम्भव ही नहीं है। अतः इस समस्या का समाधान करना हमारे लिए परमावश्यक है। यद्यपि यह समस्या बहुत व्यापक और पुरानी है तथा इस समस्या का समाधान कुछ अंशों में हुआ भी है तो भी सरकार और समाज दोनों को इस दिशा में निरन्तर प्रभावशाली उपाय करते रहना चाहिए।

(ii) जातिगत भेद-भाव—हमारे देश में जातिगत भेद-भाव आज भी एक समस्या है। पूरा समाज जातियों के आधार पर विभाजित है। कुछ बहु-मह्यक जातियों में तो इतनी जातिगत कठोरता है कि वे समाज के सामूहिक हित का विन्दुल ध्यान न रखते हुए जातिगत हितों का पोषण करने में ही लगी हैं। इस जातिगत मकीलता में सामाजिक एकरा को भारी क्षति होती है। समाज का विच्छेदन दूर नहीं हो पाता तथा देश और समाज की उन्नति में बाधा पहुँचती है। हमें इस सम्बन्ध में उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और सम्पूर्ण देश की एक ही जाति 'भारतीय जाति' का अपने आप को मद्दत मानकर समाज के हित को सर्वोपरि महत्त्व देना चाहिए।

(iii) सामाजिक कुरीतियाँ—हमारा समाज अनेक कुरीतियों से ग्रस्त है जिनमें वह उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो पा रहा है। पर्दा-प्रथा, दहेज, सामूहिक भोज, वस्त्र-पक्ष की तुलना में वर-पक्ष को अधिक महत्त्व देना आदि अनेक कुरीतियाँ हमारे समाज में प्रचलित हैं। इनमें दहेज-प्रथा तो एक विषम समस्या का रूप धारण कर चुकी है। लड़की के पिता की अपनी कन्याओं के विवाह में इतना धन खर्च करना पड़ता है कि वह आजीवन कर्बदार बना रहता है। इस पर भी वर-पक्ष यदि ननुष्ट न हो तो विवाह के परवान् लड़की का जीवन नर्क बन जाता है। या तो वह आत्म-हत्या कर लेती है या फिर उगकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार की प्रथाओं के समाचार रोज अखबारों में छपते हैं। सरकार कानून के जरिये इन समस्या के समाधान का प्रयास कर रही है। समाज को और विशेष रूप से नई पीढ़ी के युवकों को भी इस दिशा में प्रयत्न करने चाहिए।

(iv) स्वार्थपरता एवं भ्रष्टाचार—आज हमारे समाज में स्वार्थ की भावना और भ्रष्टाचार इतना अधिक बढ़ गया है कि यह एक राष्ट्रीय समस्या

वन गई है। भौतिकवादी दृष्टिकोण ने हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति अथवा वर्ग को घोर स्वार्थी बना दिया है। आत्र हमारे देश में लोगों की ऐसी मनोवृत्ति बन गई है कि वे अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए देश और समाज का उड़ से बड़ा अहित करने में भी नहीं हिचकिचाते। भ्रष्टाचार पनपने और फैलने का भी मुख्य कारण यह स्वार्थ-वृत्ति ही है। भ्रष्टाचार आज एक प्रकार का शिष्टाचार बन गया है। बिना रिश्वत दिये किसी सरकारी कार्यालय से कोई काम निकलवा लेना प्राप्तमान के तारे-तोड़ने जैसा है। भ्रष्टाचार के कारण हमारे राष्ट्रीय हितों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार तथा समाज दोनों की ही गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

(v) सामाजिक-जागृति का अभाव—हमारे समाज में सामाजिक एवं राजनैतिक जागृति का पूर्ण अभाव है। देश में कहीं क्या हो रहा है क्या हो रहा है इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसमें हमारा क्या दायित्व है—यह सब सोचने समझने का भाव किसी में नहीं है। सब लोग अपनी प्रतीति डगनी अपना अपना राग वाला कहावत चरितार्थ करते हैं। न हमें अपने देश का ध्यान है, न अपने नगर अथवा गांव का और न पड़ोस का। सब ओर से उदामीन होकर हम केवल अपने पर आभारित रहते हैं। यह गकुचित दृष्टिकोण और समाज के प्रति उदासी नेता की भावना भी हमारे देश की एक व्यापक समस्या है। समाज और देश के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य है हमें यह बात समझनी चाहिए। हमें सदा जागृत रहकर अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए।

(vi) अशिक्षा—प्रशिक्षा किसी भी देश अथवा समाज के लिए अभिशाप है। शिक्षा के अभाव में नागरिकों को अपने कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान ही नहीं होता। न उनका पिछड़ापन दूर हो पाता है और न वे प्राण बचाने के लिए उत्सुक होते हैं। सरकार द्वारा किये जाने वाले विकास के सभी उपाय निष्फल हो जाते हैं। हमारे देश में अशिक्षितों का प्रतिशत बहुत है। इस समस्या का समाधान करने के लिए गांव-गांव में स्कूल खोलने जा रहे हैं। प्रौढ शिक्षा के केन्द्र खोलने जा रहे हैं, किन्तु जनता अब भी इस दिशा में विशेष उत्साहित दिखाई नहीं पड़ती। यही कारण है कि हमारे देश में अशिक्षा एक समस्या बनी हुई है।

(vii) अनुशासनहीनता—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश में अनुशासनहीनता एक नई समस्या उत्पन्न हुई है। यह समस्या राष्ट्रीय स्तर पर है और बहुत व्यापक है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार में लेकर समाज की सभी छोटी बड़ी संस्थाओं में अनुशासन हीनता व्याप्त हो रही है। छात्रों, कर्मचारियों, अध्यापकों, व्यवसायियों, श्रमिकों, अधिकारियों तथा राजनेताओं सहित सामान्य जनता के लोगों में अनुशासनहीनता देखी जा सकती है। अनुशा-

सन के बिना कोई भी समाज अथवा देश उन्नति नहीं कर सकता। अतः इस समस्या के समाधान के कार्य को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। ऊपर से एक आदर्श प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा अनुशासनहीनता करने वालों से सख्ती से निपटना चाहिए।

(ख) आर्थिक समस्याएँ—(i) बेरोजगारी की समस्या—हमारे देश में इस समय बेकारी एक समस्या बनी हुई है। देश के करोड़ों लोग रोजगार की तलाश में दर-दर भटकते हैं, किन्तु उन्हें रोजगार नहीं मिलता। इससे देश की जन-शक्ति या तो व्यर्थ ही नष्ट हो जाती है या फिर उसका दुरुपयोग होता है। जीवन से निराश होकर अनेक युवक असामाजिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। चोरी, डकैती, राहजती, गुंडागर्दी और हत्या जैसे अपराधों की सख्या में निरन्तर वृद्धि होने का एक प्रमुख कारण बेरोजगारी की समस्या ही है। इस समस्या का शीघ्र समाधान खोजना देश की सरकार और समाज दोनों का दायित्व है। शिक्षा-पद्धति में परिवर्तन करके और छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन देकर ही इस समस्या का समाधान करना सम्भव हो सकता है।

(ii) मूल्य-वृद्धि की समस्या—मूल्य-वृद्धि भी हमारे देश की एक समस्या है। जीवन की आवश्यकता की वस्तुओं के दाम आये दिन बढ़ते जा रहे हैं जिससे जनता को बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ रही हैं। इसके लिए जिम्मेदार चाहे सरकार की नीतियाँ हो, चाहे व्यापारियों और उत्पादकों की मनमानी अथवा वस्तुओं का अभाव। इसका सीधा प्रभाव गरीब जनता पर पड़ता है। जनता का जीवन स्तर उठने के बजाय गिरता जा रहा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है तथा अमीर और अमीर। समाज में यह आर्थिक विषमता विद्रोह और अराजकता को जन्म देती है। अतः इस समस्या का उचित समाधान शीघ्र खोजा जाना चाहिए।

(ग) राजनैतिक समस्याएँ (i) क्षेत्रीयवाद—इस समय भारत में क्षेत्रीय-वाद जोर पकड़ता जा रहा है और राज्यों के पुनर्गठन, नदी-जल विवाद तथा राज्यों को और अधिक स्वतंत्रता की माँग को लेकर राष्ट्रीय एकता को चुनौती दी जा रही है। इस क्षेत्रीयवाद की भावना से प्रेरित होकर जन-आन्दोलन होते हैं, तोड़-फोड़ और हिंसा की कार्यवाहियाँ भी होती हैं। यह एक राजनैतिक समस्या है। इसे केन्द्रीय सरकार को बड़ी मूक-बुझ और सतर्कता से हल करने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे राष्ट्रीय एकता सुरक्षित रह सके और देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न न हो।

(ii) साम्प्रदायिक-कटुता—हमारे देश में अनेक धर्म और सम्प्रदायों के लोग निवास करते हैं। राजनैतिक लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए लोगों में साम्प्रदायिकता की भावना को भड़काने हैं जिससे देश में हिंसा उपद्रव होने लगने हैं। चारों ओर अशांति व्याप्त हो जाती है और कानून तथा व्यवस्था की समस्या

उत्पन्न हो जाती है। साम्प्रदायिक कटुता देश और समाज के लिए बहुत घातक है। यह एक सामाजिक तथा राजनैतिक दोनों ही प्रकार की समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए भी सामाजिक और राजनैतिक दोनों ही स्तरों पर उपाय किये जाने चाहिए।

3 उपसंहार—हमारा देश बहुत बड़ा है जिसमें अनेक जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग निवास करते हैं। सदियों की गुलामी के बाद यह आजाद हुआ है। इसमें बहुत सी समस्याएँ पहले से ही चली आ रही हैं और कुछ नयी उत्पन्न हो गई हैं। इतने बड़े देश में नयी समस्याओं का उत्पन्न होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। हमारी सरकार समस्याओं के समाधान के लिए जूझ रही है और धीरे-धीरे सफल भी होनी आ रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् समस्याओं के बावजूद भी देश आगे बढ़ा है। हमें चाहिए कि हम केवल आलोचना करने रह कर तटस्थ हट्टा ही न रहे बल्कि देश की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के प्रयत्नों में सहयोग देते हुए अपने स्तर पर भी कार्य करते रहे। देश हम सब का है और ये समस्याएँ केवल सरकार की ही नहीं, हम सब की हैं। यदि हम इस भावना से कार्य करेंगे तो शीघ्र ही सब समस्याएँ समाप्त हो जाएँगी और देश उन्नति के शिखर पर पहुँच जायगा।



निबन्ध की रूप-रेखा

1. प्रस्तावना—देश में बेकारी की स्थिति ।

2. बेकारी के कारण

(i) दोषपूर्ण शिक्षा-प्रणाली (ii) छोटे उद्योग-धन्धों का प्रभाव एवं मशीनीकरण (iii) जन-संख्या में वृद्धि (iv) भूँटा आत्म-सम्मान (v) धर्म की उपेक्षा (vi) पूँजी का प्रभाव ।

3. बेकारी का प्रभाव

4. बेकारी दूर करने के उपाय

(i) शिक्षा-वृद्धि में सुधार (ii) कुटीर-उद्योगों की स्थापना (iii) जन-संख्या-वृद्धि पर रोक (iv) धर्म के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन (v) श्रम-सुधार ।

5. उपसंहार

1 प्रस्तावना—हमारे देश में बेकारी की समस्या दिन प्रतिदिन जटिल होती चली जा रही है। देश के लाखों-करोड़ों युवक रोजगार की तलाश में इधर-उधर भटकते फिरते हैं। किसी दफ्तर में एक क्लर्क या विद्यालय में अध्यापक के पद का विज्ञापन निकाल दीजिये तो आवेदन-पत्रों का ढेर लग जायेगा और माता-पिता के लिए उम्मीदवारों की भीड़ लग जायेगी। बेकारी की समस्या शिक्षित युवकों के मामले में अधिक है। प्रतिदिन स्कूलों, कारखानों और विश्वविद्यालयों से हज़ियरों लेकर लाखों युवक निकलते हैं और बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि कर देते हैं। बेकारी की यह स्थिति देश के लिए बहुत घातक है। एक ओर तो हम युवा-शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी ओर युवा-पीढ़ी में चिन्ता, निराशा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इन समस्या का सम्बन्ध व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी से है। अतः इसका समाधान खोजना हम सब का दायित्व है।

2 बेकारी के कारण—(i) दोषपूर्ण शिक्षा-प्रणाली—इन बेकारी का प्रमुख कारण हमारे दोषपूर्ण शिक्षा-प्रणाली है। सार्हें भैकाले द्वारा चलाई गई शिक्षा-प्रणाली में नौकरी करने योग्य युवक ही तैयार होते हैं। वे नौकरी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यवसाय में आजीविका नहीं चला सकते। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा का प्रसार तो मूढ़ हुआ, किन्तु शिक्षा-प्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ।

त्रिभ परिमाण में शिक्षितों की संख्या में वृद्धि हुई, उस परिमाण में नौकरियों के अवसर सुलभ नहीं हो सके। इसका परिणाम बेकारी की समस्या के रूप में हमारे सामने आ रहा है।

(ii) छोटे उद्योग धंधों का अभाव और मशीनीकरण—अर्थो के शासन-काल से ही मशीनीकरण प्रारम्भ हो गया था जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् आज भी जारी है। देश में बड़े-बड़े उद्योग और कल-कारखाने स्थापित हो रहे हैं जिनमें मशीनों की सहायता से सभी चीजों का उत्पादन होता है। जिस काम को करने के लिए दो सौ आदमियों की जरूरत पड़ती थी उसे स्वचालित मशीनों की सहायता से केवल दो आदमी पूरा कर देते हैं। इसके अतिरिक्त छोटे उद्योग धंधों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। देश के कुटीर-उद्योग मशीनीकरण के कारण चौपट हो गये हैं। ऐसी स्थिति में बेकारी बढ़ना स्वाभाविक है।

(iii) जनसंख्या में वृद्धि—देश की दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या बेकारी की समस्या को और भी जटिल बना रही है। देश के साधन और रोजगार के अवसर तो प्रायः वही हैं, किन्तु रोजगार चाहने वालों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। 1951 की जनगणना में देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी जो 1981 की जनगणना में 68 करोड़ हो गई। इससे बेकारी की समस्या के समाधान में बाधा उत्पन्न होती है और समस्या गम्भीर रूप धारण करती जा रही है।

(iv) झूठा आत्म-सम्मान—रोजगार के विषय में हमारे देशवासियों में झूठे आत्म-सम्मान की भावना भी बेरोजगारी का एक कारण है। समाज के उच्च-वर्ग के प्रतिष्ठित परिवारों के लोग अपनी आजीविका के लिए ऐसा कोई व्यवसाय नहीं करना चाहते जिसमें उन्हें अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि दिखाई पड़ती हो। प्रतिष्ठापूर्ण आजीविका के अवसर सुलभ नहीं होते और बेकारी से उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाती। यह भ्रान्त धारणा बेकारी बढ़ाने में सहायक हो रही है।

(v) श्रम की उपेक्षा—हमारे देश के युवक स्वभाव से अकर्मण्य, झालसी और परमुखापेक्षी बन गये हैं। श्रम से वे बतर्गत हैं। वे कोई ऐसी आजीविका प्राप्त करने को इच्छुक रहते हैं, जिसमें कम से कम काम करना पड़े और अधिक में अधिक लाभ हो। ऐसा व्यवसाय सरकारी नौकरी के सिवा दूसरा नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त वे शारीरिक श्रम को हेय दृष्टि से देखते हैं। किसी ऐसे व्यवसाय की तलाश में वे रहते हैं, जिसमें उनके कपड़ों पर धूल न लगे। श्रम के प्रति इन अनादर के भाव ने भी बेकारी की समस्या को बढ़ाने में सहायता दी है।

(vi) पूँजी का अभाव—अनेक युवक शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् अपना निजी व्यवसाय करने में लक्ष्य रखते हैं, किन्तु पूँजी के अभाव में वे ऐसा नहीं कर पाते। यहुत से तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा प्राप्त युवक भी पूँजी के अभाव में नौकरियाँ तलाश करते हैं और बेरोजगारों की फौज में शामिल हो जाते हैं।

3 बेकारी का प्रभाव—बेकारी का हमारे देश की सामाजिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। युवकों में चिन्ता, निराशा और आक्रोश की भावना फैलती जा रही है। जिससे देश में अनुशासनहीनता बढ़ रही है और चारों ओर अव्यवस्था तथा अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। युवक असामाजिक तथा अपराध-वृत्ति को अपनाते पर मजबूर हो रहे हैं—

‘बुभुक्षितं किं न करोति पापं’

भूखा आदमी क्या नहीं करता ? बेकारी के कारण ही देश में गरीबी बनी हुई है। अभिभावक अपनी गरीबी कमाई वालकों की शिक्षा पर खर्च कर देते हैं, किन्तु शिक्षा पूर्ण करने पर उन्हें रोजगार ही नहीं मिलता और उसका बोझ यथावत् बना रहता है। ऐसी स्थिति में गरीबी दूर हो तो कैसे ? कुल मिलाकर बेकारी के कारण समाज और देश की स्थिति चिन्ताजनक बनी हुई है।

4 बेकारी दूर करने के उपाय—(i) शिक्षा-प्रणाली में सुधार—शिक्षा-प्रणाली को रोजगारोन्मुख बनाकर बेकारी की समस्या के समाधान में बहुत अधिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा-प्रणाली ऐसी तैयार की जानी चाहिए जिसमें सामान्य शिक्षा के साथ ही अपनी छवि के किसी व्यवसाय की शिक्षा भी वह प्राप्त कर सके और शिक्षा पूर्ण करने पर उसे नौकरियाँ तलाश करने की आवश्यकता न रहे। यह कार्य आसान नहीं है, किन्तु शिक्षा-प्रणाली में आमूल-मूल परिवर्तन किये बिना बेकारी की समस्या का समाधान भी सम्भव नहीं है।

(ii) कुटीर उद्योगों की स्थापना—गांधीजी ने कुटीर उद्योगों को हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था की धुरी माना था। हमें अब बड़े उद्योगों की बजाय छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल देना चाहिए। इससे लोगों को अपने घर अथवा गांव में ही रोजगार के अवसर मुलभ हो जायेंगे और बेकारी की समस्या के समाधान में सहायता मिलेगी।

(iii) जनसंख्या-वृद्धि पर रोक—जनसंख्या-वृद्धि पर रोक लगाना हमारे लिए अनेक दृष्टियों से आवश्यक है। बेकारी की समस्या के समाधान में भी इससे बहुत सहायता मिलेगी। इस दिशा में सरकार अपनी ओर से खूब प्रयास कर रही है। हमें स्वयं भी इस दिशा में प्रयास करने चाहिए। हमारे सहयोग के बिना इस दिशा में सरकार को सफलता नहीं मिल सकती।

(iv) श्रम के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन—कैसे आश्चर्य की बात है कि बाबूजी को मेहनत-मजदूरी का काम करने में तो शर्म आती है, किन्तु रात को चोरी करने, डाका डालने या जेब काटने में शर्म नहीं आती। यह श्रम के प्रति हमारे अनुचित दृष्टिकोण का ही फल है। इस दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास हम सबको करना चाहिए। शारीरिक श्रम के प्रति हमारी धारणा में परिवर्तन आने से बेकारी की समस्या पर बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(१) ग्राम-सुधार—बेकारी की समस्या को ग्रामों की जनता के शहरों की ओर आकर्षण से और भी जटिल बना दिया है। शहरों की चमक-दमक, सिनेमा और बाजारों की अफरा-तफरी के आकर्षण से गाँवों के युवक शहरों में ही रोजगार की तलाश करने का प्रयास करते हैं। वे अपने पैतृक व्यवसायों को छोड़कर गेमे व्यवसायों की तलाश करते हैं जो उन्हें शहरों में उपलब्ध हो सकें। शहरों की ओर आकर्षण का कारण अनेक प्रकार की सुविधाओं का मिलना भी है। अतः ग्राम-सुधार का कार्य करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। गाँवों में मजदूरी प्रकार की सुविधाओं का प्रयत्न हो जाय, नल, बिद्युत् और बाजारों की सुविधा मिल जाय तथा मनोरंजन के प्राधुनिक माधन भी सुलभ हो जायें तो ग्रामीणों में शहरों के प्रति आकर्षण समाप्त हो सकता है और उन्हें अपने ग्राम में ही रोजगार के अवसर सुलभ हो सकते हैं।

5 उपसंहार—बेकारी की समस्या से हमारी सरकार पूर्णतया परिचित है और इसके समाधान के लिए प्रयत्नशील भी है। पञ्चवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के विकास का प्रयत्न कर रही है जिनमें अधिकाधिक लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध होते हैं। अनेक व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण करके भी अधिक लोगों को व्यवसाय देने का प्रयास किया गया है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके छोटे तथा मझले उद्योगों की स्थापना के प्रयास किये जा रहे हैं। बेरोजगारों को अपना रोजगार चलाने के लिए बैंकों से बहुत कम व्याज की दर पर ऋण भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं। ग्राम-सुधार और ग्राम-विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। ग्रामों में नल-योजना और बिद्युत् की व्यवस्था के अलावा अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। धीरे-धीरे देश और मजदूरी आने लगे हैं। इन्का प्रमुख कारण सदियों पुरानी हमारी अनेक समस्याएँ हैं। हम सरकार के कार्यों में हाथ बँटाकर इन समस्याओं का समाधान करने में सहायता कर सकते हैं।

16 | जनसंख्या : समस्या और समाधान

निबन्ध की रूप-रेखा

1 प्रस्तावना

2 जनसंख्या-वृद्धि के कारण— (i) शिक्षा (ii) भ्रान्त धारणाएँ (iii) निम्न जीवन-स्तर (iv) संयम का अभाव (v) शरणार्थियों का प्रावजन

3 जनसंख्या-वृद्धि का प्रभाव

4 जनसंख्या-नियंत्रण के उपाय—(i) शिक्षा का प्रचार (ii) राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास (iii) जीवन-स्तर में सुधार (iv) शरणार्थियों के प्रवेश पर रोक

5 उपसंहार

1 प्रस्तावना—आज हमारा देश अनेक जटिल समस्याओं से घिरा हुआ है। इन समस्याओं में एक अत्यन्त जटिल समस्या जनसंख्या-वृद्धि की है। 1951 की जन-गणना में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी जो 1981 की जन-गणना में 68 करोड़ तक पहुँच गई है। ये आँकड़े चौंका देने वाले हैं और इनमें समस्या की भीषणता का पता चलता है। जिस गति से हमारे देश में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उससे महज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि बीसवीं सदी के अन्त तक हमारे देश की जनसंख्या एक अरब तक पहुँच जायेगी। जनसंख्या में हो रही निरन्तर वृद्धि से हमारे सामने अनेक नयी समस्याएँ उत्पन्न होती जा रही हैं। पहले से चली आ रही समस्याओं का समाधान होने के बदले उनमें और अधिक जटिलता आती जा रही है। हम यदि यह कहे कि हमारे देश की अनेक समस्याओं की जन्मदात्री जनसंख्या-वृद्धि की समस्या ही है तो कोई असंगत बात नहीं है।

2 जनसंख्या-वृद्धि के कारण—जनसंख्या-वृद्धि के अनेक कारण हैं, जिन पर हर विन्दुवार प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे।

(i) शिक्षा—जनसंख्या-वृद्धि का मूल कारण शिक्षा है। देश की अधिकांश जनता अशिक्षित है, जिनमें स्त्रियों का प्रतिशत और भी अधिक है। शिक्षा के अभाव में जनता अन्ध-विश्वासी बनी हुई है। मत्तान को ईश्वर की देन मानकर अधिक मत्तान होने पर अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। अधिक मत्तान होने पर उनके पावन-सोपान में अनेक बाली काँटनाइयों से परेशान भी बहुत हैं, किन्तु शिक्षा के कारण जनता के समझ में यह बात नहीं आती कि इन परेशानियों का कारण वे

स्वयं ही हैं। प्रशिक्षा के कारण ही मरकार द्वारा किये जाने वाले प्रयास भी सफल नहीं हो पाते हैं और परिणाम जनसंख्या-वृद्धि के रूप में सामने आ रहा है।

(ii) भ्रान्त धारणाएँ—हमारे समाज में व्याप्त भ्रान्त धारणाएँ भी जनसंख्या-वृद्धि में सहायक हो रही हैं, 'पुत्र से ही वंश चलेगा और पुत्र में ही मोक्ष होगी' इस धारणा के कारण वे दम्पति सन्तानोत्पत्ति पर रोक नहीं लगाने, जिनके केवल कन्याएँ ही हुई हैं चाहे उनकी संख्या कितनी ही हो गई हो। इनके विपरीत जिनके केवल पुत्र ही पुत्र उत्पन्न होते हैं, वे भविष्य की चिन्ता से मुक्त रहकर स्वयं का भाग्यशाली मानने हुए अपने सौभाग्य को बढ़ाने में लगे रहते हैं। कुछ अल्पसंख्यक जातियों की यह धारणा है कि उन्हें जातीय अस्तित्व की रक्षा के लिए यथा सम्भव अधिकाधिक सन्तान उत्पन्न करनी चाहिए। इस सब भ्रान्त धारणाओं के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

(iii) निम्न जीवन-स्तर—यह बात स्पष्ट देखी जाती है कि उच्च जीवन स्तर के लोगों की तुलना में निम्न जीवन-स्तर के लोगों के अधिक सन्तानें होती हैं। निम्न-स्तर के लोगों का कार्य क्षेत्र बहुत सीमित होता है। अपने आप को व्यस्त रखने के अवसरों तथा आमोद प्रमोद के साधनों का उनके पास अभाव होता है। इसके अतिरिक्त न तो उन्हें अपने जीवन-स्तर के सुधार की चिन्ता होती है और न ही बालकों की शिक्षा-दीक्षा अथवा पालन-पोषण के लिए विशेष व्यवस्था करने की वे परवाह करते हैं। अपनी सन्तान के लिए आजीविका की व्यवस्था करने की भी उन्हें चिन्ता नहीं होती। अतः वे सन्तान-वृद्धि पर रोक लगाने की बात सोचते ही नहीं हैं।

(iv) समय का अभाव—आधुनिक भौतिकवादी सामाजिक व्यवस्था में समय और श्रम नियंत्रण के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा है। विनेमा के कामोत्तेजक दृश्य, रेडियो पर कामोत्तेजक गाने, अश्लील विज्ञापन, अश्लील साहित्य और अर्द्ध-नग्न वस्त्रों में अंगों का खुला प्रदर्शन समय को स्थिर नहीं रहने देता। इनसे भी बढ़कर यह बात है कि समय के विचार को अब दक्षिणायुगीय विचार कहा जाने लगा है। युवक-युवतियों के खुले सम्पर्क की हिमायत भी सुनने को मिल जाती है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या-वृद्धि होना स्वाभाविक है।

(v) शरणार्थियों का आगमन—हमारे पड़ोसी देशों से शरणार्थी बहुत बड़ी संख्या में भारत में आकर बस गये हैं और अब भी आते जा रहे हैं। इससे हमारे देश की जनसंख्या में वयायक वृद्धि होती जा रही है।

3 जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव—जनसंख्या-वृद्धि का हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं से कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, किन्तु जनसंख्या-वृद्धि ने इसे नगण्य बना दिया है। अब भी हमें साधनों और अन्य प्रयत्न

वस्तुओं का विदेशों से आयात करना पड़ता है। जनसंख्या-वृद्धि से बेकारी की समस्या जटिल हो रही है तथा मूल्य-वृद्धि पर रोक लगा पाना सम्भव नहीं हो रहा है। खन और जंगल उजाड़ हो गये हैं जिन पर आवासीय मकान बन गये हैं, किन्तु फिर भी आवास-समस्या जटिल बनी हुई है। रेलों और बसों में खड़े रहने को स्थान नहीं मिलता। बाजारों में पैदा चलने वालों को चलने के लिए जगह नहीं मिलती। स्कूल, कालेज और अस्पतालों की हालत हम रोज देखते हैं। अपराधों और जन-आन्दोलनों में निरन्तर वृद्धि हो रही है और मखार के लिए वानून-व्यवस्था बनाये रखना कठिन हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि से सब लोग असुख हैं किन्तु निरुपाय होकर कठिनाइयाँ भोग रहे हैं। सरकार भी इस समस्या का तुरल-कुरल समाधान करने में अपने आपको असहाय महसूस करती है।

4 जनसंख्या-नियंत्रण के उपाय—जनसंख्या-वृद्धि पर रोक लगाने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय अपनाने होंगे—

(1) शिक्षा का प्रचार—शिक्षा अनेक रोगों की एक ही रामबाण औषधि है। शिक्षा से मनुष्य में विवेक उत्पन्न होता है, अन्धविश्वास और भ्रान्त धारणाएँ समाप्त हो जाती हैं। वह अपने तथा अपने परिवार के विषय में ठीक प्रकार से सोचने के साथ-साथ समाज और देश के विषय में सोचने में समर्थ होता है। सरकार द्वारा चलाये जा रहे परिवार-करवाण कार्यक्रम का हमारी जनता पर अभी प्रभाव पड़ेगा जबकि वह शिक्षित होगी। अतः हमें शिक्षा के प्रचार और प्रसार के कार्य को सर्वोच्च प्रायमिकता देनी चाहिए।

(ii) राष्ट्रीय-दृष्टिकोण का विकास—हमारे देश की जनता में राष्ट्रीय-दृष्टिकोण का अभाव है। हम लोग केवल अपने और अपने परिवार के विषय में ही अधिक सोचते हैं। हमारी भूल का प्रभाव राष्ट्रीय-जीवन पर बुरा पड़ेगा और उम प्रभाव से हम धीरे-धीरे बुरे रह सकेंगे, यह सोचने वालों की हमारे देश में बहुत कमी है। हम अपने जानीब और धर्म हितों का ही ध्यान रखते हैं। राष्ट्रीय-दृष्टिकोण का विकास हमारी जनता में अभी नहीं हो पाया है। हमारे राष्ट्रीय एवं प्रांतीय सरकारों, जन-प्रतिनिधि, समाज-सेवी मत्स्याएँ, समाज-गुवारक तथा स्वयं-सेवी संस्थाओं को पूरी शक्ति के साथ देश की जनता में राष्ट्रीय-दृष्टिकोण का विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए उन्हें अपना आदर्श भी प्रस्तुत करना चाहिए। राष्ट्रीय-दृष्टिकोण का विकास होने पर अनेक समस्याओं के समाधान के साथ ही जनसंख्या-वृद्धि पर भी रोक अवश्य लगेगी।

(iii) जीवन-स्तर में सुधार—सरकार को निम्न-स्तर के लोगों के जीवन-स्तर में सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वच्छ आवास, स्वास्थ्य सुविधाएँ तथा आमोद-प्रमोद के विकसित माध्यम उपलब्ध कराकर उनके जीवन-स्तर में सुधार किया जा सकता है। इन साधनों को उपलब्ध कराने के साथ

ही उनमें अन्ध्रा जीवन-स्तर प्राप्त करने की ललक भी उत्पन्न करना आवश्यक है। इस कार्य में सरकार के अतिरिक्त समाज-सेवी संस्थाएँ भी बहुत योगदान कर सकती हैं। जीवन-स्तर में सुधार की प्रबल इच्छा जागृत होने मात्र से ही जनसंख्या-वृद्धि पर रोक लगना प्रारम्भ हो जायगा। स्तर में सुधार के पश्चात् तो यह समस्या ही नहीं रहेगी।

(iv) शरणार्थियों के प्रवेश पर रोक—शरणार्थियों के प्रवेश पर रोक लगाना नितान्त आवश्यक है। यह कार्य केवल हमारी राष्ट्रीय सरकार के ही जिम्मे है। सरकार को दृढ़ इच्छा-शक्ति के साथ देश की सीमाओं पर कठोर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए और शरणार्थियों के प्रवेश पर रोक लगा देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो शरणार्थी अनाधिकृत रूप से भारत में आकर बस गये हैं उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं देनी चाहिए तथा सम्बन्धित देशों से विचार विमर्श करके उन्हें अपने देश में लौट जाने के लिए वाध्य करना चाहिए। सरकार की इन कार्यवाहियों से जनसंख्या पर नियंत्रण रखने में बहुत सहायता मिलेगी।

5 उपसंहार—जनसंख्या-वृद्धि की समस्या की जटिलता को हमारी सरकार ने गम्भीरता से समझा है। इस समस्या के समाधान हेतु परिवार-नियोजन अथवा परिवार-कल्याण नाम से एक सघन अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय-स्तर पर परिवार-कल्याण के लिए अलग से मंत्रालय भी स्थापित किया गया है। भाषणों, अखबारों, पोस्टरों, रेडियो तथा टेलीविजन के माध्यम से परिवार-कल्याण के लिए भरपूर प्रचार किया जा रहा है। नसबन्दी और अन्य अनेक प्रकार के सन्तति-निरोध के उपाय निकाले गये हैं तथा सन्तति निरोध के स्थायी साधन अपनाने वाले स्त्री-पुरुषों को विशेष अनुग्रह राशि के साथ-साथ अन्य अनेक सुविधाएँ भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग परिवार-कल्याण कार्यक्रम अपना भी रहे हैं, किन्तु फिर भी इस समस्या की जटिलता अभी बनी हुई है। इसका मूल कारण सामान्य जनता का इस कार्यक्रम की ओर आकर्षित न होना ही है। जैसा कि हम पहले बह चुके हैं, यह समस्या एक राष्ट्रीय-समस्या है और अनेक अन्य समस्याओं की जननी है। अतः इसके समाधान के लिए परिवार-कल्याण कार्यक्रम के साथ ही अन्य उपाय भी अपनाये जाने चाहिए। इस कार्य में सरकार के साथ हम सबको भी सहयोग करना चाहिए।

निबन्ध की रूप-रेखा

- 1 प्रस्तावना
2. दहेज-प्रथा का प्रारंभिक स्वरूप
3. दहेज-प्रथा का वर्तमान स्वरूप
4. दहेज-प्रथा से हानियाँ
5. दहेज-प्रथा को समाप्त करने के उपाय
6. उपसंहार

1. प्रस्तावना—“ पुत्रीति जाता महतीह चिन्ता, कर्म प्रदेयेति महान्, वितकं ।
दत्त्वा मुखं प्राप्स्यति वा नवेति, कन्या पितृस्वं खलुनाम कट्टम् ॥

नर और नारी दोनों के मेल से ही समाज का अस्तित्व है। दोनों का ही सामाजिक जीवन में समान महत्त्व है। ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरे का जीवन अधूरा है। गृहस्थ की गाड़ी के ये दोनों दो पहिए हैं। इतना होते हुए भी समाज में कन्या का जन्म लेना अभिशाप माना जाता है। पुत्र-जन्म पर उत्सव मनाया जाता है। नाच-गाने होते हैं, मिठाइयाँ बटती हैं और बधाइयाँ ली-दी जाती हैं। इसके विपरीत कन्या के जन्म लेने पर सबके चेहरे उदास हो जाते हैं। घर में शोक हो जाता है और अपने दुर्भाग्य का रोना रोते हुए भगवान की मूर्ति समझ कर किसी प्रकार सन्तोष लिया जाता है। कैसी है यह विडम्बना? क्यों है इतना अन्तर? ये प्रश्न किसी भी विचारशील प्राणी को सोचने के लिए बाध्य कर देते हैं। गम्भीरता-पूर्वक विचार करने पर अनेक कारण समझ में आते हैं, जिनमें प्रमुख कारण है—दहेज-प्रथा। लड़की पराधा-धन है। एक रोज चली जायगी और अपने साथ धर की सम्पत्ति भी ले जायगी—

“लड़की वालों की यही बदहाली।

पेट भी खाली और घर भी खाली।”

वास्तव में दहेज-प्रथा एक ऐसी कुप्रथा है जिसने विवाह जैसे पवित्र-बन्धन को अपवित्र बना दिया है और सामाजिक जीवन में विष घोल दिया है। कन्या अपने जन्म से ही हीन-भावना से ग्रस्त रहती है और माता-पिता उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपने सिर का बोझ समझ कर ही उसका पालन-पोषण करते हैं।

2 **दहेज प्रथा का प्रारम्भिक स्वरूप**—दहेज का प्रस्तित्व आदिकाल से ही है। हमारे समाज के व्यवस्थापकों ने ब्राह्म विवाह, गाथर्व विवाह, राक्षस विवाह आदि आठ प्रकार के विवाह बतलाये हैं। इन व्यवस्थापकों में महर्षि याज्ञवल्क्य और मनु प्रमुख हैं। इन विवाहों में ब्राह्म विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया है जिसमें कन्या का पिता वर को अपने घर बुलाने अग्नि की साक्षी में उसे अपनी कन्या समर्पित करता है और उसी के साथ यथा शक्ति उसे भेंट भी देता है। इस भेंट के प्राक्वान ने ही कालान्तर में दहेज का रूप धारण किया है। इसी यथा शक्ति की भावना के साथ भेंट के रूप में यह दहेज एक आदर्श व्यवस्था थी। पिता की सम्पत्ति पर पुत्री का भी अधिकार है। अतः पिता अपनी सम्पत्ति का कुछ अंश स्वेच्छा से उसे इस रूप में दे देता था जिसमें भाई बहिन के स्नेहपूर्ण व्यवहार में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता था। यह एक प्रकार का आधुनिक 'हिन्दू कोड बिल' ही था। कालान्तर में स्वेच्छा और यथा शक्ति' इन दोनों शब्दों में निहित भावना का रूप बदल गया और इच्छा के विपरीत शक्ति से अधिक देने की विवशता कन्या के पिता के सामने उपस्थित हो गई यही ने इस प्रथा में विवृत रूप धारण कर लिया जो आज अत्यन्त घिनौने रूप में हमारे सामने है और जिनके विवाह के पवित्र बन्धन को एक सौदा बना दिया है।

3 **दहेज का वर्तमान स्वरूप**—दहेज का वर्तमान स्वरूप बहुत घिनौना है। आज यह एक व्यापार बन गया है। लडके वाले इतने निर्लज्ज हो गये हैं कि खुल्लम-खुला लेन-देन का सौदा तय करते हैं। यह सौदा यद्यपि अलिखित रूप में ही तय होता है, किन्तु शर्तों के अनुसार थोड़ी भी कमी रह जाने पर कन्या और कन्या के पिता के सामने अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। दहेज प्रथा के इस विवृत रूप के कारण घर में कन्या का जन्म होना एक अभिशाप और परम दुर्भाग्य माना जाने लगा है। आजकल दहेज अनेक रूपों में प्रचलित है नकदी, सोना चांदी, बर्तन, कपड़े तथा आधुनिक मुविधा की मूल्यवान सामग्री जैसे फ्रिज, टेलीविजन, स्कुटर और मोटर से लेकर मकान एवं जमीन जायदाद तक दहेज में लिए व दिये जाते हैं। अच्छा दहेज प्राप्त करने पर वर पक्ष के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब यह स्वार्थ भिद्धि के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा का भी एक आधार बन गया है। जो लोग लडकी का विवाह तय करते समय दहेज की मांग करने वाले की धालोचना करते हैं वे ही लडके का विवाह तय करते समय नि सकोच होकर दहेज का सौदा तय करने देखे जाते हैं।

4 **दहेज प्रथा से हानियाँ**—आज दहेज प्रथा एक अभिशाप बन चुकी है। यह व्यक्ति और समाज दोनों ही के लिए हानिकारक बनी हुई है। दहेज के कारण अनेक कन्याएँ अविवाहित ही रह जाती हैं जो या तो आत्म-हत्या कर लेती हैं या पथ भ्रष्ट हो जाती हैं अथवा आजीवन कठोर यातनाएँ सहती हैं। अनेक योग्य लडकियाँ अयोग्य रोषी अथवा बूढ़ वर को सौंप दी जाती हैं जिनसे उनका जीवन तर्क बन जाता

है। दहेज न देने अथवा कम देने के कारण वर-पक्ष के लोग नव-वधु को अनेक याननाएँ देते हैं। उसे अनेक प्रकार से लाड़लिन और अपमानित किया जाता है। इन सब का परिणाम यह होता है कि या तो विवाह-सम्बन्ध का बिच्छेद होता है या वह आत्म-हत्या करके अपने जीवन का अन्त करने पर मजबूर हो जाती है या फिर उसको किसी न किसी बहाने हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार की रोमाचक घटनाओं के समाचार हम अपने समाज में आये दिन सुनते रहते हैं और समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं। दहेज के दानव ने नारी जाति को इस प्रकार अपने चंगुल में जकड़ लिया है कि वह अपने मान-सम्मान और जीवन की रक्षा करने में भी असमर्थ हो रही है। दर्शक समाज भी सब कुछ देख सुन रहा है, किन्तु इस दानव का मुकाबला करने का साहस नहीं कर पाता।

दहेज-प्रथा में समाज को भी अनेक हानियाँ उठानी पड़ रही हैं। माता-पिता वर की तलाश में दर-दर भटकते रहते हैं और फिर कर्ज के बोझ से इतने दब जाते हैं कि जमीन-जायदाद बेचने तक को मजबूर हो जाते हैं। अपनी कन्या को योग्य वर के हाथों सौंपने की चाह में उसका पिता दहेज का प्रवन्ध करने के लिए रिश्वत, बेईमानी, धोखा-धड़ी तथा चोरी आदि की बुराइयों में लिप्त हो जाता है। इसमें समाज का नैतिक पतन होता है और समाज में अन्य अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। जिनके बुरे परिणाम पूरे देश और समाज को भोगने पड़ रहे हैं। दहेज-प्रथा की क्रूरता से धुन्ध होकर महात्मा गांधी ने कहा था—

“दहेज की पातकी प्रथा के खिलाफ जवर्दस्त लोकमत बनाया जाना चाहिए। जो नौजवान इस प्रकार गलत ढंग से लिए गये धन से अपने हाथ अशुद्ध करें, उन्हें जाति से बहिष्कृत कर देना चाहिए। इसमें तनिक भी मन्देह नहीं कि यह एक हृदय-हीन बुराई है।”

दहेज-प्रथा के कारण वर-पक्ष के लोगो और विशेषकर युवकों में लालच की ऐसी भावना उत्पन्न हो गई है कि वे मन-भावन पत्नी के साथ ही वैवाहिक जीवन की समस्त सुविधाओं को प्राप्त करने को आतुर रहते हैं। इससे उनमें सच्चे आत्म-सम्मान की भावना लोप हो गयी है और अकर्मण्य बनकर पुरुषार्थ से जो चुराने वाले बनते जा रहे हैं। युवा-वर्ग की यह स्थिति देश और समाज के लिए बहुत हानिकारक है।

5 दहेज-प्रथा को समाप्त करने के उपाय—यद्यपि इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए बहुत पहले से ही प्रयास किये जा रहे हैं। अंग्रेजी के शासन-काल से ही राष्ट्रीय जन-जागृति के साथ सामाजिक जागृति के लिए हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने इस बुराई की ओर समाज का ध्यान आकर्षित किया था। कानूनी तौर पर इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए सर्वप्रथम 1961 में हमारी केन्द्रीय सरकार ने दहेज-विरोधी अधिनियम बनाया, जिसमें दहेज के अपराधी को 5,000 ₹० तक का

मुमिना और छ माह तक की कैद का प्रावधान रखा गया, किन्तु जनता के सहयोग का अभाव में यह कानून वितावा में ही पड़ा रह गया। इसके पश्चात् अनेक मस्याओं ने इस बुराई के खिलाफ अपनी आवाज उठायी है और वर्तमान केन्द्रीय सरकार ने दहज विरोधी अधिनियम में कुछ संशोधन भी किये हैं तथा सजा के प्रावधान को और अधिक कठोर बनाया जा रहा है, लेकिन इस समस्या का समाधान अकेली सरकार कानून के जरिये करने में सफल नहीं हो सकती।

इस कुप्रथा के उन्मूलन के लिए देश के युवा-वर्ग में जागृति उत्पन्न होना परमावश्यक है। इसके लिए युवक-युवतियों को साहस के साथ आगे आना चाहिए और उन्हें दहेज प्रथा का डटकर विरोध करना चाहिए। उन्हें उस विवाह सम्बन्ध का इन्कार कर देना चाहिए जिसमें उनके माता पिता ने दहेज का कोई सौदा तय किया हो। दहज का सौदा निरस्त होने पर ही विवाह के लिए सहमत होना चाहिए। अभिभावकों को अपनी कन्याओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उन्हें आम निर्भर बनाकर ही विवाह करना चाहिए। प्रेम विवाह और अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अपनी झूठी प्रतिष्ठा के मोह का त्याग करके सामूहिक विवाहों के आयोजनों से लाभ उठाना चाहिए।

सरकार को चाहिए कि दहेज विरोधी कानून का सखी से पालन करवावे। जो समृद्ध लोग विवाह के अवसर पर दहेज के रूप में अपने वैभव का खुला प्रदर्शन करते हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करे ताकि निर्धन लोग होन-भावना से ग्रसित होने से बच सकें। अपने सभी प्रचार मध्यमों से दहेज विरोधी प्रचार का कार्य तेज कर दे। समाज-सेवी संस्थाओं तथा युवा मण्डलों को भी इस कार्य का सर्वाधिक महत्त्व देना चाहिए और नगर नगर, गांव गांव घूम घूम कर दहेज विरोधी जनमत तैयार करने में विभिन्न राजनैतिक दल भी बहुत योगदान कर सकते हैं।

6 उपसंहार— निर्दोष कन्याओं के जीवन और जीवन की मधुर आशाओं को चाट जाने वाला, कन्याओं के माता पिताओं की सुख शान्ति को एक ही झटके से समाप्त कर देने वाला, चोरी, बेईमानी, रिश्वतखोरी और राष्ट्र की प्रगति में बाधा उत्पन्न करने वाला दहेज का दानव अपनी भयानक और धिनोनी सुरत लिए हमारे सामने खड़ा है। यह हमारी देश की सरकार, समाज-सेवी संघठनों, समाज-मुधारकों और नौजवानों को ललका रहा है। उनके पुरुषार्थ को खुली चुनौती दे रहा है। समय का तकाजा है और वक्त की माँग है कि इस चुनौती को स्वीकार किया जाय और अपने विवेक, साहस तथा त्याग की शक्ति से इस दानव को परास्त किया जाय। देखना है, कौन पहल बाजी मारता है।

निबन्ध की रूप-रेखा

1. प्रस्तावना
2. मूल्य-वृद्धि के कारण
3. मूल्य-वृद्धि का प्रभाव
4. मूल्य-वृद्धि रोकने के उपाय
5. उपसंहार

1. प्रस्तावना— हमारे देश की अनेकानेक समस्याओं में सबसे अधिक कष्ट-दायक समस्या मूल्य-वृद्धि की समस्या है। महंगाई का स्वरूप तो सुरसा की मुल की भांति बना हुआ है जो निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। जनसाधारण इस महंगाई की मार से अन्याय चिन्तित और व्यथित है। बड़ी हुई मजदूरी और बढ़ा हुआ वेतन इस महंगाई रूपी सुरसा के मुँह में इस तरह समा जाता है, जैसे उसका कोई अस्तित्व ही न हो। जनता को अपनी मूल आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ जाता है और वह खाली हाथ ही रह जाती है। बहुत से लोग तो अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी असमर्थ रहते हैं। इनमें लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है और वे यह निश्चय नहीं कर पाते कि अपना जीवन-निर्वाह किस प्रकार करें। उत्तरोत्तर हो रही मूल्य-वृद्धि के कारण गरीब और मध्यम श्रेणी के लोगों के सामने जीवन-निर्वाह एक समस्या बनी हुई है। वे कभी सरकार को, कभी व्यापारियों को और कभी अपने भाग्य को कोमते हैं और चिन्ता, व्यथा तथा निराशा से पूर्ण अपने जीवन की गाड़ी को किमी प्रकार धसीटते रहते हैं।

2. मूल्य-वृद्धि के कारण—मूल्य-वृद्धि के अनेक कारण हैं, जिन पर हम बिन्दुवार चर्चा करेंगे —

(1) समाज का नैतिक पतन—स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् लोगों ने स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छन्दता समझ लिया है और सब लोग मनमानी करने में लगे हैं। नीति, कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही है। मूल्य-वृद्धि का यह प्रमुख कारण है। अर्थशास्त्र के सिद्धान्तानुसार किमी वस्तु का उत्पादन बढ़ने पर उसका मूल्य कम हो जाता है। हमारे देश में अनाज, कपड़ा, मोमैश्ट, कोयला और लोहा आदि वस्तुओं का उत्पादन खूब बढ़ा है। देश में किमी वस्तु

का अभाव नहीं है, किन्तु मूल्य घटने के स्थान पर कई गुना अधिक बढ गये हैं। इसका कारण उत्पादको और व्यापारियों की मनभाभी है। वे जब चाहते हैं वस्तुओं का कृत्रिम अभाव बना देते हैं। मनचाहा माल खरीद कर गोदामों में भर लेते हैं और जब चाहते हैं, महंगे भावों में बेचना प्रारम्भ कर देते हैं। कामे घन की समानान्तर अर्थ-व्यवस्था भी हमारे देश में चल रही है। सरकार किसी वस्तु पर नियंत्रण करती है और सार्वजनिक-व्यवस्था स्थापित करके उचित मूल्य की दुकानों से आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध करने का प्रयास करती है जो व्यापारी और सरकारी कर्मचारी मिलकर इस व्यवस्था को अमपल बना देते हैं। सरकार इस समस्या के समाधान के लिए अनेक प्रयत्न करती है, किन्तु समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कर्तव्य-मालिन्य में शिथिलता के कारण सरकार के सब प्रयत्न विफल हो जाते हैं। देश में व्याप्त अनेकानेक समस्याओं में घिरी सरकार इस ओर पूरा ध्यान नहीं दे पाती। परिणामस्वरूप मूल्यों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है और मूल्य-वृद्धि निरन्तर होती जा रही है।

(ii) सरकारी खर्च में वृद्धि—सरकार देश के विकास के लिए अनेक नयी योजनाएँ प्रारम्भ करती है। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करती है, विदेशों से प्राप्त ऋणों का भुगतान करती है, सूखा, अकाल और बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं के लिए आर्थिक सहायता करती है तथा देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सैनिक शक्ति में वृद्धि भी करती है। इन सब कार्यों में सरकार को बहुत बड़ी राशि खर्च करने पड़ती है। मजबूर हो कर सरकार को घाटे का बजट बनाना पड़ता है और उस घाटे की पूर्ति के लिए नये ऋण लगाने पड़ने हैं जिसका सीधा प्रभाव मूल्यों पर पड़ता है और मूल्य-वृद्धि होती है।

(iii) जनसंख्या में वृद्धि—अर्थशास्त्र के माँग और पूर्ति के सिद्धान्तानुसार जब किसी वस्तु की माँग बढ जाती है तो उसका मूल्य भी बढ जाता है। निरन्तर तीव्र गति में हो रही जनसंख्या-वृद्धि के कारण हर वस्तु की माँग बढती जा रही है। खपत के अनुपात में कुछ वस्तुओं का उत्पादन भी कम है। इनका परिणाम मूल्य-वृद्धि के रूप में ही हमारे सामने आ रहा है।

(iv) प्राकृतिक विपदाएँ—बाढ़, अकाल तथा सूखा जैसी प्राकृतिक विपदाओं के कारण भी मूल्य वृद्धि होती है। बाढ़ और अकाल में फसलें नष्ट हो जाती हैं और कृषि-उत्पादन में कमी आ जाती है। पानी के अभाव में बिजली की सुविधाएँ कम हो जाती हैं तथा विद्युत-उत्पादन भी ठप्प पड़ जाता है। विद्युत् के अभाव में उद्योग बन्द हो जाते हैं और उत्पादन रुक जाता है। इन सबके परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि होती जाती है।

3 मूल्य वृद्धि का प्रभाव—मूल्य-वृद्धि का हमारे समाज पर और विशेष रूप से अल्प-वेतन भोगी कर्मचारियों तथा श्रमिकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उनकी आय निश्चित होती है और कीमतें इतनी अधिक बढ़ जाती हैं कि वे अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते। कभी-कभी वे इतने परेशान हो जाते हैं कि अपने कष्टमय जीवन में छुटकारा पाने के लिए आत्म-हत्या तक कर-कर लेते हैं।

मूल्य-वृद्धि से उड़ रहे जन-असंतोष का राजनैतिक दल तथा भ्रष्टाचारवादी लोग अनुचित लाभ उठा रहे हैं। आये दिन होने वाली हड़तालों, तोड़-फोड़ तथा हिंसा की कार्यवाहियाँ इसी का परिणाम हैं।

मूल्य-वृद्धि लोगों में भ्रष्टाचार, बेईमानी, मिलावट, धोरी और डकैती जैसी बुराइयों के पनपने में भी सहायक हो रही है। जब मेहनत और ईमानदारी से काम नहीं चलता तो बहुत से लोग पय-भ्रष्ट हो जाते हैं और इन बुराइयों में फँस जाते हैं।

4. मूल्य-वृद्धि रोकने के उपाय—मूल्यों पर नियंत्रण रखना हमारे लिए निम्नलिखित उपाय काम में लेने चाहिए—

(i) नैतिक उत्थान—मूल्य-वृद्धि पर रोक लगाने के लिए हमें अपने देश की जनता के नैतिक-स्तर को ऊँचा उठाना होगा। हमें देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसी नैतिक शिक्षा देनी चाहिए कि वह अपने हित के साथ-साथ देश और समाज के हित की बात भी सोचे। उसमें सामाजिकता का भाव और मानवीय गुणों का विकास होने से इन समस्या के समाधान में बहुत अधिक सहायता मिलेगी। अपनी स्वार्थ-मिद्धि के लिए दूसरों का गला घोटने और रक्त चूसने की राक्षसी वृत्ति से छुटकारा मिले बिना इस समस्या का समाधान सम्भव नहीं है। नैतिक शिक्षा में हृदय-परिवर्तन होने पर ही इस विषय स्थिति में अपेक्षित सुधार हो सकता है। अकारण ही होती रहने वाली मूल्य-वृद्धि पर रोक लगाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसके लिए आदर्श उपस्थित करने चाहिए।

(ii) कठोर नियंत्रण—सरकार को अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर कठोर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। जमाखोरी और काला बाजारियों के साथ सख्ती से पंश घाना चाहिए। इसके लिए अपनी सरकारी मशीनरी को पूर्ण स्वच्छ, कर्तव्यनिष्ठ और सेवेदनशील बनाना होगा। जो अधिकारी और कर्मचारी रिस्वत लें अथवा अन्य किसी कारण से अपने कर्तव्य-पालन में शिथिलता बरतें, उनके साथ भी अपराधियों जैसा ही कठोर वर्तव करना चाहिए। बिना कठोर नियंत्रण के इन समस्या का समाधान सम्भव नहीं है। हृदय-परिवर्तन में तो फिर भी समय लग सकता है और वर्तमान स्थिति में यह कार्य बहुत कठिन

प्रतीत होता है, किन्तु शासकीय कठोरता तो शासन का एक स्वाभाविक कर्म है। इसमें देरी करना या जियिलता बरतने का न कोई अवसर है और न औचित्य।

(ii) जनसंख्या पर नियंत्रण—जनसंख्या को नियंत्रित करके भी हम मूल्य-वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। सरकार और समाज दोनों को ही इसमें अपना योगदान करना चाहिए। हमें परिवार-वल्याण तथा ग्रन्थ सम्पन्नित उपायों का जनता में खूब प्रचार करना चाहिए तथा जनसंख्या-वृद्धि के विपक्ष जलमत बनाना चाहिए। यदि हम जनसंख्या-वृद्धि पर नियंत्रण करने में सफल हो जाते हैं तो ग्रन्थ प्रत्येक जनसंख्या के समाधान के साथ मूल्य-वृद्धि की समस्या का भी किसी हद तक समाधान कर पाने में सफल हो सकते हैं।

उपसंहार—हमारे देश में लोकप्रिय सरकार स्थापित है। लोकप्रिय सरकार के लिए यह एक लज्जा की बात है कि उसके शासन में जनता अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी परेशान हो। गरीबों की हिमायत करने वाली सरकार उनकी गरीबी और बेवसी के प्रति उदासीन बनी रहे। भ्रष्टाचार चोर बाजारी, काला बाजारी और जमाखोरी करने वाले लोग ऐशो-आराम की जिन्दगी बिताते और कठोर श्रम तथा ईमानदारी से काम करने वाले लोग भूखे मरे, परेशान हो और आत्महत्या कर लें। मूल्य-वृद्धि की समस्या कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है। यह एक सामाजिक और राष्ट्रीय समस्या है। इसका शीघ्र समाधान खोजना आवश्यक है। यद्यपि सरकार मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिए अनेक कानून बनाती है और अनेक कार्यक्रमों की घोषणाएँ भी करती है किन्तु उन पर दृढ़ता से अमल नहीं होता। इससे मूल्यों में वृद्धि पर कोई नियंत्रण नहीं हो पाता। यह मुनावे में रखने की प्रक्रिया अधिक समय तक चलने वाली नहीं है। यदि सरकार ने इस दिशा में कुछ कारगर कदम नहीं उठाये तो भीतर ही भीतर सुनाने वाला जन असन्तोष भीषण ज्वालामुखी के रूप में फट पड़ेगा और फिर उन स्थिति पर काबू पाना विभी के वश में नहीं होगा। अब भी समय है कि स्थिति को गम्भीरता से सरकार तथा व्यापारी दोनों ही समझ लें और अपनी नीति नीति में आवश्यक सुधार कर लें अन्यथा सम्भावित परिणाम भोवने के लिए तैयार रहे।

निबन्ध की रूप-रेखा

1. प्रस्तावना
2. राष्ट्रीय-एकता की आवश्यकता
3. राष्ट्रीय-एकता के पोषक तत्व
4. राष्ट्रीय-एकता के विघटनकारी तत्व
5. उपसंहार

1. प्रस्तावना — 'अनेकता में एकता,
यह हिन्द की विशेषता ।

हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन् ने अपने भाषण में एक बार कहा था कि—“ भारतीय-संस्कृति एक ऐसा कागज है, जिस पर अनेक संस्कृतियों ने अपनी छाप छोड़ी है और यह विभिन्न प्रकार के अभिलेखों को आत्मसात् करते हुए अपने मूल स्वरूप को स्पष्ट, उज्ज्वल और सुरक्षित बनाये हुए है । ” वास्तव में भारतीय-संस्कृति अपने आप में निराली है । इस देश ने उत्थान और पतन के अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं । अर्थों के समय से लेकर आज तक अनेक जानियाँ इस भूखण्ड पर आयी और हमेशा के लिए बस गयीं । अनेक घनों के उद्गम स्वयं भारत ही रहा है । अनेक भाषा-भाषी लोग इस भूखण्ड पर सदियों से निवास कर रहे हैं । हमारे देश की मूल-संस्कृति इतनी उदार और आदर्श रही है कि यह सबको अपने में समाहित करके अपने मूलस्वरूप को आज तक अक्षुण्ण बनाये हुए है । भारतीय-संस्कृति की यह उदारता ही राष्ट्रीय-एकता का मूल आधार है । हमे अपनी संस्कृति के इस आदर्श स्वरूप पर गर्व है ।

2. राष्ट्रीय-एकता की आवश्यकता—हमारा देश बहुत बड़ा देश है । इसे समार में भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है । हमारा पुराना अनुभव यह बननाला है कि जब-जब इसकी राष्ट्रीय-एकता कमजोर हुई, तब-तब इस पर विपत्तियाँ आयी हैं । विशाल भारत छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित हुआ है और विदेशी आक्रान्तियों को शकलता मिली है । अत्यन्त समृद्ध और शक्तिशाली 'होत' हुए 'भारत' यह देश 'सीधे' तक 'विदेशियों' का 'गुलाम' 'रह' 'है' । 'विदेशियों' के 'दस्तार' में हमने 'किन' कष्ट 'महे' हैं, 'इसका' 'साक्षी' 'इतिहास' है ।

आज हमारा देश पुन स्वतंत्र होकर एक विगत देश के रूप में समार के सामने अपना मस्तक ऊँचा किये खड़ा है, किन्तु समार के तथा कथित बड़े देश नहीं चाहते कि भारत समृद्ध और शक्तिशाली बने। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए वे कूटनीति का सहाय ले रहे हैं और देश की राष्ट्रीय एकता को खण्डित करने का प्रयास कर रहे हैं। वे कभी जातिवाद को उद्वसाते हैं और कभी साम्प्रदायिकता की आग भड़काते हैं। कभी भाषा और धर्म के नाम पर देश में विद्रोह फैलाते हैं तो कभी प्रान्तीयता और क्षेत्रीयवाद को प्रोत्साहन देकर हमारी राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन हमारी सीमाओं पर आक्रमण करने के लिए घात लगाये बैठे हैं। देश की आन्तरिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समस्याएँ जन-जीवन को त्रस्त एवं आन्दोलित कर रही हैं। ऐसी स्थिति में यदि हमारी राष्ट्रीय-एकता कमजोर होती है तो देश बमजार हो जायेगा और विदेशी आक्रमणकारियों को सफलता मिल जायेगी तथा हम पुन पराधीन हो जायेंगे। अतः आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकता राष्ट्रीय एकता की है। राष्ट्रीय एकता में वह शक्ति है कि हम शत्रुओं के दाँत छट्टे कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकत हैं और देश को समृद्ध, विकसित तथा उन्नत बना सकत हैं।

3 राष्ट्रीय एकता के पोषण तत्त्व—राष्ट्रीय-एकता को मजबूत बनाने के लिए हमें निम्नलिखित पोषक तत्त्वों को प्रोत्साहन देना चाहिए—

(i) राष्ट्र प्रेम की भावना—हमें अपने देशवासियों में देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करनी चाहिए। यह देश हमारा है इसकी भूमि हमारी मातृ भूमि है। इस देश के समस्त निवासी हमारे भाई-बहिन हैं। इस देश की उन्नति में हाथ बँटाना और इसकी रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देना हमारा कर्तव्य है। ऐसी देश प्रेम की भावना बच्चे-बच्चे में जागृत की जानी चाहिए। राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो जाने पर अन्य सब भेद गाय हो जात हैं। राष्ट्र और राष्ट्रीय-एकता का भाव ही प्रमुख हो जाना है।

(ii) समानता—समानता का व्यवहार करने से ही एकता मजबूत होती है। हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और सम्प्रदाय के लोग निवास करत हैं जिनकी सम्पत्ति और संस्कृति भी एक दूसरे से भिन्न है, किन्तु इन सब भिन्नताओं के बावजूद वे एक-दूसरे से भिन्न नहीं हैं। ये भिन्नताएँ उनके व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्ध रखती हैं। राष्ट्रीय-जीवन में तो हम सब एक हैं। हमें शत्रुओं के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। सरकार और समाज के स्तर पर समानता का वह भाव जितना ही सच्चा और अधिक होगा, हमारी राष्ट्रीय-एकता उतनी ही मजबूत होगी।

(iii) उदारता एवं सहिष्णुता—हमारा अनुभव यह बतलाता है कि बहुत

छोटे समाज में भी अनेक अवसर ऐसे आने हैं जबकि समाज के कुछ सदस्य उग्र हो जाते हैं और हठ पकड़ लेते हैं। ऐसे अवसरों पर समाज के अन्य सदस्य यदि सहिष्णु और उदार बने रहते हैं तो स्थिति बिगड़ने में बच जाती है और एकता बनी रहती है। राष्ट्रीय-स्तर पर हमारा समाज बहुत बड़ा है और उसमें अनेक मौखिक भिन्नताएँ भी हैं। ऐसी स्थिति में कभी-कभी किसी वर्ग विशेष में उग्रता या जाना एक स्वाभाविक बात है। शेष समाज का कर्तव्य है कि वह ऐसे अवसरों पर सहिष्णु और उदार बना रहे। कुछ समय बाद उग्रता स्वतः समाप्त हो जाती है और स्थिति पुनः सामान्य हो जाती है। अतः समाज के सभी वर्गों को चाहिए कि वे एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें तथा टकराव की स्थिति उत्पन्न होने पर सहिष्णुता एवं उदारता से काम लें। ऐसी समझ और तदनुकूल आचरण से राष्ट्रीय-एकता को बच मिलता है।

(iv) साम्प्रदायिक सद्भाव और भाई-चारे की भावना—हमें हर कोमल पर साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखना चाहिए। देश का प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसी भी जाति अथवा सम्प्रदाय का हो, देश के नाते हमारा सगा भाई है। देश की सम्पत्ति में प्रत्येक देशवासी का समान अधिकार है और देश की विपत्ति से प्रत्येक देशवासी को कष्ट होता है। प्राकृतिक विपदा हो या विदेशी आक्रमण सभी जातियों और सम्प्रदायों के लोग समान रूप से प्रभावित होते हैं। सम्प्रदाय और जातिगत भेद तो बाह्य हैं। भीतर से तो हम सब एक ही हैं। अतः हमें एक दूसरे के प्रति साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखना चाहिए। त्यौहारों, उत्सवों और समारोहों के अवसरों पर हमें एक दूसरे से मिलना-जुलना चाहिए। इससे भाई-चारे की भावना बढ़ती है और राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होती है।

(v) एक देश एक राष्ट्र—हम देश के किसी भी कोने में निवास करते हो। हमारा प्रान्त कोई भी हो, किन्तु एक देश और एक राष्ट्र के नागरिक हैं। हमारा सविधान एक है। हमारा झंडा एक है। हमारा राष्ट्र-गान एक है और राष्ट्रीय सरकार एक है। इस भावना के जागृत होने से भी राष्ट्रीय-एकता को बहुत बल मिलता है।

4. राष्ट्रीय-एकता के विघटनकारी तत्त्व—नीचे हम उन प्रमुख तत्त्वों का उल्लेख करेंगे जो राष्ट्रीय एकता को कमजोर बनाते हैं। इनसे हमें सावधान रहना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर इन्हे सगती से कुचल देना चाहिए।

(1) प्रान्तीयता—प्रान्तीयता की भावना राष्ट्रीय-एकता के लिए बहुत घातक है। इस भावना से प्रेरित होकर लोग अपने-अपने प्रान्तों की कुशहाली चाहते हैं, राष्ट्र की कुशहाली का ध्यान ही नहीं रखते। राज्यों के पुनर्संयोजन की माँग, राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की माँग, नदी जल-विवाद आदि माँगें प्रान्तीयता का ही परिणाम हैं। इस समय प्रान्तीयता यही तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वतंत्र खालिस्तान और कश्मीर लिबरेशन मूवमेंट की सीमा तक पहुँच चुकी है।

जनता को इसका विरोध करना चाहिए और सरकार को ऐसे तत्वों को कुचल देना चाहिए।

(ii) भापाई दुराग्रह—भापा के नाम पर दक्षिण भारत में बहुत उपद्रव हो चुके हैं और अर भी होते हैं। ये उपद्रव राष्ट्रीय एकता को विघटित करते हैं। भापाई दुराग्रह के कारण लोगों में इतना उन्माद छा जाता है कि राष्ट्र-गीत तक का खुला विरोध करने लग जाते हैं। सरकार को इस विषय में स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए। राष्ट्रभाषा एक ही रह सकती है और एक ही रहेगी—'हिन्दी'। शेष भाषाएँ अपना विकास करने को स्वतंत्र रहे। भापाई राष्ट्रीय नीति का विरोध करने वाली शक्तियों को सत्ता से दाय देना चाहिए।

(iii) साम्प्रदायिक कट्टरता—देश में अग्रे दिन साम्प्रदायिक दंगे होत रहने हैं। ये दंगे उन तत्वों की प्रेरणा से होते हैं जो विदेशी शक्तियों के इशारों पर भोले-भाले लोगों की भावनाओं को उभारते हैं। इसने राष्ट्रीय एकता को बहुत नुकसान पहुँचाता है। सरकार को चाहिए कि ऐसे तत्वों की खोज करे और उन्हें दण्ड दे। राष्ट्रीय एकता के लिए साम्प्रदायिक सद्भाव नितान्त आवश्यक है।

(iv) राष्ट्र-प्रेम का अभाव—राष्ट्र-प्रेम का अभाव भी राष्ट्रीय-एकता में बाधक है। राष्ट्र के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं। राष्ट्र की हानि हमारी हानि है और राष्ट्र की उन्नति हमारी उन्नति है—इस भाव का हमारे देशवासियों में अभाव होना जा रहा है। हम राजस्थानी हैं, पंजाबी हैं, गुजराती हैं और बंगाली हैं—यह बात कहने वाले काफी लोग मिल सकते हैं कि तुम हम भारतीय हैं और भारत हमारा है—यह कहने वालों का अभाव होता जा रहा है। इस राष्ट्र-प्रेम के अभाव से राष्ट्रीय-एकता को क्षति पहुँचती है।

(v) सकीर्ण मनोवृत्ति—हमारे देशवासियों की सकीर्ण मनोवृत्ति भी राष्ट्रीय-एकता में बाधा उत्पन्न कर रही है। सब लोग अपने हित को ही सर्वोपरि मानने लगे हैं। उनके छोटे से लाभ के लिए राष्ट्र को कितनी भारी क्षति होती है, इसकी चिन्ता कोई नहीं करता। सकीर्ण मनोवृत्ति के कारण ही देश अनेक बार गुलाम बन चुका है। इस खतरनाक मनोवृत्ति पर अकुश लगाया ही जाना चाहिए।

5 उपसंहार—राष्ट्रीय-एकता भाज देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है और आज भी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य करे, सभी राजनैतिक दलों, समाज-सेवियों और बुद्धि-जीवियों को चाहिए कि वे राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने के लिए कार्य करें और ऐसा कोई कार्य न करें, जिससे राष्ट्रीय एकता कमजोर होती हो। राष्ट्रीय एकता के बल पर ही हमारा देश स्वतंत्र रहे सकेगा और प्रगति कर सकेगा। देश की सखण्डता और स्वाधीनता की हर कीमत पर रक्षा करना हमारा धर्म है।

निबन्ध की रूप-रेखा

1. प्रस्तावना
2. प्रजातंत्र का आशय
3. भारत में प्रजातंत्र की वर्तमान स्थिति
4. प्रजातंत्र की असफलता के कारण
5. भारत में प्रजातंत्र का भविष्य
6. उपसंहार

1 प्रस्तावना—26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत में हमारा नया संविधान लागू हुआ जिसमें भारत को लोकतन्त्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश के नेताओं ने यही निश्चय किया कि स्वतंत्र भारत में जनतन्त्रात्मक शासन-प्रणाली लागू की जाये क्योंकि मानवाधिकार को सुरक्षा प्रदान करने वाली यही सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है और भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यही प्रणाली सर्वथा उपयुक्त है। निःसन्देह हमारे राष्ट्र के कर्णधारों ने बहुत सही निर्णय लिया और आज हम विश्व के सबसे बड़े जनतन्त्रात्मक देश के रूप में गौरव से अपना मस्तक ऊँचा किये खड़े हैं। हमारे देश में धीरे-धीरे जनतंत्र मजबूत होता जा रहा है और भविष्य में यह और भी मजबूत बनेगा।

2 प्रजातंत्र का आशय—प्रजातंत्र की सबसे सरल और सर्वमान्य परिभाषा यह दी जाती है कि—'प्रजातंत्र प्रणाली में जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन होता है।' इस प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें व्यक्ति के महत्त्व को स्वीकार किया गया है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति में भी राय की जाती है और उसकी राय को महत्त्व दिया जाता है। वास्तव में जनतन्त्रात्मक प्रणाली एक शासन-प्रणाली ही नहीं है, बल्कि यह एक जीवन-दर्शन है। शासन-व्यवस्था के अतिरिक्त जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक स्तर पर जब हम इस प्रणाली से कार्य करने लगते हैं, इस प्रणाली से सोचने लगते हैं और इस प्रणाली से ही समस्याओं का समाधान खोजते हैं तभी हम कह सकते हैं कि हमारी जनतंत्र में आस्था है और तभी जनतंत्र सफल होता है।

3 भारत में जनतंत्र की वर्तमान स्थिति—यद्यपि हमारे देश में जनतन्त्रात्मक शासन-प्रणाली चल रही है और हम बड़ी शान से इसकी सफलता के दारों

भी करते हैं, किन्तु वास्तविकता इसके विपरीत है। हमारे देश में वर्तमान समय में जनतंत्र का स्वरूप काफी बिगड़ा हुआ है। हमने जनतंत्र के दर्शन को अपने जीवन में नहीं उतारा है। केवल शासन-प्रणाली के रूप में ही हमने इसे अपनाया है। प्रति पाँच वर्षों बाद आम चुनाव होते हैं और सत्ता प्राप्ति के लिए तथा सत्ता में बने रहने के लिए राजनैतिक दल ओछे से ओछे हथकण्डे अपनाते हैं। चुनावों में जातिवाद, क्षेत्रीयवाद और सम्प्रदायवाद का खुला प्रचार किया जाता है तथा प्रलोभन, अनुचित दबाव और अनेक अनुचित तरीके अपनाकर मतदाताओं को गुमराह किया जाता है। सत्ता में बैठे लोगों का और निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों का जनता के के साथ कोई सीधा सम्पर्क नहीं है। सत्ताधारी लोग भोग-विलास में डूबे हुए हैं। उन्हें आम जनता के दुःख-दर्द की कोई चिन्ता नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था एक दम शिथिल पड़ गई है। चारों ओर भ्रष्टाचार, वेइमानी, काला बाजारी, जमा-खोरी, पक्षपात और अन्य अनेक अनैतिक आचरणों के दृश्य सामने आते हैं। महगाई और बेरोजगारी की समस्या दिन-प्रतिदिन जटिल होती चली जा रही है। देश में चारों ओर चोरी, डकैती और हिंसा की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं जिससे अराजकता की सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। जन-जीवन अस्त-व्यस्त और अमुरक्षित बनता जा रहा है। इस स्थिति के लिए लोग जनतंत्र प्रणाली को ही दोष देते हैं। यहाँ तक की लोगों का इस प्रणाली पर से विश्वास ही उठता जा रहा है, किन्तु यदि गम्भीरता से सोचा जाय तो इस अव्यवस्था के लिए जनतंत्र प्रणाली उत्तरदायी नहीं है। इसके लिए तो उत्तरदायी वे लोग हैं जिन्होंने जनतंत्र प्रणाली को सत्ता प्राप्त करने और प्राप्त कर लेने के पश्चात् सत्ता में बने रहने के लिए एक साधन के रूप में अपनाया है। जनतंत्र को एक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार नहीं किया है। वास्तव में यह असफलता जनतंत्र प्रणाली की नहीं है, बल्कि सरकार के कार्यों की है।

4 प्रजातंत्र की असफलता के कारण—बात को चाहे किसी ढंग से भी कहा जाय, किन्तु यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भारत में अभी प्रजातंत्र पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। इसके अनेक कारण हैं—

(i) अशिक्षा—भारतीय जनता अशिक्षित है। शिक्षा के अभाव में वह चलाक राजनीतियों के बहकावे में घ्रा जाती है। जातिवाद, क्षेत्रीयवाद, भाषावाद और साम्प्रदायिकता की भावना को उभार कर अयोग्य व्यक्ति उनके मत प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। उन्हें मताधिकार तो प्राप्त है, किन्तु अशिक्षित होने के कारण वे अपने इस अमूल्य अधिकार का सही प्रयोग नहीं कर पाते।

(ii) निर्धनता—हमारे देश में सदियों से चली आ रही गरीबी भी जनतंत्र की सफलता में बाधक है। चुनाव के समय या अन्य अवसरों पर लोग प्रलोभन

में घ्रा जाते हैं और अपना मत उन लोगों को बेच देते हैं जो सर्वथा अयोग्य और भ्रष्ट होते हैं ।

(iii) राजनैतिक जागृति का अभाव—जनतंत्र की सफलता के लिए यह बहुत आवश्यक है कि देश की जनता में राजनैतिक जागृति हो । 'कोउ नुप होउ हमे का हानी, चेरो धाँड़ि के होवे की न रानी ।' यह भावना जनतंत्र की सफलता में बहुत बड़ी बाधा है । हमारे देश की जनता में इस भावना की प्रबलता है । 'कोई जीते, कोई हारे, किसी की भी सरकार बने, हमें इससे कोई लेना-देना नहीं है । जो सब में होगा सो हम भी भोगेंगे ।' ऐसी उदासीनता और ऐसा उपेक्षा भाव जनतंत्र को सफल नहीं बना सकती । इस उदासीनता के कारण ही लगभग चालीस प्रतिशत लोग तो मताधिकार का प्रयोग ही नहीं करते । अन्य अवसरों पर तो उपेक्षा बरतें तो आश्चर्य ही क्या ?

(iv) राजनैतिक दलों की बहुलता—हमारे देश में अनेक राजनैतिक दल हैं और इनकी सख्या निरन्तर बढ़ती ही जा रही है । सत्ता-प्राप्ति के मोह में तथा अपनी व्यक्तिगत अहम् भाव की तुष्टि के लिए प्रभावशाली लोगों ने अपने-अपने दल बना रखे हैं । इन दलों के प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित हैं इसलिए इनको बहुमत नहीं मिल पाता । ये दल एक दूसरे के बोटी का विभाजन कर देते हैं जिससे एक विशेष दल को लाभ मिल जाता है । इसके अनिश्चित बल अधिक संख्या में उम्मीदवार होने के कारण समान्य मतदाता भ्रमित हो जाता है और जागरूक तथा समझदार मतदाता के मामले सही विकल्प चुनने की समस्या उत्पन्न हो जाती है । परिणाम होता है—गलत और अयोग्य प्रतिनिधि का चयन । दलों की संख्या अधिक होने के कारण ही समद अथवा विधान सभाओं के भीतर और बाहर सकल विरोधी दल नहीं बन पाता जो सरकार की मनमानी पर अक्रुश लग सकें ।

(v) दोषपूर्ण चुनाव-प्रणाली—हमारी चुनाव-प्रणाली भी बहुत दोषपूर्ण है । माना तो यह जान है कि बहुमत प्राप्त उम्मीदवार ही विजयी घोषित किया जाता है, किन्तु वास्तव में उस बहुमत की फ्लावट दोषपूर्ण है । कुल दिखे गये मतों के बहुमत को ही बहुमत मान लिया जाता है, जबकि होना यह चाहिए कि जो उम्मीदवार पचास प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त करे, उसे ही निर्वाचित माना जाय । वर्तमान प्रणाली में अनेक दलों में मन-विभाजन के आचार पर जो दल पक्षीय प्रतिशत के लगभग मत प्राप्त कर लेता है, वह विजयी हो जाता है । यह चुनाव-प्रणाली का ही दोष है ।

इसके अनिश्चित चुनाव-प्रणाली खर्चीली भी बहुत हैं । जो लोग सामान्य रूप से स्वयं करों की सामर्थ्य रखते हैं, वे ही चुनाव में भाग लेते हैं । इसमें योग्य और ईमानदार लोग वंचित रह जाते हैं । जो लोग पैसा खर्च करके चुनाव जीतते

है, वे अनेक तरीकों से पैसा वसूल करते हैं जिसके कुपरिणाम जनता को ही भोगने पड़ते हैं।

(vi) **दल-बदल की राजनीति**—जब किसी मताधारो दल के बहुमत में कमी पड़ती दिखालाई देती है या किसी नीति सम्बन्धी मामले में दल में विद्रोह हो जाता है तो वह अन्य दलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से दल बदलवा कर अपना बहुमत बना लेता है और शासन में अनीति में जारी रहती है।

5 **भारत में प्रजातंत्र का भविष्य**—यद्यपि यह सही है कि वर्तमान समय में भारत में प्रजातंत्र सफल नहीं हो पा रहा है। शासन जनता के दुख-दर्द कम करने में विफल हो रहा है। अनेक नयी समस्याएँ भी उत्पन्न हो रही हैं फिर भी हमें यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि हमारे देश में जनतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही हैं और इसका भविष्य निश्चय ही उज्वल है। इंग्लैंड और अमेरिका में जनतंत्र को पूर्ण सफल माना जाता है किन्तु इन देशों के जनतंत्र से हमारे देश के जनतंत्र की तुलना करना उचित नहीं है। वहाँ और यहाँ की स्थितियों में बहुत अन्तर है। एक लम्बे समय के अनुभव का लाभ उन्हें मिल चुका है। हम जिन परिस्थितियों से निकले हैं, उनको देखते हुए हमारी उपनिधियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं।

गत 35 वर्षों में शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ है, गरीबी कम हुई है और जनता में राजनैतिक जागृति भी उत्पन्न हुई है। अब निर्वाचन में किसी भी दल अथवा उम्मीदवार का विजयी होना आसान काम नहीं रह गया है। मतदान का मानस किम और है, यह माँग लेना भी सरल नहीं है। यद्यपि जातिवाद तथा अन्य तत्त्व मतदाता पर अब भी हावी है, किन्तु यदि सही विकल्प मिले तो अपन मताधिकार का प्रयोग सही ढंग से करने की क्षमता उनमें उत्पन्न हो गई है। आपात-काल के अत्याचारों से पीड़ित होने पर जनता पार्टी को शासनाह्व करना तथा आपसी स्वीचनान से दृष्ट होकर पुन कांग्रेस को सत्ता सौंप देना भारतीय मतदान की परिपक्व समझ का ही परिणाम है। दक्षिण भारत में क्षेत्रीय दलों की विजय और बंगाल में साम्यवादी दल की बार-बार विजय से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि मतदाना स्वतंत्र और निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना सीख गया है। यह जनतंत्र को सफलता का नक्षण है और भविष्य की सफलता का संकेत है।

विभिन्न विरोधी दलों ने भी अपनी भूल को समझ लिया है और उनमें एकीकरण की प्रक्रिया जारी है। भविष्य में बहुदलीय व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी और अन्य जनतांत्रिक देशों की भाँति भारत में भी कुछ दल ही रह जायेंगे और मत्तारूढ दल की वर्तमान में चल रही मनमानी समाप्त हो जायेगी।

जैसे-जैसे समय व्यतीत होगा और हमारे अनुभव बढ़ते जायेंगे, वैसे ही चुनाव-प्रणाली भी विकसित होगी और उसमें व्याप्त दोष समाप्त हो जायेंगे। सभी दृष्टियों से भारत में प्रजातंत्र का भविष्य उज्ज्वल है।

6. उपसंहार—भारत अनेकता से सम्पन्न देश है। अनेक जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषा, रीति-रिवाज, रहन-सहन और आचार-विचार के लोग इस देश में रहते हैं। सब को अपनी सभ्यता और संस्कृति का स्वतंत्ररूप से विकास करने का अवसर प्रजातंत्र शासन-प्रणाली में ही प्राप्त हो सकता है। इनकी विभिन्नता के होते हुए एक देश-एक राष्ट्र की भावना प्रजातंत्र के माध्यम से ही सम्भव है। अतः हमारे देश के लिए जनतंत्र के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। प्रजातंत्र व्यक्ति और समाज के विकास का सर्वोत्तम साधन है। आवश्यकता इस साधन को सही रूप में काम में लेने की है। हम भूलें कर-कर के एक दिन इस साधन का सही प्रयोग सीख जायेंगे और हमारी उन्नति तथा विकास का यही माध्यम बनेगा।

□□□

निबन्ध की रूप-रेखा

- 1 प्रस्तावना
- 2 संगति का आशय
- 3 संगति का प्रभाव
- 4 सत्संगति से लाभ
- 5 कुसंगति से हानियाँ
- 6 उपसंहार

1 प्रस्तावना—एक अत्यन्त माधुर्य परिवार में जन्म लेने वाले तथा अत्यन्त प्रभावा से युक्त अपना प्रारम्भिक जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को कालान्तर में जब हम सब प्रकार से सम्पन्न, सुखी और महत्त्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखते हैं और उससे अपनी तुलना करने पर जब उसे अपने से बड़ी गुणा श्रेष्ठ स्थिति में पाते हैं, तो हम बड़े महज्ज भाव से कह देते हैं कि 'ससार में भाग्य ही सबसे बड़ी चीज है। बचपन में हमने उसे दान-दाने को मोहताज देखा है, लेकिन यह उसका भाग्य ही है कि आज वह एक बहुत बड़ा आदमी बन गया है।' ठीक इसके विपरीत स्थिति सामने आने पर अर्थात् एक ममूढ़ तथा सुसम्पन्न व्यक्ति को दर-दर की ठोकरें खाने देखकर भी प्रायः हम उसके भाग्य को ही दोष देते हैं। हमारी यह मान्यता सर्वथा उचित नहीं है। यदि हम उन व्यक्तियों के जीवन-क्रम के घटना-चक्रों की जानकारी करें तो हम पायेंगे कि उनके उत्थान अथवा पतन का प्रमुख कारण उनकी संगति ही था। जिसका उत्थान हुआ उसे सयोग से अथवा उसके प्रयत्न से सत्संगति मिली थी और जिसका अथ पतन हुआ उसे कुसंगति मिली थी। संगति का मानव-जीवन में अत्यधिक महत्त्व होना है। जीवन की दिशा बदलने में अथवा मनुष्य को एक विशेष दिशा में चलने की प्रेरणा देने में संगति का अतिसूक्ष्म प्रभाव पड़ता है, उतना बठोर नियंत्रण, उपदेश, भय और प्रलोभन का भी नहीं पड़ता।

2. संगति का आशय—संगति शब्द 'सम् + गति' इन दो के योग से बना है। जिसमें गति प्रमुख शब्द है और सम् उपसर्ग है। 'सम्' उपसर्ग समानता,

पूरुगता और अनुकूलता का अर्थ प्रकट करता है। 'गति' शब्द चाल, प्रवाह अथवा एक विशेष प्रकार की स्थिति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार संगति का अर्थ होता है—समान गति, अनुकूल प्रवाह अथवा समान स्थिति। जब हम किसी विशेष प्रकार की रचि, विचार और आचरण वाले लोगों से अधिक मिलते-जुलते हैं, उनके साथ अपना समय सबसे अधिकाधिक बिताते हैं और उनके कार्यों में भाग लेते हैं तो हमारा यह आचरण उनकी संगति करना माना जाता है क्योंकि हम उनके साथ समान गति, अनुकूल प्रवाह और समान स्थिति में सम्मिलित हो जाते हैं। सामान्यरूप में संगति का अर्थ होता है—अधिकाधिक साथ रहना, मिलना-जुलना, साथ उठना-बैठना, साथ खाना-पीना, साथ भ्राना-जाना और साथ कार्य करना। हम जिनके साथ अधिक रहते हैं, उठते-बैठते हैं और कार्य करते हैं, वे यदि अच्छे लोग हैं तो हमारी यह संगति सन्संगति मानी जायेगी और यदि वे लोग बुरे हैं तो हमारी उनके साथ यह संगति कुसंगति बहलायेगी। अच्छे लोगों की संगति का अच्छा फल और बुरे लोगों की संगति का बुरा फल हमें अवश्य मिलेगा।

3. संगति का प्रभाव—संगति के प्रभाव को सिद्ध करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है—

“गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा
कोचाई मिलइ नीच जल संगी ”

वायु की संगति पाकर रज (मिट्टी) आकाश में चढ़ जाती है और पानी की संगति पाकर कीचड़ में मिल जाती है। यह है संगति का प्रभाव। वायु की स्वाभाविक गति ऊपर की ओर उठने तथा बहने की है, इसलिए उसकी संगति पाने पर मिट्टी ऊँची ही उठती है। इसके विपरीत जल की स्वाभाविक गति नीचे की ओर बहने की होती है, इसलिए उसकी संगति मिलने पर उसी मिट्टी को दुर्गन्ध-युक्त कीचड़ में मिलना पड़ जाता है।

संगति का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत अधिक पड़ता है। यहाँ हमें यह और समझ लेना चाहिए कि यह प्रभाव सोच-समझकर और जान-बूझकर प्रत्यक्ष रूप में नहीं पड़ता। हम चाहे या न चाहें जिन लोगों की संगति में हम रहते हैं, उनके आचार-विचारों और कार्य-बलायों का हम पर अप्रत्यक्ष रूप से स्वतः प्रभाव पड़ता रहता है और कालान्तर में हम भी वैसे ही बन जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हममें यह परिवर्तन कब और कैसे हो जाता है। जब हम पूरी तरह रण जाने हैं और कभी अपने पिछले जीवन से वर्तमान जीवन की तुलना करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कुछ के कुछ हो गये हैं। यदि हमारा मूढ़ का विवेक काम करता है तो हम स्वयं भी इसके कारण को समझ लेते हैं और यदि हमारा विवेक

फु ठिठ हो जाता है तो अन्य लोग यह बात भली प्रकार जान जाते हैं कि हममें यह परिवर्तन हमारी सगति के कारण ही हुआ है।

रहीम ने भी समझाया है—

‘जैसी सगति बँठिये, तँसो ही फल लौन ।’

एक बहुत ही भद्र पुरुष के मुँह से अपशब्द सुनकर लोगों की आश्चर्य हुआ। इसका कारण खोजने पर पता चला कि उनके नौकर को गाली देने की आदत है। वह अपनी घरवाली और बच्चों से गाली-गलौच में ही बात करता है। वह नौकर सपरिवार ही साहब के बगले में रहता है। उसी के मुँह से निकलने वाली गाली साहब के मुँह से निकल गई। साहब और नौकर की कोई समानता नहीं, कोई धनिष्ठ सम्पर्क नहीं, किन्तु फिर भी उसकी बाणी और साहब के कानों की सगति का फल यह हुआ कि उनके मुँह से भी अनायास ही अपशब्द निकल पड़े। जब इतनी प्रच्छन्न सगति का भी मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है तो धनिष्ठ सम्पर्क का कितना प्रभाव पड़ सकता है, यह बात स्वतः सिद्ध हो जाती है। सगति के प्रभाव से अच्चे भले घर के बालक चोर, जुयारी, शराबी और डाकू बन जाते हैं और इसी प्रकार दलित, नीच तथा अपराधी लोगों की सन्तान भी सगति के ही प्रभाव से श्रेष्ठ, उन्नत, सच्चरित्र और शालीनता का व्यवहार करने वाली बन जाती है। पान, जर्दा, बीबी, सिगरेट, शराब और जुआ आदि जितने भी दुर्व्यसन हैं, इनकी आदत सगति से ही पड़ती है अन्यथा ये मनुष्य को जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। सगति से मनुष्य ही नहीं, जीव मात्र प्रभावित होने हैं। इसके लिए भी गोस्वामी तुलसीदास ने प्रमाण दिया है—

‘साधु-असाधु सदन सुक सारी ।

सुमिरिंह राम देहिं गिन गारी ॥

मग्नन लोगों के घरों में पाने जाने वाले पक्षी ‘तोता-मैना’ राम-राम बोलते हैं और दुष्ट लोगों के घरों में रहने वाले वे ही पक्षी गिन-गिन कर गालियाँ देते हैं। कंसी विचित्र बात है। बँसा है यह सगति का प्रभाव।

4 सत्सगति से लाभ—सगति के प्रभाव को समझ लेने के पश्चात् हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि यदि हमें जीवन में अच्छा बनना है, बुराइयों से बचना है तो हम सत्सगति करें—अच्चे लोगों के साथ ही बँठे-उठे और उन्हीं से अधिक सम्पर्क बनायें। सत्सगति के प्रभाव से हममें अच्चे गुणों का विकास होता है और हमारे दुर्गुण हम से स्वतः दूर हो जाते हैं। नीच, पापी, दुष्ट और धूर्त व्यक्ति भी यदि सत्सगति में पड़ जाता है तो वह सुधर जाता है—

‘सठ सुधरहिं सत सगति पाये’

जब सत्सगति का प्रभाव मीले को भी उजला बना देता है तो निर्मल को

वितना देदिपमान बना सकता है, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। सत्संगति से मनुष्य में विवेक जागृत हो जाता है और जिस व्यक्ति में विवेक हो वह कभी अपने जीवन को बिगड़ने नहीं देता। जिसमें विवेक होता है, वह अपना ही नहीं, दूसरों का भी जीवन सुधार देता है। विवेक प्राप्त करने का एक ही मार्ग है—सत्संगति।

‘बिनु सत्संग विवेक न होई।’

सत्संगति के मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होती है और उसका दृष्टिकोण उदार तथा विस्तृत हो जाता है। वह अपने साथ-साथ दूसरे के हित भी सोचने लगता है। उसकी यह वृत्ति उसे ऊँचा उठाती है और वह महान् बन जाता है। मनुष्य के आचरण में यदि कोई बुराई है तो वह सत्संगति से दूर हो जाती है। जिस समाज में कोई भी व्यक्ति धूम्रपान न करना हो, उस समाज में यदि कोई धूम्रपान करने की आदत वाला व्यक्ति रहने लगे तो उसे धाम्मन्लानि होने लगती है और कालान्तर में वह भी इस आदत से मुक्त हो जाता है। सत्संगति से मनुष्य को सम्मान भी मिलता है। उस व्यक्ति में सम्मान-प्राप्ति के गुण हैं या नहीं, इस बात का विचार किये बिना ही लोग उसकी संगति देखकर ही उसे सम्मान देने लगते हैं और कालान्तर में उसमें भी ऐसे गुण उत्पन्न हो जाने हैं कि वह भी सम्माननीय बन जाता है। गुलाब, शुद्धी, केवडा और मोगरा के लगातार सम्पर्क में रहने वाली मिट्टी और हवा पुष्पों की सुगन्ध से स्वयं भी सुगन्धित हो जाती है।

सत्संगति से मनुष्य में अनेक उदात्त गुणों का विकास हो जाता है। दया, प्रेम, सहानुभूति, परोपकार और पर-सेवा के गुण उसमें स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। धैर्य, साहस, सन्तोष और कष्ट सहिष्णुता से उसका जीवन सुधी हो जाता है। उसमें सत्संगति के प्रभाव में इतना विवेक उत्पन्न हो जाता है कि वह भयानक से भयानक परिस्थिति में भी धैर्य और साहस नहीं खोता। निराशा उसके जीवन को कभी अशहाय नहीं बना पाती। वह दुःख-गुस और हर्ष-शोक में सदा समान ही बना रहता है। सत्संगति के लाभ इतने अधिक हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जैसे महान् सन्त ने भी सत्संगति की महिमा का वर्णन करते हुए यह बतकर ही सन्तोष लिया कि—

‘सकल स्वर्ग अपवर्ग सुख, परिय तुला एक अंग।

तुले न ताहि सकल मिलि, जो सुख सब सत्संग।

5 कुसंगति से हानियाँ—जिस प्रकार सत्संगति से अनेक लाभ होते हैं, उसी प्रकार कुसंगति से अनेक हानियाँ होती हैं। मनुष्य में जितने भी दुर्गुण, बुराचार, पापाचार, दुर्वसन और दुश्चरित्रता की वृत्ति उत्पन्न होती है, वह सब कुसंगति का परिणाम होता है। श्रेष्ठ आचरण करने वाले, सदा सप्रसन्न का व्यवहार करने वाले और अच्छे नम्बरों से परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थी

कुसगति में पड़कर दुर्ब्यसनी तथा उदण्ड होते देखे गये हैं। हर बार फेल होकर उनका जीवन दर्वाद होते देखा गया है। कुसगति के प्रभाव से बड़े-बड़े सम्पन्न धराने नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं। कैसा भी समझदार और बुद्धिमान मनुष्य हो, कुसगति में पड़कर बर्वाद हुए बिना नहीं रहता। एक अनुभवी तथा नीति कुशल व्यक्ति कहा करता था—‘यदि तुम्हें किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो तुम उम व्यक्ति का कुछ भी ग्रहित मत करो, उसकी सन्तान को किसी प्रकार की कुसगति में डाल दो, वह अपने आप बरवाद हो जायगा।’ दुष्ट और दुराचारी की सगति भले लोगों के लिए कष्टकारक होनी है। कल, किस बात पर अकारण ही वे झगडा उत्पन्न कर देगे, यह प्रायका हमेशा बनी रहती है। जितनी देर भले लोग बुरे लोगों की सगति में रहते हैं, उतनी देर उनका चित्त अशान्त ही बना रहता है। इसके अतिरिक्त उनके साथ रहने मात्र से ही लोग भले आदमियों के आचरण पर भी सन्देह करने लग जाते हैं। रहीम ने स्पष्ट कहा है—

‘दूध कलारन हाय सखि, मव समुभं सब ताहि।’

कुसगति तो इतनी कष्टकारिणी होती है कि इसका ठीक-ठीक अनुमान ये हो लगा सकते हैं, जो कभी दुर्भाग्य से दुष्टों की सगति में पड चुके हों, अथवा जिन्होंने कभी किसी से उसकी कष्ट-कथा सुनी हो। तुलसीदास जी ने तो दुष्ट-सग को नरक से भी बुरा माना है—

‘बह भलबास नरक कर ताता, दुष्ट सग जनि बेड विधाता।’

6. उपसहार—सगति के प्रभाव को ठीक से समझ लेने के बाद हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम बुरी सगति का त्याग करे और सत्सगति में लगने का प्रयास करें। इतना ही नहीं, हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम हमारे मित्रों, सगे-सम्बन्धियों और परिजनो की भी यदि कुसग में पडते देखे तो उन्हें उससे बचाने और सत्सगति में डालने का प्रयास करें। जीवन के उत्थान और पतन, लाभ और हानि अथवा सुख और दुख का सबसे सरल और महत्वपूर्ण यदि कोई साधन है तो वह सगति ही है। जो जैसा पल चाहे प्राप्त कर सकता है।

□□□

निबन्ध की रूप-रेखा

1. प्रस्तावना
2. मनोबल का आशय
3. मनोबल की महत्ता
4. मनोबल में वृद्धि के उपाय
5. उपसंहार

1. प्रस्तावना—

‘मन के हारे हार है और मन के जीते जीत’

कितनी श्रेष्ठी श्रेष्ठ शायंका उक्ति है यह ! जिसकी मन हार गया, वह परा-जित हो जाता है और जिसके मन में विजय की दृढ़ कामना है, वह विजयी होकर ही रहता है। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक ऐसी घटनाएँ प्रत्यक्ष देखते हैं। एक व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से अत्यन्त निर्बल, आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त निर्धन और सामाजिक दृष्टि से अत्यन्त उपेक्षित होने पर भी मनोबल के सहारे निरन्तर प्रगति के मार्ग पर आगे ही बढ़ता चला जाता है और एक दिन वह समाज का महत्त्वपूर्ण, प्रतिष्ठित और महान व्यक्ति बनकर सम्माननीय बन जाता है। इसके विपरीत ऐसे व्यक्ति भी हैं जो सब प्रकार से शक्तिशाली, सु-सम्पन्न और समर्थ होते हुए भी मनोबल के अभाव में अपने जीवन में सदा असफल ही होते रहते हैं और निरन्तर पतन के मार्ग पर चलते हुए एक दिन घोर अपमानजनक जीवन व्यतीत करने को विवश हो जाते हैं। यह स्थिति निश्चय ही गम्भीरतापूर्वक विचार करने योग्य है। इससे मनोबल का महत्त्व सिद्ध होता है। जिसमें जितना अधिक मनोबल है, वह जीवन में उतना ही सफल होता है और जिसमें जितना मनोबल क्षीण है वह उतना ही असफल होता है। शारीरिक शक्ति और भौतिक साधन मनोबल के अभाव में कुछ भी सहायता नहीं कर पाते। मनोबल के सामने ये बाह्य शक्तियाँ सदा पस्त और परास्त होती देखी गई हैं।

2. मनोबल का आशय—सीधे और सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि मन की शक्ति का नाम ही मनोबल है। मन की शक्ति एक यौगिक भाव है दृढ़ता, जिसमें साहम, उत्साह, उमंग, विश्वास, दृष्ट्या, आशा, निश्चितता और कर्म-तत्परता

का मेल रहता है। मन के ये सब भाव अलग अलग रहने पर भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। इनमें से किसी एक भाव के मन में स्थायी होते ही मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। और जब ये सब भाव सगठित होकर मन में स्थायी रूप से निवास करते हैं तो इनकी शक्ति का सम्मिलित रूप ही मनोबल कहलाता है। मनोबल की शक्ति और सामर्थ्य की तुलना ससार की किसी भी शक्ति से नहीं की जा सकती। ससार की सभी शक्तियाँ मनोबल के आगे तुच्छ और नगण्य हैं।

3 मनोबल की महत्ता—ससार में चार प्रकार के बल होते हैं—1 शारीरिक बल, 2 धन बल अथवा शास्त्र बल, 3 बुद्धि बल और 4 मनोबल। मनोबल इन सब में श्रेष्ठ तथा सर्वाधिक शक्ति सम्पन्न होता है। इतना ही नहीं इन प्रथम तीन बलों को प्रयोग में लाने वाला भी मनोबल ही होता है। शरीर खूब दृष्ट-शुष्ट और शक्तिशाली है, किन्तु मनोबल के अभाव में वह अपने से कमजोर व्यक्ति से भी मार खा लेता है। इसके विपरीत यदि मनोबल है तो सीकिया पहल-घान (अत्यन्त कमजोर व्यक्ति) भी एक मोटे-ताजे आदमी को पछाड़ लगा देता है। शरीर थककर चूर हो जाता है, किन्तु यदि मनोबल बना हुआ रहता है तो वह निरन्तर कार्य करता रहता है। इसी प्रकार 'धन बल' और 'बुद्धि बल' भी मनोबल के सहारे ही सफल होते हैं। पास में धन है किन्तु यदि उसे खर्च करने का जोखिम नहीं उठा सकते तो उससे हम कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। यह जोखिम उठाने की शक्ति मनोबल से ही प्राप्त होती है। बुद्धि में उठने वाले अनेक विचार हम सफलता के उपाय सुझाते हैं और कठिनाइयों से बचने के मार्ग भी बनला देते हैं, किन्तु हमारी बुद्धि ठीक प्रकार से काम ही तब करती है जबकि हममें कोई कठिन कार्य करने की अथवा आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा होती है और हम सब प्रकार की चिन्ताओं से मुक्त होकर कार्य करने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। हमारे मन की यह स्थिति मनोबल से ही बनती है। मनोबल ही मस्तिष्क को किसी विशेष दिशा में सोचने विचारने की प्रेरणा देता है। मनोबल के अभाव में मनुष्य की सारी शक्तियाँ निरर्थक सिद्ध होती हैं और बेकार पड़ी रहती हैं।

महापुरुषों के जीवन की घटनाओं की जानकारी करने पर हमें मनोबल की असाधारण शक्ति का पता चल जाता है। कुछ गिनती के से मरहठों की एक छोटी सी फौजी टुकड़ी बनाकर शिवाजी ने विशाल और अत्यन्त शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के दाँत खट्टे कर दिये थे। मुट्ठीभर हड्डियों का एक टुकड़ा पतला दाँचा लेकर गांधीजी ने वह सब कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। गुरु गोविन्दसिंह ने चिड़ियों को बाज बनाकर दिखला दिया। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अत्यन्त सबब और सावधान ब्रिटिश पुलिस के बेरे में से चिड़िया की तरह फुरें हो गये और उन्होंने आजाद हिन्द फौज का गठन कर घे ट ब्रिटेन के शक्तिशाली शासन को चुनौती दे डाली। नेपोलियन बोनापार्ट का उदाहरण ससार में प्रसिद्ध है जिसने आत्मपर्वत

के अस्तित्व को ही नकार दिया और सेना को पर्वत के उस पार इस प्रकार ले जाकर खड़ा कर दिया जैसे धे किसी पुन पर चढ़ के आ गये हो। मनोबल के सहारे चमत्कार कर दिखाने वाले लोगों के असंख्य उदाहरण सत्तार के इतिहास में भरे पडे हैं।

मनोबल में मनुष्य में शैथिल्य, साहस और उत्साह के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी घबड़ाता नहीं है और हिम्मत नहीं हारता है। जिगमे हिम्मत बनी रहती है उसी की तो सत्तार में कीमत होती है—

“हिम्मत किम्मत होय, बिन हिम्मत किम्मत नहीं।

करें न आवर कोय, रव कागद ज्यूं राजिया ॥”

जिगमे हिम्मत टूट जाती है उसका मस्तिष्क भी कुण्ठित हो जाता है और शरीर निष्क्रिय होकर अशक्त बन जाता है।

मनोबल से मनुष्य में प्रबल इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है जिसे अंग्रेजी में Will power कहते हैं। इच्छा शक्ति से मनुष्य को आगे बढ़ने की राह स्वतः दिख जाती है—‘जहाँ चाह, वहाँ राह।’ अंग्रेजी में इसे यों समझाया गया है—‘If there is a will there is a way’

इच्छा शक्ति के द्वारा मनुष्य अपने आप में एक दैवी शक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस शक्ति के प्राप्त हो जाने पर सत्तार में उसके लिए कुछ भी असम्भव नहीं रहता। मनुष्य अपनी दृढ़ इच्छा-शक्ति के बल पर मृत्यु के शत्रुओं को भी टाल सकता है। भीष्म पितामह ने बाणों की शैला पर पडे-पडे ही अपनी इच्छा शक्ति से सूर्य के उत्तरायण होने तक मृत्यु को पाम नहीं फटकने दिया था। बडे-बडे सन्त और महात्मा आज भी अपनी इच्छा शक्ति के बल पर ऐमे-ऐमे महान् कार्य कर दिखाने हैं कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके चरणों में सङ्गे-सङ्गे तस्त और तात्र भी मत मस्तक हो जाते हैं।

मनोबल से मनुष्य के मन में आशा का संचार हो जाता है। आशावान मनुष्य कभी दुःखी नहीं होता और मदा कर्म-नत्पर बना रहता है। मनोबल से ही मनुष्य में निर्भयता और निश्चिन्तता का भाव उत्पन्न होता है। वह भविष्य की चिन्ता में वर्तमान का मुख छोड़ना स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार मनोबल की महिमा अपार है। इसके महत्त्व के विषय में जितना कहा जाय, सोडा है।

4 मनोबल में वृद्धि के उपाय—जैसाकि हम मनोबल की व्याख्या करते समय देख चुके हैं कि मनोबल मन की दृढ़ता, साहस, उत्साह, उमंग, विश्वास, आशा, इच्छा, निश्चिन्तता और कर्म-नत्परता के मेल से बनता है। अतः मन की इन्ही भावनाओं के विकास से मनोबल में वृद्धि की जा सकती है। हमारे सामने कंसी भी परिस्थिति आवे, किन्तु हम अपने निश्चय पर दृढ़ बने रहें। जीवन में जब

कोई कठिनाई आवे, हम धैर्य और साहस से उसका मुकाबला करें। यदि हम कभी असफल हो जावें या हमारी पराजय भी हो जाय, तब भी हम निराश न होंगे। अपनी असफलता और पराजय से हम शिक्षा लें और जिन कारणों से हम असफलता मिली है उन्हें दूर करके पुनः सफलता प्राप्त के लिए प्रयत्न करें और उस समय तक प्रयत्न करते रहे जब तक हम विजयी नहीं हो जायें। उत्साह और उमंग कार्य की सफलता के लिए नितान्त आवश्यक है। जिस कार्य को प्रारम्भ करने में मन में उमंग नहीं होती और जिसे आगे बढ़ाने में उत्साह नहीं होता या बीच में ही उत्साह भंग हो जाता है, वह कार्य कभी पूरा नहीं होता। उत्साह बीरता का स्थायी भाव है। उत्साह के बिना मनुष्य कठिन कार्य करने में कभी सफल नहीं हो सकता। उत्साह के कारण ही वह पग-पग पर आने वाली कठिनाइयों का प्रसन्नता से मुकाबला करता रहता है और लक्ष्य के निबट पहुँचता चला जाता है। अतः हमें अपने मन में उमंग और उत्साह को बनाये रखना चाहिए। विश्वास और आशा ये दोनों मन की ऐसी शक्तियाँ हैं जो असम्भव को भी सम्भव बना देती हैं। विश्वास के लिए हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप में बतलाया गया है—'विश्वासो फलदायक' अर्थात् विश्वास निश्चित रूप से फल देने वाला होता है। हम देखते हैं कि हजारों-लाखों लोग ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, नियमित रूप से सेवा-पूजा और प्रार्थना करते हैं और हर प्रकार के सकटों से अपने आप को उधारते हुए इच्छित फल की प्राप्ति भी कर लेते हैं। यह उनके विश्वास का ही फल होता है। हमारा विश्वास जीवन के हर क्षेत्र में हमें सफलता प्रदान करता है। अशोक के लिए भी नीतिकारों ने लिखा है—'आशा वतावती राजन्' अर्थात् आशा मन की बहुत बड़ी शक्ति होती है। जीवन में सफलता-असफलता, सुख-दुःख और हानि-लाभ की स्थितियाँ आती ही रहती हैं, किन्तु यदि हमारे मन में आशा बनी ही रहती है तो जीवन में सफलता भी बनी रहती है और एक न एक दिन वह पूर्ण भी हो जाती है। इसके अतिरिक्त निश्चितता, इच्छा-शक्ति और कर्म-तत्परता को बनाये रखकर भी हम अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं।

5. उपसंहार—उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन में सफलता का मूल आधार मनोबल ही होता है। मनोबल के अभाव में मनुष्य का जीवन नाविकबिहीन एक नौका की तरह होता है जो हवा के वेग से कभी उधर और कभी उधर बहती रहती है। आँधी तूफान के सपेड़ों से विचलित होकर डूबती-तँरती रहती है और अन्ततोगत्वा अपने भीतर भर आये पानी के भार से एक दिन डूब जातो है। मनोबल जीवन-नौका को एक निश्चित दिशा में पूर्ण दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाता है। वह आँधी-तूफानों का डटकर मुकाबला करता है और एक न एक दिन उसे अपनी मजिद पर पहुँचा देता है।

नियन्ध की रूप-रेखा

1. प्रस्तावना—मित्र की आवश्यकता
2. मित्रता का अर्थ
3. मित्र के कर्तव्य—(i) सन्मार्ग पर चलाना (ii) समानता का व्यवहार करना । (iii) प्रत्येक कार्य में सहयोग करना (iv) विपत्ति में सहायता करना । (v) नि स्वार्थ हित-चिन्तन करना
4. आधुनिक मित्र
5. उपसंहार

1. प्रस्तावना— 'तनहा न कट सकेंगे जीवन के रास्ते,

पेश आयेगो जरूरत हमारी कभी-कभी !'

यह किसी ऐसे व्यक्ति का कथन प्रतीत होता है जिसको उसके मित्र ने टुकरा दिया है। इसीलिए उसने अपनी आवश्यकता कभी-कभी महसूस होने की बात कही है, अन्यथा जीवन में मित्र की तो कदम-कदम पर आवश्यकता अनुभव होती है। यह ससार बहुत बड़ा है और मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है। उसकी शक्ति और सामर्थ्य भी बहुत कम है तथा उसे जीवन में बड़े-बड़े कार्य करने होते हैं। वह अकेला रहकर जीवन के भारी बोझ को सहन नहीं कर सकता। उसे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए, उचित सलाह लेने के लिए, किसी भी प्रकार का सहयोग प्राप्त करने के लिए और अपने मन की बात नि मकोब तथा निर्भीक होकर प्रकट करने के लिए किसी ऐसे साथी की आवश्यकता होती है जो उसे पूर्णरूपेण अपना समझे और उसको सच्चे दिल से सहायता करे। ऐसा साथी यदि कोई हो सकता है तो वह मित्र ही हो सकता है। माता, पिता, भाई, बहन, पति अथवा पत्नी—ये सभी अपने होते हैं, किन्तु इसमें से कोई भी मित्र का स्थान नहीं ले सकता। इनके साथ अपनापन होते हुए भी मनुष्य इनके सामने अपने मन का भेद प्रकट नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त इनसे उसे कुछ निश्चित स्थानों पर, निश्चित क्षेत्रों में और निश्चित सीमा तक ही सहायता मिल सकती है, किन्तु मित्र तो एक ऐसा साथी है जो मनुष्य के साथ प्रत्येक स्थान पर उपस्थित रह सकता है। उसे हर क्षेत्र में किसी भी सीमा तक सहायता कर सकता है। इसलिए जीवन में मित्र की आवश्यकता अनिवार्य होती है। वे लोग परम सौभाग्यशाली होते हैं, जिन्हें अच्छे मित्र मुलभ होते हैं।

2. मित्रता का अर्थ—मित्रता जान-बूझकर अथवा धनिल्ट परिचय का नाम नहीं है। मित्रता तो एक ऐसा भाव है जिसमें दो व्यक्तियों के दिल और दिमाग में एक-दूसरे के प्रति इतना अपनापन होता है कि वे एक-दूसरे से अपने आपको भिन्न ही नहीं मानते। एक वा कायं दूसरे का काय, एक की कठिनाई दूसरे की कठिनाई, एक का हित दूसरे का हित और एक की हानि दूसरे की हानि बन जाती है। उनमें भेद का कोई पर्दा नहीं होता। सदा साथ रहना, साथ जीना और साथ मरना-यह भाव स्थायी हो जाता है। किसी के साथ ऐसा भाव बन जाने पर ही यह मानना चाहिए कि वह मेरा मित्र है।

मित्रता क्यों और कैसे होती है इसके लिए नीतिकारों ने एक वाक्य में ही सारी स्थिति और प्रक्रिया स्पष्ट कर दी है—

'समानशील ध्यसनेषु मित्रता'

अर्थात् जिन लोगों के शील और व्यसन समान होते हैं उनमें मित्रता स्वयं हो जाती है। मित्र बनाये नहीं जाते, बन जाते हैं। नन्वे समय तक साथ रहने एक-दूसरे के विचारों, गुणों, भावों और रुचियों अथवा ध्यसनों में एक रूपता होने पर निवृत्ता बढ़ती जाती है और उनमें सदा साथ रहने तथा एक दूसरे के लिए मर-मिटने का भाव उत्पन्न हो जाता है। यही मित्रता का लक्षण है।

3 मित्र के कर्तव्य—जैसा हम पहले कह चुके हैं, मित्र मनुष्य का सच्चा साथी होता है। वह अपने मित्र की स्थिति से पूर्ण परिचित होना है और हर स्थिति में वह उसके साथ रहता है। अतः उसके अपने मित्र के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं जिनको निभाने पर ही वह सच्चा मित्र कहलाने का अधिकारी हो सकता है।

(1) सन्मार्ग पर चलाना—सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। यह कार्य केवल मित्र ही कर सकता है और उसके लिए ऐसा करना कठिन भी नहीं होता। दूसरे लोग सारी स्थिति को जान ही नहीं सकते और सदा उसके साथ रह भी नहीं सकते। मित्र से कुछ भी छिपा नहीं रहता। जो कुछ होता है, उसके सामने ही होता है। उसे यह अनुभव करना चाहिए कि मित्र की बुराई उसकी बुराई है। उसका कुफल उसे ही नहीं उसके मित्र को भी भोगना पड़ेगा। उन दोनों का हित-अहित भिन्न है ही नहीं। इसलिए सच्चा मित्र अपने मित्र को बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर चलाता है—

'कृपय निवारि मुपन्य चत्सवा ।'

(ii) समानता का व्यवहार करना—दो मित्रों की आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक स्थिति में अन्तर हो सकता है और कभी-कभी यह अन्तर बहुत बड़ा भी होता है, किन्तु सच्चे मित्र का यह कर्तव्य है कि वह अपने मित्र के साथ समानता का व्यवहार करे। उसे किसी प्रकार से हीन अथवा छोटा न माने क्योंकि

मित्रता का धरातल तो समान ही होता है। इतना समान कि जिस पर कार और माइकिल दोनों समान गति से साथ-साथ दौड़ सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा के साथ अपनी मित्रता का निर्वाह करके हमारे सामने मित्रता का आदर्श प्रस्तुत कर चुके हैं। ऐसे उदाहरण और भी अनेक मिल सकते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि ऊँच-नीच और छोटे-बड़े का कोई भेद-भाव नहीं होगा।

(iii) प्रत्येक कार्य में सहयोग करना—मन्त्रे मित्र का कर्त्तव्य है कि वह अपने मित्र के हर कार्य में सहयोग करे। जब वह हर स्थिति में उसके साथ रहता चाहता है और रहता है तो यह स्वाभाविक ही है कि वह उसे उसके प्रत्येक कार्य में सहयोग करे क्योंकि सहयोग करने में ही मित्रता की सार्थकता है। जब एक का कार्य दूसरे का भी अपना ही कार्य है तो सहयोग न करने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी यदि कोई सहयोग करने से बतराता है तो उसे मित्र नहीं कहा जा सकता।

(iv) विपत्ति में सहायता करना—गोस्वामी मुनसीदाय जी ने मित्रता की कसौटी 'विपत्ति में सहायता' करने को ही माना है—

'धीरज, धर्म, मित्र अथ नारी, आपतकाल परखिये चारी।'

मन्त्रा मित्र वही है जो अपने मित्र की विपत्ति में सहायता करे। मुक्त धीर सम्पत्ति के समय तो हमारे अनेक लोग अपने सगे और घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं किन्तु जो विपत्ति में साथ देता है वही हमारा मित्र कहलाने का अधिकारी है। कवि रहीम की उक्ति देखिए—

'कह रहीम सम्पत्ति सगे, बनत बडुत बहु रीत।

विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सखि मोत।'

मित्रता पानी और दूध की जैसी होनी चाहिए। दूध पानी के साथ मिलाकर उसे पूर्णरूप से अपना ही जैसा बना लेता है। दूध और पानी में कोई अन्तर ही नहीं रह जाता। और जब पानी मिले दूध में से पानी को भाग बनाकर उड़ाने के लिए आग पर रखा जाता है तो अपने मित्र पर आई विपत्ति से दूध विचलित हो जाता है। वह पानी से पहले स्वयं बाहर आकर अपने मित्र के शत्रु अग्नि पर आक्रमण करके उसे बुझाने का प्रयास करता है। अपने इस प्रयास में वह स्वयं जल भरता है।

(v) नि स्वार्थ हित-चिन्तन करना—मसार के सभी लोग स्वार्थ से धँसे हैं। माता, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नि, पुत्र और पुत्री सभी का व्यक्ति के साथ अपना हित जुड़ा होता है और एक प्रकार से उनका सम्बन्ध स्वार्थ का ही सम्बन्ध होता है, किन्तु मित्र का सम्बन्ध पूर्णतया नि स्वार्थ होता है। वह तो अपने मित्र की भलाई में ही अपनी भलाई समझता है। उसकी इच्छा यही रहती है कि वह अपने मित्र के किसी काम आवे। इसके बदले वह मित्र से अपने लिए कुछ नहीं चाहता। जहाँ स्वार्थ है वहाँ मित्रता हो ही नहीं सकती। मित्रता तो त्याग और बलिदान का क्षेत्र है।

मित्रता का आधार तो नि स्वार्थ प्रेम होता है और प्रेम का आधार त्याग और बलिदान ही है। देखिए कबीर के शब्दों में—

‘कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाहि ।

सोत उतारें भुईं घरं, सो पंसे घर माहि ॥’

समार के इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं, जिनमें मित्रों ने अपने मित्र के हित में नि स्वार्थ भाव से अपने प्राणों की आहुति दी है।

4. आधुनिक मित्र—मित्रता का वास्तविक स्वरूप समझ लेने के बाद हमें ऐसा लगता है, जैसे आधुनिक मित्र हमारे मित्र न होकर शत्रु हो। ऐसा भी प्रतीत होता है, जैसे मित्रता के परम्परागत मानदण्ड उलटे हो गये हैं। यूरोप, मंदिरापान तथा और अन्य अनेक प्रकार की बुराइयाँ हमें मित्रों की कृपा से प्राप्त होनी हैं। पढाई-लिखाई तथा अन्य प्रकार के जीवन-निर्माण के कार्यों से बिरत होने की प्रेरणा हमें आधुनिक मित्र ही देने हैं। छल, बचक और धोखे का अनुभव हमें मित्र ही कराते हैं। जब तक हमारी जेब में पैसा होता है, वे हमारे साथ-साथ बड़ी आदमीयता के भाव से रहते हैं किन्तु जब पैसा समाप्त हो जाता है या किसी अन्य प्रकार की विपत्ति में हम फँस जाते हैं तो वे हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, जैसे उनकी और हमारी कभी जान-पडचान ही नहीं थी। मित्र की सम्पत्ति और पत्नी पर कुदृष्टि रखने बाने मित्रों की आज कमी नहीं है। जब तक स्वार्थ की पूर्ति की आशा रहती है वे हमारे अपने बने रहते हैं और हमारी खूब प्रशंसा भी करते रहते हैं, किन्तु यदि उन्हें यह विश्वास हो जाए कि उन्हें उनकी स्वार्थ-सिद्धि में हमसे कोई सहायता नहीं मिलेगी तो वे हमारी निन्दा के काम में लग जाते हैं। ऐसे भी अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं जिनमें मित्रों ने ही अपने मित्रों को धोखा दिया है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उन्होंने अपने मित्र को फाँसी के तल्ले पर पहुँचाने में भी कोई सकोच नहीं किया।

5. उपसंहार—यह वर्तमान युग का ही प्रभाव है कि आजकल सच्चा मित्र मिलना बहुत दुर्लभ हो गया है, किन्तु सौभाग्य से यदि किसी को अच्छा मित्र मिल जाता है तो उसे ससार की एक बहुमूल्य निधि प्राप्त हो जाती है। सच्चा मित्र मिल गया तो समझना चाहिए कि जीवन-मार्ग के लिए एक सच्चा साथी मिल गया। सच्चा मित्र प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य को अन्य कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। उसे मित्र के रूप में पथ-प्रदर्शक, सहायक, रक्षक, प्रेरक, शक्ति-दायक और उद्धारक आदि सभी मिल जाते हैं। उसका जीवन सुखी और सफल हो जाता है।

निबन्ध की रूप-रेखा

1. प्रस्तावना
2. प्राचीनकाल में नारी की स्थिति
3. नारी की स्थिति में परिवर्तन
4. वर्तमानकाल में नारी
5. आधुनिक युग में नारी की समस्याएँ
6. समाधान के सुझाव
7. उपसंहार

1. प्रस्तावना—हमारी भारतीय सभ्यता में नारी को पुरुष की अर्द्धांगिनी माना गया है। यह मान्यता कितनी सटीक और सार्थक है। पुरुष और नारी दोनों मिलकर ही पूर्ण होते हैं। एक के अभाव में दूसरा आधा ही रहता है। इस दृष्टि में नारी को पुरुष की अर्द्धांगिनी मानना सर्वथा उपयुक्त है। नारी और पुरुष के रूप में ईश्वर की रचना ही कुछ इस प्रकार की है कि ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरे का जीवन अपूर्ण ही बना रहता है। सृष्टि का अस्तित्व ही दोनों के मिल से है। इस दृष्टि से दोनों का महत्त्व समान है। नारी या पुरुष में से किसी का भी महत्त्व किसी से कम नहीं है। समस्त ब्रह्माण्ड में और सृष्टि के कण-कण में स्त्री-पुरुष के युग्म का अस्तित्व और महत्त्व दिखाई पड़ता है। ब्रह्मा और माया, शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति के रूप में सृष्टि के रचियता स्वयं ईश्वर का रूप भी हम स्त्री-पुरुष के युग्मरूप में ही देखते हैं।

नारी का स्वरूप पुरुष के अनिवार्य अंग के रूप में होने हुए भी पुरुष की तुलना में नारी का महत्त्व कम देकर इस विषय में गम्भीरता से मोचने की आवश्यकता का अनुभव होना स्वाभाविक है। अतः हम इस विषय पर तटस्थ होकर समग्र दृष्टि से विचार करने का प्रयास करेंगे।

2. प्राचीन काल में नारी की स्थिति—प्राचीन काल में भारतीय समाज में नारी को उचित महत्त्व और सम्मान का स्थान प्राप्त था। यद्यपि उमका वार्ष-क्षेत्र प्रमुखरूप से ही घर ही था, किन्तु आवश्यकता होने पर वह घर से बाहर भी

कार्य करके पुरुष को अपना पूरा सहयोग देती थी। यहाँ तक कि युद्ध में भी वह पुरुष के साथ रहती थी और स्वयं भी शास्त्र-संचालन करती थी। उसे गृह-लक्ष्मी और गृह-देवी के नाम से पुकारा जाता था। वह अपनी योग्यता, विद्वत्ता और चातुर्य से पुरुष को मत्परायण भी देती थी। गार्गी, मैत्रीय अनुसूया आदि स्त्रियों के नाम इस प्रसंग में विशेष उल्लेखनीय हैं। पर्दा-प्रथा का कोई अस्तित्व ही नहीं था। परिवार के पालन-पोषण और घर की देख-रेख में नारी की सेवा भावना, प्रेम, त्याग, ममता और बुद्धि कौशल को देखकर ही नीतिकारों ने कहा था—

‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता’

अर्थात् जिस घर में नारी को सम्मानजनक स्थान प्राप्त है, वह घर देवताओं के रमण करने का स्थान स्वर्ग है। हमारे शास्त्रकारों ने और समाज के व्यवस्थापकों ने नारी को पुरुष के समान ही अधिकार दिये थे। उन्होंने किसी भी धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठान में नारी का माय रखना अनिवार्य बतलाया था। नारी के बिना पुरुष के द्वारा किया गया कोई भी अनुष्ठान पूर्ण ही नहीं माना जाता था। इन प्रकार प्राचीन काल में भारतीय समाज में नारी को वही स्थान प्राप्त था, जो उसे प्राप्त होना चाहिए।

3 नारी की स्थिति में परिवर्तन—कालान्तर में भारतीय समाज में नारी की स्थिति विगड़ गई। पुरुष ने अपने बाहुबल के प्रताप से और आर्थोविका के उपार्जन का कार्य करने के प्रभाव से समाज में अपना स्थान प्रमुख बना लिया और नारी का स्थान गौण हो गया। इसके परचातु न्यति में निरन्तर विगाड होना ही चला गया। उसका महत्त्व कम होते-होते उसकी मोमा घर की चार दीवारी तक ही सिमट कर रह गई। पुरुष की बाहना की तृप्ति करने, सन्तानोत्पत्ति करने, बासको का सातन-पालन करने और पुरुष की सेवा करने के कार्य तक ही उसकी उपयोगिता समझ ली गई। पुरुष के समान ही समान महत्त्व और सम्मान से विनूयित नारी पुरुष की अनुगामिनी, अनुचरी और इच्छानुवर्तिनी बन गई। वह गृह-लक्ष्मी के पद से पदच्युत होकर गृहदासी मात्र रह गयी। भारत पर विदेशियों के बर्बर आक्रमणों से उसकी स्थिति में और भी विगाड हुआ। ये आतंकी आक्रमणकारी घन ही नहीं, लतनामो की इज्जत भी सूटते थे। नारियों की रक्षा के लिए इन्हें और भी छोटी मोमा में बाँध कर रखा गया तथा पर्दा-प्रथा प्रारम्भ हो गयी। विदेशी आक्रमणों के फलस्वरूप देग की स्वाधीनता के साथ-साथ नारियों की स्वाधीनता भी पूर्णतया समाप्त हो गयी। अब नारी पुरुष की सेविका और उसके वित्त का नाशन मात्र रह गयी। इतिहास साक्षी है कि पर्दा-प्रथा, सती-प्रथा, बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह और बहुविवाह आदि कुप्रथाओं के द्वारा नारी पर बितने अत्याचार हुए और उनमें विवश होकर उनको सहन किया। मध्यकालीन सन्तों, साहित्यकारों और शास्त्रकारों ने भी नारी की पीडा को नहीं समझा। गोस्वामी तुलसीदास जैसे महान् सन्त ने भी नारी के विषय में अपने अनुदार विचार ही व्यक्त किये—

‘दोल, गँवार, शूद्र, पगु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी ।’

अठारहवीं शताब्दी के अन्त में और वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ में राजा राम मोहन राय, विवेकानन्द, महात्मा गांधी आदि समाज-सुधारकों ने नारी की स्थिति सुधारने के प्रयत्न किये और देश की स्वतंत्रता के साथ ही नारी को भी किन्हीं अंशों में स्वतंत्रता प्राप्त हो गई ।

4. वर्तमान काल में नारी—वर्तमान काल में नारी की स्थिति में काफी सुधार हो गया है, किन्तु अब भी वह पुरुष की आधीनता, दासता और उसके अत्याचारों से मुक्त नहीं हो पाई है । यद्यपि स्वतंत्र भारत के संविधान में नारी को पुरुष के समान ही सब अधिकार दिये हैं, हिन्दू-कोड बिल से उसे पंतुक सम्पत्ति में समान अधिकार दिया है, किन्तु अपने व्यावहारिक जीवन में वह अब भी पुरुष की दासी और इच्छानुवर्तिनी ही बनी हुई है । पुरुष अब भी उस पर अपना पूर्ण अधिकार मानता है और उसे अपनी गृहचर्या, सन्तान का लालन-पालन और अपनी वासनाओं की नृप्ति के साधन से अधिक महत्त्व नहीं देता है । दहेज-प्रथा, पर्दा-प्रथा, बहुविवाह, अनमोल विवाह और बंधव्य की प्रथाओं के कारण आज भी उस पर निर्भर अत्याचार हो रहे हैं । नारियों में शिक्षा का प्रचार हो रहा है, किन्तु इसका प्रतिशत बहुत कम है । कुछ विकसित देशों में और विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में नारी ने घर से बाहर भी अपना कार्य क्षेत्र बनाया है । अब वे सरकारी कार्यालयों तथा निजी क्षेत्र के कार्यालयों में नौकरियाँ करती हैं, व्यापार करती हैं और सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों में भी कार्य करने लगी हैं, किन्तु इनमें से अधिकांश की स्थिति अच्छी नहीं है । उन्हें कदम-कदम पर अपमान, तिरस्कार और वासना से भरी कुदृष्टि का शिकार होना पड़ रहा है । यह स्थिति तो उन नारियों की है, जो पूर्ण रूप से शिक्षित तथा जागरूक बन गई हैं । जो नारियाँ अशिक्षित और पिछड़पन की शिकार हैं और जिनकी संख्या अस्सी प्रतिशत से अधिक है, उनकी स्थिति क्या होगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है ।

5. आधुनिक युग में नारी की समस्याएँ—आधुनिक युग सामाजिक परिवर्तन का युग है जिसमें समाज के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है । नारी की स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है । सदियों से चली आ रही व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया से अनेक समस्याएँ उत्पन्न होना स्वाभाविक है, जिनमें प्रमुख ये हैं—

(1) शिक्षा सुविधा का अभाव—देश के अधिकांश क्षेत्रों में अभी स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पायी है, जबकि सभी नारियाँ शिक्षा प्राप्त करने को आतुर हैं । जिन स्थानों पर शिक्षा की सुविधाएँ सुलभ हैं, वहाँ नारियों को इस सुविधा से वंचित रखा जाता है, जिसके कारण अनेक अन्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं ।

(ii) पर्दा-प्रथा—ग्रामीण क्षेत्रों में और कुछ जाति तथा समुदाय के लोगों में नारियाँ से अब भी पर्दा-प्रथा का कठोरता से पालन करवाया जाता है और नारियाँ इस बन्धन से मुक्त होना चाहती हैं।

(iii) बाल-विवाह, धनमेल विवाह, बहु विवाह, वंशव्य तथा दहेज आदि की कुप्रथाओं के कारण नारी-जीवन अनेक समस्याओं से ग्रस्त है। एक और पिता की शान्ता मानने की परम्परा का निर्वाह और दूसरी ओर जीवन के सुख-स्वप्नों की बलि के द्रव्य में फँसी आधुनिक नारी किकर्णव्य विमूढ़ सी हो रही है।

(iv) पुरुष का अन्याय दृष्टिकोण—जो नारियाँ श्रमोपार्जन में पुरुष को सहयोग देने के लिए घर से बाहर निकल आई हैं, उनके प्रति घर और घर के बाहर उसके कार्य-स्थान पर पुरुष का व्यवहार उदार और न्यायोचित नहीं है। जिससे नारी के सामने अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।

(v) आभूषण और श्रम-प्रेम—गढ़ लिल कर मुशिक्षित और सम्य हो जाने के बावजूद नारियों में बनाव शृंगार और आभूषणों के प्रति प्रेम यथावत् बना हुआ है। इससे जहाँ एक ओर उनके तथा उनके परिवार के सामने आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, वहीं दूसरी ओर उनके प्रति पुरुष का वासनात्मक अकर्षण भी बढ़ता है जो दूसरे प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न करता है।

(vi) पुरुष की आधीनता—नारी सभी क्षेत्रों में पुरुष के समान अधिकार चाहती है और पुरुष उसे हर क्षेत्र में अपने अधीन ही बनाये रखना चाहता है। इस अधिकार-सर्पण के कारण भी नारी के सामने अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

6. समाधान के उपाय—नारी की उपर्युक्त समस्याओं का समाधान होना आवश्यक है। इसके लिए प्रशासन, समाज, पुरुष और स्वयं नारी के स्तर पर समाधान के उपाय किये जाना अपेक्षित है। प्रशासन ने नारी को कानूनन पुरुष के समान ही अधिकार दे दिये हैं, किन्तु इन कानूनों की पालना में तत्परता और दृढ़ता नहीं बरती जाती। विवाह और दहेज सम्बन्धी कानूनों को और अधिक कठोर बनाया जाना चाहिए और उनका हठला से पालन करवाने की संवेदनशील व्यवस्था कायम की जानी चाहिए। समाज को नारी के विषय में अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिए। पर्दा प्रथा को समाप्त करने में समाज को ही पहल करनी चाहिए। नारियों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए भी समाज को ही प्रयत्न करना चाहिए। विवाह के सम्बन्ध में समाज को कन्याओं की स्थिति और रुचि का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। प्रेम-विवाह, अन्तर्जातीय विवाह और विधवा विवाह तथा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

7. उपसंहार—यह प्रसन्नता और सन्तोष की घात है कि स्वतन्त्रता भारत में नारी की स्थिति में निरन्तर गुंथार होता प्रतीत हो रहा है। आज भी हमारे देश में अनेक नारियाँ प्रशासन और अन्य क्षेत्रों में उच्च पदों पर आसीन हैं।

25 | देश की वर्तमान स्थिति में हमारा कर्तव्य

निबन्ध की रूप-रेखा

1. प्रस्तावना
2. देश की वर्तमान स्थिति—राजनैतिक, प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ ।
3. वर्तमान स्थिति के कारण
4. सुधार के उपाय और हमारा कर्तव्य
5. उपसंहार

1. प्रस्तावना—किसी देश की स्थिति उस की राजनैतिक, प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर होती है। इन परिस्थितियों को देखकर ही देश की स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। जिस देश में राजनैतिक स्थिरता हो, प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हो, समाज में प्रेम, सद्भाव, एकता और कर्तव्य-पालन की भावना व्याप्त हो तथा गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और मंहगाई न हो एवम् जिस देश के नागरिक अपने हितों के साथ समाज और राष्ट्र के हितों का भी ध्यान रखने वाले हो, उस देश की स्थिति अच्छी मानी जाती है। इसके विपरीत जिस देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी न हो, गरीब और अमीर की स्थिति में जमीन-आसमान का अन्तर हो, भ्रष्टाचार, पक्षपात और स्वार्थ-वृत्ति का बोलबाला हो, देश की जनता दुःखी हो तथा देश असंगठित एवं असुरक्षित हो तो उस देश की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती।

2. हमारे देश की वर्तमान स्थिति—हमारे देश की वर्तमान स्थिति कुल मिलाकर सतोषजनक नहीं कही जा सकती। देश की विभिन्न परिस्थितियों पर पृथक्-पृथक् रूप से विचार करने पर स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

(1) राजनैतिक परिस्थितियाँ—हमारे देश में इस समय राजनैतिक परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं। देश की राजनीति में सत्ता-स्वार्थ सर्वोपरि महत्त्व

प्राप्त करता जा रहा है। दल-बदल, दलीय हितों की रक्षा में सर्वधानिक व्यवस्थाओं को अनदेखी करना, जातिवाद और क्षेत्रीयवाद के आधार पर राजनैतिक दलों का गठन—ये सब इस प्रकार के कार्य हैं, जिनसे राजनैतिक वातावरण दूषित होता है और देश की राजनीति में अस्थिरता उत्पन्न होकर भ्रष्टराजवाद को प्रोत्साहन मिलता है। सत्ताधारी दल विपक्ष के हर प्रस्ताव को ठुकराता है चाहे वह देश हित में उपयोगी ही क्यों न हो। विपक्ष हर बात में सत्ता पक्ष का विरोध करता है यहाँ तक कि मानवीय संवेदना के प्रकरणों को भी राजनैतिक रंग देकर सरकार को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त विपक्ष बहुत कमजोर और विभाजित है तथा हड़तालों और आन्दोलनों के सिवा वह अपनी कोई रचनात्मक भूमिका अदा नहीं करता। इस प्रकार देश की राजनैतिक परिस्थितियाँ ठीक नहीं कही जा सकती।

(ii) प्रशासनिक स्थिति—कहने को तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश में सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था कार्यम है, किन्तु वास्तविकता यह है कि इस समय हमारे देश में प्रशासनिक ढांचा भीतर से खोखला हो गया है। प्रशासनिक खर्च पर सरकार की आय का बहुत बड़ा हिस्सा व्यय होता है, किन्तु जनता को उसका उचित लाभ नहीं मिलता। बहुत से सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हड़तालों और आन्दोलनों के जरिये कर्मचारी निरन्तर अपनी सुविधाओं में बड़ोत्तरी करते जा रहे हैं और अपने दायित्वों के निर्वाह में उसी अनुपात में उपेक्षा वृत्ति को अपनाते जा रहे हैं। सालपीनाशाही की जटिल प्रक्रिया में फाइलों के ढेर बढ़ते जाते हैं और इसी के साथ जन-सामान्य की कठिनाइयाँ भी बढ़ती जाती हैं। प्रशासनिक शिथिलता के कारण देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। अपराधों और अपराधों की सख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है।

(iii) सामाजिक स्थिति—देश की सामाजिक स्थिति भी इस समय अच्छी नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण गरीब और मध्यम वर्ग की जनता बहुत परेशान है। अब देश में निरक्षरता का प्रतिशत बहुत अधिक है। समाज में स्त्रियों की दशा शोचनीय बनी हुई है। दहेज जैसी घातक सामाजिक प्रथा और अधिक व्यापक होती जा रही है। यद्यपि देश में साम्प्रदायिक सद्भाव बना हुआ है, किन्तु यदाकदा देश के कुछ भागों में साम्प्रदायिक उपद्रव भी होते रहते हैं। देश में इस समय जातिवाद और वर्ग-हित की भावना जोर पकड़ती जा रही है जिससे देश की एकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

(iv) आर्थिक स्थिति—इस समय देश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं बही जा सकती। यद्यपि राष्ट्रीय उत्पादन और विकास की दर में वृद्धि हो रही है, किन्तु देश में विदेशी ऋणों के भार से दबा हुआ है। एक तरफ सरकार घाट

की अर्थ-व्यवस्था से बान बला रही है और दूसरी ओर देश में कानेधन की एक समानान्तर अर्थ-व्यवस्था चल रही है। मुद्रास्फीति बनी हुई है और मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। मूल्य वृद्धि के साथ ही वेतन वृद्धि और वेतन वृद्धि के साथ ही पुनः मूल्य वृद्धि का दुश्चक्र निरन्तर तीव्र गति से घूम रहा है।

3. वर्तमान स्थिति के कारण—देश की वर्तमान असतोषजनक स्थिति के अनेक कारण हैं जिनमें निम्नलिखित कारण प्रमुख हैं—

(i) राजनीतिक भ्रष्टाचार—देश की राजनीति इस समय सत्ता-स्वार्थ की अनीति बनी हुई है। राजनेता अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते हैं तथा जातिवाद, साम्प्रदायिकता और वर्गवाद को भी उकसाते हैं। हर बात में प्रशासनिक व्यवस्था में दखलान्दाजी होने के कारण निष्ठावान प्रशासनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों का मनोबल गिरता है और प्रशासनिक व्यवस्था शिथिल पड़ती है। पक्षपात और अनुचित सरक्षण के कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति में भी ढिगाड़ होता है।

(ii) नैतिक पतन—हमारे देश में नैतिक भावनों का पालन करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम रह गई है और इसमें हास ही होता जा रहा है। भ्रष्टाचार आज एक शिष्टाचार बन गया है। ईमानदारी, सदाचार और कर्तव्य-पालन की बात करने वाले लोग दकियानूसी विचारधारा के लोग माने जाने लगे हैं। आज निजी हितों की तुलना में समाज या देश के हितों का कोई मूल्य नहीं रह गया है। हमारे देश की जनता का नैतिक पतन इस सीमा तक पहुँच गया है कि आज व्यक्ति अपने छोटे से स्वार्थ के लिए देश का बड़े से बड़ा अहित करने में भी नहीं हिचकिचाता। भौतिक समृद्धि की चाह में सत्य, न्याय, ईमानदारी और नीति का गला घोट देना एक सामान्य बात हो गई है।

(iii) व्यापक विकास और जन-संख्या वृद्धि—स्वाधीनता-प्राप्ति के पश्चात् देश में व्यापक रूप से विकास कार्यक्रमों का विस्तार हो रहा है और जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती जा रही है। ये दोनों ही कारण देश में व्यवस्था बनाये रखने में बाधा उत्पन्न करते हैं।

(iv) विदेशी कूटनीति—जो देश हमारे देश को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते, वे विभिन्न उपायों से देश में फूट फैलाकर उपद्रव करवाने हैं और देश की स्थिरता तथा विकास की गति को कम करने का प्रयत्न करते हैं।

4. वर्तमान स्थिति में हमारा कर्तव्य—यद्यपि हमारे देश की वर्तमान स्थिति अनेक दृष्टियों काफ़ी खराब हो चुकी है, किन्तु अब भी वही कोई चिन्ताजनक स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। इसलिए यदि देश की युवा पीढ़ी इसमें सुधार करने का सवत्प ले तो बड़ी सरलता से सुधार हो सकता है। स्वाधीनता-प्राप्ति से पहले की युवापीढ़ी ने देश को आज्ञाद कराने के लिए सधर्य किया था। उनके सधर्य और

त्याग के फलस्वरूप देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, किन्तु यह एक राजनैतिक स्वतंत्रता मात्र ही है। देश को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बनाने का काम अभी शेष है। आजादी के बाद जन्म लेने वाली युवा पीढ़ी को यह शेष काम पूरा करना है। देश में खुशहाली आवे, कानून और व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हो, देश की गरीबी और पिछड़ापन दूर हो, देश की जनता में सद्भाव और भाईचारे की भावना बनी रहे तथा देश की एकता और असण्डता की हर कीमत पर रक्षा हो सके, इसके लिए हमें निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए —

(i) देश-हित और समाज-हित को महत्त्व देना—वर्तमान स्थिति में हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने चिन्तन-मनन और कार्य-प्रणाली में देश-हित को सर्वोच्च महत्त्व दें। अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए देश और समाज-हित के कार्यों की अनदेखी करने की वृत्ति का परित्याग कर दें। देश-हित को ही अपना हित, देश की समृद्धि को ही अपनी समृद्धि और देश की जनता के कष्टों को ही अपना कष्ट समझकर कार्य करें।

(ii) देश की जनता में जागृति उत्पन्न करना—देश की अधिकांश जनता अशिक्षित और पिछड़ी हुई है। उनकी इस कमजोरी का स्वार्थी तत्त्व अनुचित लाभ उठाते हैं। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने स्तर पर ही देश में शिक्षा का खूब प्रचार करें और जनता में जागृति उत्पन्न करें। जब देश की साठ करोड़ जनता शिक्षित होकर जाग उठेगी, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को ठीक से समझने लग जायगी तो हमारी अनेक समस्याएँ स्वतः सुलभ जायेंगी।

(iii) कर्तव्य-पालन और कठिन परिश्रम—कठोर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हम जहाँ भी हैं, जिन कार्य में लगे हैं—उस स्थान और उस कार्य के सम्पादन में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें। इसके साथ ही कठोर परिश्रम करते रहें। सत्कार में ऐसा कोई कार्य नहीं है और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान परिश्रम से सम्भव न हो। हमें दिखावटी बाबूगिरी की शान को छोड़कर शारीरिक श्रम के कार्य करने में भी सकोच नहीं करना चाहिए।

(iv) सरकार को सहयोग—सरकार देश के विकास के लिए अनेक योजनाएँ लागू करती है, किन्तु जनता के सहयोग के अभाव में योजनाएँ पूर्णरूप से सफल नहीं हो पाती हैं और इनका लाभ जनता को नहीं मिल पाता है। अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हम सरकार के प्रत्येक रचनात्मक कार्य में अपना सक्रिय सहयोग देकर उन्हें सफल बनावें।

(v) देश-द्रोहियों का सफाया—प्रत्येक वह व्यक्ति जो देश-द्रोह के कार्य करता है, देश का दुश्मन है। भ्रष्टाचारी, बालावाजारी, जमाखोर और कामचोर—ये सभी लोग गद्दार हैं और देश के दुश्मन हैं। इनके बाने कारनामों से देश में अनेक विकट समस्याएँ उत्पन्न होती हैं और देश की जनता की कठिनाइयाँ बढ़ती

हैं। हमारा यह कर्तव्य है कि हम इन्हें बेगकाब करें। इनकी हरकतों पर भ्रंशुग सगावें और इन्हें कानून के हवाले करने में कोई कसर न छोड़ें। इसी प्रकार सम्प्रदायिकता फैलाने वाले तथा भ्रतगाववादी प्रवृत्ति के लोग भी देश के दुश्मन हो हैं। वे देश-विदेश में छिपे हमारे देश के शत्रुओं के इशारों पर देश में भ्रातक और उपद्रव फैलाने की कार्यवाहियाँ करते हैं। प्रत्येक देश-भक्त नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश के इन शत्रुओं की खोज करे और इनका सफाया करने के काम में सरकार की मदद करे।

यह सही है कि उपसुक्त कर्तव्यों का पालन करने में हमें कदम-कदम पर अपनी हानि होने की आशंका बनी रहेगी, किन्तु क्या इसी भय से हमारा कर्तव्य-विमुख बने रहना उचित होगा? देश को सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता क्या बिना भुर्चानी के मिल जायगी?

उपसंहार—कोई भी देश या समाज न बुरा होता है और न भला। किसी देश के नागरिक और समाज के सदस्य यदि बुरे होते हैं तो वह देश और समाज भी बुरा होता है और यदि वे अच्छे होते हैं तो देश और समाज भी अच्छा होता है। आज हमारे देश में जो बुराइयाँ हैं वे हमारे ही कारण से हैं। यदि हम इन बुराइयों का व्यक्तिगत स्तर पर त्याग करना प्रारम्भ कर दें तो देश की सारी बुराइयाँ स्वतः समाप्त हो जायेंगी। देश-हित या समाज-हित हमारे व्यक्तिगत हित से भिन्न कोई चीज नहीं है, यह तो केवल हमारी समझ का फेर है। देश और समाज के हित में ही हमारा स्वयं का हित सुरक्षित है। भ्रत, हमें अपने व्यक्तिगत हितों की रक्षा के लिए भी देश-हित को ही महत्व देना चाहिए। देश-हित को महत्व देने के कारण ही आज हमारे सामने समस्याओं का भ्रम्बार लग गया है। इन समस्याओं में वे लोग भी उत्तम गये हैं जिन्होंने देश-हित की भ्रनदेखी करके स्वयं के हितों को ही महत्व दिया है। इस भूल-भुलैया से निकलने का एक ही उपाय है, और वह यह कि जिस मार्ग से हम यहाँ तक पहुँचे हैं उसी मार्ग से उल्टे पाँव लौटने का प्रयत्न करें।

□□□

निबन्ध की रूप-रेखा

(1) प्रस्तावना—खेल खेलने और मैच देखने में रुचि

(2) फुटबाल मैच—मैच की सूचना मिलना तैयारी होना, टिकट प्राप्त करने में कठिनाई आना, दर्शकों की भीड़ होना, शानदार खेल का प्रदर्शन देखना

(3) उपसंहार—कष्ट और अनुविधाओं के बावजूद मानसिक सन्तोष

प्रस्तावना—मनोरजन के अनेक साधन हैं जैसे रेडियो टेलीविजन, नाच-गान, पुस्तकें, कविता और खेल-कूद। जिसकी जिम्मेदारी रुचि होनी है, उसे वही प्रिय होता है और उसी से उसका मनोरजन होता है। अपने प्रिय मनोरजन का जब भी अवसर मिलता है, मनुष्य उस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करता है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि किसी मनोरजन का लाभ उठाने के चक्कर में मनुष्य को आर्थिक हानि भी उठानी पड़ जाती है और परेशान भी होना पड़ता है, किन्तु मनोरजन का आकर्षण इतना तीव्र होता है कि सब कुछ सहन करने को तैयार हो जाता है और अपने प्रिय मनोरजन के अवसर को हाथ से नहीं जाने देता।

विषय प्रवेश—मुझे खेल-कूद बहुत प्रिय है। मैं स्वयं भी नियमित रूप से फुटबाल खेलता हूँ और फुटबाल का खेल देखना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग सभी खेल अपनी अपनी जगह अच्छे होने हैं, किन्तु फुटबाल की तो बात ही निराली है। तेज रफ्तार से दौड़ना, विपक्षी को चकमा देना, पूरी ताकत से भिड़ पड़ना, गेंद को शॉट लगाकर दूर फेंकना, सिर और पाँवों से ही वह सब काम लेना जो हाथों से करना भी ठीक नहीं होता है। पूरी चुस्ती, पुर्तों, शरीर का सन्तुलन, साहम और बल इन सब के योग से ही फुटबाल का खेल खेला जाता है। इसलिए मुझे जब भी फुटबाल का अच्छा मैच देखने का अवसर मिलता है, मैं उस अवसर का लाभ अवश्य उठाता हूँ चाहे मुझे इसके लिए कितना ही त्याग क्यों न करना पड़े।

उस दिन मैं मोंकर उठा ही था कि 'राजस्थान पत्रिका' के मुख्य पृष्ठ पर जयपुर में चल रहे सरदार पटेल फुटबाल टूर्नामेंट में कनकरुने की नामी टीम मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब और आर ए सी वीकानेर की टीमों के बीच मैच का समाचार

पड़ा। मेरी बहिन खिल गई। आर ए सी चौकानेर की टीम का खेल तो मैं पहले भी देख चुका था, लेकिन मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का खेल देखने का कभी अवसर नहीं मिला। यह टीम भारत की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक है— यह मैं जानता था। कैसा शानदार होगा यह मुकाबला ! कितना कलात्मक खेल होगा इनका ! इन्हीं विचारों और कल्पनाओं में डूबते हुए मैंने निश्चित कर लिया कि मैं यह मैच जरूर देखूंगा। पिताजी उम्र दिन घर पर नहीं, माताजी को मित्रता करके मैंने किमी प्रकार राजी कर लिया। जल्दी-जल्दी नहा-धोकर कुछ चाया-पिया और घर से रवाना हो गया। एक-दो मित्रों से बात की, किन्तु जब उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्ति की तो मैं अकेला ही पैदल चलकर अपने गाँव के रेलवे स्टेशन पर पहुँचा। वहाँ पता चता कि गाड़ी एक घंटे टेट है। किमी तरह वह समय गुजरा। गाड़ी धायी और मैं टिकट लेकर बैठ गया। करीब 3 बजे मैं जयपुर पहुँचा। मैच 4:30 पर प्रारम्भ होने वाला था। जल्दी से रिक्शा किया, मुँह माँगा किराया दिया और सीधे सवाई मानसिंह स्टेडियम पहुँच गया।

स्टेडियम के बाहर हजारों लोगो की भीड़ जमा थी। धानाघात पुलिस तथा दूसरी प्रकार की पुलिस के अनेक अफसर और जवान भीड़ पर नियंत्रण करने में लगे थे। मैं भीड़ को चीरता हुआ जरा से टिकट की सिडकी के पास पहुँच जाना चाहता था। कुछ दूर ही आगे बढ़ा था कि एक पुलिस वाले ने रोका—“क्यों धक्के लगा रहे हो ?” मैंने आजी जी करके कहा—“साहब ! मुझे टिकट लेना है। आप मुझे टिकट सिडकी तक पहुँचा दीजिए।” पुलिसमैन हँसा और बोला—“अब टिकट कहाँ है ? टिकट तो पच दिक् चुके। टिकट सिडकी भी बन्द कर दी गई है। जाओ कल मैच देखता।” पुलिस वाले का जवाब सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा सबस्व छीन लिया हो। मुझे बहुत निराशा हुई और मैं भारी मन से धीरे-धीरे भीड़ से बाहर निकल आया। मुझे इतना दुःख हुआ कि मुझ से खडा भी नहीं रहा गया। भीड़ से दूर हटकर मैं एक पेड़ की छाया में बैठ गया। मैं मुँह लटकाये वहीं बैठा-बैठा आकर्षक खेल का कल्पनाओं में खो गया। कुछ देर बाद ही यकायक मेरी दृष्टि पास ही खड़े कुछ लोगो के झुंड पर पड़ी। मैंने अनुमान से ही भाँप लिया कि वहाँ शायद कोई ब्लैक से टिकट बेच रहा है। मैं लपक कर वहाँ पहुँचा। मेरा अनुमान सही था। एक फंशनेबुल नौजवान पाँच रुपये के टिकट पन्चीम रुपये में बेच रहा था। कुछ लोग उसे पन्द्रह रुपये में देने को कह रहे थे। उसके पास केवल एक ही टिकट बचा था। मैंने जल्दी से उसे पन्चीम रुपये देकर टिकट से लिया और तौर की तरह धौडता हुआ स्टेडियम के भीतर प्रवेश कर गया।

स्टेडियम के भीतर का दृश्य देखकर चित्त प्रसन्न हो गया। चारों ओर मकिल में दर्शकों से स्टेडियम खचाखच भरा था। बीच में एकदम साफ-सुपरा हरा-भरा समतल मैदान था। जिस पर सफेद चूने की लाइनें बड़ी आकर्षक लग रही थी। खेल शुरू होने में करीब दस मिनट का समय शेष था। दोनों टीमों गोल पोस्टों पर

वर्तिका का अभ्यास कर रही थी और खिलाड़ी घबड़ा रहे थे। तान और हने जग-नियों में सजे-सँवरे खिलाड़ी देखने में बड़े आकर्षक लग रहे थे। उनकी पुर्तों, गोल में किक लगाने का स्टाइल और गोली की सावधानी का खेल देखकर दर्शक बहुत प्रसन्न हो रहे थे। दोनों का अभ्यास ऐसा सधा हुआ था कि कौन-सी टीम जीतेगी, इतना पूर्वानुमान लगाना कठिन हो रहा था। मेरे आस-पास बैठे कुछ लोग हार-जीत के सौदे बर रहे थे। मैंने पहले से अनुमान लगाना उचित नहीं समझा, क्योंकि दोनों टीमों वेहद सन्तुलित थीं। कुछ क्षण बाद काली पोशाक पहने निर्णायक मैदान में आया और उमने जोर से ह्विशल बजाई।

ह्विशल की आवाज सुनते ही सब का ध्यान मैदान की ओर केन्द्रित हो गया और लगभग बीस हजार दर्शकों की उपस्थिति होने हुए भी पूर्ण निस्तब्धता छा गयी। कुछ ही क्षणों में दोनों टीमों के खिलाड़ी अपने-अपने स्थानों पर आमने-सामने खड़े हो गये। निर्णायक ने दोनों टीमों के कप्तानों के हाथ मिलाये। दर्शकों ने तालियाँ बजाकर उनके मैत्रीभाव का स्वागत किया। निर्णायक ने घड़ी देखी और खेल प्रारम्भ करने के लिए ह्विशल बजा दी। खेल शुरू हो गया। कुछ क्षण तो गेंद धीमा गति से इधर से उधर लुटकती रही, किन्तु फिर खेल में यकायक तेजो आ गई। आर ए सी की टीम के सेंटर हॉफ ने गेंद को ऊँचा उठाकर बलकता की टीम के पेनल्टी एरिया में डाल दिया। बीकानेर के खिलाड़ियों ने उसे हँड करके एक-दूसरे को पास दिया। देखते-देखते गेंद गोल एरिया में ऐसी उछली कि बीकानेर के राइट आउट को पंतालीम डिप्रो के ए गिल पर मिली। कलकत्ते की टीम का फुलबैक एक कदम पीछे था। राइट आउट ने चाली बनाकर ऐसा दनदनाता हुआ शॉट गोल में मारा कि गोली गेंद को सम्भाल ही नहीं सका और गेंद गोल के भीतर नैट में झूलती नजर आयी। यह देखकर दर्शक अपने स्थानों पर खड़े होकर जोर-जोर से चिल्लान लगे और हाथ हिलाने लगे। खेल प्रारम्भ होने के सात मिनट बाद ही बीकानेर न गोल कर दिया। कलकत्ते की टीम हक्का-बक्का रह गयी। राजस्थान की टीम होने के नाते दर्शकों की सहानुभूति बीकानेर टीम के साथ ही थी। इसीलिए शोर मचा-मचा कर टीम का और भी उत्साह बढ़ाने लगे। गेंद सेंटर में आयी और फिर खेल शुरू हुआ, लेकिन अब नक्शा बदल गया था। बलकता के अनुभवी खिलाड़ियों ने समझ लिया था कि ऊँचा खेल खेलने से बीकानेर को लाभ मिलेगा। इसलिए उन्होंने छोट पास और रोलिंग गेम शुरू कर दिया। बीकानेर को जब भी गेंद मिलती वे उसे उछाल कर ऊँचा खेल खेलने का प्रयास करते, किन्तु कलकत्ते वाले उसे पुन रोलिंग बना देते। इस तकनीक से बलकत्ते की टीम बीकानेर पर बार-बार हमले करने लगी। छोटे-छोटे पासों से खिलाड़ियों को चकमा देती हुई गेंद बीकानेर के गोल एरिया में बार-बार पहुँचने लगी। बीकानेर की माइड दब गयी। अनेक बार गोल में शॉट भी लगाये गये, लेकिन सुरक्षा पक्ति और गोली की सतर्कता से गोल नहीं हो सका। ऐसे अनेक अवसर आये जब निश्चिन्त गोल हो जाता, किन्तु गोली ने अपनी

पड़ा। मेरी वॉहे खिल गई। और ए सी बीकानेर की टीम का खेल तो मैं पहले भी देख चुका था, लेकिन मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब का खेल देखने का कभी अवसर नहीं मिला। यह टीम भारत की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक है— यह मैं जानता था। कंसा शानदार होगा यह मुकाबला। कितना कलात्मक खेल होगा इनका! इन्हीं विचारों और कल्पनाओं में डूबने हुए मैंने निश्चित कर लिया कि मैं यह मैच जरूर देखूंगा। पिताजी उस दिन घर पर नहीं, माताजी को मिन्नतें करके मैंने किसी प्रकार राजी कर लिया। जल्दी-जल्दी नहा-धोकर कुछ लाया-पिया और घर से खाना हो गया। एक-दो मित्रों से बात की, किन्तु जब उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्ति की तो मैं अकेला ही पैदल चलकर अपने गाँव के रेलवे स्टेशन पर पहुँचा। वहाँ पता चला कि गाड़ी एक घंटे नेट है। किसी तरह वह समय गुजरा। गाड़ी घायी और मैं टिकट लेकर बैठ गया। करीब 3 बजे मैं जयपुर पहुँचा। मैच 4.30 पर प्रारम्भ होने वाला था। जल्दी से रिक्शा किया, मुँह माँगा किराया दिया और सीधे सवाई मानसिंह स्टेडियम पहुँच गया।

स्टेडियम के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। यातायात पुलिस तथा दूसरी प्रकार की पुलिस के अनेक अफसर और जवान भीड़ पर नियंत्रण करने में लगे थे। मैं भीड़ को चीरता हुआ जल्दी से टिकट की लिडकी के पास पहुँच जाना चाहता था। कुछ दूर ही आगे बढ़ा था कि एक पुलिस वाले ने रोका—“बन्ने धक्के लगा रहे हो?” मैंने आजी जो करके कहा—“साहब! मुझे टिकट लेना है। आप मुझे टिकट लिडकी तक पहुँचा दीजिए।” पुलिसमैन हँसा और बोला—“अब टिकट कहाँ है? टिकट तो अब बिक चुके। टिकट लिडकी भी बन्द कर दी गई है। जामो कल मैच देखना।” पुलिस वाले का जवाब सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा सर्वस्व छीन लिया हो। मुझे बहुत निराशा हुई और मैं भारी मन से धीरे-धीरे भीड़ से बाहर निकल आया। मुझे इतना दुःख हुआ कि मुझ से खड़ा भी नहीं रहा गया। भीड़ से दूर हटकर मैं एक पेड़ की छाया में बैठ गया। मैं मुँह लटकाये वहीं बैठा-बैठा आकर्षक खेल की कल्पनाओं में खो गया। कुछ देर बाद ही दकायक मेरी दृष्टि पाम ही खेडे कुछ लोगों के झुंड पर पड़ी। मैंने अनुमान से ही भाँप लिया कि वहाँ शायद कोई ब्लैक से टिकट बेच रहा है। मैं लपक कर वहाँ पहुँचा। मेरा अनुमान सही था। एक फंशनेबल नौजवान पाँच रुपये के टिकट पन्चीस रुपये में बेच रहा था। कुछ लोग उसे पन्द्रह रुपये में देने को कह रहे थे। उसके पास केवल एक ही टिकट बचा था। मैंने जल्दी से उसे पन्चीस रुपये देकर टिकट ले लिया और तौर की तरह दौड़ता हुआ स्टेडियम के भीतर प्रवेश कर गया।

स्टेडियम के भीतर का दृश्य देखकर चित्त प्रसन्न हो गया। चारों ओर मजिल में दर्शकों से स्टेडियम खचाखच भरा था। बीच में एकदम साफ-सुथरा हरा-भरा समतल मैदान था। जिस पर सफेद धूने की लाइनें बड़ी आकर्षक लग रही थी। खेल शुरू होने में करीब दस मिनट का समय शेष था। दोनों टीमों गोल पोस्टरों पर

क्रिकिंग का अभ्यास कर रही थी और खिलाड़ी घबडा रहे थे। लान और हरी जर्नियों में सजे-सँवरे खिलाड़ी देखने में बड़े आकर्षक लग रहे थे। उनकी पुर्ती, गोल में किक लगाने का स्ट्राइक और गोली की सावधानी का खेल देखकर दर्शक बहुत प्रसन्न हो रहे थे। दोनों का अभ्यास ऐसा सधा हुआ था कि कौन-नी टीम जीतेगी, इतना पूर्वानुमान लगाना कठिन हो रहा था। मेरे आस-पास बँडे कुछ न्याग हार-जीत के सौदे कर रहे थे। मैंने पहले से अनुमान लगाना उचित नहीं समझा, क्योंकि दोनों टीमों वेहद सन्तुलित थीं। कुछ क्षण बाद काली पोशाक पहने निर्णायक मैदान में आया और उसने जोर से ह्विशिल बजाई।

ह्विशिल की आवाज सुनते ही सब का ध्यान मैदान की ओर केन्द्रित हो गया और लगभग बीस हजार दर्शकों की उपस्थिति होने हुए भी पूर्ण निस्तब्धता छा गयी। कुछ ही क्षणों में दोनों टीमों के खिलाड़ी अपने-अपने स्थानों पर आमने-सामने खड़े हो गये। निर्णायक ने दोनों टीमों के कप्तानों के हाथ मिलाये। दर्शकों ने तालियाँ बजाकर उनके मैत्रीभाव का स्वागतम् किया। निर्णायक ने घड़ी देखी और खेल प्रारम्भ करने के लिए ह्विशिल बजा दी। खेल शुरू हो गया। कुछ क्षण तो गेंद धीमी गति से इधर से उधर लुढ़कती रही, किन्तु फिर खेल में यकायक तेजी आ गई। आर ए सी की टीम के सैण्टर हॉफ ने गेंद को ऊँचा उठाकर कलकत्ता की टीम के पेनल्टी एरिया में डाल दिया। बीकानेर के खिलाड़ियों ने उसे हैड करके एक-दूसरे को पास दिया। देखते-देखते गेंद गोल एरिया में ऐसी उछली कि बीकानेर के राइट आउट को पैतालीम डिफेंडी के ए गिल पर मिली। कलकत्ते की टीम का फुलबैक एक कदम पीछे था। राइट आउट ने वॉन्की बनकर ऐसा दनदनाता हुआ शॉट गोल में मारा कि गोली गेंद को सम्भाल ही नहीं सका और गेंद गोल के भीतर नैट में भूलती नजर आयी। यह देखकर दर्शक अपने स्थानों पर खड़े होकर जोर-जोर से चिल्लाने लगे और हाथ हिलाने लगे। खेल प्रारम्भ होने के मान मिनट बाद ही बीकानेर ने गोल कर दिया। कलकत्ते की टीम हक्का-बक्का रह गयी। राजस्थान की टीम हाने के नाते दर्शकों की सहानुभूति बीकानेर टीम के साथ ही थी। इसीलिए शोर मचा मचा कर टीम का और भी उत्साह बढ़ाने लगे। गेंद सैण्टर में आयी और फिर खेल शुरू हुआ, लेकिन अब नक्शा बदल गया था। कलकत्ता के अनुभवी खिलाड़ियों ने समझ लिया था कि ऊँचा खेल खेलने से बीकानेर को लाभ मिलेगा। इसलिए उन्होंने छोट पास और रोलिंग गेम शुरू कर दिया। बीकानेर को जब भी गेंद मिलती वे उसे उछाल कर ऊँचा खेल खेलने का प्रयास करने, किन्तु कलकत्ते वाले उसे पुन रोलिंग बना देते। इस तकनीक से कलकत्ते की टीम बीकानेर पर बार-बार हमले करने लगी। छोटे-छोटे पासों से खिलाड़ियों को चकमा देती हुई गेंद बीकानेर के गोल एरिया में बार-बार पहुँचने लगी। बीकानेर की माइड दब गयी। अनेक बार गोल में शॉट भी लगाये गये, लेकिन सुरक्षा पक्ति और गोली की सतर्कता से गोल नहीं हो सका। ऐसे अनेक प्रवसर आये जब निश्चिन्त गोल हो जाता, किन्तु गोली ने अपनी

सूझ-बूझ से गोल बचा लिये । दर्शकों गौली के शानदार खेल की तारीफ में नाचने-गाने लगे । इसी बीच निर्णायक ने मध्यान्तर की ह्लिशिल बजा दी ।

खेल एकदम ही दर्शकों में एक निश्चित प्रचार की हलचल मच गई । सब लोग इधर-उधर घ्रा जा रहे थे, किन्तु सबकी जुवान पर खेल की ही-चर्चा थी । प्रायः सभी का यह अनुमान था कि यदि बीकानेर इसी तरह मजबूती से खेलती रही तो जीत जायेगी । इन्ही चर्चाओं में मध्यान्तर का समय बीत गया और खेल फिर शुरू हुआ । प्रब खेल निर्णायक दौर में था । दोनों ओर के खिलाड़ी पूरी ताकत और सूझ-बूझ से खेल रहे थे । कुछ ही देर में बीकानेर की साइड फिर दबने लग गयी । कलकत्ते की टीम ने ऐसे ताल-मेल से खेलना प्रारम्भ किया कि बीकानेर के खिलाड़ियों को गेंद ही नहीं पकड़ने दी । गेंद पकड़ने के प्रयास में कुछ धक्का-मुक्की भी हुई । दो-तीन खिलाड़ी घायल भी हुए, लेकिन खेल चलता रहा । ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, खेल में तेजी आती गयी और इसी के साथ दर्शकों का उत्साह भी बढ़ता गया । कलकत्ते की टीम बार-बार मुनियोजित आक्रमण कर रही थी । आखिर मौका मिल ही गया और कलकत्ते की टीम ने गोल उतार दिया । दर्शकों का जोश ठण्डा पड़ गया । प्रब खेल समाप्त होने में कुल दस मिनट बाकी थे । बीकानेर की टीम में जोश आशा । जल्दी-जल्दी दो-तीन हमले भी किये, किन्तु गोल नहीं कर सकी । खेल समाप्ति के ठीक तीन मिनट पहले कलकत्ते की टीम को एक अवसर और मिला और उसने गोल कर दिया । प्रब क्या था, फैसला हो गया । दर्शकों का जोश बिलकुल ठंडा पड़ गया । सबके चहरे इस तरह फीके पड़ गये जैसे खुद ही हार गये हों । निर्णायक ने ह्लिशिल बजा दी और मैच समाप्त हो गया ।

उपसंहार—खेल में हार-जीत तो होंती ही है, लेकिन जैसा सघर्षपूर्ण मैच वह हुआ और जैसा कलात्मक खेल का प्रदर्शन उस मैच में मैंने देखा, वैसा फिर कभी देखने का अवसर नहीं मिला । मन पूरी तरह से सन्तुष्ट था । बार-बार यही विचार आता था कि आज यह मैच नहीं देख पाता तो कितने नुकसान में रहता । यद्यपि यह मैच मुझे बहुत मँहगा पडा । रात स्टेशन पर ही बितानी पडी । जेब खाली हो चुकी थी । भूखे-प्यासे रहकर ही दूसरे दिन दोपहर तक गाँव पहुँच सका, किन्तु इसका मुझे बिलकुल परचाताप नहीं हुआ । जिस भ्रानन्द और सन्तोष की उपलब्धि मुझे हुई, उसकी तुलना में वह हानि और परेशानी नगण्य थी ।

निबन्ध की रूप-रेखा

1 प्रस्तावना—नये-नये स्थान देखने की उत्सुकता ।

2 रेलयात्रा—यात्रा का संयोग, यात्रा की तैयारी, रेलवे स्टेशन के दृश्य, रेल की भीड़-भाड़, अन्य सहयात्रियों से मित्रता, यात्रा मार्ग के कठु-मधुर अनुभव ।

3 उपसंहार

1 प्रस्तावना—मनुष्य जिस स्थान पर रहता है, वह स्थान कितना ही अच्छा हो और कितना ही सुविधाजनक हो, किन्तु एक ही स्थान पर रहते-रहने मनुष्य कुछ ऊब सा जाता है । उसकी यह इच्छा होने लगती है कि कुछ दिन वह अन्य स्थान पर जा कर रहे । नये-नये स्थान देखें और नये-नये लोगों से मिलें । नयी जगह के नाम में ही एक विचित्र आकर्षण होता है । जब भी मैं अन्य स्थानों के नाम सुनता हूँ और वहाँ जाकर आये लोगों से उस स्थान की प्रशंसा सुनता हूँ तो मेरे मन में भी उस स्थान को देखने की इच्छा प्रबल हो जाती है । यात्रा में मार्ग के विभिन्न अनुभव और नये स्थान का आकर्षण मुझे घर छोड़ने की वेचन कर देता है । यद्यपि मैं दो-चार बार अन्य स्थानों पर गया भी हूँ, किन्तु मेरी वे यात्राएँ कोई विशेष महत्त्व नहीं रखती । क्योंकि वे यात्राएँ बरातियों के रूप में एक निश्चित समय, निश्चित स्थान के लिए की गयी थीं । मनचाहा साथ, मनचाहा समय और मनचाहे स्थान की यात्रा करने की अभिलाषा इन यात्राओं में पूरी नहीं हो सकी थी ।

2 विषय प्रवेश—एक कहावत प्रसिद्ध है—‘जहाँ चाह वहाँ राह ।’ यह कहावत मेरे साथ भी चरितार्थ हुई । मेरी वार्षिक परीक्षा समाप्त हो चुकी थी । छुट्टियाँ चल रही थी । दिन-भर मित्रों से गप्पे लड़ाना और सायकल खेतना, बस यही दिनचर्या चल रही थी । एक दिन प्रातःकाल मेरा मित्र रामभजन घर आया और उसने मुझे बताया कि वह अपनी बहिन को लेने आगरा जायेगा । यदि मैं भी उसके साथ आगरा चूँ तो बड़ा अच्छा रहेगा । उनका प्रस्ताव सुनते ही मेरी आँखें खिल उठी । मैंने सहज उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, किन्तु अभी माता-पिता से अनुमति लेना ज़रूरी था । मैं आशंकित भी था कि शायद वे मुझे अनुमति न दें । मैं रामभजन को साथ लेकर ही उनके पास पहुँचा । उसी से प्रस्ताव रख-

बाधा। उन दिन मेरी यह दशा अच्छी थी। थोड़ा सोच-विचार करने के बाद पिताजी ने अनुमति दे दी और फिर माताजी ने भी हाँ कर दी। फिर क्या था, मुँह माँगी भुवाए मिल गयी। मैंने रामभजन से स्टेशन पर मिलने का समय निश्चित किया। वह चला गया और मैं यात्रा की तैयारी में लग गया। कपड़े धोने, उन पर प्रेस करने, बाजार से अन्य जरूरी सामान खरीदने और सबको व्यवस्थित जमाने में ही मेरा सारा दिन निकल गया। उन दिन मेरी भूख न जाने कहाँ गायब हो गयी। माताजी के बार-बार कहने पर थोड़ा बहुत खाया। मेरी कल्पना में यात्रा-मार्ग का आनन्द और आगरा रहने की खुशी ऐसी बस रही थी कि मैं फूला नहीं समा रहा था। इसी बीच में एक चक्कर रामभजन के घर का भी लगा आया। गाड़ी के समय की पुस्ता जानकारी करना मैंने उचित समझा।

मुझे स्टेशन पर शाम को आठ बजे पहुँचाना था। मैं चार बजे से पहले ही पूरी तरह से तैयार होकर बैठ गया। घर पर सबने कहा—'अरे! अभी से तैयार क्यों हो गया?' लेकिन मैंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बार-बार घड़ी की ओर देखना तो ऐसा लगता जैसे सूइयाँ चल ही नहीं रही हैं। समय कट नहीं रहा था। मैं घर से बाहर आ गया। सोच रहा था कि लोग मुझ से मेरी यात्रा के विषय में पूछेंगे, किन्तु जब किसी ने कुछ नहीं पूछा तो मैंने स्वयं बतलाया कि आज मैं आगरा घूमने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर मैंने स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया। आखिर घड़ी में सात बजे। मैंने अपनी अटँधी उग्राई, माताजी-पिताजी के चरण स्पर्श किये, आशीर्वाद लिया और खाना हो गया।

स्टेशन पर जब मैं पहुँचा तो 7:20 का समय हुआ था। रामभजन के आने में अभी 40 मिनट का समय शेष था। मैं प्लेटफार्म के बाहर ऐसे स्थान पर खड़ा हो गया जहाँ से आने-जाने वाले सब लोगों पर निगाह रह सके। स्टेशन पर खूब भीड़-भाड़ और चहल-पहन थी। मुझे यह सब देखना बड़ा अच्छा लग रहा था। इस प्रकार समय बहुत शीघ्रता से बीत गया। मैंने दूर से ही रामभजन और उसके पिताजी को आते देख लिया और उनकी ओर हाथ ऊँचा करके हिलाने लगा। नजदीक आने पर उनकी निगाह मुझ पर पड़ गयी और वे मेरे पास आ गये। अब हम दोनों प्लेटफार्म पर पहुँच गये। टिकिट तो शहर के बुकिंग आफिस में दिन में ही ले लिये थे, इसीलिए अब हम गाड़ी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। प्लेटफार्म का दृश्य मुझे बड़ा मन-मोहक लग रहा था। लाल बर्तनी पहने कुली ढेर सारा सामान अपने सिर और हाथों में लिये इधर-उधर आ-जा रहे थे। उनके पीछे स्त्री, पुत्र्य और बच्चे अपने सामान की निगरानी रखते हुए चल रहे थे। ठेके और लोमचे वाले विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ जग-जग कर खरिदो-कर खरिद करके आते जा रहे थे। रेलवे के कर्मचारी इधर-उधर आ जा रहे थे। बहुत से लोग पुलिस पर चढ़ कर दूसरी ओर जा रहे थे। बीच-बीच में लाउड-स्पीकर से सूचनाएँ प्रसारित हो रही थी। हमारी

गाड़ी तो अभी मानी थी, किन्तु दूसरे प्लेटफार्मों पर अनेक गाड़ियाँ खड़ी थीं, जिनके इजिन की सीटों और पुपों से आकाश भर रहा था। यह सब देखते हुए हम तीनों एक स्थान पर खड़े गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे।

कुछ देर बाद ही प्लेटफार्म पर पक्कायक हलचल मच गयी। 'गाड़ी आ गयी। गाड़ी आ गयी।' की आवाज लगाते हुए कुली और यानी इयर-उधर दौड़ने लगे। सब लोग सतर्क हो गये। कुछ ही क्षणों में घड़-घड़ करती गाड़ी हमारे सामने से गुजरने लगी। गाड़ी रुक नहीं पायी इससे पहले ही लोग लपक-लपक कर सटवने लगे। मैंने भी रामभजन से कहा कि धपन भी लपक कर चंड जाएँ, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया। गाड़ी के रुकने ही हम भी चढ़ने का प्रयास करने लगे। हम चंड भी गये, लेकिन चढ़ने पर पता चला कि वह तो प्रथम श्रेणी का डिब्बा था जल्दीवाजी में हमें होख ही नहीं रहा। उममें से उतरकर द्वितीय श्रेणी के डिब्बों की तरफ बढ़े। हर डिब्बे के दरवाजों और खिड़कियों पर ऐसी धक्का मुक्की हो रही थी कि हम चढ़ने का उपाय सोच ही नहीं पा रहे थे। पिताजी ने समझाया—'इस तरह खड़े-खड़े देखने से गाड़ी में जगह नहीं मिलेगी। सामान मुझे दो और दोनों एक खिड़की में होकर गाड़ी में चंड जाओ।' हमने ऐसा ही किया। खूब धक्का-मुक्की और जोर जबरदस्ती के बाद हम दोनों गाड़ी में भीतर पाँव रख सके। पिताजी ने सामान सन्ध-साया। हमने किसी तरह उसे अपने पाँवों के पास ही रख लिया। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी चल दी। पिताजी ने हाथ हिलाकर 'टाटा' किया।

गाड़ी चलने पर हमने डिब्बे के अन्दर बिगाह घुमाई। पूरा डिब्बा खचाखच भरा था। हम जिस स्थान पर खड़े थे, वहाँ भी हिलने तक की जगह नहीं थी। सारा बदन पसीनों से लथपथ हो रहा था। प्यास के मारे गला सूख रहा था, लेकिन कोई उपाय नहीं था। कुछ देर बाद ध्यान आया कि मेरी बुगटें पीछे से बुरी तरह पट गयी थी और रामभजन की पंखट घुटने पर से पट गयी थी। इस बात पर हम दोनों ही हसे। अब हम बैठकर यात्रा का आनन्द लेना चाहते थे, किन्तु बैठना तो दूर अपनी जगह से हम हिल भी नहीं सकते थे। गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। हमने उसी प्रकार खड़े-खड़े ही यात्रा का आनन्द लेना प्रारम्भ किया। तेज हवा के झोंकों ने हमारे पसीने सुखा दिये थे। यद्यपि रात्रि का समय था, किन्तु गाड़ी जब किसी पुलिया पर से गुजरती या घने जंगलों के पास से गुजरती तो हमें बड़ा आनन्द मिलता था। हम आगरा घूमने की योजनाएँ बनाते हुए खूब प्रसन्न हो रहे थे। इतनी बीच डिब्बे में एक औरत और एक पुरुष की आवाज में गाली-गलौच बहा-सूनी सुनाई दी। बात और बढ़ गई। वहाँ-सुनी लड़ाई-झगड़े में बदन गयी। चप्पल धूँसा और खूब खींचतान हुई। काफी देर बाद लोगों के बीच-बचाव करने पर मामला शान्त हुआ। शान्ति होने पर झगड़े का कारण ज्ञात हुआ। एक औरत अपने छोटे बच्चे को सीट पर लिटाना चाहती थी। उसने एक नौजवान

में खड़े हो जाने के लिए कहा। उसने उस घोरत से यह कह कर खड़ा होने से मना कर दिया कि जब तुम इतने बच्चों को सम्हाल नहीं सकतीं तो इतने बच्चे पैदा ही क्यों किये ? उसके साथ बच्चे थे। इसी बात पर कहामुनी होकर झगडा बढ गया था। सब लोग मुनकर हँस रहे थे। कोई कुछ और कोई कुछ कह रहा था। इसी प्रकार सुल-दु स्र की मिली-जुली अनुभूति करते हुए हम यात्रा का आनन्द ले रहे थे। आखिर दोसा का स्टेशन आया। हमारे पाम ही बैठे यात्री वहाँ उतर गये। हमें आराम से बैठने को जगह मिल गई। अब हम यात्रा का असली आनन्द आने लगा। हमारे सामने की सोट पर 6-7 विद्यार्थी ही बैठे थे जो अजमेर से आगरा देखने जा रहे थे। उनमें हमारा परिचय हुआ और देखते-देखते हम घनिष्ट मित्र बन गये। उनमें एक विद्यार्थी गायन-कला में प्रवीण था। उसने गाना प्रारम्भ किया। आवाज बहुत मधुर और सुरीली थी। ठण्डी रात, शान्त वातावरण, गाड़ी की टक-टक ताल, दिनों में मस्ती और सुरीली आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्गीय आनन्द मिल रहा हो। हँसी मजाक, चुटकने और गाने इन सब में लो जाने पर न तो हमें रातभर नींद हीं आयी और न ही समय गुजरता प्रतीत हुआ। प्रातःकाल हो गया और हम आगरा पहुँच गये। हमें लेने के लिए रामभजन के जीजाजी स्टेशन पर पहुँचे ही खड़े थे। सामान उतारा, रेल के मित्रों से विदा ली दूसरे दिन सायंकाल ताजमहल पर मिलने का वायदा किया और हम खाना ही गये।

रामभजन की जीजा के समुरान जाने काफ़ी सन्तुष्ट व्यक्ति थे। आगरा में रहने और दर्शनीय स्थानों को देखने में हमें कोई असुविधा नहीं हुई। इसी प्रकार मोज-मस्ती में दस दिन गुजर गये। अब हमें घर की याद सताने लगी। कई बार करने पर उन्होंने हमें विदा किया। लौटते समय हमारी यात्रा बहुत सुविधाजनक रही और हम जीजा की नेकर सकुनन जयपुर पहुँच गये।

उपसंहार—अधीनता की बात ही निराली होनी है। यह नवीनता चाहें किसी वस्तु की हो, स्थान की हो अथवा अनुभव की। वह स्थान और यात्रा मेरे लिए एक नया अनुभव था। उसके बाद मैं अनेक बार अनेक स्थानों की यात्रा कर चुका हूँ। अनेक प्रकार के अच्छे-बुरे अनुभव भी हुए हैं, किन्तु मेरी रामभजन के साथ वह आगरा की यात्रा अपना विशेष महत्त्व रखती है। आज भी मैं उसकी याद आने पर आनन्दित हो जाता हूँ।

किसी ऐतिहासिक स्थान की यात्रा | 3

ताजमहल

निबन्ध की रूप-रेखा

1. प्रस्तावना
2. यात्रा की उत्सुकता—यात्रा का संयोग
3. यात्रा की तैयारी
4. यात्रा मार्ग के अनुभव
5. ताजमहल की ऐतिहासिकता तथा कलात्मकता को जानकारो करना
6. धरिनी रात में ताजमहल की शोभा
7. उपसंहार

प्रस्तावना—कभी-कभी ऐसा होता है कि मनुष्य के बार-बार चाहने और इच्छा करते रहने पर भी इच्छा-पूर्ति का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता और कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि बिना विशेष प्रयास किये ही मनुष्य की इच्छा पूरी हो जाती है। उसे वे सब लाभ अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं जिनको प्राप्त करना वह अत्यन्त कठिन मानता रहता है। यद्यपि ऐसे अवसर जीवन में कम ही आते हैं और बिरले ही भाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं जिसकी चिर-नञ्जित अभिलाषाएँ अनायास ही पूर्ण हो जाती हैं। इस दृष्टि से मैं अपने आपको भाग्यशाली ही मानता हूँ। जब मैं सातवीं कक्षा में पढ़ता था तब एक दिन हिन्दी के अध्यापक जी ने कक्षा में 'ताजमहल' का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने ताजमहल का ऐसा सजीव वर्णन किया था कि उसी दिन से मेरी इच्छा ताजमहल देखने की हो रही थी, पर कर क्या सकता था? इसके बाद जब भी किसी पत्र-पत्रिका में ताजमहल के विषय में पढ़ता और उसके सुन्दर चित्र देखता तो मेरे मन में 'ताज' को देखने की इच्छा और भी प्रबल हो जाती, किन्तु इच्छा-पूर्ति का कोई अवसर एक पाँच वर्षों में प्राप्त नहीं हो सका। पिछले दिनों यह अवसर मुझे अनायास ही प्राप्त हो गया। कुछ दिनों पहले एक सज्जन हमारे पड़ोस में आकर रहने लगे हैं। उनके छोटे लहके से मेरी घनिष्ठ मित्रता हो गयी है। उनके बड़े लहके की शादी आगरा में तय हुई और मुझे बराब में चलने का निमन्त्रण मिल गया।

विषय-प्रवेश—जब मुझे राजेश ने शादी का कांड दिया और बरात में चलने का पूरा-पूरा आग्रह किया तो मैं किना प्रसन्न हुआ हूँगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, किन्तु मैंने उस प्रसन्नता को प्रकट नहीं किया और ऊपरी मन से ही पिताजी से आज्ञा लेने की बात कही। राजेश तो मुझे अपना परम मित्र मानता था। उसने पिताजी से भी विनम्र शब्दों में मुझे बरात में भेजने का आग्रह किया और उन्होंने मुझे स्वीकृति दे दी। बरात तीन दिन बाद एक बस से खाना होने वाली थी। मैं उसी दिन से अपनी तैयारी में लग गया। अन्य वस्तुओं के साथ मैंने एक अच्छा कमरा भी रील भरवाकर घटंती में रख लिया जो एक अन्य मित्र से माँग कर लाया था।

बरात की बस रात्रि के 10 बजे खाना हुयी। गर्मी का मौसम था। चतुर्दशी का दिन था, इसलिए आकाश में चाँद निकल आया था। बंसा विचित्र संयोग था कि टीक पूर्णिमा के दिन मैं आगरा पहुँचने वाला था। मैंने पढ़ा था और कुछ लोगों से सुन भी चुका था कि पूर्णिमा की चाँदनी रात में ताजमहल की शोभा बहुत निराली होती है। वह निराली शोभा देखने की चाह लिये मैं बस की यात्रा का आनन्द ले रहा था। मैं और राजेश दोनों एक ही सीट पर बैठे थे। बस में टेरिकांडर बज रहा था। उसकी धुन में सब लोग मग्न हो रहे थे। बस में कुछ बुजुर्ग लोग भी थे जो बदले हुए जमाने के हाल-चाल की चर्चा करते हुए नाक-भौंह सिकोड़ रहे थे और बीते जमाने की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। दूल्हा अपनी मित्र-मण्डली के साथ बंठा हँसी के बह-कहो में डूब रहा था। कुछ लोग ताश खेलने में व्यस्त थे। बस अपनी रफ्तार से सरपट दौड़ती हुई चली जा रही थी। ऐसी मस्ती और आनन्द के महाल में भी कुछ लोग ऐसे थे जो ऊँध रहे थे और उस अवस्था में कभी दायें और कभी-बायें अपनी देह को लुढ़काकर खरी-खोटी सुनते हुए भी नींद निकालने में ही अपनी होशियारी समझ रहे थे।

जयपुर से खाना होने के बाद बस बीच में दो स्थानों पर रकी। सब लोग उतरे। चाय नारता किया। आउमान बिलकुल साफ था, शीतल चाँदनी छिटक रही थी और बागावरण में काफी ठंडक आ चुकी थी। इस रात नींद तो आँसों के आस-पास भी नहीं आ पा रही थी। इसी प्रकार हँसने-गाने हम लोग प्रातः 7 00 बजे आगरा पहुँच गये। बस सीधे होटल के बाहर जाकर रकी। सब लोग अपनी-अपनी टोलियों में होटल में जम गये। नित्य-कर्म स्नान आदि से निवृत्त हुए, नाश्ता किया और ऐतिहासिक नगर आगरा के भ्रमण पर निकल पड़े। बुजुर्ग लोग और कुछ अन्य लोग होटल में ही रुके रहे। करीब दो घंटे तक आगरा की सड़कों पर घूमने के बाद धूप बढ़ जाने पर हम लोग पुनः होटल में पहुँच गये, वहाँ भोजन तैयार था। भोजन करके सब लोग विराम करने लगे। मेरा मन विराम में नहीं लगा। मैंने दो नये मित्रों

की तैयार किया और बरात के समय से पहले ही लौट आने का वायदा करके हम तीनों ताजमहल के लिए रवाना हो गये।

होटल से निकलते ही तांगा मिल गया। हम तीनों तांगे में बैठकर ताजमहल के मार्ग पर चल पड़े। तांगे वाला यद्यपि एक बुजुर्ग मुसलमान था, लेकिन बड़ी मस्त तबियत का आदमी था। वह हमसे ऐसी दिनचर्या बाने करता हुआ तांगा दौड़ा रहा था कि हमें वह तांगे की यात्रा बड़ी अच्छी लग रही थी। टेढ़ी-तिरछी धुमावदार सड़को पर घोड़ा मध्यम-गति से दौड़ रहा था। यकायक पेड़ों की ओट से ताजमहल का गुम्बज दिखाई देने लगा। यद्यपि ताज हमसे काफी दूर था, लेकिन नीले आकाश के नीचे सफेद अष्टाकार ताजमहल मूरज की धूप में भी चमकता हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। करीब आधे घंटे में हम ताजमहल के मुख्य द्वार पर पहुँच गये। द्वार पर अनेक बाहन खड़े थे और बाफ़ी सख्या में देशी विदेशी पर्यटक दिखाई दिये। तांगे से उतरते ही हमारे पाम अनेक गाइड आ गये। हम में से किसी ने भी ताजमहल पहले नहीं देखा था, इसलिए हमने एक गाइड को साथ ले लेना उचित समझा। अब हम गाइड के पीछे-पीछे ताजमहल के द्वार की ओर बढ़ने लगे। मैंने कँमरा तैयार कर के गले में लटवा लिया था। सहसा हम एक विशाल दरवाजे के सामने जाकर रुके। उस द्वार की विशालता तथा सुन्दरता इस बात का सकेत कर रही थी कि भीतर एक अत्यन्त सुन्दर और अनुपम कलाकृति सुरक्षित है। द्वार के भीतर धुमते ही बीच में पत्थरों की लम्बी कतार और उनके दोनों ओर सुन्दर उद्यान दिखायी पड़ने लगे। हरे-भरे वृक्षों को ऐसे कलात्मक ढंग के सवारा गया था कि उनकी शोभा देखते ही बनती थी। जहाँ तक नजर जाती थी, दोनों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती थी। साफ-सुथरी हरी-भरी बोटल हूब पर अनेक यात्री बँठे आनन्द ले रहे थे। मैंने कँमरे को खोला और तीन चार निच उस दृश्य के खे डाने। सामने ताजमहल का ऊँचा गुम्बज अपनी निराली शान लिए खड़ा था, जो बरबस सब का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर रहा था। धीरे धीरे चलत हुए हम एक विशाल और ऊँचे चबूतरे के नीचे पहुँच गये। इसी चबूतरे पर ताजमहल का भव्य भवन स्थित है जो सदियों से अपने अमर-अमर की कहानी सुनाता आ रहा है। चबूतरे के बीचो-बीच ताजमहल बना हुआ है और चारों ओर पर ऊँची सीनारें बनी हुई हैं जो ताज की शोभा बढ़ाने के साथ-साथ मुगल साम्राज्य की गौरव-गाथा भी सुनाती हैं। हमें अपने जुते, बँट और कँमरा चबूतरे के नाचे ही छोड़ने पड़े। सीटियाँ चढ़ कर हम चबूतरे पर पहुँचे तो मन के अल्लाह और शान्ति का पार नहीं था। एक दम शान्त वातावरण था वहाँ का। कुछ देर तक हम वहीं पर खड़े रहे। फिर गाइड के साथ हम ताजमहल के भीतर प्रविष्ट हुए। वहाँ मुस्ताज महल की कब्र पर सगरमर की एक चौड़ी दीदी बनी

हुई है, जिस पर कुरान की आयतें लिखी हैं। उसके पान ही शाहजहाँ को कब्र है। इन दोनों कब्रों को देखकर ऐसा लगता है जैसे दोनों प्रेमियों ने जन्म-जन्मान्तरो तक साथ रहने की कसम खाई है। काल सबको अपने धरे में लपेट लेता है, किन्तु मनुष्य अपने जीवन में कुछ ऐसे काम कर गुजरता है जिससे वह अपनी याद चिर-स्थायी बना देता है। अपनी प्रियतमा मुमताज़ महल के अनिन्द्य सौन्दर्य और प्रगाढ़ प्रेम के प्रतीक के रूप में ताजमहल का निर्माण करवा के शाहजहाँ ने उसकी याद को सदा-सदा के लिए धरम बना दिया है। स्वच्छ एष मक़ेद संगमरमर से निर्मित ताज की दीवारों और स्तम्भों पर रंगीन पत्थरों के टुकड़ों से पच्चीकारी करके बनाये गये बेल-बूटे दर्शकों को आश्चर्य में डाल देते हैं। स्थापत्य कला का ऐसा उत्कृष्ट नमूना संसार में अन्यत्र मिलना कठिन है। इसीलिए संसार के सात आश्चर्यों में ताजमहल की गर्णों की जाती है। कब्र के ऊपर वाला बक्ष कलात्मक सौन्दर्य की दृष्टि से और भी श्रेष्ठ है। गाइड ने बताया कि इस बक्ष के चारों ओर शाहजहाँ ने सोने की सुन्दर जालियाँ भी लगायी थी, जो बाद में हटाती गयीं। ताज को चारों ओर से देखने के बाद हम लोग पीछे की ओर गये जहाँ यमुना नदी किलोले करती हुई बह रही थी। वह दृश्य भी बहुत मन-मोहक था। मैंने एक निम्न में जब यह पढ़ा था कि ताजमहल के निर्माण में बीस वर्ष का समय लगा था, जिसमें 22 हजार कारीगर और श्रमिक दिन-रात कार्य करते थे और लगभग तीस करोड़ रुपया खर्च हुआ था, तो मुझे यकायक विश्वास नहीं हुआ था, किन्तु उस दिन उम रचना को प्रत्यक्ष देखकर लेख की सत्यता पर विश्वास हो गया।

होटल पर पहुँचने की जल्दी थी, इसलिए हम तीनों वहाँ से रवाना हो गये। लाने में बैठकर लौटते समय हम ताज-दर्शन की प्रसन्नता से गद्-गद् हो रहे थे। हमने मार्ग में ही यह निश्चय कर लिया कि बरान के धूम-धडाके से निवृत्त होकर चाँदनी रात में एक बार ताज को देखने पुनः आयेंगे।

हम जब होटल पर पहुँचे तो बराती मज रहे थे और बरान की तैयारियाँ हो रही थी। हम भी कुछ ही देर में नहा-धोकर, तथा कपड़े बदल कर तैयार हो गये। खूब धूम-धाम से बरात गयी। नाच-गान और हँसी-दिल्लीगी चलती रही। बरात का बहुत अच्छा स्वागत हुआ। प्रीति-भोज में नाना प्रकार के व्यंजन परोसे गये। इन सब कार्यों से निपटकर करीब रात के ग्यारह बजे हम एक टैंकरी लेकर पुनः ताजमहल पहुँच गये। इस बार राकेश भी हमारे साथ था। हम द्वार के भीतर प्रवेश करके एक ओर स्तान पर बैठ गये। स्वच्छ नीले आकाश में पूर्णिमा का चाँद चमक रहा था। ज़िमकी किरणों से ताज चमक रहा था। उस समय उसकी शोभा देखते ही बनती थी। उम शोभा का ठीक-ठीक वर्णन कर पाना मेरी सामर्थ्य से परे है। ताज का प्रतिबिम्ब पड़ रहा था जो लहरो के साथ हिलता नजर आता था। बातावरण एक दम शान्त था।

देश-विदेश के हजारों पर्यटक इस रमणीय दृश्य को देखकर ध्यानन्वित हो रहे थे। हमारी वहाँ से चलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, किन्तु मिलन के साथ वियोग तो जुड़ा ही रहता है। हम लोग होटल पर लौट आये। दूसरे दिन प्रातःकाल विदा होकर सायंकाल बरात जयपुर पहुँच गयी।

उपसंहार—मुझे राकेश की मिनता, उसके माई की शादी और ऐतिहासिक नगर भागरा की वह यात्रा जीवनभर प्रत्यन्त मधुर स्मृतियों के साथ याद रहेंगी। ताजमहल वास्तव में एक ऐसी अनुपम कलाकृति है जिसे आश्चर्य के प्रतिरिक्त अन्य कोई नाम नहीं दिया जा सकता। इसमें कलाकारों की कला पर तो आश्चर्य होता ही है साथ ही शाहजहाँ की सूझ-बूझ पर भी आश्चर्य होता है जिसने अपनी प्रियतमा की पाद को अमर बना देने के लिए वंसी अद्भुत योजना बनायी और उसको क्रियान्वित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। ताज हमारे देश और देश की सस्कृति का एक गौरव है जो तीन सौ वर्ष बीत जाने पर भी अपनी गौरव-गाथा समार को सुनाकर आश्चर्य में डाल देता है।



निबन्ध की रूप-रेखा

1. प्रस्तावना—नये और रमणीक स्थानों की यात्रा की उत्सुकता
2. रमणीक स्थान की यात्रा—स्थान का चयन, बस यात्रा के कटु अनुभव, रमणीक स्थान की प्राकृतिक घोभा, मन की उजग और ध्यानन्द
3. उपसंहार

प्रस्तावना—मनुष्य का मन नवीनताप्रिय होता है। उसे नये स्थान, नये लोग और नयी परिस्थितियों में रहना रुचिकर प्रतीत होता है। इस नवीनता की चाह में अनेक बार उसे अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं और असुविधाएँ भी भोगनी पड़ जाती हैं, किन्तु अपने जीवन की बँधी-बँधायी दिनचर्या की उब को मिटाने की उत्सुकता में वह यह सब कुछ सहर्ष सहन कर लेता है। तीर्थ स्थानों, दर्शनीय स्थानों तथा अन्य रमणीक स्थानों की यात्रा करने का उद्देश्य मेरे विचार में यही प्रमुख होता है। जिन लोगों ने इस प्रकार की यात्राएँ की हैं, वे जानते हैं कि उन्हें कितना स्वर्चा करता पडा है और कितनी असुविधाएँ भोगनी पडी हैं, किन्तु यात्रा के दौरान और यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने स्वयं को काफी प्रसन्न और हल्का महसूस किया है। किसी प्रकार के परचाताप का भाव मन में नहीं उठा होगा और इस प्रकार की यात्राएँ बार-बार करने की इच्छा प्रबल हुई होगी।

विषय-प्रवेश—अगस्त का महीना लग गया था। गत एक मास में जयपुर और जयपुर के आस-पास काफी वर्षा हो चुकी थी। पहाड़ों और जगलों में सूख हरियाली छा गई थी तथा छोटे-बड़े सभी ताल-तल्लियों में पानी भर गया था। पहाड़ी स्थानों तथा अन्य प्राकृतिक स्थानों की सैर करने के लिए उपयुक्त समय आ गया था। जयपुर और जयपुर के आस-पास के प्रायः सभी स्थान हम अनेक बार देख चुके हैं, इसलिए हमारी मैलानी मित्र-मण्डली ने निश्चित किया कि इस बार किसी नये स्थान की ही यात्रा करेंगे, भले ही वह दूर ही हो। हमने इस सम्बन्ध में अनेक लोगों से पूछताछ की। अनेक लोगों ने अनेक स्थानों के नाम बतलाये। आखिर हमने जयपुर-अजीतगढ़ मार्ग पर स्थित परमानन्द जी की समाधि पर जाने का निश्चय कर लिया। हम सब के लिए यह स्थान नया था और बतलाने वाले ने इस स्थान की रमणीयता की खूब प्रशंसा की थी।

शनिवार के दिन दोपहर बाद हम अपना जूटो सामान लेकर रवाना हो गये। जयपुर से अजीमगढ़ जाने वाली बस में हम बैठ गये। बस एक प्राइवेट कम्पनी की थी जिसमें भीड़ बहुत थी। यात्रियों में अधिकांश लोग देहानी किसान थे जो उम्र भीड़ में भी चिलम पीना जरूरी समझते थे। चिलम से निकलने वाला धूँआ बस के अन्य यात्रियों का मन सा घोंटे जा रहा था। इस प्रकरण को लेकर बस में खूब बल-बल भी होती रहनी, लेकिन बस भी चलती रही और चिलम भी। बस अपने गन्तव्य स्थान की ओर ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती गयी, उम्रमें भीड़ भी बढ़ती गयी। कुछ ही देर में बस की छत भी खचाखच भर गयी। बस में यात्रियों की अत्यधिक भीड़ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। आश्चर्य की बात तो यह थी कि पाँच रखने तक की जगह न होने पर भी बस ड्राइवर किसी के हाथ दिवाने ही बस को रोक देता था और कण्डक्टर उस सवारी को धक्के लगा लथाकर बस में चढ़ा लेता था। भीड़ में भिचकर बच्चों, औरतों और बूढ़ों का बुरा हाल था। वे सब चिल्ला-बिल्ला कर बस जाने को गालियाँ भी खूब दे रहे थे, लेकिन बस वाले इन सब बातों से बेखबर होकर अपनी स्वार्थ-निधि में लगे थे। उस बस में घोर यातना सहते हुए हम तीन बजे मिर्वासिहपुरा बस स्टैंड पर पहुँचे और वही उतर गये। वहाँ कुछ देर विश्राम किया, चाय पी और चाय वाले से मार्ग की पूरी जानकारी करके हम परमानन्द जी की ममादि की ओर चल पड़े।

आकाश में बादल छाये हुए थे। ऊमन तो थी, लेकिन मौसम बहुत सुहावना लग रहा था। हम टहलते हुए खेतों के बीच में बनी पगडडियों पर चल रहे थे, चारों तरफ हरियाली ही हरियानी छापी हुई थी। खेतों से ज्वार-राजरे के पौधे तो प्रभो छोटे ही थे, किन्तु घाम खूब लम्बी हो रही थी। प्रातःकाल ही खूब पानी गिरा प्रतीत होता था, क्योंकि स्थान स्थान पर पानी भरा था और जमीन से सोंगि गंध निकल रही थी। दूर दूर तक फँले खेतों में किसान और उनकी स्त्रियाँ काम कर रही थीं। कोई मनचला हमें देखकर फस्ती बम देता था तो कोई मन्हार की तान छेड़ देता था। हमें यह सब बहुत अच्छा रहा लग था। करीब तीन मील का यह मुहाना सफर तय करने के बाद हम परमानन्द जी की समाधि पर पहुँच गये।

एक छोटी सी पहाड़ी घाटी से उतरकर जब हम उस स्थान के करीब पहुँचे तो दूर में ही उसकी शोभा देखकर हमारा चित्त प्रसन्न हो गया। घाटी समाप्त होने ही हमें एक छोटा सा कुण्ड दिखालापो दिग, जिसमें से पानी उड़नकर बह रहा था। उम कुण्ड के ऊपर ही एक छोटा सा शिवान्त्य था और उसी के पास एक तिवारा बना हुआ था। हमने वही हकने का निश्चय किया और तिवारे में चले गये। पहाड़ी घाटी का मुहाना होने के कारण वहाँ हवा खूब चल रही थी। कुछ ही क्षणों में हमारे पसीने सूख गये। हम कुण्ड पर गये। हाथ-पाँव धोये और पानी पिया। उस कुण्ड का जल इतना ठंडा और स्वच्छ था कि उसकी तुलना किसी अन्य

जलाशय के पानी से नहीं की जा सकती। पानी पी कर हम पुनः तिवारे में चले गये। अब हम स्वस्थ होकर प्रकृति की छटा को निहारने लगे। हम जिस स्थान पर बैठे थे, उसके नीचे स्वच्छ जल का कुण्ड हिलोरें ले रहा था, कल-कल करती पानी की धारा अनवरत रूप से वह रही थी। सामने ऊँचा पहाड़ था जो धनी हरियाली से ढका था। घाटी में अनेक बड़े-बड़े वृक्ष और पौधे थे जिनमें रंग-बिरंगे पुष्प खिल रहे थे। सध्या होने ही वाली थी। आश्रम की गाँवें जंगल से लौट रही थी। पास ही बनी गौशाला में से बछड़ों की आवाजें आ रही थी। एक दो साधुवेषधारी लोग गावों की भ्रगवानी में खड़े नजर आ रहे थे। चारों ओर पूर्ण शान्ति और निस्तब्धता व्याप्त हो रही थी। हम इस चित्ताकर्षक रमणीय दृश्य की ओर देख-देख कर कृतकृत्य हो रहे थे। इस स्थान का सुभाव देने वाले अपने मित्रों के प्रति आभार व्यक्त कर रहे थे।

कुछ देर दृश्य-दर्शन में लोभे रहने के बाद हम आश्रम में गये। बायीं ओर एक बड़ा सा मंदिर था। हम मंदिर में गये। राम और सीता की मूर्ति के दर्शन किये। पास ही हनुमान जी की मूर्ति थी। उनके भी दर्शन किये और फिर मंदिर के सामने बाने बगीचे में चले गये। बगीचे की शोभा बहुत ही निराली थी। घाम, जामुन, नीम और पीपल के अनेक बड़े-बड़े सधन वृक्ष थे। आश्रम के द्वार पर और आश्रम की बाहरदीवारी पर पुष्पों से सदी अनेक प्रकार की लताएँ भूल रही थीं। बगीचे में बनी क्यारियो में गुलाब, कनेर, रानरानी, गँदे के पौधे फूलों से सजे नजर आ रहे थे। केवड़े के मिरो से निकलने वाली मोठी महक मन को और भी प्रकृतिलित कर रही थी। उसी समय सध्या ने अपना शृंगार किया। सारा दृश्य एक आलौकिक रक्तिम प्रकाश से रंग गया। उस समय मुझे कबीर का यह दोहा याद आया—

‘साली तेरे साल की जित बेखूँ तित साल

साली देखन में गयी तो में भी हो गयी लाल’

कुछ ही क्षणों में वह सालिमा अदृश्य हो गयी और अधकार की कालिमा धीरे-धीरे उतरने लगी। हम लोग बगीचे के बीचों-बीच परमानन्द जी की समाधि पर गये। एक छोटे से गुम्बज से सगमरमर की शिला पर दो चरण-चिह्न दिखलाई दिये। ये चिह्न उन्हीं सन्त के चरणों के बतलाये जाते हैं। हमने उन्हें माया नवाया और मंदिर की ओर लौट पडे। उस समय सध्या की आरती प्रारम्भ हो गयी थी। हम आरती में शामिल हुए। जुजारी बाबा ने हमें प्रसाद दिया और हमारा परिचय बूझकर वहाँ आने का प्रयोजन पूछा। हमने जब अपनी बात कही तो वे बड़े प्रसन्न हुए और हमें रात्रि का विश्राम मंदिर में ही करने की सलाह दी। हमने उनकी सलाह मान ली। हमने कुछ देर बाद भोजन किया और लालटेन के मद्धिम प्रकाश में बैठकर बाबा से बातें करने लगे। आसमान में घटा घिर आयी और वर्षा प्रारम्भ हो गयी। उस रिमझिम और कल-कल की आवाज में अपनी

घावाज दबती देखकर हम कुछ जोर-जोर से बोलने लगे । दादा ने दत्तलाया कि जिस कुण्ड को हम देख चुके हैं, इस यहाँ के लोग गुप्त गंगा के नाम से पुकारते हैं । कोई नहीं जानता कि इसमें पानी कहां से आता है । यह पानी बारहा महीने इसी तरह आता रहता है । इस कुण्ड में स्नान करने वाले के शरीर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, ऐसी इसकी मान्यता है । समाधि के विषय में दादा ने दत्तलाया कि इस समाधि पर माया नवाकर व्यक्ति जो भी मनोकामना करता है वह अवश्य पूरी होजाती है । इसी प्रकार की बातें करने-करते दादा सो गये । वर्षा और भी तेज हो गयी बीच-बीच में तेज हवा के भोंकों में पानी की फुहारें हमारी ओर झा रही थी । हम थोड़े और ऊपर खिन्व गये । हमारी भी आँखें धुलने लगी थी । हम सो गये ।

प्रातः काल आँख खुली तो सूर्य का प्रकाश फैल चुका था । बातावरण में बहुत नमी थी । सब कुछ भोगा-भीगा दिखाई दे रहा था । बाहर निकलकर बगीचे की ओर देखा तो उसकी इस समय और ही शोभा थी । कोमल की मूक बार-बार मन में हिलोरें उठा रही थी और मोर की आवाज दादलों को पृथ्वी के नजदीक आने को बाध्य कर रही थी । वहाँ की शोभा प्रतिक्षण बदलती दिखाई दे रही थी जो उसकी रमणीयता का प्रमाण था, क्योंकि रमणीयता का ग्रन्थ ही यही है जो प्रतिक्षण नवीन रूप में दिखाई दे उस रूप को ही रमणीय कहा जाता है—

‘क्षणै क्षणे यत्नवता मुपैति

तदेव रूप रमणीयताया’

बहुत देर तक इस रमणीय दृश्य को देख चुकने के बाद हम नित्यकर्म से निवृत्त हुए । कुण्ड में स्नान किया तो तन और मन दोनों ही शीतल हो गये । बगीचे में बैठकर नाश्ता किया । फिर समाधि पर माया नवाया । मंदिर में सीताराम जी के दर्शन किये । दादा को नमस्कार किया और प्रकृति की अनुपम छटा को निहारते हुए लगभग बारह बजे लौट पडे ।

उपसंहार—लौट तो हम रहे थे, लेकिन लौटने की इच्छा नहीं हो रही थी । जो करता था कि सदा-सदा के लिए ही उस स्थान पर रहा जाय, किन्तु मन की इस अभिलाषा की व्यर्थता को शायद भस्तिष्क भली प्रकार जानता था । इसलिए पाँव अपने आप आगे की ओर पडते जा रहे थे । मन भी अपनी मजदूरी को जानता था । इसलिए वह यह सोच-सोच कर ही समतोल कर रहा था कि उसने पिछले बीस घंटों में ऐसे रमणीय दृश्यों में अपने आपको रमाया था कि उसकी स्मृतियाँ चिर-स्थायी रहेगी । मन और भस्तिष्क की बात तो वे ही जानें, हम तो यह सोचकर पूर्ण आश्वस्त थे कि हमारी यह यात्रा सभी दृष्टियों से पूर्ण सफल रही है ।

5 | चाँदनी रात में नौका-विहार

निबन्ध की रूप-रेखा

1. प्रस्तावना—प्राकृतिक दृश्यों के प्रति मन का आकर्षण
2. नौका-विहार का आनन्द—स्थान का चयन, कार्यक्रम बनाना, नौका-विहार करना, रमणीक दृश्यों का वर्णन, संगीत का आनन्द
3. उपसंहार

प्रस्तावना—प्रकृति को हम अनेक रूपों में देखते हैं। सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, आकाश, तारे, पहाड़, वृक्ष और नदियाँ। इन सब रूपों में प्रकृतिसृष्टि का पालन-पोषण करती है। मनुष्य की यह विशेषता है कि वह इस बाह्य प्रकृति से अपनी अन्तः प्रकृति का तादात्म्य स्थापित कर लेता है। उसकी प्रसन्नता के क्षणों में उसे चाँद-तारे हँसते हुए नजर आते हैं और नदियाँ मधुर-संगीत सुनाती प्रतीत होती हैं। इसके विपरीत उसकी शोकावस्था में चाँद की किरणें उसे जताती हैं और नदी की धारा फुफकारती हुई नागिन सी प्रतीत होती है। वास्तविकता यह है कि बाह्य प्रकृति सदा-मर्वदा एक रूप ही धनी रहती है। मनुष्य अपनी अन्तः प्रकृति के अनुरूप ही उसे परिवर्तित होते देखने की कल्पना कर लेता है। मुझे प्रकृति से बहुत प्रेम है। मैं उसे उसके सभी रूपों में सुन्दर, रमणीय और आनन्ददायक ही पाता हूँ।

विषय-प्रवेश—मेरा स्वभाव संझानी किस्म का है। प्राकृतिक स्थानों की यात्रा करने का मुझे शौक है। प्रकृति को विभिन्न रूपों में देखकर मुझे विशेष आनन्द की अनुभूति होती है। उम दिन सायंकाल जब मित्र-मंडली में शरद-पूरणिमा के दिन कोई विशेष आयोजन की चर्चा चली तो मैंने प्रस्ताव किया कि इस बार तो किसी ऐसे स्थान पर चला जाय जहाँ चाँदनी रात में नौका-विहार का आनन्द लिया जा सके। मेरा प्रस्ताव तत्काल सर्व-सम्मति से स्वीकार कर लिया गया और शरद-पूरणिमा के दिन रामगढ़ झील में नौका-विहार का कार्यक्रम निश्चित हो गया। शरद-पूरणिमा के दिन रविवार था। हमने होस्टल वाडें से स्वीकृति ली और हम ग्यारह विद्यार्थी एक जीप में बैठकर सायंकाल 5 00 बजे जयपुर से रामगढ़ के लिए रवाना हो गये। शाम को 6 बजे हम रामगढ़ झील के किनारे पहुँच गये। दो बयें पूर्व 1982 में एशियाट के दौरान नौकायन प्रतियोगिता

इसी भील में आयोजित हुई थी। इसलिए इन भील का विकास बहुत अधिक हो गया है। किनारे की सीढ़ियाँ बड़ी साफ-सुथरी और चौड़ी बना दी गई हैं। किनारे का पार्क भी अब अत्यन्त सुन्दर और अत्याधुनिक ढंग से तैयार कर दिया गया है। किनारे पर पहुँचते ही हम सब मानन्द-विभोर हो गये। बहुत से सैलानी और पर्यटक वहाँ पहले से ही मौजूद थे और कुछ आ भी रहे थे। हमने वहाँ के व्यवस्थापकों से बात की और चन्द्रोदय के पश्चात् भील में नौका-विहार करने के लिए एक नौका तथा नाविक की व्यवस्था कर ली। इसके पश्चात् हम इधर-उधर घूमते रहे। चारों ओर की प्राकृतिक शोभा का आनन्द लेते रहे। किनारे पर ही एक ओर बैठकर हमने भोजन किया और शाम होने पर चन्द्रदेव के उदित होने की प्रतीक्षा करने लगे।

सूर्यास्त होते ही अन्धकार जगत् को ढकने का प्रयास करने लगा था, किन्तु उसका यह प्रयास सफल नहीं हो सका। कुछ ही क्षणों में पूर्व दिशा में चन्द्रमा निकल आया और उसकी शीतल तथा दूध जैसी चाँदनी के प्रकाश में समस्त दृश्यमान जगत् जगमगाने लगा। इधर हम चन्द्रोदय की प्रतीक्षा कर रहे थे और उधर नाविक किनारे से अपनी नौका को सटायें हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। यकामक कुछ सैलानियों को भील की ओर बढ़ते देखकर हमारा भी ध्यान उस ओर गया तो नाविक ने हाथ हिलाकर हमें नाव में बैठने के लिए आमंत्रित किया। हम भी इन्हीं क्षणों की प्रतीक्षा कर रहे थे। मन में विशेष उमंग लिये सीढ़ियों से उतरकर हम नाव के पास पहुँचे और एक-एक करके नाव में सवार हो गये। हम पूरे ग्यारह लोग थे। हमारी सख्या में उसने अपने को मिलाकर गिना तो बारह हुए। उसने इस सख्या को अशुभ मानकर अपने एक साथी को ओर बुला लिया और नाव को भील की ओर धकेल दिया।

अब हमारी नौका भील के मध्य भाग की ओर मथर गति से बढ़ती जा रही थी। हमने टेप रिकार्डर चालू कर रखा था। पतवार की 'चप-चप' की आवाज ताल दे रही थी और उस शान्त वनावरण में लतामयेश्वर की आवाज कानों में मिथी घोल रही थी। तब तक चाँद काफी ऊपर आ गया था। हम सब भी शान्त थे और चाँद की ओर चक्कर की तरह टकटकी लगाये देख रहे थे। एकदम स्वच्छ और दूध की तरह सफेद या उस दिन का चाँद। चाँदनी ऐसी स्वच्छ, स्निग्ध और शीतल थी कि तन-मन दोनों ही प्रकृतिस्त हो रहे थे। वह स्वच्छ चाँदनी भील की लहरों पर ऐसी दिखलायी दे रही थी जैसे लहरों पर चाँदी के कण बिखरे पड़े हों। जहाँ तक दृष्टि जाती थी समस्त जनराशि रजत-कणों से ढकी नजर आती थी। हम नाव में बैठे-बैठे बार-बार अपने हाथ पानी में डालते थे और पानी को उछालते थे। मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारे हाथ पानी में रजत-कणों को समेटने के लिए ही घनायास चले जाते थे, लेकिन वे रजत-कण हमारे अपवित्र हाथों के स्पर्श से पानी में विलीन हो जाते थे

घोर हाथ से पानी के उछलते ही बूँदों के रूप में पुनः रजत-कण बन जाते थे। जिस घोर हमारी नौका बढती जा रही थी उस घोर भील के दूसरे किनारे पर एक ऊँचा पहाड़ था। उम पहाड़ का प्रतिबिम्ब भील के पानी में स्पष्ट दिखलाई पड़ रहा था। ऐसा लगता था जैसे भील के नीचे-ऊपर दोनों घोर पहाड़ हों। चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब भी भील के पानी में स्पष्ट दिखलाई देता था। ऐसा भ्रम होता था कि नीचे-ऊपर दो चाँद खिले हुए हैं जो अपनी शीतल और स्वच्छ चाँदनी से जगत् को शुभ्र बर्ण का बना देने के लिए स्पर्धा कर रहे हैं। ये सब कल्पनाएँ मेरे ही मस्तिष्क में उठ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे मन्य मित्र भी इसी प्रकार की सुखद कल्पनाओं में खोये उस अनुपम दृश्य का आनन्द ले रहे थे।

वातावरण में पूर्ण निस्तब्धता थी। शीतल हवा मन्द गति से बह रही थी। टेप-रिकार्डर से निकलने वाली गानों की आवाज खुले वातावरण में भील की सतह से टकराकर घोर भी मधुर बनी हुई थी। यकायक टेप-रिकार्डर की आवाज बन्द हो गई। शायद कैसेट पूरा हो गया था। हम भ्रमनेटी अवस्था में टकटकी लगाये चाँद की मुन्दरता को देखते हुए अपनी आँखों को शीतल कर रहे थे। टेप-रिकार्डर की आवाज बन्द होने की घटना से हम सब का ध्यान भंग हो गया। सब सीधे होकर बैठ गये। उस मनोहारी दृश्य के विषय में आपस में चर्चा करने लगे। एक मित्र टेप-रिकार्डर उठाकर कैसेट बदलने लगा तभी नाविक की आवाज सुनाई पड़ी—“बाबूजी, याये तो रोज ही सुनो, आज तो कुछ अपने गले की हैवे दो। ऐसो बसत बेर-बेर नाहिन आवत।” यह कहकर पतवार उसने अपने साथी को सौंपदी और ऊँची घालाप भरते हुए उसने गाना शुरु कर दिया—

‘ओ मेरे माँभी ले चल पार। तू उन पार, मैं इस पार। ओ मेरे माँभी।’

वह नाविक कोई कुशल गायक था। बदिनी फिल्म का यह गीत उसने इतनी अच्छी तरह से गाया कि सारे वातावरण में एक विचित्र सी मादकता व्याप्त हो गई। हम से कुछ दूर चल रही नौकाओं में भी हल-चल मची और वह नौकाएँ हमारे नजदीक खिसकनी नजर आयी। नाविक को दशा तो ऐसी हो रही थी जैसे पूरी एक बोटल का नशा उस पर सवार हो। वह नाव के बीचो-बीच खड़ा हो गया और पूरे अभिनय के साथ अपने शरीर को कभी झुका और कभी उभर भुकाते हुए गीत की कड़ियाँ दोहराने लगा। लगभग दस मिनट तक भूम-भूम कर गाता रहा और हम सब मुन-मुन कर भूमते रहे। उसने गाना समाप्त किया और चारों तरफ से तालियों की आवाज होने लगी। दूसरी नौकाओं से भी तालियों की आवाज आ रही थी। नाविक बैठ गया। हमने उससे एक गीत और सुनाने का आग्रह किया। उसने दूसरे गीत की तान फिर छेड़ दी। अगली बार उसने एक गजल सुनाई—

‘बे जुवानी जुवा न हो जाये ॥

राजे उल्फत भया न हो जाये।’

उसकी आवाज तो मधुर और साफ थी ही, उसका उच्चारण भी इतना शुद्ध था कि मजा आ गया। “वाह, वाह, खूब, बहुत खूब” कह-कह कर सब लोग उसे दाद देने लगे। वह भी प्रसन्न और उत्साहित होकर एक से एक विभिन्न लहजे में शेर पढ़ने लगा। जब उसकी गजल समाप्त हो गयी तो लगा जैसे हम पर भी कोई नशा चढ़ गया है। तभी दूसरे नाविक ने आवाज लगाई—“भैया, बीच में तो आ गया है और भी घागे चलेंगे का?” हमने देखा उस समय हमारी नाव भोल के ठीक मध्य भाग में थी। चाँद भी ठीक हमारे माथे पर पड़ चुका था। नाविक ने पतवार को पानी के बाहर निकाल लिया और नाव को वैसे ही हिलोरें खाने को आजाद छोड़ दिया। इस समय का दृश्य और भी निराला था। ऊपर क्षितिज तक फँता हुआ स्वच्छ आकाश और मध्य में अपनी विभा से प्रकाशित निर्मल चन्द्रमा। नीचे चारों ओर दूर-दूर तक फँती हुई अनन्त जल राशि। लहरों पर चमकते हुए रजत-कण और बीचों बीच चन्द्रमा के ठीक नीचे हिलोरें लेती हुई हमारी नौका जितने बड़े इस रमणीय दृश्य का आनन्द लेते हुए परम सौभाग्यशाली हम मित्रगण।

अब हवा कुछ अधिक तेज और ठडी चलने लगी थी। हमें भी कुछ ठडक सी महसूस होने लगी। हमने नाविक से किनारे की ओर लौटने के लिए कहा। वह शीघ्रता से चम्पू चलाने लगा। कुछ नौकाएँ हम से पहले ही किनारे के पास पहुँचने को थीं। हमारा गायन का कार्यक्रम उसी प्रकार चलता रहा। हम में भी तीन-चार अच्छे गायक थे। लौटते समय उन्होंने अपने गायन से समा बाँध दिया। कुछ ही देर में हमारी नौका किनारे से सटकर रुक गयी। हम एक एक करके उतर गये। मैंने नाविक को किराया चुकाया और पाँच का नोट इनाम के बतौर दिया। वह नौका को किनारे से बाँधकर हमें धन्यवाद देता हुआ चला गया। हम भी अभी-अभी उपभोग किये आनन्द की चर्चा करते हुए जीप में आकर बैठ गये। ड्राइवर ने जीप को घुमाया और तेज गति से जयपुर की ओर चल पड़ा। जब हम होस्टल के द्वार पर पहुँचे तो उस समय रात्रि के ठीक बारह बजे थे।

उपसंहार—प्रकृति के अनेक रूप हैं और वह अपने प्रत्येक रूप में मोहक, चिर-नवीन और रमणीय है, किन्तु शरद-भूषणमा के दिन चाँदनी रात में नौका-विहार करते समय उसने जिस रूप को देखा, वह अनुपम और मनोखा ही था। मैं जब भी आकाश में चाँद को चमकता हुआ देखता हूँ या जब कभी किसी तालाब की चर्चा सुनता हूँ या कोई चित्र देखता हूँ तो मुझे वह रात याद आ जाती है और मैं उस रात की मधुर स्मृतियों में कुछ क्षणों के लिए धो जाता हूँ।

निबन्ध की रूप-रेखा

1. प्रस्तावना—विवाह एक संयोग
2. एक पड़ोसी के विवाह में सम्मिलित होना—बस द्वारा बरात का प्रस्थान, बरात का स्वागत, प्रगवानी की रस्म में रकम कम मिलना, लडके के पिता का शोध, रंग में मंग पड़ जाना, लडकी द्वारा विवाह करने से मना कर देना, एक अन्य युवक से विवाह, बरात का खाली हाथ लौटना
3. उपसंहार

प्रस्तावना—मैं अपने घर में और बाहर भी बड़े-बूढ़ों के मुख से यह बराबर सुनता रहा हूँ कि शादी-विवाह तो एक संयोग मात्र होता है। जिस लडके का जिस लडकी से विवाह का संयोग होता है, उसी से विवाह होता है। यह संयोग पूर्व-जन्म के कार्यों पर आधारित होता है और पहले से ही निश्चित होता है, किन्तु हम इसे पहचान नहीं पाते। इसलिए इधर-उधर भटकना पड़ता है, लेकिन यह बात मेरी सामान्य बुद्धि के समझ में आती ही नहीं थी। मैं बराबर यह देखता और अनुभव करता रहा हूँ कि किसी भी लडकी अथवा लडके की शादी उसी स्थान पर निश्चित हुई है जहाँ उनके अभिभावकों ने और स्वयं लडके ने करना चाहा है। इस चाह को पूरी करने के लिए पदों में या थोड़े में कुछ सौदेबाजी भी होती है और सध तरह से सन्तुष्ट होने के पश्चात् ही सम्बन्ध पक्के होते हैं। ऐसी स्थिति में यह बात समझ में कैसे आ सकती थी कि विवाह तो एक संयोग मात्र है, किन्तु मेरे एक ताजा अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया कि शादी-विवाह संयोग से ही होते हैं, जबकि एक जरा सी बात पर बरात सजाकर लाने वाला दूल्हा शादी से वंचित रह गया और मात्र बराती बनकर आने वाला युवक विवाह करके दुल्हन को ले गया।

विषय-प्रवेश—मेरे पड़ोस में शर्मा जी का मकान है। उनका पूरा नाम बजोड़ मल शर्मा है। वे रसद विभाग में बरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्य करते हैं। उनके चार पुत्र और एक पुत्री है। उनके सबसे बड़े लडके बिगोरी साल का विवाह पास के ही कस्बे में एक अध्यापक की लडकी से निश्चित हुआ था। लडका बी० ए० पास था और लडकी एम० ए० थी। लडका सालभर पहले बैंक में नौकर हो गया था, इससे उसके माव बहुत बड़ गये थे। लडकी अत्यन्त रूपवती, सुशील और सम्य

थी। शर्माजी ने खूब ताक-थानकर तथा लेन-देन की शर्तें तय करके ही शादी पक्का की थी। टीके और सवाई तक मास्टरजी ने शर्तों के अनुसार ही रस्मों-रिवाज पूरे किये थे। इसलिए शर्माजी पूर्ण सन्तुष्ट थे। विवाह की तिथि निश्चित हुई दोनो भोर से खूब उत्साहपूर्वक तैयारियाँ हुईं। विवाह की तिथि नजदीक आ गई। पड़ोसी होने के नाते हमारे घर पर पर भी निमंत्रण-पत्र आया और शर्माजी ने बड़े आग्रहपूर्वक हमारे परिवार में मे एक पुरख को बरात में चलने के लिए कहा पिनाजी की व्यस्तता के कारण मेरा ही बरात में जाना निश्चित हुआ।

शादी के दिन दोपहर में करीब बारह बजे दो डीलक्स बसें शर्माजी के मकान से कुछ दूर आकर खड़ी हो गईं। शर्माजी कुछ कजूस किस्म के आदमी हैं। जहाँ दो रुपये खर्च करना आवश्यक हो वहाँ एक रुपये में ही काम चलाते हैं। बरात के लिए एक साथ चमचमाती हुई दो बसों को देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन शीघ्र ही लोगों ने पता लगा लिया कि बस का किराया लडकी वाले के मत्थे मड़ा जायेगा। फिर क्या था? शर्माजी क्यों चुकते लगे—‘माने मुफ्त दिने बेरहम!’

दुल्हा सजाया गया। घोड़ी पर बिठाकर कुल पाँच बँड वालों की ‘पी-पी’ और ‘डम-डम’ की आवाज के साथ निकाली निकाली गई। डीलक्स बसों की तुलना में अत्यन्त हल्का बँड देखकर लोगों ने नाक चढाया तो शर्माजी ने समझाया—“मुख्य बरात तो लडकी वाले के बाहर ही सजेगी। यहाँ अधिक खर्चा करने से क्या लाभ?” लोग समझ गये कि बँड का खर्चा शर्माजी के ही जिम्मे दिखता है।

शाम की तीन बजे बरात खाना हुई। दोनो बसें बरातियों से खचाखच भरी थी। रिश्तेदारों और नातियों की तुलना में पड़ोसियों, मित्रों और कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक थी। औरतें और बच्चे भी थे। कुल दो सौ से ऊपर बराती होगी। बसें चल पड़ी। हँसी कह-कहो के साथ अनेक प्रकार की चर्चाएँ होती रहीं और बसें अपने गन्तव्य स्थान की ओर सरपट दौड़ती रहीं। मेरी सौट के पास बुजुर्ग और जवान दोनो ही प्रकार के लोग बैठे थे, जिनमें कुछ शर्माजी के रिश्तेदार भी थे। उनकी चर्चा का विषय बड़े हुए शादी-विवाह के खर्च, लेन-देन और बहेज का प्रकरण ही था। सब लोग अपना-अपना दृष्टिकोण प्रकट कर रहे थे। एक बात पर वे सभी सहमत नजर आते थे कि बहेज हमारी एक सामाजिक बुराई है और यह प्रथा समाप्त होनी चाहिए। इस प्रथा को समाप्त करने के उपाय भी सब अपनी-अपनी समझ से बतला रहे थे, किन्तु सभी उपायों को व्यावहारिक मानकर पुनः कुछ निराशापूर्ण बातें करने लग जाते थे। मैं चुपचाप उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। करीब डेढ़ घण्टा शीघ्र ही गुजर गया और बरात गौविन्द नगर पहुँच गई।

बरात की अगवानी के लिए काफी लोग उपस्थित थे। उन्होंने बड़े गर्म-जोशी से बरात का स्वागत किया। बरात एक धर्मशाला में ठहराई गई, जहाँ सब

प्रकार से सुन्दर व्यवस्था की गई थी। कुछ देर बाद चाय-नाश्ता दिया गया - व्यवस्था में लगे लोगों का व्यवहार इतना नम्र और मधुर था कि बराती प्रसन्न हो गये। सब लोग उनकी सु-व्यवस्था की प्रशंसा करने लगे। लडकी वाले का भकान भी पास ही था। कुछ मनचले लोग यहाँ तक हो गये थे। वे वहाँ की सजावट और स्वागत-सत्कार की व्यवस्था की प्रशंसा कर रहे थे। शर्मा जी धूम-धूम कर सब बरातियों से मिल रहे थे और सब की मुविधा-अमुविधा की जानकारी कर रहे थे। इस प्रश्रिया में करीब दो घंटे का समय बीत गया। तभी लडकी वाले की तरफ से एक व्यक्ति ने धाकर सूचना दी कि वे लोग भगवानी की रस्म करने आ रहे हैं। शर्मा जी ने यह सूचना सब बरातियों के पास पहुँचा दी और यह भी कहलवा दिया कि सब लोग तैयार होकर विद्यायत पर पधारें। भगवानी की रस्म के बाद बरात रवाना होगी।

धर्मशाला के खुले और बड़े चौक में विद्यायत हो रही थी। ठीक सामने दूल्हे के बैठने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। लोग आ-आकर विद्यायत पर बैठने लगे। कुछ देर बाद लडकी वाले स्वागत का सामान लिए भगवानी के लिए आ पहुँचे। उनके आने पर दूल्हे को बुलाया गया। अपने बीस-पच्चीस मित्रों की टोली के साथ दूल्हा भ्राया और निर्धारित स्थान पर बैठ गया। पण्डित जी ने मंत्रोच्चारण प्रारम्भ किया, पूजन करवाया और फिर रस्म की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। दूल्हे के तिलक लगाया गया, गजरा पहनाया गया और एक सोने की अजीर गले में डाली गई। इसके बाद सौ-सौ के कुछ नोट एक नारियल के साथ दूल्हे को भेंट किये गये। सभी की नजर नोटों की तरफ लगी हुई थी। शर्मा जी तो दूल्हे के पास ही बैठे थे। दूल्हे ने वे नोट अपने पिता को दे दिये। शर्मा जी ने नोट गिने तो उनकी भौंड़ी तन गई। लाल आँखों से देखते हुए उन्होंने लडकी के पिता से कहा, "यह कौसी वादा खिलाफी है मास्टर जी?" मास्टर जी ने हाथ जोड़कर बड़े नम्र शब्दों में निवेदन किया, "शर्मा साहब! मैंने सब काम आपके हुक्म के मुताबिक ही किया है। छोडा रूप ही बदला है बाकी जो कसर रहेगी, वह भी पूरी कर दूँगा।" शर्मा जी का पारा और भी गरम हो गया। बोले, "मुझे बेवकूफ मत जानाओ। पचास रिशतों को छोड़कर मैंने तुम्हारे यहाँ रिशत मजूर किया था। मुझे भगवानी में नकद पाँच हजार चाहिए।" वह कहकर वे नोट उन्होंने मास्टर जी के मुँह पर दे मारे। सब लोग आश्चर्य और उत्सुकता से शर्मा जी की ओर देखने लगे। मास्टर जी ने नीचा सिर किये बिखरे नोटों को इकट्ठा किया और वे शर्मा जी से कुछ कहना ही चाहते थे, तब तक कन्या पक्ष के भी कुछ लोग ताव में आ गये और उन्होंने शर्मा जी को बुरा-भला कहना शुरू कर दिया। रंग में भग पड गया और देखते-देखते जात बढ गई। शर्मा जी आपे से बाहर हो गये। दोनों ही पक्ष के लोगो ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे अपनी जिद पर चढ़े रहे, बल्कि कुछ ओछे और अपशब्द भी उनके मुँह से निकलने लगे।

लडकी वालों को उनका यह व्यवहार बहुत ही दुरा लगा। बात यहीं तक बढ गई कि लडकी जाने यह कहकर वहाँ से चले गये कि "हमारे पास जो होगा वही देंगे। आपको स्वीकार हो तो बरात लेकर आ जाओ, नहीं तो अपने घर जाओ।"

उनके जाने ही बरातियों में विचित्र-सी हलचल मच गई। कोई कुछ कहने लगा और कोई कुछ। सब लोग शर्मा जी की ही गलती मान रहे थे। शर्माजी पहले तो बहुत बीखलाये, लेकिन फिर उनके होश ठिकाने लग गये। जैसे-तैसे ही हस्ता-भन हुआ और बरात की तैयारियाँ हो लगी। इसी बीच लडकी का भाई कुछ नौजवानों के साथ वहाँ आया और उसने शर्मा जी से कहा, 'शर्मा जी! यह शादी नहीं होगी। आप लोग बरात लेकर लौट जाइये और धर्मशाता जल्दी खाली कर दोजिये।' यह बात सुनते ही सब के होश उड़ गये। शर्मा जी की हालत तो ऐसी हो गई कि बाटो तो सुन नहीं। दूल्ह की शक्ल ऐसी हा गई जैसे भरी महफिल में धक्के देकर निवाल दिया हो, लेकिन सब लोग निम्पाय से एक-दूसरे की शक्ल देख रहे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाय। आखिर कुछ समझदार लोग इस चेतावनी की जाँच करने मास्टर जी के घर पहुँचे तो उन्हें पता लगा कि शर्माजी के व्यवहार से रूष्ट होकर लडकी ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह इस लडके से विवाह नहीं करेगी, क्योंकि जिस लडके का पिता इतना नोच, स्वार्थी, मानकी और जगलो स्वभाव का है उसका पुत्र भी वैसा ही होगा। उस घर में जाकर वह हर्गिज सुखी नहीं रह सकेगी। हो सकता है उसकी हत्या कर दी जाय या वह स्वयं ही आत्म-हत्या करले। यदि इन विवाह के लिए उसे बाध्य किया गया तो वह आत्म-हत्या कर लेगी। जाँच करते गये लोग अपना-ना मुह लेकर वापस आ गये। सामाचार सुनकर सब के होश उड़ गये। बरातियों में एक प्रकार का शोक सा व्याप्त हो गया। दूल्हे के मित्रों में एक प्रगतिशील विचारधारा का युवक था। वह किशोरी लाल से बार-बार यह कह रहा था कि वह अपने पिता की गलती के लिए स्वयं क्षमा-याचना करे और बिना दहेज ही विवाह करने का प्रस्ताव लडकी से करे, किन्तु किशोरी लाल ने पिता का विरोध करने का साहस नहीं था। वह युवक जोर-जोर से बोलकर किशोरी लाल की आत्मा को जगाने का प्रयास करने लगा। सब लोग उसकी बात का समर्थन करने लगे। वही कुछ लोग बन्धा पक्ष के भी खड़े सुन रहे थे। उनमें से एक ने उस युवक से प्रश्न किया, "तुम ऐसे आदर्श की बातें कर रहे हो, क्या तुम बिना दहेज शादी करने के लिए तैयार हो?" युवक ने दृढ़ता से कहा, "यदि यह स्वाभिमानिनी लडकी मुझसे विवाह करना स्वीकार करे तो मैं तैयार हूँ।" सबने तालियाँ पीटकर उसकी दृढ़ता की प्रशंसा की। किसी ने यह समाचार लडकी और लडकी के पिता तक पहुँचा दिया। काफी विचार-विमर्श के बाद दूल्हन के घर में सबी लडकी को लेकर बन्धा-पक्ष के लोग धर्मशाता में आ पहुँचे। दूल्हा किशोरी लाल, शर्मा कजोड

मन जी और समस्त बराती इन दृश्य को आश्चर्य से देखने लगे । हसिनी की चाल चलती हुई वह अत्यन्त रूपवती दुल्हन बिछावत के पास जाकर खड़ी हो गई । तभी वह प्रगतिशील युवक उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मैं आपको आपके सहस्र के लिए बधाई देता हूँ । आप जैसी वीरागनाएँ ही समाज का सुधार कर सकती हैं ।" और तभी उस गडकी ने उसके गले में बरमावा डाल दी ।

उपसंहार—इसके बाद बेंड की धुन के साथ दुल्हा-दुल्हन की जोड़ी विवाह-मण्डप में चली गई और मंगल-गान तथा मंत्रोच्चार प्रारम्भ हो गये । इधर कस्बे के लोग इकट्ठे होकर धर्मशाला में आ गये और शर्मा जी सहित सभी बरातियों को धिक्कारने लगे । आखिर निराश और परेशान होकर रातो-रात बरात को वहाँ से गगली हाथ ही खाना होना पडा ।

□□□

निबन्ध की रूप-रेखा

- 1 प्रस्तावना—मनोरंजन की आवश्यकता एवं महत्व
- 2 मनोरंजन के आधुनिक साधन—रेडियो, सिनेमा टेलिविजन, खेल कूद, संकस प्रदर्शनी एवं मेले क्लब और पार्टियाँ कवि-सम्मेलन और मुशाफरे, ताज और शतरंज, पत्र पत्रिकाएँ एवं अन्य साहित्य

3 उपसंहार

प्रस्तावना—मनोरंजन मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता है। मनुष्य ही नहीं पशु-पक्षी भी अपने तरीके से मनोरंजन करते देते जाते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि कार्य करने से मनुष्य को थकान होती है। मन और शरीर का घनिष्ठ सम्बन्ध है। शारीरिक कार्य करने से शरीर के साथ मानसिक थकान भी होती है और मानसिक कार्य करने से मन के साथ शरीर भी थक जाता है। इस थकान को दूर करके पुनः ताजगी और प्रफुल्लता प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन मनोरंजन है। मनोरंजन से शरीर की जड़ता और मन की उब समाप्त हो जाती है तथा कार्य करने के लिए नई शक्ति, स्फूर्ति और उत्साह उत्पन्न हो जाता है।

मनुष्य अपनी इस आवश्यकता की पूर्ति आदिम काल से ही करता आया है। सभ्यता के विकास के साथ-साथ मनोरंजन के साधन भी विकसित होने रहे हैं, किन्तु नृत्य, गीत, अभिनय और क्रीडा, इन साधनों का महत्व मनोरंजन के लिए सदा ही बना रहा है। इसका कारण यह है कि ये साधन मनुष्य की भावना से सीधा सम्बन्ध रखते हैं और भावना का सम्बन्ध मन से होता है। अतः मनोरंजन के लिए ये साधन सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं।

विषय प्रवेश—विज्ञान की उन्नति ने मानव-जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकसित साधन उपलब्ध कराये हैं। मनोरंजन के साधनों के विकास में विज्ञान की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। मनोरंजन के परम्परागत साधनों के अतिरिक्त वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप जो नये साधन विकसित हुए हैं, उन्होंने मनोरंजन को अत्यन्त सस्ता, सरल और सुविधापूर्ण बना दिया है। मनोरंजन के जो आधुनिक साधन समाज में उपलब्ध हैं, उनका विवरण अश्लिष्ट प्रकार से दिया जाता है —

रेडियो—रेडियो मनोरंजन का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। आज आपको घर-घर, गली-गली, सबको-बाजारो, होटलो-विश्राम गृहों तथा बसों और कारों में भी रेडियो की आवाज सुनाई देगी। यह एक ऐसा सुविधाजनक साधन है कि जिससे हम किसी भी स्थान पर बैठे-बैठे और चलते-चलते अपना मनोरंजन कर सकते हैं। छोटे-छोटे ट्रांजिस्टरो के रूप में इसका विकास हो जाने पर तो यह और भी उपयोगी और सुविधाजनक बन गया है। इसी का एक विकसित रूप टेपरिकार्डर भी है जिसके माध्यम से हम अपनी रचि के कार्यक्रम अपने इच्छित स्थान और इच्छित समय पर सुनकर मनोरंजन कर सकते हैं। रेडियो के कार्यक्रमों में सुगम मंगीत, शास्त्रीय संगीत, वाद्य संगीत, गजन, कव्वाली, लोकगीत, कविता-पाठ, नाटक और हास्यरूपक आदि सभी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जिससे थोता अपनी रचि के कार्यक्रम सुनकर अपना भरपूर मनोरंजन कर लेते हैं।

सिनेमा—मनोरंजन के प्राधुनिक साधनों में सिनेमा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। सिनेमा हाल में जाकर तीन घंटे के एक शो में दर्शक अभिनय, नृत्य, संगीत, हास्य, रोमांस आदि के दृश्य देखकर भरपूर मनोरंजन कर लेते हैं। विभिन्न प्राकृतिक दृश्यों तथा माहमिक रोमांचक दृश्यों को देखकर दर्शक कुछ क्षणों के लिए अपने आपको भूल जाते हैं। यही कारण है कि सिनेमा मनोरंजन के प्राधुनिक साधनों में बहुत लोकप्रिय है। शहरों की तो बात ही क्या छोटे-छोटे कस्बों में सिनेमा हॉल बनने जा रहे हैं और फिल्म-उद्योग निरन्तर प्रगति करता जा रहा है।

टेलीविजन—टेलीविजन के आविष्कार ने मनोरंजन के साधनों के क्षेत्र में एक क्रांति उत्पन्न कर दी है। इसी साधन ने रेडियो और सिनेमा दोनों ही के गुण अपने में उत्पन्न कर लिये हैं और घर बैठे ही सब प्रकार के मनोरंजक दृश्यों को देखने तथा सुनने की सुविधा उपलब्ध करा दी है। मंचार के किसी भी कोने में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटना को हम अपने कमरे में आराम से बैठे-बैठे ही इन प्रकार देख सकते हैं, जैसे वह घटना हमारे नामने ही घटित हो रही हो। ओलम्पिक खेलों का आयोजन हो या क्रिकेट के टेस्ट मैच, कोई कवि-सम्मेलन हो या मुशायरा अथवा मंगीत-नृत्य का कोई विशेष आयोजन हो, ये सभी आयोजन हम अपने कमरे में बैठे-बैठे चाय की चुस्की का आनन्द लेते हुए आराम से देख सकते हैं। टेलीविजन का ही एक अत्याधुनिक विकसित रूप हमारे सामने की डी ओ और आ गया है। इसके माध्यम से टेलीविजन पर प्रसारित अपनी रचि के किसी भी कार्यक्रम को हम रेकार्ड कर सकते हैं और इच्छानुसार समय पर उसे धार-वार देखकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं।

रेडियो, सिनेमा और टेलीविजन ये तीनों ही मनोरंजन के सर्वाधिक लोकप्रिय प्राधुनिक साधन हैं। इन साधनों की एक विशेषता यह भी है कि इनसे मनोरंजन के

साथ-साथ ज्ञान-वृद्धि भी होती है जिससे हमारे दृष्टिकोण में अपेक्षित परिवर्तन भी होता है।

खेल-कूद—मनोरजन के आधुनिक साधनों में खेल-कूद का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। फुटबाल, जिमनास्टिक, तैराकी, निशानेबाजी और घुड़सवारी आदि साधनों से भी मनोरजन किया जाता है। खेल-कूद के साधनों की एक विशेषता यह है कि इससे खिलाड़ियों का तो मनोरजन होता ही है साथ ही दर्शकों का भी खूब मनोरजन होता है। खेलों के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मुकाबलों के आयोजनों में ऊँची दरों के टिकट रखे जाते हैं, किन्तु दर्शकों का उत्साह इतना अधिक होता है कि टिकटें ब्लॉक में भी नहीं मिल पाती। ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी और गिल्ली-डंडा आदि खेल प्रचलन भी बड़े उत्साह से खेले जाते हैं जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों का खूब मनोरजन होता है। खेल-कूद मनोरजन का एक अत्यन्त श्रेष्ठ साधन है। इससे मनोरजन के साथ-साथ शरीर में शक्ति और स्फूर्ति का मंचार होता है तथा मन में उत्साह और धैर्य का विकास होता है। खेलों से भाईचारे की भावना को भी प्रोत्साहन मिलता है।

सर्कस, प्रदर्शनी एवं मेले—आधुनिक समाज में मनोरजन लिए प्रदर्शनी और मेले भी आयोजित किये जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में मेले अनेक रूपों में आयोजित होने हैं, जिनमें कुछ परम्परागत शैली के मेले होने हैं और कुछ आधुनिक तरीकों के इनमें कुछ प्रदर्शनियाँ भी आयोजित की जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मेलों का महत्व बहुत अधिक होता है और ये मेले परम्परागत शैली से ही आयोजित होते हैं जिनमें बहुत बड़ी सख्या में लोग शामिल होते हैं। मनोरजन के साथ-साथ इन मेलों का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी होता है। सर्कस की दुनियाँ का यद्यपि कुछ हलम हो रहा है, किन्तु मनोरजन की दृष्टि से यह एक सर्वाङ्गपूर्ण साधन है जिसमें साहस, शक्ति, कला, समीत और हास्य के साथ-साथ अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्यों को प्रत्यक्ष देखकर दर्शकों का खूब मनोरजन होता है।

क्लब और पार्टियाँ—आधुनिक सम्पन्न और सभ्य कहे जाने वाले लोग क्लबों और पार्टियों में जाकर अपना मनोरजन करते हैं। पाश्चात्य सभ्यता की देन ये क्लब और पार्टियाँ जन-साधारण के मनोरजन का साधन नहीं हैं। अपने वैभव के प्रदर्शन के साथ-साथ पाश्चात्य सभ्यता के अनुरूप ही अपना आचरण करने वाले लोग इन साधनों से अपना मनोरजन करते हैं। जिल्हों और रज की बुर्कों के साथ अपने घरों का खुला प्रदर्शन करते हुए नर-नारी भारतीय समाज की समस्त मर्यादाओं को त्याग कर इन पार्टियों में पाश्चात्य शैली का डाल कर करके अपना मनोरजन करते हैं। क्लबों में कैबरे टॉम भी मनोरजन का ही साधन है।

कवि-सम्मेलन और मुशायरे—कवि-सम्मेलन और मुशायरे भी मनोरजन के आधुनिक साधनों में प्रमुख हैं। इन सम्मेलनों में कवि और शायर अपनी

रचनाएँ विशेष लहजे में श्रोताओं सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और श्रोता मुन-मुन कर कभी भूमते हैं और कभी 'वाह-वाह' करके अपनी प्रमत्तता व्यक्त करते हैं। इन साधनों से श्रोताओं का मनोरंजन कितना अधिक होता है, इस बात का प्रमाण यह है कि अर्द्धे कवि-सम्मेलन और मुशायरे इतने अधिक जमते हैं कि श्रोता रात भर बंटे रहते हैं और 'वाह-वाह' 'क्या खूब' की ध्वनि से आसमान गुँजते रहते हैं। किन्तु ये परिष्कृत रचि के लोगों का ही मनोरंजन कर पाते हैं,

ताश और शतरंज—मनोरंजन के साधनों में ताश के पत्ते बहुत लोकप्रिय हैं। शहरो, गाँवों और कस्बों में पड़े तथा अनपढ़ सभी प्रकार के लोग ताश के पत्तों से अपना मनोरंजन करने देते जा सकते हैं। शतरंज का खेल थोड़ा कठिन है, किन्तु जो लोग शतरंज का खेल सीख जाते हैं, वे इससे खूब मनोरंजन करते हैं। शतरंज के खिलाड़ी तो दिन में ऐसे खो जाते हैं कि उन्हें खाने पीने और आवश्यक कार्यों की भी सुधि नहीं रहती।

पत्र-पत्रिकाएँ एवं अन्य साहित्य—साहित्य भी मन-बहलाव का एक श्रेष्ठ साधन है। फुसंत के क्षणों में अथवा यात्रा के दौरान अपना समय गुजारने के लिए लोग पत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें पढ़ते हैं। इससे उनका मनोरंजन भी होता है, नवीन जानकारियाँ भी मिलती हैं और एकाकी यात्रा करने का लम्बा समय बड़ी सरलता से गुजर जाता है।

उपसंहार—मनोरंजन के जिन साधनों की चर्चा ऊपर की गई है उनके अतिरिक्त भी अनेक साधन और हो सकते हैं, किन्तु आधुनिक समाज में ही साधन प्रमुख हैं। 'भिन्न रचिहि लोके' ससार में लोगों की भिन्न-भिन्न रुचियाँ होती हैं और वे अपनी-अपनी रचि के अनुसार ही मनोरंजन के साधनों का चयन करते हैं। यहाँ हमें एक बात भली प्रकार से समझ लेनी चाहिए कि मनोरंजन एक सामाजिक आवश्यकता होती है लम्बे समय तक कार्य करने के पश्चात् शरीर की थकान और मन की ऊब को मिटाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीवन में कार्य का स्थान प्रथम है और मनोरंजन का दूसरा। जो लोग मनोरंजन को जीवन में प्रथम स्थान देने लगते हैं, वे स्वयं अपने माथ धोला करते हैं। बुपरिणाम उन्हें अपने जीवन में भोगने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग मनोरंजन के लिए मादक पदार्थों जैसे भाँग, गाँजा, शराब आदि का सेवन करते हैं या जुआ, सट्टा आदि से अपना मनोरंजन करते हैं वे मनोरंजन के नाम पर आत्म-धात कर रहे हैं। हमें मनोरंजन का महत्त्व समझना चाहिए और जब जितना आवश्यक हो शुद्ध एवं मालिक मनोरंजन करना चाहिए जिससे जीवन में उत्साह, उमंग और सरसता बनी रहे।

निबन्ध की रूप-रेखा

1 प्रस्तावना—आधुनिक युग में विज्ञान का प्रभाव ।

2. विज्ञान के आश्चर्यजनक चमत्कार—दूरी पर विजय, ऊर्जा का विकास, संचार-सुविधा, चिकित्सा-सुविधा, मनोरजन बौद्धिक क्षमता में वृद्धि अन्तरिक्ष की खोज, सामरिक क्षमता में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि

3 उपमहार

प्रस्तावना—आज का युग विज्ञान का युग है। जीवन के सभी क्षेत्रों में विज्ञान का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। आयागमन के साधन, संचार और संचार-व्यवस्था, ऊर्जा के स्रोत, दैनिक जीवन की आवश्यकताएँ, मनोरजन के साधन, चिकित्सा, युद्ध के शस्त्रास्त्र और शिक्षा तथा ज्ञान के सभी क्षेत्रों में विज्ञान के चमत्कार स्पष्ट दिखाई देते हैं। अधिक समय पुरानी बात छोड़ भी दें तो भी आज से पचास वर्ष पूर्व के लोगों का जीवन आज की तुलना में बहुत भिन्न था। उनकी शक्ति और सामर्थ्य बहुत सीमित थी। उनके ज्ञान का क्षेत्र बहुत छोटा था और वे प्रकृति के आगे असह्य बन कर अत्यन्त असुविधापूर्ण जीवन व्यतीत करने को विवश थे। पक्षियों की तरह आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरने की, तीव्रगति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाने की, घर में बैठे-बैठे ही दूसरों से सम्पर्क साधने की तथा चुटकी बजाते ही जादू से काम पूरा कर लेने की साध तो प्राचीन युग के लोगों के मन में भी रही होगी किन्तु उनकी यह कल्पना एक सुषुप्त स्वप्न से अधिक महत्त्व नहीं रखती होगी क्योंकि उनके लिए ये सब बातें असम्भव थीं। यह विज्ञान का ही चमत्कार है जिसने मानव के स्वप्न को वास्तविकता में बदल दिया और असम्भव को सम्भव बना दिया।

विषय प्रवेश—यह हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि मानव-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को विज्ञान ने प्रभावित किया है। अब हम जीवन के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में विज्ञान के चमत्कारिक प्रभाव को देखने का प्रयत्न करेंगे।

1. दूरी पर विजय—एक समय था जब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में अत्यन्त कठिनाई का अनुभव करता था। जब कभी उसे जाना ही पड़ता तो यात्रा में महीनों का समय लग जाता था और इस अवधि में उसे मार्ग में अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। यह विज्ञान का ही

चमत्कार है कि आज दूरी को हमारे सामने कोई समस्या ही नहीं रही है। रेल, मोटर, जहाज तथा वायुयान जैसे अनेक साधन उपलब्ध हो गये हैं जिनसे हम बहुत कम समय में दूरी की यात्रा सुविधा पूर्वक कर लेते हैं।

2. ऊर्जा का विकास—एक युग था जब मनुष्य अपनी शारीरिक शक्ति और पशुओं की शक्ति में ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था इसमें उनकी शक्ति और सामर्थ्य बहुत सीमित थी। विज्ञान ने इस क्षेत्र में आश्चर्यजनक चमत्कार किये हैं। वायु, पेट्रोल, डीजल, गैस, विद्युत् और एटम की शक्ति की खोज करके इनकी ऊर्जा से चलने वाली बड़ी-बड़ी मशीनों का अविष्कार करके मानव की शक्ति और कार्यक्षमता में असाधारण वृद्धि कर दी है। आज मशीनों के द्वारा दो आदमी ही एक दिन में उन्ना काम पूरा कर देते हैं जो काम दो सौ आदमी भी पूरा नहीं कर सकते। अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा के इन स्रोतों का उपयोग हम श्रुव करने हैं। बटन दबाने ही कमरा विद्युत् प्रकाश में जगमगा उठता है, नल का पेंच घुमाने ही घर में गंगा आ जाती है और माचिस लगाने ही रसोईघर में गैस का चूल्हा जलकर चाय का पानी गरम कर देता है। ये सब सुविधाएँ क्या आधारण बात मानी जा सकती हैं ?

3. संचार-सुविधा—मनुष्य को एक-दूसरे से सम्पर्क करने तथा एक-दूसरे के विषय में जानकारी करने की आवश्यकता सदा बनी रहती है। एक समय था जब सवाद अथवा सदेश लेकर किसी व्यक्ति को ही किमी स्थान पर भेजा जाता था। इस कार्य के लिए तेज चलने वाले घोड़ों को ही काम में लिया जाता था। इतना साधन से समय बहुत लम्बा जाता था, सवाद की गोपनीयता समाप्त हो जाती थी और निश्चित सीमा तक ही सवाद पहुँचाया जा सकता था। विज्ञान ने चमत्कार करके इस समस्या का समाधान कर दिया है। अब तार, टेलीफोन और बेतार के तार द्वारा हम घर बैठे ही ससार के किसी भी कोने में रहने वाले अपने मित्र अथवा सगे-सम्बन्धी से सीधा सम्पर्क कर सकते हैं। कौसी आश्चर्यजनक बात है यह।

4. चिकित्सा सुविधा—पिछली शताब्दी तक रोगों पर मनुष्य का कोई नियन्त्रण नहीं था। अनेक रोग असाध्य बने हुए थे और कोई बीमारी जब व्यापक रूप में फैल जाती थी तो महामारी बनकर पूरे गाँव और बस्तियों को उजाड़ बना देती थी। विज्ञान की खोजों और अविष्कारों ने इस क्षेत्र में मानव-जाति को बहुत सेवा की है। अब कोई रोग असाध्य नहीं रहा। अनेक घातक बीमारियों के टीके लगाकर उन्हें होने से ही रोक दिया जाता है। रोग-निदान की अनेक वैज्ञानिक विधियाँ खोज ली गई हैं और अनेक उपकरण तैयार कर लिए गये हैं जिनसे शरीर में छिपे रोग का मूल कारण ज्ञान हो जाता है। प्रत्येक रोग की प्रभावशाली औषधियाँ भी खोज ली गयी हैं। इसके अतिरिक्त शल्य-चिकित्सा के क्षेत्र में तो विज्ञान ने ऐसे चमत्कार कर दिखाये हैं कि कृत्रिम अंगों का आरोपण

करके मनुष्य को नया जीवन प्रदान कर दिया जाता है। परखनली से सन्तानोत्पत्ति की बात भी की कम चमत्कारिक नहीं है।

5 मनोरजन—पुराने जमाने का धादमी किस्से-बहानी कह-सुनकर प्रथवा रंगमंच पर अभिनय, नृत्य और संगीत देखकर ही घपना मनोरजन करने को विवश था। विज्ञान ने उसकी इस विवशता को अब समाप्त कर दिया है। रेडियो, गानो होम विनेमा, टेलीविजन और वीडियो जैसे साधनों का आविष्कार करके मनुष्य के लिए अच्छे से अच्छे मनोरजन की सुविधा जुटा दी है।

6 बौद्धिक क्षमता में वृद्धि—विज्ञान के आधुनिकतम चमत्कारों में गणनायंत्रों और कम्प्यूटरों में आविष्कार है। इन यंत्रों के आविष्कार से मनुष्य की बौद्धिक शक्ति में अपार वृद्धि हो गई है। अब जटिल से जटिल गणितीय समस्याओं का प्रत्यन्त सरल और सही समाधान मनुष्य को सुलभ हो गया है। इसको चमत्कार कहा जाय या आश्चर्य दोनों ही शब्द हल्के प्रतीत होते हैं।

7. अंतरिक्ष की खोज—आकाश में चमकने वाले सूर्य, चन्द्र और तारों को मनुष्य देवता समझकर उनकी पूजा करता रहा है। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष के किसी रहस्य का पता न होने के कारण वह उसे ईश्वर का निवास-स्थान मानता रहा है। इसीलिए ईश्वर को ऊपरवाला कहा जाता है, किन्तु विज्ञान ने इस रहस्य पर से भी एक सीमा तक पर्दा हटा दिया है। अंतरिक्ष यानों से प्राप्त जानकारी में अंतरिक्ष की बहुत सी गुप्त जानकारियाँ मनुष्य को प्राप्त हो गई हैं। चाँद पर तो मनुष्य सशरीर ही जावर लौट आने में सफल हो गया है। अभी हाल ही में राकेश शर्मा तथा अन्य दो यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजकर पुनः सकुशल पृथ्वी पर बुला लेना विज्ञान का ऐसा चमत्कार है जिसे जादू मान लेने में किसी को कोई संकोच नहीं करना चाहिए।

8 सामरिक क्षमता में वृद्धि—एक युग था जब खाठियों, तालवारों और भालों से आमने-सामने खड़े होकर युद्ध लड़ा जाता था जिसमें बाहुबल और मध्या बल की विजय होती थी। जब सीमा पर वे आततायी शत्रु आक्रमण कर देता था तो उसे रोकने और सीमा से बाहर खदेड़ने में बहुत जन-हानि उठानी पड़ती थी। उस समय मानव यह अवश्य सोचता होगा कि उसके पास कोई ऐसी जादुई शक्ति होनी चाहिए जिससे अपनी सीमा से बँटे-बँटे ही वह आक्रान्ताओं को भस्म कर दे। मनुष्य की इस कल्पना को आज विज्ञान ने साकार कर दिया है। राकेट, मिसाइल, प्रक्षेपास्त्र तथा बमों के रूप में उसके पास ऐसी शक्ति आ गई है कि वह सैकड़ों-हजारों मील दूर अपनी सीमा में बँटे-बँटे ही शत्रु के ठिकानों पर आक्रमण कर सकता है और उसे मिट्टी में मिला सकता है। युद्ध के उद्देश्य से ही निमित्त विशेष प्रकार के वायुयानों से शत्रु-सेना पर वखपात किया जा सकता है। नभ और स्थल के अतिरिक्त जल के भीतर घुसकर भी शत्रु की शक्ति को नष्ट कर देने के लिए पनडुब्बियों का आविष्कार कर लिया

गया है। मनुष्य की सामरिक क्षमता में तो विज्ञान ने इतनी अधिक वृद्धि कर दी है कि आज विश्व सर्वनाश के भय से हाहाकार करने लगा है। विश्व के विकसित देशों के पास एटम बम, हाइड्रोजन बम और अन्य अनेक प्रकार के विनाशकारी शस्त्रों का इतना भंडार जमा हो गया है कि किसी भी युद्ध की एक छोटी सी चिंगारी इस विशाल बारूद खाने में विस्फोट कर सकती है जिसकी लपेटों में ससार का समस्त वैभव और विकास कुछ ही क्षणों में नष्ट हो जाने की आशंका सदा बनी रहती है। विज्ञान का यह चमत्कार यद्यपि मानवता के हित में नहीं है, किन्तु इसे विज्ञान का आश्चर्यजनक चमत्कार न मानना भी तो उचित नहीं है।

9. उत्पादन में वृद्धि—विज्ञान ने कृषि और औद्योगिक उत्पादन में असाधारण वृद्धि की है। एक जमाना था जब लोगों के पास आवश्यक वस्तुओं का अभाव था। अब मशीनों का आविष्कार हो जाने से बड़े-बड़े कल कारखाने स्थापित हो गये हैं जिनमें सभी वस्तुओं का उत्पादन इतना अधिक होता है कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी निर्यात के लिए वस्तुएँ बच जाती हैं। इसी प्रकार धातु और ऊँटों से सिंचाई करके किसान बहुत कम क्षेत्र में अनाज का उत्पादन कर पाता था। अब वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से उत्पादन क्षमता में बहुत वृद्धि हो गयी है। नल-कूपों का निर्माण करके विद्युत् और डीजल पम्पों की सहायता से बड़े बड़ी सरलता से बहुत बड़े क्षेत्र की सिंचाई कर लेता है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक विधि से तैयार किये गये उन्नत बीज और रासायनिक खादों के प्रयोग से उसका उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया है। खेत की जुताई, बुवाई तथा कटाई के लिए अब धातु और ऊँटों के भरोसे नहीं रहना पड़ता। ट्रैक्टरों की सहायता से ये काम बड़ी जल्दी पूरे हो जाते हैं। वर्षा पर निर्भरता भी अब समाप्त हो गयी है। इसे विज्ञान का चमत्कार नहीं तो और क्या कहा जा सकता है?

उपसंहार—ईश्वर को सर्वशक्तिमान् और सर्वव्यापी कहा जाता है। उसकी महिमा अपार मानी जाती है और उसकी लीलाओं का गुणगान करने की सामर्थ्य गणेश, मरुस्वती और शेषनाग में भी नहीं मानी जाती। विज्ञान को हम ईश्वर तो नहीं मान सकते क्योंकि उसकी शक्ति सीमित है, किन्तु आधुनिक युग में मानव-जीवन में उसकी सर्वव्यापकता और उसकी महिमा का विस्तार इतना अधिक है कि मनुष्य की बर्णन करने की क्षमता से परे है। इस दृष्टि से विज्ञान भी ईश्वरत्व के निकट है। हमारे शास्त्रों के मतानुसार ज्ञान और विज्ञान ईश्वर के ही रूप माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में विज्ञान के चमत्कारों को देखकर आश्चर्य तो होता है क्योंकि मानव द्वारा प्रतिपादित होते हैं किन्तु मानव भी तो ईश्वर की प्रिय सन्तान है और मानवता ईश्वरत्व के बहुत निकट है। इसलिए इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। फिर भी विज्ञान के चमत्कार हमें आश्चर्य में डाल ही देने हैं।

बाल्य-जीवन की सुखद स्मृतियाँ | 9

निबन्ध की रूप-रेखा

1. प्रस्तावना—बाल्यावस्था का महत्त्व
2. सुखद स्मृतियाँ—भोजन की घटनाएँ
3. उपसंहार

प्रस्तावना—जीवन की प्रमुख रूप से तीन अवस्थाएँ होती हैं—बाल्यावस्था युवावस्था, और वृद्धावस्था। लोग युवावस्था को जीवन में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानते हैं जब समस्त प्रकार की शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ पूर्ण उभार पर होती हैं। बचपन जवानी की प्रतिष्ठा में सुखद कल्पनाएँ करता रहता है और बुढ़ापा जवानी का सुखद स्मृतियों में डूबकर पश्चाताप करता देखा जाता है। इससे युवावस्था का महत्त्व स्वतः सिद्ध हो जाता है किन्तु मेरे विचार से बाल्यावस्था से थोड़ा कोई दूसरी अवस्था नहीं है। युवावस्था का महत्त्व अनेक दृष्टियों से बाल्यावस्था से अधिक हो सकता है, किन्तु आनन्द, निश्चितता, निर्भयता, निर्द्वन्द्विता, निष्कपटता, निर्लिप्ता, निस्वार्थता, स्वच्छन्दता और भोग मस्ती की दृष्टि से बाल्यावस्था जीवन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। जिस अवस्था में केवल सुख ही सुख हो उस अवस्था का महत्त्व जीवन की अन्य अवस्थाओं से कम नहीं हो सकता, बल्कि उसकी तुलना किसी भी अन्य अवस्था से की ही नहीं जा सकती—

‘अहा ! बाल्य-जीवन भी क्या था ! निरपम निर्भय और निर्द्वन्द्व ।
चिन्ता रहित खेलना-खाना, और फिरते रहना स्वच्छन्द ॥’

विषय प्रवेश—मनोवैज्ञानिकों ने मनो विश्लेषण के माध्यम पर मानव-जीवन को अनेक अवस्थाओं में विभाजित किया है—जन्म से पाँच वर्ष तक शिशुवावस्था, छ से बारह वर्ष तक बाल्यावस्था, तेरह से अठारह वर्ष तक किशोरावस्था, अठारह से चालीस वर्ष तक युवावस्था, चालीस से साठ वर्ष तक प्रौढ़ावस्था और साठ से आगे मृत्यु-पर्यन्त वृद्धावस्था। इस काल-विभाजन में छ से बारह वर्ष तक जो बाल्यावस्था का समय है, वह जीवन का सर्वश्रेष्ठ काल है। इस अवस्था में कितनी भावुकता, कितनी सरसता, कितनी मधुरता, कितनी मादकता और कितनी स्वच्छन्दता है इसका अनुमान हम इस अवस्था के बालकों की खिलखिलाहट से भरी उज्ज्वल हँसी को देखकर बड़ी सरसता से लगा सकते हैं।

मुझे अपने बचपन की सब बातें तो याद नहीं हैं, किन्तु जो घटनाएँ मुझे याद हैं उनकी सुखद स्मृतियाँ आज भी जीवन में मधुरता और सरसता का संचार

कर देती हैं। मेरा बचपन एक गाँव में ही बीता है। मेरा परिवार एक साधारण स्थिति का ही परिवार था। मेरे पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। हम पाँच भाई-बहिन थे जिनमें मेरा नम्बर तीसरा था। इन सब बातों का पता तो मुझे बहुत बाद में लगा है। अपने बचपन में इन आत्मारियों से बेखबर था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि गाँव के एक मेरी ही आयु के बालक को घोड़े पर बैठकर जाते देखकर मैं मचल गया था और अपने लिए वैसे ही लान घोड़ा लाने के लिए अपने पिताजी के आँग हठ टान ली थी। पिताजी ने जब मुझे दो-चार दिन बाद घोड़ा ला-देने का पक्का आश्वासन दिया था तभी मैंने घन-जल ग्रहण किया था। सुबह से शाम तक जब भी मुझे पिताजी दिखाई देते, मैं घोड़ा लाने का स्मरण दिलाना नहीं भूलता था। मैंने घोड़ा लाने की जिद तभी छोड़ी थी जब दो-चार दिन बाद पिताजी ने मुझे लाल घोड़े की पीठ पर बँठने वाले बालक की टाँग टूट जाने की खबर सुनाई और लकड़ी के डंडों को बाँधकर उस पर लाल कपड़ा लपेट कर उसे घोड़ा बतला कर मुझे उस पर बिठा दिया था। मैं उस पर ही उबक-कर घोड़े की सवारी जैसा आनन्द लेता हुआ प्रसन्न हो गया था। अब जब मुझे उस घटना की याद आती है तो मैं सोचने लगता हूँ कि वह जीवन कितना भला था।

मैं जब कुछ बड़ा हुआ तो पिताजी ने मुझे पाटशाला में भर्ती करा दिया। मेरा वहाँ पढ़ाई में तो मन कम लगता था लेकिन मेरी ही उम्र के बच्चों के साथ खेलने में मुझे बहुत आनन्द आता था। घर से कलेवा करके जल्दी ही निकल जाता था और छुट्टी होने के बाद भी खेलता ही रहता था। दिन में भूख लगती तो जो लडके घर से रोटी लाते थे उन्हीं के साथ बैठकर रोटी खा लेता था। जान-पान का भेद-भाव और ऊँठ-जूँठ में जानता ही नहीं था। एक दिन जब मेरी बड़ी बहिन ने मेरी छोरी के साथ बैठकर एक ही पत्ते पर रोटी खाने की शिकायत घर पर कर दी तो मैं खूब पिटाई खाकर भी यह नहीं समझ पाया था कि मेरी गलती क्या है? साल भर बाद परीक्षा हुई। मुझे क्या पता था कि परीक्षा देना आवश्यक होता है। उधर परीक्षा होती रही और मैं अपने पक्के दोस्तों के साथ बाग में माली की आँख बनाकर मीठे बैर खाता रहा। परीक्षा-परिणाम सुनाया गया तो मैं फँस घोपित हुआ। मुझे क्या पता था कि फँस होना बुरी बात होती है। मैंने घर पर जाकर खुशी-खुशी अपने फँस होने का समाद सुना दिया और खूब जोर से हँसा। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे इस भोले पन पर मेरे माता-पिता भी खूब हँसे थे और मुझे डाँटने-फटकारने के बजाय छाती से लगा लिया था।

एक बार मेरे दादाजी बीमार हुए और कुछ दिनों के बाद वे मर गये। घर में कई दिनों तक रोना-धोना चलता रहा। मैंने माँ से पूछा तो माँ ने बतलाया कि जो मर जाता है वह ऊपर आसमान में भगवान के घर चला जाता है और फिर झौटकर नहीं आता। इसलिए सब लोग उसको याद कर करके रोते हैं। मैं तभी

घुपके से घर से निकल पडा और गांव मे अपने परिचित सभी बालको को इस रहस्य की जानकारी देकर आया । कुछ दिनों बाद हमारे घर मे खूल लड्डू बनाये गये । ऊपर की मजिल वाला कमरा लड्डूघ्रा से भर दिया गया । हमारे दिन जीमण होने वाला था । शाम को नीचे दालान मे सब लोग बैठे बातें कर रहे थे । मेरे मामाजी ने कहा "लड्डू तो खूब हैं । कितने ही जीमने वाले लोग आ जाओ, कम नहीं पडेंगे ।" तभी बूढा घासी बाबा बोला, "अरे चिन्ता क्यों करते हो ? अगर कम पडते दीखेंगे तो कोठयार मे लड्डूघ्रा को थोडी देर धूप दे देंगे फिर हगिन कम नहीं पड सकते ।" हम बच्चे भी वही बँठे उनकी बातें सुन रहे थे । जब सब लोग उठकर चले गये तो हमने एकान्त मे जाकर सलाह की । हम दो भाई-बहन सराई मे घाग का खीरा और धूप का डिब्बा ले आये । घुपके से घ्राँव बधाकर लड्डूघ्रा के कोठयार मे धुस गये । दीपक वहाँ पहले से ही जल रहा था । हमने खीरे की सराई रखकर धूप देना शुरू कर दिया कि घ्यान आया कि इस तरह तो मब लड्डूघ्रा को धूप नहीं लगेगी, इसलिए सराई को उठाकर पूरे कमरे मे घुमाने की योजना बनाई । किन्तु जैसे ही सराई को उठाने लगे वह गरम होने के कारण हाथ से छूट गई और खीरे की घाग लड्डूघ्रा पर बिखर गई । लड्डूघ्रा के नीचे बिछा कपडा भी जल गया । हम डरे और धवराये लेकिन हिम्मत स काम लिया । जैसे-तैसे हमने घाग को बुभा दिया । अब समस्या यह थी कि लड्डू राख से काने हो गये हैं, उनको कैसे साफ किया जाय । भाखिर एक उपाय सूभा और हमने लड्डूघ्रा को उठा-उटा कर खिडकी मे से पीछे बाड मे फँकना शुरू कर दिया । जब काफी देर तक धमाधम की आवाज होती रही तो किसी के कान मे भनक पड गई । उसने हल्ला मचाना शुरू कर दिया— "कोठयार मे कौन है ? लड्डू कौन फँक रहा है ?" यह सुनते ही हम घुपचाप वहाँ से खिसक गये और अपने विस्तरो मे जाकर दुबक गये । रात भर खूब हो हल्ला होता रहा । हम साँव खीचे पडे रहे । दूसरे दिन जीमण हुआ । खूब लोग जीम गये फिर भी लड्डू बच गये । हम दोनों भाई-बहन प्रसन्न थे कि हमारी ही कार गुजारी से इतने लड्डू बचे हैं । मुझ रहा नहीं गया और हमारे दिन पिताजी को सारा किस्सा सुना दिया । सुनकर पहले तो हँसे और फिर खूब डाँटा-फटकारा और हमारे इस कार्य को मूर्खतापूर्ण बतलाया । जो भी हो, हम तो धीही मानते रहे कि हमारी चतुराई से ही इतने लड्डू बचे करना जीमने वाले तो बहुत आये थे, सारा सामान सा जाते ।

मुझे अच्य्दी तरह से याद है कि एक बार मेरे किसी बडे मधराय पर पिताजी ने मुझे मूव पीटा था । इतना पीटा था कि कुछ जगहो पर मेरे गहरी चोटें आई थी । मैं फफक-फफक कर खूब रोया था और रोते-रोते ही मे माताजी के पाँव का सहारा लेकर भूखा-प्यासा हो सो गया था । मेरे मन मे पिताजी के प्रति बहुत बुरे-बुरे भाव उत्पन्न हुए थे और मैं मन ही मन उनसे कभी न बोलने का निश्चय कर लिया था । कुछ देर बाद पिताजी बाजार से पेडे लेकर आये । मेरे पाँव ही बैठकर

उन्होंने जोर-जोर से कहना शुरू किया, "जो मेरी गोद में बैठेगा, उसे ही पेट मिलेगा।" मेरे भाई-बहिन दौड़ कर चले प्राये और हल्ला मचाने लगे। इस गुल-गपाड़े में मेरी भाँस खुल गई। पिताजी ने फिर वही बात दोहरायी। उनके हाथ में पेट देखकर मैं दौड़कर उनकी गोद में चला गया। उन्होंने मुझे बार-बार पूमा और सबसे अधिक पेट मुझे ही खिलाये। मैं पिताजी से खूब प्रसन्न हो गया और उनकी प्रशंसा करने लगा।

मेरे पास पहनने को एक ही कमीज थी। वह जगह-जगह से फट गई थी और उसमें छेद निकल प्राये थे। मुझे गाँव के लड़के उस कमीज को देखकर चिढ़ाते रहते थे। मैंने पिताजी से मयी कमीज बनवाने के लिए कहा तो उन्होंने मुझे समझाया कि आजकल गर्मी का मौसम है। छेद वाली कमीज में से शरीर को हवा लगती रहती है। यह तो एक अच्छी बात है। यह बात मेरी समझ में पूरी तरह से आ गई। मैंने दूसरे लड़के को भी बतलाई तो वे चुप हो गये। उनमें से एक लड़के ने उसी समय अपनी नई कमीज को खोलकर कई छेद बना लिये और खूब प्रसन्न हुआ।

उपसंहार—बाल्य-जीवन एक ऐसा आनन्दमय जीवन होता है जिसमें न कोई चिन्ता होती है और न कोई जिम्मेदारी। अपनी कल्पना की दुनियाँ में हम इस तरह खोये रहते हैं जैसे वही हमारी असली दुनियाँ है। ऊँच-नीच, भेद-भाव और अपना-पराया का भाव मन में आता ही नहीं। जो प्यार से बोल दिया वही अपना और जिसने इच्छा पूरी नहीं की वही पराया। कुछ पहले भगडा और फिर कुछ देर बाद ही मित्रता। काम केवल खेलने का और चिन्ता केवल मित्रों की। कैसा होता है वह भ्रालौकिक जीवन जिसमें छल-कपट को कोई स्थान नहीं। माना-पमान का कोई विचार नहीं। जो मिल गया उसी में सन्तोष और जिसने प्यार से जो कुछ समझा दिया वही सत्य। ऐसे स्वागिक बाल्य-जीवन की सुन्दर स्मृतियाँ किसे याद नहीं आती होंगी। बड़ा होने पर तो कोई बिरला ही बादशाह बनता है लेकिन अपनी बाल्यावस्था में हर मनुष्य बादशाह होता है और बचपन की बादशाहत ही सच्ची बादशाहत है जिसमें केवल आनन्द ही आनन्द है -

निबन्ध की रूप-रेखा

- 1 प्रस्तावना
- 2 परिणाम की प्रतीक्षा—मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार उठना
- 3 परिणाम की तिथि की घोषणा—परिणाम प्रकाशित होना
- 4 प्रसन्नता की अनुभूति और बधाइयाँ
- 5 उपसंहार

1. प्रस्तावना—हम बराबर यही सुनते और पढ़ते आये हैं कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। जो जैसा कर्म करता है, वह वैसा फल ही भोगता है। प्रच्छा कर्म करने वाला अच्छे कर्म का भागी बनता है और बुरा कर्म करने वाले को बुरा फल भोगना ही पड़ता है। अनेक अवसरों पर हम इस मान्यता को चरितार्थ होते भी देखते हैं किन्तु परीक्षा के मामले में मेरी मान्यता थोड़ी भिन्न है। इसका कारण मेरा निजी अनुभव है। मैंने रात-दिन घोर परिश्रम करने वाले विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण होते देखा है और दिन भर खेलने-कूदने वाले और अपना अधिकांश समय पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य कार्यों में ही खर्च करने वाले विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होते देखा है। हाँ, अच्छे अ को से पास होना परिस्रम पर निर्भर है, यह भी मैंने अनुभव किया है। इसलिए परीक्षा परिणाम के बारे में मेरी मान्यता यह बन गई है कि हमें कर्म के साथ भाग्य का योग भी होना आवश्यक है।

2. विषय-प्रवेश—मैंने इस वर्ष हायर सैकण्डरी की परीक्षा दी थी। मेरी परीक्षा चार अत्रों को समाप्त हो गई थी। परीक्षा-समाप्ति पर मैंने बड़ी राहत महसूस की थी। एसा लगा था कि जैसे तिर से कोई भारी बोझा उतर गया हो। परीक्षा के दिनों में और उससे पहले परीक्षा की चिन्ता सवार रहती थी। हमेशा पढ़ाई ही पढ़ाई की पुन सवार थी। खेलना-कूदना करीब-करीब बन्द सा ही था। न ठीक से भूख लगती थी और न नीद आती थी। जब परीक्षा समाप्त हुई तो मैं खूब सोने लगा और दिन भर इधर-उधर घूमने-फिरने तथा खेलने-कूदने में ही

मेरा समय बड़ी मौज-मस्ती में ही बीता। लेकिन मौज-मस्ती का समय अधिक नहीं टिक सका। जल्दी ही जून के प्रारम्भ होते ही मेरे मन में परीक्षा-परिणाम का भय बैठ गया। ज्यो-ज्यो दिन बीतते त्यो-त्यो भय घोर आशका बढ़ती जाती थी। मैं जब यह सोचता कि मेरे प्रश्न-पत्र तो सभी अच्छे हुए हैं, मैंने परीक्षा के तुरन्त बाद प्रश्न-पत्रों के उत्तरों का मिलान पुस्तकों से कर लिया था, सब सही थे तो मुझे विश्वास होता था कि मैं निश्चित ही उत्तीर्ण होऊँगा। अधिक से अधिक यही होगा कि प्रथम श्रेणी में पास न होकर द्वितीय-श्रेणी में हो जाऊँगा। या फिर ज्यादा ही किस्मत खोटी हुई तो तृतीय श्रेणी में तो सन्देह ही क्या है! इन विचारों से मन को बड़ी शान्ति मिलती थी किन्तु इनके साथ ही साथ दूसरे प्रकार के विचार भी उठते थे। यदि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं हो सका तो मेरा भविष्य कैसे सुधरेगा? तृतीय श्रेणी में पास होना तो फेल होने से भी बुरा है। और यदि दुर्भाग्यवश फेल हूँ गया तो फिर क्या होगा? मैं घर पर क्या मुँह दिखाऊँगा? पास-पड़ोस और मित्रों में कैसी खिल्ली उड़ेगी? मेरा भविष्य कितना भ्रष्टकारण्य हो जायगा? इन विचारों से कभी-कभी मस्तिष्क में इतना तूफान आ जाता था कि मेरी इच्छा होती कि मैं कहीं एकान्त में बैठकर रोऊँ। लेकिन तभी अन्य विचार मस्तिष्क में आ जाते। 'ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आज तक कभी अनुत्तीर्ण हुआ ही नहीं। हमेशा द्वितीय श्रेणी में पास हुआ हूँ। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। हर बार पास होने पर पाँच रुपये का प्रसाद चढ़ाता हूँ। इस बार ग्यारह रुपयों का चढ़ाने की मनोती में बोल चुका हूँ। इस बार परिणाम भी मैंने खूब किया था। विद्यालय में अध्ययक और घर पर माता-पिता मुझे प्रथम श्रेणी में पास होने का आशीर्वाद दे चुके हैं। क्या उनके आशीर्वाद भूँटे हो सकते हैं?' इन विचारों से मेरा मुँहभरा मन फिर खिल उठता था लेकिन जब कभी किसी परिश्रमी विद्यार्थी को फेल हो जाने की घटना याद आ जाती तो मेरा हृदय कांप उठता था।

इसी प्रकार आशा-निराशा, चिन्ता, विश्वास और आशका की स्थिति में दूबते-तैरते दिन शीघ्रता से गुजरते जा रहे थे। सोलह जून के अखबार में मैंने पढ़ा कि मेरा परीक्षा-परिणाम 20 जून को प्रकाशित होगा। इस समाचार से उत्सुकता और प्रसन्नता तो हुई किन्तु साथ ही चिन्ता और आशका भी पैदा हुई। यह समाचार पिताजी ने भी पढ़ा तो मुझे बुलाकर कहा कि मेरा परिणाम निकलने में अब तीन ही दिन बीच में रह गये हैं। यह सुनकर मेरा चेहरा और भी उतर गया। पिताजी मेरे मन के भाव ताड गये। उन्होंने मुझे समझाया, "अरे! तुम तो उदास हो रहे हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी तपस्या का फल मिलने का समय आ रहा है। उदास तो उसे होना चाहिए जिसने परिश्रम न किया हो और अपने कर्त्तव्य-पालन में लापरवाही बरती हो। तुमने तो मन लगाकर

ध्रुव परिश्रम किया था। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी में पास होयोगे।” यह कहकर पिताजी वहाँ से चले गये। मुझमें भी थोड़ा आत्म-विश्वास जाग गया। मेरी उदात्ती दूर हो गई और मैं मित्रों से मिलने चला गया।

बीच के ये तीन दिन बड़ी कठिनाई से बीते। पिताजी की बात का मुझ पर कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि मैं अपने उत्तीर्ण होने के विषय में पूर्ण आश्वस्त हो गया। अब मे बीस जून की बड़ी प्रातुरता से प्रतीक्षा करने लगा। मैं चाहता था कि यह तीन दिन का समय जल्दी से बीत जाय और बीस जून की सुबह शीघ्रता से प्रा जाय जिसके स्पर्शप्रकाश में मैं अपने स्वर्णिम भविष्य के दर्शन करसूँ। इन दिनों मेरी ईश्वर-भक्ति भी बहुत अधिक बढ गयी थी। मैं हनुमानजी की मूर्ति के सामने बैठकर हनुमान चालीसा के कई बार पाठ करता और बार-बार अपने इष्टदेव से अपनी साहयता का वरदान मांगता था। किसी प्रकार ये तीन दिन बीते और उन्नीस जून की शाम को हनुमान जी के मन्दिर से लौटता हुआ मैं अपने मित्र रजनीकान्त से दूसरे दिन सुबह परीक्षा-परिणाम देखने जाने का कार्यक्रम निश्चित करके घर लौटा। भोजन से निवृत्त होकर मैं जल्दी से विस्तर पर लेट गया। मैं चाहता था कि जल्दी ही सोजाऊँ ताकि सुबह जल्दी ही उठ सकूँ किन्तु नींद मेरी आँखों के नजदीक ही नहीं आती थी। मैं बार-बार अपना ध्यान परीक्षा-परिणाम के विचारों से हटाकर सोने का प्रयत्न करता था किन्तु वे ही विचार पुनः मेरे मस्तिष्क में छा जाते और नींद नहीं आ सकी। इसके बाद कब मेरी आँखें लगो, मुझे पता नहीं।

सुबह ठीक पाँच बजे मेरी आँखें खुल गईं। मैं शीघ्रता से नित्य कर्मों से निवृत्त हुआ, स्नान किया, नाश्ता किया और कपड़े पहनकर छह बजे घर में निकल पड़ा। रजनीकान्त भी अपने घर पर तैयार होकर मेरी प्रतीक्षा ही कर रहा था। हम दोनों अखबार के कार्यालय की ओर चल पड़े। कार्यालय के बाहर काफी भीड़ लग रही थी। उस भीड़ में अनेक लड़के और अन्य लोग मेरे परिचित भी थे। सबसे मैंने नमस्कार-अभिवादन किया और हाथ मिलाया। वे सब भी परीक्षा-परिणाम देखने ही आये थे। हम लोग इधर-उधर की बातें करते हुए प्रतीक्षा करने लगे। करीब एक घंटे बाद एक हाकर अखबारों का बटल लेकर बाहर निकला। भीड़ ने उसे घेर लिया। हाकर ने प्रवक्ता का साम उठाते हुए पच्चीस पैसे के अखबार का एक रुपया लेना शुरू कर दिया। देखते-देखते उसके सारे अखबार बिक गये। उस भीड़ में धुसकर रजनीकान्त भी एक अखबार ले आया। हम दोनों दिल धामे उम अखबार में अपना रोल नम्बर तलाश करने लगे। हमने पहले द्वितीय श्रेणी में अपना परिणाम देखा। कुछ देर बाद रजनीकान्त का रोल नम्बर

मुझे दिख गया। मैंने उसे दिखाया तो वह उछल पड़ा। मैं भ्रान्ते और देखना चाहता था, लेकिन उसने मुझे अपनी दाहों में उठाकर चारों तरफ घुमाना शुरू कर दिया। कुछ क्षणों तक वह खुशी में न जाने क्या-क्या कहता रहा। मुझे उसका यह दीवानापन अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उसके हाथ से अखबार छीन लिया और अपनी रोल नम्बर देखने लगा। अब वह भी शान्त हो गया अखबार में देखने लगा। हमने पूरी सूची देख डाली। मेरा रोल नम्बर नहीं दिखा। मैं उदास हो गया। रजनीकान्त ने कहा, “धरे ! पूरा अखबार तो देख लेने दे। हो सकता है तेरा रोल नम्बर प्रथम थ्रेणी में हो।” अब हम प्रथम थ्रेणी की सूची देखने लगे। यकायक हम दोनों की नजर मेरे रोल नम्बर पर एक साथ जा पड़ी। अब तो हम दोनों खुशी से नाचने लगे। दोनों एक-दूसरे के चिपट गये। उस समय की असन्नता का अनुमान कोई अनुभवही ही लगा सकता है। तन और मन दोनों प्रफुल्लित हो रहे थे। मुझे सब और खुशियाँ ही खुशियाँ नजर आ रही थीं। हमारी सूरत से ही सब लोग जान रहे थे कि हम उत्तीर्ण हो गये हैं। इसलिए हमारे परिचित लोग और मित्र बिना पूछे ही हमको बधाइयाँ दे रहे थे। कुछ देर हम इसी तरह प्रसन्न मुद्रा में खड़े अपने मित्रों से मिलते-जुलते रहे। धीरे-धीरे जहाँ भीड़ कम होने लगी। मैंने भी एक अखबार और खरीदा और उसके बाद हम वहाँ से चल पड़े।

सबसे पहले हम हनुमानजी के मन्दिर में गये। वहाँ प्रसाद चढाया और निलक लगाया। फिर घर की तरफ चल पड़े। मार्ग में जो भी परिचित मिलता तो या तो पूछ लेता या फिर मैं ही अपने परीक्षा-परिणाम के बारे में उसे बता देता। इस प्रकार बधाइयाँ और शाबाशियाँ लेता हुआ मैं घर पहुँचा। घर पर पिताजी मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने दूर से ही पहचान लिया कि मैं सफल होकर आ रहा हूँ। मैंने नजदीक जाकर उनके चरण स्पर्श किये। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर खूब आशीर्वाद दिये। माताजी को पता लगा तो वे फूली नहीं समाईं। उनकी आँखों में खुशी के धाँसू छलक आये। मेरी छोटी बहिन तो समाचार सुनकर खूब नाचने लगी और नाचते-नाचते पास-पड़ोस में सब जगह गुणखबरी सुना आई। हम बैठक के कमरे में ही बैठे थे। पड़ोस के लोग आकर बधाई देने लगे और मिठाई माँगने लगे। सब लोग मेरी खूब प्रशंसा कर रहे थे और मैं फूलकर कुप्पा हुआ जा रहा था। बधाइयों का यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा।

उपसंहार—परीक्षा में सफल होने पर इतनी प्रसन्नता और इतने उत्साह का यह मेरा पहला ही अवसर था। मेरी इस सफलता का मेरे पड़ोसी और रिश्तेदार आज भी उदाहरण देते हैं। अब जब मैं शान्तचित्त से इस विषय पर विचार करता हूँ तो मेरे ध्यान में यह बात आती है कि जिन साधनों से

मैंने यह सफलता प्राप्त की है, उन साधनों को जीवन में मुझे स्थायी रूप से अपना लेना चाहिए । मेरे ये साधन हैं—नियमितता, कठोर परिश्रम और ईश्वर में दृढ़ विश्वास । इन साधनों के बल पर मैं जीवन में घाने वाली कठोरतम परीक्षाओं में भी इसी तरह उतीर्ण हो जाऊँगा । जिन्हें मेरी ही तरह लगातार सफल होते रहने की चाह हो वे मेरे द्वारा बतलाये गये साधनों की आजमाइश करें यदि वे सफल न हो तो मेरा सर बतम करवा दें और यदि सफल हो जावें तो यह नुस्खा शीरो को भी बतवा दें ।

□□□

निबन्ध की रूप-रेखा

1. प्रस्तावना
2. ग्राम का विकसित स्वरूप—घावागमन की सुविधा, नल-विद्युत आदि सुविधाएँ, शिक्षा-चिकित्सा तथा अन्य प्राधुनिक सुविधाएँ,
3. बंचारिक विकास
4. आर्थिक विकास
5. उपसंहार

प्रस्तावना—भारत को गाँवों का देश कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इस देश में गाँवों की संख्या बहुत अधिक है। यहाँ की लगभग 75 प्रतिशत जनता गाँवों में ही निवास करती है। गाँवों के लोग सदियों से शोषण तथा अत्याचारों के शिकार होते रहे हैं। जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं से भी वंचित रहने वाले ग्रामीण लोग आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं। सामाजिक, आर्थिक और बंचारिक दृष्टि से आज भी वे लोग बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं। अधिशास और निर्धनता का वहाँ अब भी साम्राज्य स्थापित है। इसका प्रमुख कारण विदेशी सरकार द्वारा ग्राम विकास के लिए प्रयत्न न करना ही रहा है। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद हमारी सरकार ने ग्रामोत्थान के प्रयास किये हैं और आज भी ग्राम-विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। पिछले 30-35 वर्षों में अनेक ग्राम विकसित हुए हैं, जिनमें विराट नगर तहसील का एक ग्राम 'चाँदणा' भी है जो आजकल अपने विकसित नाम 'चन्दन पुर' के नाम से जाना जाता है।

विषय-प्रवेश—चन्दनपुर आज एक ऐसा विकसित ग्राम है जिसे आदर्श ग्राम भी कहा जा सकता है। आज चन्दनपुर को देखकर कोई यह अनुमान भी नहीं लगा सकता है कि कभी यह भारत के पिछड़े हुए अन्य गाँवों की तरह ही एक पिछड़ा हुआ ग्राम रहा होगा। उपर्युक्त विकसित स्वरूप हम निम्नलिखित बिन्दुओं के आचार पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं—

1. घावागमन की सुविधा—चन्दनपुर तहसील मुख्यालय, जिला मुख्यालय तथा ग्राम-भास के अन्य क्षेत्रों से जुड़ गया है। गाँव के भीतर और बाहर पक्की सड़क-बन-गई है। जिनमें घावागमन के पूर्ण सुविधा उपलब्ध है। गाँव है। इस सुविधा

से नागरिकों का जीवन बहुत सुखी और विकसित हो गया है। अब वे लोग बाहर के सम्पर्क में बराबर आते रहते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें विवश होकर किसी का मुँह नहीं ताकना पड़ता। एक समय था जब पाँच मील लम्बा कच्चा रास्ता पैदल पार करने पर ही इस गाँव में पहुँचना सम्भव होता था। कोई गम्भीर दुर्घटना हो जाने अथवा गम्भीर रूर से किसी के बीमार हो जाने पर भी पीड़ित व्यक्ति आवश्यक चिकित्सा-सुविधा से वंचित ही रह जाते थे।

2. नल विजली की सुविधाएँ—एक नगर की भाँति चन्दनपुर में भी अब नल और विजली की पूर्ण सुविधा उपलब्ध हो गई है। अब गाँव की स्थियों को दिन भर कुएँ से पानी लाने रहने में अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। घर और बाजार की दूकानें रात के समय विजली की रोशनी से चमकते रहते हैं। विजली से चलने वाले सुविधा के साधन जैसे—पक्का फिज और टेलिविजन आदि चन्दनपुर के निवासियों को आराम देने लगे हैं। घाटे की चस्की तथा अन्य छोटी-मोटी मशीनें गाँव में लग जाने के कारण ग्रामवासियों को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोजाना शहरों की ओर नहीं भागना पड़ता।

3. शिक्षा तथा चिकित्सा-सुविधाएँ—चन्दनपुर में हायर सैकण्डरी स्तर के लड़के और लड़कियों के अलग अलग सरकारी विद्यालय खुल गये हैं। इनके साथ ही प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय भी चल रहे हैं। गाँव के लड़के-लड़कियों को गाँव में ही शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो जाने के कारण अब चन्दनपुर और उसके आस-पास के क्षेत्रों में शिक्षा का तीव्र गति से प्रसार होता जा रहा है। इससे ग्राम की जनता के विचारों में काफी परिवर्तन आ गया है। अब वे पिछड़े हुए नहीं रहे हैं। उनमें जागृति उत्पन्न हो गई है और वे अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों के विषय में पूर्ण जागरूक बन गये हैं।

एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक आयुर्वेदिक औरघालय तथा एक पशु-चिकित्सालय की स्थापना हो जाने के कारण अब चन्दनपुर में सभी प्रकार की चिकित्सा-सुविधाएँ उपलब्ध हो गई हैं। अब यहाँ के निवासियों को चिकित्सा के अभाव में बेमौत नहीं मरना पड़ता। भ्राड फूँक और मन्त्र-तन्त्र जैसे अन्ध विश्वासों से भी उन्हें मुक्ति मिल गई है। समय पर रोग-निरोधक टीके लगवाने, बीमारियों को रोकथाम के अन्वय उपाय अपनाने तथा परिवार-कल्याण के उपायों को काम में लेने के प्रति वे लोग पूर्ण सावधान और जागरूक बन गये हैं।

4. आर्थिक विकास—ग्राम के अधिकांश लोगों की आजीविका का साधन आज भी कृषि और पशु-पालन ही है किन्तु अब ग्राम में जमींदारी प्रथा विलुप्त समाप्त हो गई है। किसान ही अपनी उपज का स्वामी है। मिर्चाई की सुविधाओं का विकास होने, कृषि यंत्रों की उपयोग में लाने तथा उन्नत बीज और खाद का प्रयोग सीख जाने के कारण किसान भरपूर फसल प्राप्त करते हैं। उनका शोषण करने वाले विचौलियों का अब चन्दनपुर में कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। इस ग्राम

के किसानों की आर्थिक स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। सदियों से पूस की टूटी क्रीपडियों में पशुओं के समान जीवन व्यतीत करने वाले किसान अब पक्के मकानों और ऊँची हवेलियों में निवास करते हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाने के कारण पूरे गाँव का ही आर्थिक विकास हो गया है। अब गाँव का कोई भी व्यक्ति फटे हाथ दिखाई नहीं देता। सब सुखी, प्रसन्न और समृद्ध दिखाई पड़ने हैं।

5. अन्य सुविधाएँ—चन्दनपुर में धनिवायं सुविधाओं के प्रतिरिक्त अन्य वांछित सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। गाँव के बाहर बस-स्टैंड के पास ही एक पुलिस चौकी स्थापित हो गई है, इससे यहाँ के नागरिकों को जान-माल की सुरक्षा की सुविधा प्राप्त हो गई है। हम सुना करते हैं कि इस गाँव में चोरो और डाकुओं का बहुत आतंक था। इसके भसावा जमींदारों की मनमानी भी खूब चला करती थी। अब पुलिस चौकी स्थापित हो जाने के बाद स्थिति में काफी सुधार हो गया है। गाँव के मुख्य बाजार में राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा भी खुल गई है जिससे लोगों को उचित व्याज की दर पर आवश्यकतानुसार ऋण उपलब्ध हो जाता है। इस सुविधा से साहूकारों का शोषण-चक्र अब बिल्कुल ठडा पड़ गया है और लोग बहुत राहत महसूस करने लगे हैं। अपनी छोटी-छोटी बचतों को भी बैंक में सुरक्षित रखने की उन्हें सुविधा मिल गई है। बैंक के पास ही एक डाकघर भी खुल गया है जिसमें टेलीफोन की सुविधा भी उपलब्ध है। लोग अपनी आवश्यकतानुसार इन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं और अनेक प्रकार की हानियों तथा परेशानियों से बच जाते हैं।

6. सामाजिक विकास—चन्दनपुर के निवासी सामाजिक दृष्टि से भी बहुत विकसित हो गये हैं। गाँव में प्रायः सभी धर्म और जाति के लोग रहते हैं किन्तु उनमें पूर्ण एकता, सद्भाव और भाईचारे की भावना देखी जाती है। उनमें अन्ध-विश्वास, रूढ़ियों और छुआ-छूत की भावना लगभग समाप्त हो गई है। दहेज-प्रथा, पर्दा प्रथा आदि सामाजिक बुराइयों को वे धीरे-धीरे समाप्त करते जा रहे हैं। मृत्यु-भोज और महाभोज जैसे निरर्थक और हानिकारक आयोजनों में उनकी रुचि घटती जा रही है। वह दिन दूर नहीं, जब चन्दनपुर के निवासी इन सब बुराइयों से पूर्णतः मुक्त हो जायेंगे और देश के अन्य ग्रामों की जनता के सामने अपना उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे।

चन्दनपुर की ग्राम-पंचायत एक आदर्श संस्था है। ग्राम-विकास और ग्राम के निवासियों की भलाई के काम करना ही उसका एक मात्र लक्ष्य है। ग्राम पंचायत ने ही ग्राम-विकास में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुराने समय से बेतरतीब बसे हुए ग्राम को एक सुन्दर नक्शा बनाकर पुनः व्यवस्थित रूप से बसाने का काम ग्राम-पंचायत ने ही किया है। अब गाँव में न आवागमन की असुविधा है और न आवास की। ग्राम के ठीक मध्य में एक पूर्ण विकसित बाजार है जो एक मंडी का

सा दृश्य उपस्थित करता है। ग्राम की चारों दिशाओं में आवासीय मकानों के मध्य में सुन्दर पार्क बने हुए हैं जिनमें बालक खेलते हैं और बड़े भी मनोरंजन के लिए वहाँ जाते हैं। पूरे गाँव में स्वच्छता और प्रकाश की ऐसी सुन्दर व्यवस्था है कि गन्दगी कहीं नहीं दिखाई पड़ती। पहले इस गाँव में शराब के ठेके की दूकान थी। लोग शराब पीकर मट-शट बकते थे और आने जाने वालों को छेड़ते रहते थे। ग्राम पंचायत ने ही अपने प्रयत्नों से वह दूकान हटवाई। इससे ग्राम में बहुत शान्ति हो गई और अनेक ग्रामवासी शराब पीने की लत से छुटकारा पा गये। गाँव के बाहर से आने वाले सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के साथ ग्रामवासी बहुत भ्रष्टाचार वर्ताव करते हैं। उन्हें आवास की अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ हर प्रकार से उनकी सहायता करते हैं किन्तु यदि कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी भ्रष्टाचार करता है या अपने कर्तव्य-पालन में शिथिलता बरतता है तो वे उसका सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं और उसे वहाँ से स्थानान्तरित करवाके अथवा नौकरी से निकलवा कर ही दम लेते हैं। इस गाँव के नेता और यहाँ की जनता किन्हीं राजनैतिक दल विशेष से अपना सम्बन्ध नहीं रखते। चुनाव के समय वे उसी नेता अथवा दल को अपना मत देते हैं जो उनके ग्राम के विकास में सहायता करता है।

7. उपसंहार—आजादी के बाद हमारी लोकप्रिय सरकार ने ग्राम-विकास के लिए अनेक प्रयत्न किये हैं। किन्तु उनका पूरा लाभ गाँवों की जनता को प्राप्त नहीं हो सका है। इसका प्रमुख कारण गाँवों की जनता का भोलापन और पिछड़ापन ही है। चालाक राजनेता उन्हें उल्टा-सीधा बहकाकर अपनी स्वार्थ-सिद्धि करते रहते हैं। जातिवाद और वर्णवाद की भावना फैलाकर उनमें फूट के बीज बोते हैं और उनकी आपसी फूट से स्वयं लाभान्वित होते रहते हैं। अत्यन्त पिछड़े और गरीब लोगों की भलाई के लिए खर्च की जाने वाली सरकारी रकम का वे दुरुपयोग करते हैं और सहायता के वास्तविक अधिकारी ग्रामीण सहायता से वंचित रह जाते हैं। ग्राम विकास सच्चे रूप में हमारे देश का विकास है। ग्राम सरकार को चाहिए कि इसकी सही और सुदृढ़ योजना बनावे जिसमें ग्राम-वासियों को सीधे भागीदार बनावे तभी गाँवों का शीघ्र विकास होना सम्भव होगा और तभी हमारा देश भी विकसित माना जायेगा।

निबन्ध की रूप-रेखा

1. प्रस्तावना
2. शहर की यात्रा की योजना घनाना
3. जयपुर की सैर करना
4. चांदपोल बाजार की भीड़ का वर्णन
5. दुःखद अनुभूतियाँ
6. उपसंहार

1. प्रस्तावना—मनुष्य के स्वभाव की यह विशेषता होती है कि वह अपनी तुलना अन्य व्यक्तियों से हमेशा करता रहता है। हम तुलना में वह अपनी परिस्थितियों की भी दूसरों की परिस्थितियों से तुलना करता है। इस तुलना के आधार पर जब उसे पता चलता है कि वह दूसरे लोगों के मुकाबले में धन्य है तो उसे सन्तोष और प्रसन्नता का अनुभव होता है और जब वह अपने आपको अन्य लोगों की तुलना में समझता है तो उसे दुःख और निराशा होती है। ऐसे अवसर कम ही आते हैं जब हम अपने आपको श्रेष्ठ मान सन्तुष्ट होते हैं। अधिकतर तो हमें दूसरे लोग हमसे श्रेष्ठ ही नजर आते हैं। हो सकता है कि उन्हें हम श्रेष्ठ नजर आते हों। जो भी हो, यह एक सत्य है कि मनुष्य अपनी तुलना दूसरों से अवश्य करता है और जब तक उसे वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं हो जाता, वह दूसरों को ही अपने से श्रेष्ठ मानता रहता है।

2. विषय प्रवेश—हम दूर-दराज में वैसे एक छोटे से गाँव में रहते थे, जहाँ न सड़कें थी और न पक्के मकान। बिजली, नल, बाजार, गाड़ी-घोड़े और भीड़-भाड़ का तो नाम-निशान ही नहीं था। मैं उन दिनों घाठवीं कक्षा में पढ़ता था। हम लोग सुना करते थे कि जयपुर एक बहुत बड़ा शहर है, जहाँ बड़े-बड़े बाजार हैं और खूब भीड़-भाड़ रहती है। वहाँ सब प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इन बातों को सुन-सुनकर हम अपनी स्थिति की तुलना जयपुर के निवासियों से करते रहते थे और अपने आपको बहुत मन्दभागी मानकर जयपुर के निवासियों को परम सौभाग्यशाली मानते थे। एक बार जयपुर नगर की सैर करने की अभिलाषा भी मन में बराबर बनी रहती थी। मैं तो मन में

यह भी निश्चय करता रहता था कि बड़ा होने पर मैं जयपुर में ही कोई काम तलाश करूँगा और वहीं रहकर आनन्द तथा सुविधा का जीवन व्यतीत करूँगा।

हमने अपने प्रधानाध्यापक जी से निवेदन किया कि इस दार क्षीपावली की छुट्टियों में वे हमें जयपुर की सैर करावें। सयोग कुछ ऐसा हुआ कि हमारे इस प्रस्ताव का अनेक अध्यापकों ने भी समर्थन किया और बातों ही बातों में विद्यालय में छात्रों की ऐतिहासिक यात्रा के रूप में अक्टूबर की छुट्टियों में ऐतिहासिक नगर जयपुर की यात्रा का कार्यक्रम बन गया। यात्रा की सभी औपचारिकताएँ पूरी करनी गईं और निर्धारित कार्यक्रमानुसार हमारा दल जयपुर की यात्रा के लिए गाँव से रवाना हो गया। इस दल में हम 25 विद्यार्थी और पाँच अध्यापक थे।

जब हमारी बस जयपुर नगर की मोमा में प्रविष्ट हुई तो बाजार की भीड़ भाड़ देखकर हमारी आँखें चकरा गईं। हम देख-देखकर प्रसन्न होने लगे और बस अपने स्टैंड पर जा कर खड़ी हो गई। बस में उतरकर हमने सब का सामान एक जगह किया और सब होंकर भीड़-भाड़ का दृश्य देखने लगे। हमारे एक अध्यापक गोयल साहब थोड़ी देर बाद कुछ ताँगे लाये और हम उनमें बैठकर धर्मशाला की ओर चल पड़े। काफी दूर जाने के बाद एक गली में स्थित धर्मशाला में हम पहुँचे। सामान उतारा और कमरों में ले जाकर रख दिया। शाम हो गई थी। उस दिन का भोजन हमारे साथ था, इसलिए हम लोग भोजन करके धर्मशाला में ही विश्राम करने लगे। इस के दिन हमने राम-निवास बाग, जतर-भतर, चन्द्र-महल, हवामहल आदि स्थान देखे। हम लोग इन स्थानों को देख-देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। भीड़-भाड़ भी हमें बहुत अच्छी लगती थी। हम इन सभी स्थानों पर ताँगों में बैठकर ही जाते थे और ताँगों में ही बैठकर धर्मशाला पर वापस आ जाते थे। तीनरे दिन हम सब का कार्यक्रम पैदल चलकर ही बाजारों की सैर करने का बना। सुबह हम जीहरी बाजार, बापू बाजार, नेहरू बाजार और इंदिरा बाजार की सैर करके वापस धर्मशाला में आ गये। इन बाजारों की शोभा, दुकानों की सजावट और भीड़-भाड़ देखकर हम ध्रुव प्रसन्न हो रहे थे तथा अपने आपको यह सब देखने के लिए बहुत भाग्यशाली मान रहे थे।

रायकाल हम लोग चाँदपोल बाजार की सैर करने के लिए निकले। बाजारों में यह भी खूब चीजें और सीधा ही दिख रहा था लेकिन भीड़-भाड़ के मामले में यह बाजार सबसे अधिक व्यस्त था। माइकियो, रिक्शो, ताँगो, स्कूटरों, मोटरों और ठेलों की ऐसी रेल-रेल मची हुई थी कि पैदल चलने के लिए स्थान ही नहीं मिल रहा था। दुकानों के आगे सरीसृपों की भीड़ लगी हुई थी। फुट-पाथों पर साग-सब्जी वाले, विसावतियों और अन्य प्रकार का सामान बेचने वालों की दुकानें लगी हुई थी और उनके इर्द-गिर्द सरीसृपों की भीड़ थी। हमें समझ में ही

नहीं आ रहा था कि आखिर चलें तो कहां ? इसी पगोपेग में हम कुटपाय के किनारे एक स्थान पर खड़े हो गये। हमें वहाँ खड़े हुए शायद एक मिनट भी नहीं बीता होगा कि साइकिल और रिक्शा वाले घिल्लाने लगे—“ हटो, हटो, एक तरफ हट जाओ” और यह बहते हुए हमारे हटने का इन्तजार किये बिना ही रिक्शे वाले ने रिक्शे भागे बढ़ा दिये। बचते-बचते भी हमारे दो साथियों के पाँवों की अंगुलियों को कुचलकर वे भागे बड़ गये। उन्हें इसके लिए प्रधानाध्यापक ने डाँटा तो पलटकर ताल गाँवों से देखता हुआ भड़की गालियाँ देता हुआ वह भागे बड़ गया। दोनों साथी अपने पाँवों को सहलाने लगे। एक के पाँव में तो मामूली सी खरोंच ही आई थी, लेकिन दूसरे के पाँव की तो एक अंगुली बुरी तरह कुचल गई थी। उसमें से खून गिर रहा था और वह दर्द से कराह रहा था। हम लोग उसे देखने को उनके चारों ओर इकट्ठे हो रहे थे। देखते ही देखते वहाँ मकड़ों आदमियों की भीड़ इकट्ठी हो गई वह लडका सड़क पर बैठ गया था और एक अध्यापक जी उसकी अंगुली पर रुमाल बाँध रहे थे। लोग धक्के मार-मारकर और भुक्त-भुक्तकर देखना चाहते थे कि इतनी भीड़ इकट्ठी होने का वास्तविक कारण क्या है। कोई हमसे पूछना और कोई किसी अन्य व्यक्ति से। एक-दो पूछकर भागे बड़ जाते तो दस-बीस और आ जाते। कुछ ही देर में भीड़ इतनी बड़ गई कि बाजार में आवागमन अवरुद्ध हो गया। हमने देखा तो बाजार में आमने-सामने बसें, मोटर-कारें, रिक्शे और ठेके जुटे खड़े हैं। भागे रास्ता न मिलने के कारण पीछे चलने वाले वाहन भी खड़े होते चले जा रहे थे। जहाँ तक नजर जाती थी दोनों ओर सवारियाँ ही सवारियाँ फँसी नजर आती थी। मोटरों के हार्न दोनों ओर से ही इनने जोर-जोर से बज रहे थे कि कान बहरे हो रहे थे। दोनों तरफ का यत्नायत इतना जाम हो गया कि न कोई भागे किसक सवता था और न पीछे। पैदल चलने वालों तक की मुमीबत आ रही थी। वे भी अपने ही स्थान पर फँसे खड़े थे। शहर के लोग तो इस तरह के वातावरण के आदी होते हैं। इसलिए परेशान कम नजर आते थे, लेकिन हम तो अपनी जगह पर फँसे धरार रहे थे। कुछ लडके जो थोड़ी दूर भागे भीड़ में फँस गये थे, जोर-जोर से अध्यापक जी को आवाजें लगा रहे थे। वह घायल लडका भी रुमाल बाँधकर खड़ा हो गया था, लेकिन इधर उधर खिगकने को जगह किसी को भी नहीं मिल रही थी। एक दो लडके तो अपनी जगह धरारकर रोने भी लगे थे। यह सारी स्थिति देखकर प्रधानाध्यापक जी ने हम सब को बापम लौटने के लिए आदेश दिया और स्वयं भी लौटने लगे, लेकिन व्यर्थ। जिधर पाँव बढ़ाते उधर ही साइकिलें, रिक्शे और ठेके वाले बड़े मिलते। यह स्थिति देखकर मुझे तो बहुत ही पचराहट हुई। मैं सोचने लगा कि आखिर यह भीड़ कम कैसे

होगी ? हम लोग बाहर निकल भी सकेंगे या यहीं दब-कुचलकर मर जायेंगे । मेरे साथी विद्यार्थी और अध्यापक भी शायद यही सोच रहे थे क्योंकि उन सबके चेहरे उदास हो रहे थे और भीड़ से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं सूझ पा रहा था ।

इसी तरह फॉम-फॉस करीब 15 मिनट बीत गये । ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता था, एथो-एथो भीड़ और भी बढ़ती जाती थी । बड़ी जटिल समस्या में हम लोग फँस गये थे । मैंने न तो कभी इतनी भीड़ देखी थी और न ही इतना हस्ता-मुस्ता कभी सुना था । उस घनावरण में मुझे भय लग रहा था और पवराहट हो रही थी । तभी भीड़ में मिपाहिरो की सीटी की आवाजें सुनाई दीं । हम सब का ध्यान उपर गया । मिपाही भीड़ के बीच में सड़ें होकर अपने डंडों से सवारियों को इधर-उधर खिसकाने लगे । भीड़ में थोड़ी हलचल शुरु हुई । फिर गाड़ियों के हार्नें बजने लगे और दोनों तरफ का यातायात चींटी की चाल से रेंगने लगा । करीब 15 मिनट बाद स्थिति में सुधार हुआ । हम लोग एक जगह हुए । प्रधानाध्यापक जी ने सब की गिनती की । पूरी सख्या पावर के बहुत सन्तुष्ट हुए । उन्होंने सबको वापस धर्मशाला में ही चलने का निर्देश दिया और गोयल साहब उस घायल विद्यार्थी को लेकर डॉक्टर की दुकान की ओर चल पड़े । हम लोग शीघ्र ही धर्मशाला में पहुँच गये । वहाँ पहुँचने पर हमें ऐसा लगा जैसे हम जलती हुई आग में से बाहर निकल कर आ गये हों ।

उपसहार—हमें पवराया सा देखकर धर्मशाला के मैनेजर ने हमारे शीघ्र लौटने का कारण पूछा और जब कारण का पता लगा तो वह खूब जोर से हँसा । बोला, "बस एक दिन में ही पवरा गये ? यहाँ तो ऐसे रोज ही होता है । एक दो आदमी रोज दुर्घटना में मरते हैं । औरता और बूटी को सड़क पार करने के लिए घंटे खड़े प्रतीक्षा करनी पड़ती है । यह चाँदपोल बाजार है । यहाँ भीड़ में जेबें भी खूब सफ होती हैं ।" यह सुनकर हम सब ने अपनी जेबें टटोली । प्रधानाध्यापक जो चिल्ला उठे । उनका बटुआ पायब था, लेकिन थप दिया भी क्या जा सकता था ? हम दूसरे ही दिन गाँव लौट आये । शहरी जीवन से ग्रामीण जीवन की तुलना हो चुकी थी । मैंने सोचा—हमारा ग्रामीण जीवन ही शहरी जीवन से श्रेष्ठ है । षडा होकर जपपुर में ही काम तलाश करने का इरादा त्याग दिया । अब तो यही इरादा है कि गाँव में ही रहकर कोई आजीविका की तलाश करूँगा ।

13 | स्वाधीनता दिवस समारोह का आयोजन

नियन्त्र की रूप-रेखा

1. प्रस्तावना—स्वाधीनता-दिवस का महत्त्व
2. समारोह के आयोजन की योजना
3. समारोह का आयोजन—प्रभात-केरी, ध्वजारोहण, मार्चपास्ट एवं मलामी, विभिन्न कार्यक्रम
4. सांस्कृतिक कार्यक्रम—भेद-बुद एवं नाटक
5. उपसंहार

1. प्रस्तावना—हमारा देश 15 अगस्त 1947 को सदियों की दासता के परचान् स्वाधीन हुआ है। गुलामी की लम्बी काली अंधियारी रात में हमारे देश की जनता ने कितनी याननाएँ मही और कितने कष्ट उठाये, इसकी प्रत्यक्ष जानकारी स्वाधीनता प्राप्ति के बाद वाली पीढ़ी को नहीं है, किन्तु उस पीढ़ी के बहुत लोग बचे हैं, जिन्होंने विदेशी सरकार के निर्मम अन्यायों को सहा है और प्रत्यक्ष देखा है। सन् 1857 में हुई असफल-आन्दोलन के पश्चात् देश का स्वाधीनता-संग्राम लम्बे समय तक चलता रहा है। इस संग्राम के सेनानी अंग्रेजी सरकार की क्रूरता के शिकार होने रहे, किन्तु अपना सर्वस्व बलिदान करके भी देश को स्वाधीन कराने के लिए जूझते रहे। अंगरेज देश-भक्तों की कुर्बानी के फलस्वरूप ही हमारे देश को स्वाधीनता प्राप्त हुई है। स्वाधीनता का मूर्खोदय देखने के लिए न जाने कितनी लड़नामों के माथे का खिन्नूर घुला होगा और कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई होगी। अतः हमारे राष्ट्रीय जीवन में स्वाधीनता-दिवस का विशेष महत्त्व है। यह हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। इसी दृष्टि में प्रतिवर्ष 15 अगस्त को देश के कोने-कोने में स्वाधीनता-दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में पूर्ण उमंग, उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है।

2. विषय-प्रवेश—अन्य वर्ष हमारे कस्बे की नगर पालिका के चुनाव में ऐसे लोग विजयी हुए जो देश-भेदा और देश-भक्ति को ही अपना धर्म समझते हैं। चुनाव के तीन माह बाद ही पन्द्रह अगस्त आने बाली थी। नगर-पालिका की पहली बैठक में ही सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया कि इस वर्ष कस्बे में स्वाधीनता दिवस एक विशेष समारोह के रूप में मनाया जाय। इस निर्णय के बाद एक समां-

रोह-समिति का गठन किया गया, जिसमें कस्बे की सभी शिक्षण संस्थायाँ, सरकारी कार्यालयों और जनता के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया। इस समिति ने समारोह की रूप रेखा बनाई और तदनुसार तैयारियाँ प्रारम्भ कर कर दी गईं। समारोह की तैयारी में कस्बे के छोटे बड़े सभी लोग स्वेच्छा से जुट गये और पूर्ण उत्साह के साथ तैयारियाँ होने लगीं। उन दिनों कस्बे का वातावरण ऐसा बना जैसे हमें आज ही स्वतंत्रता मिली हो और हम इस महान् उपलब्धि पर अपने हृदय की प्रसन्नता व्यक्त करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ना चाहते हो। कस्बे की जनता में ऐसी एकता ऐसा उत्साह और ऐसी देश-भक्ति की भावना पहले कभी नहीं देखी गई। सब लोग अपने-अपने कार्यों में इस तरह जुट गये जैसे उनकी अपनी बेटी का ब्याह हो रहा हो। अपने-अपने घरों की सफाई, गली-मोहल्लों की सफाई और बाजारों तथा दूकानों की सजावट के कार्य में आपन में होड़ मी लग रही थी। समारोह के आयोजन के प्रस्तुत किये जाने वाले कार्यक्रमों की तैयारी अलग से हो रही थी। उन दिनों कस्बा और कस्बे के आन-पास के क्षेत्रों में चर्चा का एक ही विषय था—'स्वाधीनता दिव्य समारोह'।

बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते करते 15 अगस्त का दिन आ पहुँचा। प्रातः काल करीब 5:00 बजे कस्बे की गलियों और रास्तों में प्रभात फेरियाँ निकलने लगीं। विद्यालयों के छात्र और छात्राएँ अपने-अपने विद्यालयों की गणवेश में हाथ में कागज की तिरगी झण्डियाँ लिए एक जुलूस के रूप में चल रहे थे। 'महात्मा गांधी की जय', 'भारत माता की जय', 'हमारी स्वाधीनता अमर रहे', 'हम सब एक हैं' आदि के नारे पूरे कस्बे की गली-गली में गूँज रहे थे। लोग अपने घरों की छतों पर खड़े होकर बड़े उत्साह से उन बच्चों को देख रहे थे। प्रभात की मुनहरी फिरण फूटने में पहले ही सब लोग जाग पड़े थे और मन में उमंग लिए जल्दी-जल्दी तैयार होने लगे थे। अपने-अपने नारों में कस्बे की गलियों, रास्तों और सड़कों को गुञ्जाने हुए छात्र-छात्राएँ अपने-अपने विद्यालयों में पहुँचीं। विद्यालयों में तथा अन्य सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण का मक्षिप्त सा कार्यक्रम हुआ और पुनः सब छात्र और कर्मचारी अपने-अपने स्थानों से जुलूस के रूप में नारे लगाते हुए समारोह के प्रमुख स्थल 'नगर-पालिका कार्यालय' के मैदान पर पहुँच गये। धीरे-धीरे कस्बे की जनता भी वहाँ पहुँचने लगी। सब लोगों के बैठने अथवा खड़े होने के स्थान पहले ही निर्धारित कर दिए गये थे। अपनी चुम्त पोशाक पहने सजावट और स्थल-संयोजन के विस्तार लगाये अनेक-अनेक व्यवस्थाएँ लगे हुए थीं। थोड़ी ही देर में मैदान दर्शकों से खचा-खच भर गया। प्रकृति भी समारोह के आयोजकों का साथ देती मानूँ पड़ रही थी। पिछली रात खूब अच्छी वर्षा हो गई थी। इसलिए मौसम बड़ा सुहावना बना हुआ था। आकाश में बादल छा रहे थे, किन्तु ऊमस नहीं थी। लोग बड़ी प्रसन्न मुद्रा में अपने स्थानों पर खड़े होकर

या बँठकर कार्यक्रम के प्रारम्भ होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। नगर-पालिका भवन से कुछ दूर हटकर ठीक सामने एक सोथे और काफी ऊँचे लोहे के नल पर लिमटा हुआ राष्ट्रीय ध्वज झूल रहा था। उससे थोड़ी दूर हटकर ही एक ऊँचा मंच था जिस पर कस्बे के गणमान्य नागरिक, स्वतंत्रता सेनानी और सरकारी कार्यालयों के बड़े भ्रमणर बँठे थे। माइक्रोफोन की भावाज पर समारोह का संचालन समारोह से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएँ प्रसारित कर रहा था।

प्रातः ठीक 8 00 बजे तोप का एक जोरदार धमाका हुआ। यह समारोह के शुभारम्भ का श्री गणेश था। सब लोग सजग और सतर्क हो गये। संचालक ने माइक पर सबको सावधान की स्थिति में खड़े होने का निर्देश दिया और सबने उस निर्देश का बड़ी तत्परता से पालन किया। नगर-पालिका के अध्यक्ष महोदय धीरे-धीरे ध्वज के डण्डे के पास आये, ध्वज की डोरी को पकड़ा और खींच दिया। ध्वज खुल गया। उसमें पहले से ही रवे रंग-बिरंगे पुष्पों की पंखुडियाँ वितरकर पुष्पवृष्टि सी करती हुई नीचे आने लगी। सब शान्त खड़े थे। अध्यक्षजी ने ध्वज को सलामी देने के लिए अपना हाथ ऊँचा किया और तभी बँड पर राष्ट्रीय गीत 'जन-गण-मन' की मधुर धुन गूँज उठी। राष्ट्रीय गान के बाद संचालक ने सब को अपने-अपने स्थान पर बँठ जाने का निर्देश दिया। अध्यक्ष महोदय ध्वज को सलामी देते हुए अपने स्थान पर ही खड़े रहे। विद्यालयों के एन० सी० के छात्र और छात्राएँ अपनी गणवेश में फौजी जवानों की सी चुस्ती और फुर्ती दिखाते हुए मार्च पास्ट करने लगे। बँड पर प्रयाण गीत की धुन बज रही थी और छात्र कदम से कदम मिलाते आगे बढ़ रहे थे। उनकी सलामी का कार्यक्रम सबको बड़ा आकर्षक और प्रेरणादायक लगा। मार्चपास्ट और सलामी के बाद कस्बे की मोहल्लों के द्वारा तैयार की गई भूमिकियों के प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ। इन भूमिकियों को देख-देखकर लोग खूब प्रसन्न हुए और तालियाँ बजा-बजाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। सभी भूमिकियाँ स्वतंत्रता-आन्दोलन कहानी ही सुना रही थी। उन भूमिकियों में 'जलियाँ वाला बाग' की भूमिकी तो इतनी मार्मिक थी कि देख-देखकर लोगों की आँखों में आँसू आने लगे।

भूमिकियों का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सब लोग अपने-अपने स्थानों पर बँठ गये। अध्यक्ष जी मंच पर खड़े हुए और उन्होंने कस्बे की जनता के नाम सन्देश प्रसारित किया। उन्होंने अपने सन्देश में स्वाधीनता-दिवस का महत्त्व समझाया और देश की स्वतंत्रता एकता और अखण्डता बनाये रखने के लिए बड़ी मार्मिक अपील की। नवयुवकों को उन्होंने देश के नव-निर्माण में जुट जाने का आह्वान किया। उन्होंने अपने सन्देश में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह बतलाई कि स्वाधीनता-दिवस हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। दीपावली हमारा एक सांस्कृतिक पर्व है। इसलिए है कि उस दिन अत्याचारी राबण का नाश करके और भारत

भूमि को अत्याचारों से मुक्त करके भगवान श्री राम अवोष्या लीटे थे। इसी खुशी में हम दीपावली प्रतिवर्ष बड़े उत्साह और उत्साह से मनाते हैं। पन्द्रह अगस्त भी एक ऐसा ही दिन है क्योंकि अंग्रेजों के क्रूर और अत्याचारी शासन से हमें इस दिन ही मुक्ति मिली थी। अतः हमें इस राष्ट्रीय पर्व को दीपावली से भी अधिक उत्साह और उत्साह से मनाना चाहिए। दीपावली का पर्व तो केवल हिन्दू सभ्यता के लोगों के लिए ही है, किन्तु यह राष्ट्रीय पर्व का तो सभी जाति, धर्म और सम्प्रदाय के लोगों के लिए समान महत्त्व रखता है।

अध्यक्ष जी सन्देश के बाद सचालक महोदय ने कार्यक्रम समाप्त करने की घोषणा की और शाम को तथा रात्रि में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की सूचना दी। इसके बाद बच्चों को मिठाइयाँ बँटी और लगभग सी जवानों ने अस्पताल में जाकर स्वेच्छा से रक्तदान किया।

सायंकाल तीन बजे खेल-बूट के कार्यक्रम हुए। फुटबाल और कबड्डी सभ्य पूर्ण मैच आयोजित हुए। इस आयोजन में दर्शकों की भाँपी भीड़ थी। संध्या होते ही कस्बे के बाजार, दुकानें और मकान सजावट तथा रोशनी से जगमगा उठे। लोग भोजन आदि के कार्यों से निवृत्त कर पुनः नगर-पालिका कार्यालय के मैदान में इकट्ठे हुए। रात को 'शाहीब भगत सिंह' का शानदार नाटक हुआ। नाटक समाप्त होने पर लोग प्रशंसा करते हुए अपने घरों को लौटे।

3 उपसंहार—इस समारोह की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि कस्बे की जनता में एकता, भाईचारा और देश-भक्ति की भावना उत्पन्न हुई और यही किसी पर्व या त्यौहार के मनाने का प्रमुख उद्देश्य होता है। मेरे कस्बे का वह स्वाधीनता दिवस समारोह एक आदर्श समारोह था। उन समारोह की याद बच्चे बच्चों की जुबान पर आज भी ताजा है। राष्ट्रीय पर्वों पर देश में सभी जगह समारोह आयोजित किये जाने हैं, किन्तु इन आयोजना में हमारी भावना प्रमुख होती है। हमें गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए कि इन समारोहों का हमारा राष्ट्रीय जीवन में कितना महत्त्व है और हम इनके आयोजन में कितनी लगन, तत्परता और देश प्रेम की भावना को स्थान देते हैं। यदि हम मन से इन समारोहों के आयोजन में भाग नहीं लेते तो देश के प्रति अपनी बफादारी को नहीं निभाते।

निबन्ध की रूप-रेखा

1. प्रस्तावना—भारत का गौरवशाली स्वरूप
2. भारत-भूमि की उर्वरता
3. भारत की वनस्पति
4. भारत की खनिज-सम्पदा
5. भारत के जल-स्रोत
6. भारत की जन-सामर्थ्य
7. उपसंहार

1 प्रस्तावना—भारत एक ऐसा देश है जो प्राचीन काल से ही 'सोने की बिड़िया' के नाम जाना जाना रहा है। बारी-बारी से छ ऋतुओं का आगमन इस देश के लिए एक बरदान है। यह देश प्राकृतिक दृष्टि से जिनना सुन्दर है, आर्थिक दृष्टि से भी यह उतना ही समृद्ध और सम्पन्न रहा है। यही कारण है कि विदेशियों की कुदृष्टि सदा इस देश पर पड़ती रही है और जब भी उन्हें अवसर मिला, उन्होंने इस देश की सम्पत्ति को छूब लूटा। सदियों तक इस देश को विदेशी शासन की दासता भी में रहना पड़ा। इस अवधि में भी देश की धन-सम्पदा का खूब अपहरण होता रहा और एक समृद्ध तथा सम्पन्न देश भीतर से बिलकुल खोखला बन गया। किन्तु प्रकृति ने जिसे समृद्धि और सम्पन्नता का बरदान दिया है, वह देश गरीब, कैसे रह सकता है? जिस देश की धरती सोना उगलती हो, वह देश वगल कैसे बना रह सकता है? यही कारण है कि स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व अत्यन्त निर्वन और जर्जर अवस्था वाला देश स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् पुनः अपने पाँवों पर खड़ा हो गया है। आज यद्यपि हमारा देश विदेशी ऋणों के भार से दबा हुआ है, किन्तु राष्ट्रीय उत्पादन की दर में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है और वह दिन दूर नहीं, जब हमारा देश पुनः सम्पन्न और समृद्धिशाली बन जायेगा। इसकी समृद्धि का रहस्य इसकी प्राकृतिक सम्पदा में ही निहित है।

2 भूमि की उर्वरता—भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी जनसंख्या का तीन-चौथाई भाग कृषि पर ही निर्भर है। इस देश की भूमि में उर्वर शक्ति अमीम है; यही कारण है कि कुछ क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी जगह वर्ष में ती वार फसलें काटी जाती है। गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, ज्वार और चावल के हरे-भरे

खेत सहलहाते दिखाई पड़ते हैं। तिलहन और दलहन की सभी किस्मों की खेती इस धरती पर खूब होती है। गन्ना, चाय, काफी घोर जूट तो इतना पैदा होना है कि प्रनिवर्ण बहुत बड़ी तादात में अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। सिंचाई के साधनों का अभाव होने के कारण पहले हमारा कृषि-उत्पादन थोड़ा था, किन्तु प्रान्तादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हमने सिंचाई की सुविधा बढ़ा ली है और अब हम अपनी धरती से बहुत अधिक कृषि-उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। खाद्यान्नों के मामले में अब हम पूर्णतया आत्म-निर्भर बन चुके हैं। घाने वाले व्यो में हमारा कृषि उत्पादन और बढेगा और हम निर्यात करने की स्थिति में आ जायेंगे।

3 वनस्पति-सम्पदा—भारत की वनस्पति भी बहुत समृद्ध है। आम, केला, पपीता, ससुरा नींबू, अमरुद, अनार, आदि अनेक फलों के वृक्ष इस धरती पर खूब उगते हैं जिन्हें हम सरस, मीठे और स्वास्थ्य-बद्ध फल प्राप्त करते हैं। अमूर, बेर, आदि फलों की बेलें और भांडियाँ हमारी इस भूमि पर उगती हैं। इनके अतिरिक्त मिश्र-मिश्र वृक्षों में मिश्र-मिश्र प्रकार की लकड़ियों में खेत सहलहाते रहते हैं। चीड़ बीजम देवदार और सैगोन आदि मूल्यवान लकड़ी के पेड़ हमारी भूमि पर बहुतायत से उगते हैं। नीम, पीपल, सिरस और बरगद आदि के वृक्ष जहाँ अपनी सघन छाया में हमें आश्रय देने हैं, वही इनकी लकड़ी हमारे अनेक प्रकार से उपयोग में आती है। पहाड़ों में उगने वाली वनस्पति जहाँ एक ओर वायुमण्डल में अणुजन बनाये रखने का कार्य करती है, वही दूसरी ओर वह हमारी वन-सम्पदा के रूप में देश की समृद्धि में अपना योगदान करती है। पहाड़ों और जंगलों में अगणित जड़ी-बूटियाँ उत्पन्न होती हैं, जिनके सेवन से व्याधियों का नाश होता है। हमारी अस्तरय पशु-सम्पदा का तो मुख्य आहार वन-सम्पदा ही है। जंगल में उगने वाली घास और अन्य वनस्पति के आहार पर ही हमारे पशु जीवित रहते हैं। ये पशु हमारे मित्र और सहायक हैं जो हमारी समृद्धि में अपना योगदान करते हैं।

4 खनिज सम्पदा—भूमि को समुदा और धरा के नाम से पुकारा जाता है, जिसका अर्थ है—स्वर्ण एवं अन्य धातुओं को धारण करके वाली। भारत में सोना, चाँदी, ताँबा, पीतल, लोहा, अभ्रक और कोयले का अथाह भंडार है। विभिन्न क्षेत्रों में इन धातुओं की खानें हैं, जिन्हें हम ये धातु प्राप्त करते हैं। खनिज सम्पदा को प्राप्त करने के वैज्ञानिक साधनों का विकास हो जाने के पश्चात् इन खानों से हम बहुत अधिक मात्रा में मूल्यवान धातु प्राप्त कर रहे हैं। समुद्र तथा अन्य प्रकार के इमारती पत्थरों की खानों से हमें बहुमूल्य पत्थर प्राप्त होता है। हीरा, नीलम और पुसपान आदि रत्न हमारी भूमि के ही गर्भ में छिपे हैं। खनिज तेल के विषय में पहले हमारी जानकारी नहीं थी किन्तु भूगर्भ की खोज से हमें भारत-भूमि में खनिज-तेल के भी अथाह भंडार मिल गये हैं। बाँबे हाई म समुद्र तल से

खनिज तेल का उत्पादन प्रारम्भ हो गया है, जिससे हमारे देश की लगभग पचास प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति होने लगी है। शेष क्षेत्रों में भी शीघ्र ही उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा और हम तेल के मामले में न केवल आत्म-निर्भर ही बन जायेंगे, बल्कि हम विदेशों को तेल का निर्यात करके प्रसह्य विदेशी मुद्रा भी अर्जित करने लगेगे।

5. जल-स्रोत—पानी जीवन, विकास और समृद्धि का आधार माना जाता है। भारत को भूमि जल-स्रोतों के मामले में पूर्ण समृद्ध है। हिमालय की गोद से निकलने वाली गंगा, जमुना, सिन्ध और ब्रह्मपुत्र आदि महानदियाँ अपनी अनेक सहायक नदियों के साथ देश के उत्तराञ्चल में घट्टत बड़े भू-भाग को सदा-सर्वदा हरा-भरा बनाये रखती है। इसी प्रकार मध्य भारत और दक्षिण के क्षेत्रों में बहने वाली अनेक नदियाँ इन क्षेत्रों में कृषि और वनस्पति-उत्पादन में अत्यधिक सहायता करती हैं। आजादी से पहले इन नदियों के पानी का पूरा उपयोग नहीं हो पाता था। स्वतन्त्र-भारत की सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा अनेक बड़े-बड़े बाँध और नहरों का निर्माण करके हमारे जल-स्रोतों को अत्यन्त उपयोगी बना लिया है। राजस्थान जैसे रेतीले प्रदेश में भी गंगा नहर और राजस्थान नहर से पानी पहुँच गया है और अब यह प्रदेश पूरे देश की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करने की स्थिति में आने वाला है। देश के पश्चिमी और पूर्वी तटों से लगे समुद्र भी इस देश की समृद्धि में खूब योगदान करते हैं। समुद्र से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और गोताखोर समुद्र-तल से अनेक मूल्यवान वस्तुएँ प्राप्त करते हैं।

6. जन-सामर्थ्य—भारत की जनता यद्यपि स्वभाव से भोली और उदार है, किन्तु उसी योग्यता, कार्यक्षमता, कष्ट सहिष्णुता और श्रमशीलता विश्व में बेजोड़ है। अपनी इसी सामर्थ्य के कारण वह पहले भी अपने देश को 'सोने की चिड़िया' बना पायी थी और अब भी वह इन देश को समृद्ध बनाने में जुटी हुई है। बिल-बिलवाती धूप में और ठिठुराती शीत नहर में भी हमारे देश का किसान खुले खेत में दिनभर परिश्रम करना देखा जा सकता है। इसी प्रकार पहाड़ों की छाती को चीरकर उनमें से रत्न निकालने की सामर्थ्य हमारे देश के श्रमिकों में है। घाँघी हो या नूफान सर्द हो या गर्मी हमारे देश का श्रमिक भूखा-प्यासा रहकर भी अपने काम में जुटा रहता है। देश का कृषि-उत्पादन, खनिज-उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन देश के श्रमिकों की कड़ी मेहनत पर ही निर्भर है। हमारे देश में श्रमिक की दशा अच्छी नहीं है, किन्तु वह फिर भी कर्तव्य-परायण है। वास्तव में वह स्वयं देश की एक सम्पदा है। एक ऐसी सम्पदा जो अनेक सम्पदाओं की जननी है। ऐसे परिश्रमी और कर्मठ वीर-पुरुषों की जन्मदात्री हमारी पही भारत भूमि है।

हमारे राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त ने भारत-भूमि की वन्दना करते हुए इस भूमि के वैभव को इस प्रकार प्रदर्शित किया है—

‘नुरभित सुन्दर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं,
भाँति-भाँति के सरस, सुघोषम फल मिलते हैं,
श्रीपदियाँ हैं प्राप्त, एक से एक निराली
खानें शोभित कहीं धातुवर रत्नों वाली ।

जो आवश्यक होते हमे
मिलते सभी पदार्थ हैं ।
हे मातृ भूमि ! वसुधा, परा
तेरा नाम यद्यार्थ है ।

7 उपसंहार—उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि भारत की धरती वास्तव में सोना उगलने वाली धरती है । आवश्यकता केवल इसके महत्त्व को समझकर सोना प्राप्त करने की सही विधि को अपनाने की है । यह धरती एक ऐसी दुयारु गाय है जिसका दोहन करने पर यहाँ घी दूध की नदियाँ बहती सुनी गई है । इस धरती में इतनी सामर्थ्य होते हुए भी हम धरती के प्यारे पुत्रों की दीन हीन दशा देखकर किसी को भी आश्चर्य होना स्वाभाविक है । इसके कारणों पर यदि हम गम्भीरतापूर्वक विचार करें तो हम पायेंगे कि इसका मूल कारण हमारी दोषपूर्ण सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था ही है । उत्पादन के साधनों का व्याप-सगत बँटवारा न होने के कारण मुट्टीभर लोच देश की अतुलित सम्पत्ति के स्वामी बने बैठे हैं और शेष लोच भ्रभावो से पीड़ित हैं । आज भी हमारे देश में किसी वस्तु का अभाव नहीं है । आज भी इस देश की धरती सोना ही उगलती है, किन्तु दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण देश की मूल्यवान सम्पत्ति कुछ लोगों की निजी सम्पत्ति बनी हुई है और सत्तार की निगाह में हम गरीब और दरिद्र बने हुए हैं । यह प्रसन्नता की बात है कि देश करवट ले रहा है और हमें प्राशा करने चाहिए कि शीघ्र ही इस व्यवस्था में आमूल-बूल परिवर्तन होगा और यह देश पुन सोने की चिड़िया के नाम से विश्व में अपना शीखरपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेगा ।

नियन्ध की रूप-रेखा

1. प्रस्तावना
2. जयपुर नगर का निर्माण
3. नगर की बसावट
4. भवनो और बाजारों की एकरूपता
5. विशेष दर्शनीय स्थान
6. उपसंहार

प्रस्तावना—उर्दू के प्रसिद्ध शायर इकबाल ने एक गजल लिखी थी—
 'मारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ता हमारा।' इकबाल की यह गजल भारत की सही तस्वीर पेश करती है। वास्तव में भारत एक ऐसा ही देश है जो मारे ससार में अच्छा है। हम ही नहीं, सारी दुनिया के लोग भी यह मानते हैं कि भारत ससार में सबसे अच्छा देश है। यदि भारत के विषय में यह बात सही है तो मैं कोई कवि या शायर न होने हुए भी यह कह सकता हूँ कि 'नगरों में निराला नगर है, यह गुलाबी नगर हमारा।' मेरा यह कथन भी इकबाल साहब के कथन की तरह ही सच्चा है। भारत ही नहीं, दुनिया के कितने देश में भी ऐसा कोई नगर नहीं होगा जो गुलाबी नगर जयपुर की बराबरी कर सके। प्रतिवर्ष हजारों विदेशी पर्यटक इस नगर को देखने आते हैं। इसकी सुन्दरता, इसकी एक रूपता और इसकी स्वापत्य-कला को देखकर दंग रह जाते हैं। उनमें इसके सम्बन्ध में चर्चा करने पर वे इसकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करते हैं और अपना यह स्पष्ट विचार भी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया है और अच्छे से अच्छे नगर देखे हैं किन्तु इस गुलाबी नगर की तुलना वे किसी से नहीं कर सकते। इस अद्वितीय नगर का एक सुन्दर इतिहास है और इसका निर्माण एक विशेष योजना के आधार पर ही हुआ था।

2. जयपुर नगर का निर्माण—इस नगर का निर्माण होने से पूर्व जयपुर के राजाओं की राजधानी अमर ही थी। पठारहवीं सदी के प्रारम्भ में सन् 1728 में महाराजा सवाई जयसिंह ने इस नगर का निर्माण करवाया और अपने नाम

पर ही इसका नाम 'जयपुर' रखा। महाराजा जयसिंह स्वयं एक श्रेष्ठ विद्वान्, व्योमिष शास्त्र के विशेषज्ञ, कलाकार और स्थापत्यकला के मर्मज्ञ थे। सयोग से उन्हें विद्याधर नाम एक स्थापत्य-कला का विशेषज्ञ मिल गया। राज की भाषा में वह एक बहुत बड़ा इंजीनियर था। विद्याधर ने ही इस नगर का नक्शा बनाया था और उसकी देख रेख में इस नगर का निर्माण हुआ था। ग्रामेर की पहाड़ियों से लगती हुई दक्षिणी पहाड़ी के दक्षिण में ग्रामेर से लगभग दस किलोमीटर दूर के एक समतल भाग पर इस विशाल नगर का निर्माण करवाया गया। इस नगर के चारों ओर मजबूत तथा ऊँची दीवार का विशाल परकोटा बनवाया गया, जिसमें पूर्व में सूरजपोल, पश्चिम में चांदपोल, उत्तर में गंगापोल और दक्षिण में राजमेरी दरवाजा, सागानेरी दरवाजा और घाट दरवाजा के नाम बड़े दरवाजे रखे गये। जिस विशाल भूखण्ड पर इस नगर का निर्माण करवाया गया, उस भूखण्ड को पहले ही इस प्रकार तैयार किया गया कि नगर का मध्य भाग ऊँची भूमि पर रहे और उसके दोनों ओर ढलान रहे ताकि प्रतिवृष्टि या अन्य किसी प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं से यह नगर पूर्ण सुरक्षित रह सके। सूरजपोल से लेकर चांदपोल तक की सीधी सड़क इस नगर का मध्य भाग माना जाता है। इस सड़क के दोनों ओर बनी हुई सड़कें भी वस्तुतः ढलान पर हैं। यह ढलान क्रमशः बढ़ता हुआ परकोटे तक पहुँच जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि जब नगर में वर्षा होती है तो वर्षा का पानी नगर के दोनों ओर ढलता हुआ शीघ्रता से बह जाता है और नगर सुरक्षित रहता है। सन् 1981 में हुई भारी वर्षा से जयपुर की नई वस्तियों में भले ही कोई नुकसान हुआ हो, किन्तु परकोटे के भीतर बने शहर में लगातार चालीस घंटे तक भारी वर्षा होने के बावजूद न कहीं पानी भरा और न ही किसी प्रकार की जन-धन की हानि हुई।

विल्कुल सीधे और चौड़े बाजार, नगर को तीन प्रमुख भागों में बाँटने वाली तीन चौपटें, प्रत्येक रास्ते और गलियों की सीधार्द तथा प्रत्येक रास्ते और गलियाँ एक निश्चित दूरी पर चौराहें बनाती हुई तथा प्रत्येक गली और रास्ते का मुख्य बाजार से सीधा सम्बन्ध होना इस नगर के निर्माण की एक ऐसी विशेषता है जो सत्तार के किसी नगर में नहीं है।

3 नगर को बसावट—इस नगर की बसावट भी पूर्ण नियोजित और व्यवस्थित है। नगर के मध्य भाग में बड़ी चौखण्ड के दक्षिणी भाग में बड़े व्यापारियों और जौहरियों को बसाया गया है। इसी उत्तरी भाग में चन्द्रमहल और जनानी झोड़ी के नाम से राज परिवार के शाही महल हैं जिनके उत्तर में राव-घराने के इष्टदेव श्री गोविन्द देव जी का मन्दिर है और उसी के पास एक रमणीक राजोद्यान तथा तालकटोरे का सुन्दर जलाशय है। राज-महला के पास ही टाउन-हाल है जो राज कल विधान-सभा का सभा स्थल है। इसके पास ही जनेबी चौक

के नाम से एक विशाल चौक है, जहाँ जयपुर रियासत के समय सभी सरकारी कार्यालय एक ही स्थान पर चलते थे, जिससे जनता को बहुत सुविधा थी। राज-महलों से राज-परिवार के नगर में आने-जाने के लिए एक प्रमुख दरवाजा 'त्रिपोलिया' के नाम से बनवाया गया था। इसी प्रकार नगर के अन्य भागों में भी ममात्र के विभिन्न वर्गों को बसाया गया था। यह बसावट आज भी अपने मूल रूप में विद्यमान है।

4. एकरूपता—इस नगर की प्रमुख विशेषता यह है कि इस नगर के सभी मकान एक ही स्थापत्य शैली के आधार पर निर्मित हैं। नगर में बने प्रायः सभी मकान, दुकान और मन्दिरों की शैली एक ही है। सब भवनों को एक विशिष्ट गुलाबी रंग से पोता जाता था। इसी रंग के कारण इस नगर का नाम 'गुलाबी-नगर' पड़ा है। यद्यपि नगर के भीतरी भागों में तो भवन-निर्माण की शैली और रंग में एकरूपता नहीं रही है किन्तु नगर के मुख्य बाजारों में स्थित सभी भवन और दुकानें अब भी एक ही स्थापत्य-शैली से निर्मित हैं और उन पर एक ही रंग 'गुलाबी रंग' पुता हुआ है। बाजार में दुकानों के आगे बने बरामदे, उन पर लिखे साइन बोर्ड आदि सभी बातों में एक रंग, एक शैली और एकरूपता विद्यमान है। देश के अन्य भागों से आने वाले तथा विदेशी पर्यटक इस नगर के बाजारों की विशालता, सुन्दरता और एकरूपता देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं।

5. विशेष दर्शनीय स्थल—जयपुर एक ऐतिहासिक नगर है और भारतीय पर्यटन का प्रमुख केन्द्र है। इस नगर में और नगर के आस-पास अनेक ऐतिहासिक और रमणीक स्थान हैं जो दर्शनीय हैं। जयपुर नगर के मध्य भाग में स्थित 'हवा महल' स्थापत्य कला का एक उद्दृष्ट नमूना है। एक ही शैली पर निर्मित छोटी-छोटी हजारों खिड़कियों से बना यह विशाल भवन बाहर से देखने पर अत्यन्त आकर्षक प्रतीत होता है भीतरी भाग में जाने पर इन खिड़कियों से आने वाली तेज हवा इसके नाम को सार्थक बनाती है। विदेशी पर्यटक इसे बड़ी उत्सुकता और आश्चर्य से देखते हैं और देखते रह जाते हैं। जितने चित्र इस भवन के सिंचे होंगे, उतने शायद ही किसी भवन के सिंचे हो।

हवा-महल के पीछे की ओर ही, 'जंतर-मंतर' है। यह ज्योतिष का एक ऐसा चमत्कार है जिसका संसार में कोई मुकाबला नहीं है। गृहों और नक्षत्रों तथा सूर्य, चन्द्रमा आदि की गति का ज्ञान कराने वाले यंत्र इस स्थान पर बने हुए हैं। यह ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन का एक विशेष केन्द्र है। संसार के बड़े-बड़े ज्योतिष यहाँ बने चक्रों और यन्त्रों को देखकर चक्कर खा जाते हैं।

'जंतर-मंतर' के पास के पास ही चन्द्रमहल है जो आजकल 'मिटी पैलेस' के नाम से जाना जाता है। आजकल इस महल को रियासत और राज-घराने का संग्रहालय बना दिया गया है। पर्यटक इस भवन की स्थापत्य कला की सुन्दरता की

देवकर मन्त्र-मुग्ध हो जाता है। सप्रह्वानय मे रखी सदियो पुरानी पोशाको, हथियार तथा अन्य प्रकार की सामग्री को देखकर वे आश्चर्य मे डूब जाते हैं।

इनके अतिरिक्त जयपुर का राम निवास बाग, गेटोर की छतरियां तथा जयपुर नगर के पूर्वी भाग मे पहाडी पर बना 'गलता तीर्थ' एव सूर्य मन्दिर भी यहाँ के दर्शनीय स्थल है। इन स्थानो को देखकर भी लोग बहुत आनन्दित और प्रसन्न होते हैं।

जयपुर के उत्तर मे आमेर है जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आमेर मे शिला देवी का मन्दिर जगत शिरोमणि जी का मन्दिर तथा अन्य अनेक जैन मन्दिर स्थापत्य-कला तथा ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आमेर का 'जयगड दुर्ग' तो तत्कालीन इतिहास का एक जीना शायता नमूना है जो राजपूती धान-बान तथा शौर्य की शौरव गाथा स्वय ही अपने मुँह से सुनाता प्रतीत होता है। जयगड दुर्ग की पहाडी के नीचे बने भावठा भील भी बहुत रमणीय दृश्य उपस्थित करती है।

6 उपसंहार—जयपुर नगर का बाह्य स्वरूप जितना आश्चर्य है, इसका आन्तरिक स्वरूप भी उतना ही मनोरम है। यह एक सांस्कृतिक नगरी है। भारतीय सस्कृतिके उज्ज्वल स्वरूप को इस नगर मे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। बारहो महिने विभिन्न समुदायो के लोग के सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। यहां के लोगो मे सामाजिक सद्भाव और भाईचारे की भावना कूट-कूट भरी है। यहां के लोग स्वभाव से सरल और मनमौजी क्लिप्त के हैं। वर्षा ऋतु मे मेलो और गोठों की बहारें छापी रहनी हैं तो सर्दों में पतंगबाजी की 'बो काटा' की आवाज से आममान गूँजता रहता है। गर्मियों मे प्याऊआ की भरमार हो जाती है। जयपुर नगर का शायद ही कोई मोहल्ला होगा जहाँ रात के समय हल्ला और जागरण न होता हो। यहां की रातें सदा सगीतमय बनी रहती हैं।

ऐसा सुना जाता है कि इस नगर के निर्माता विद्याधर ने नगर के निर्माण के निर्माण बाद अपने इष्ट देवता से यह वरदान ले लिया था कि इस नगर मे जो भी कहीं से आकर बस जायगा वह आवाद होना चला जायगा और फिर यहां से जाने को वह कभी रात्री नहीं होगा।

निबन्ध की रूप-रेखा

1. प्रस्तावना—होनहार की प्रबलता
2. यात्रा का कार्यक्रम—बस यात्रा
3. धालक को प्रसाधधानी से दुर्घटना
4. दारुण एवं कठणजनक दृश्य
5. उपचार एवं सहायता कार्य
6. उपसंहार

1. प्रस्तावना—हम सुनते आये है कि होनहार बलवान है । हम किसी अप्रिय और प्रवाहित स्थिति से बचने के लिए कितने ही प्रयास करें, किन्तु भावी बलवान होती है और हमारे प्रयत्नो के बावजूद होनी होकर ही रहती है, टलती नहीं हैं । गोस्वामी तुलसीदास ने इस सत्य को इस प्रकार उजागर किया है—

‘ तुलसी जसि भवित्यप्यता, तेसी बने सहाय ।

अपु, वहाँ आवे नहीं ताहि तहाँ से जाय ॥ ’

मैं भाग्यवाद में विश्वास कम करता हूँ । इसलिए मेरी होनहार के विषय में पहले कुछ और ही मान्यता थी । मैं जब किसी दुर्घटना की बात सुनता तो तर्क देकर यह सिद्ध करने का प्रयास करता कि इसमें होनी क्या करेगी ? यह तो अमुक व्यक्ति की अमुक भूल का परिणाम है । यदि वह व्यक्ति उस समय ऐसा सावधान नहीं करता तो यह सब कुछ होता ही नहीं ।’ किन्तु उस दिन मेरी छाँचों के सामने घटी दुर्घटना को देखकर अब मुझे भी विश्वास हो गया है कि होनहार बलवान ही होता है । जो होनी होती है, होकर ही रहती है ।

2. बस यात्रा का कार्यक्रम—मुझे एक विशेष कार्य से जयपुर जाना था । मेरे गाँव से सुबह से शाम तक जयपुर के लिए पाँच बसें चलती हैं । मेरा कार्यक्रम तो सुबह की बस से जाकर शाम की बस से लौट आने का था, किन्तु इसे होनहार के सिवा और कोई नाम नहीं दिया जा सकता कि मैं अनायास ही एक ऐसी जलभ्रमो में फँसता गया कि दिन की चारो बसें निकल गईं और

में उनसे जयपुर नहीं जा सका। जयपुर जाना आवश्यक था, इसलिए बाध्य होकर मुझे सायकाल वाली आखिरी बस को ही पकड़ना पड़ा। बस में भीड़ बहुत थी। मैं आगे के दरवाजे से घुसकर ड्राइवर के पास वाली सीट के पास जाकर खड़ा हो गया। ड्राइवर शराब के नशे में घुल था। ड्राइवर के केबिन में शराब की बरतू आ रही थी और वह आँप-बाँप तक भी रहा था। प्रगले स्टैंड पर गाड़ी रुकी तो मैं वहाँ से हटकर पीछे की ओर आ गया। अंधेरा होने लगा था। मार्ग में एक स्थान पर नदी के मुहाने पर बहुत ही सड़का ना मार्ग था। ड्राइवर की स्थिति को देखकर लोगों ने गाड़ी न चलाने के लिए दबाव डाला। पहले तो वह बहुत बिखरा किन्तु जब यात्रियों ने एव मत होकर उसे दबाया तो वह कुछ नरम पड़ गया और उसने हाथ जोड़कर सबसे माफी माँगी और सबको उसने विश्वास दिलाया कि वह पूरे होश में है तथा पूर्ण सावधानी से ही गाड़ी चलायगा। यदि यात्रियों को विश्वास न था तो वे मुहाने के इस पार ही गाड़ी से उतर जाँय, वह खाली गाड़ी को दूसरे किनारे ले जाकर खड़ी कर देगा। फिर सब लोग आकर बैठ जाँय। ड्राइवर का यह तर्क सब को जच गया और खाली गाड़ी के मुहाने से पार हो जाने के बाद सब लोग उसमें जाकर बैठ गये। नदी के मुहाने पर बने अत्यन्त सड़के मार्ग पर उसने गाड़ी को इतनी सफाई से निकाला कि सब लोग मान गये कि वह कोई खास नशे में नहीं है, योही बक-बक कर रहा है।

3. चालक की असावधानी और दुर्घटना—सब सड़क चौड़ी और अच्छी आ गई थी। ड्राइवर का भी आत्म विश्वास कुछ बढ़ गया था। लोगों ने उसकी ड्राइवरी की तारीफ भी खूब की। इन सब का नतीजा यह हुआ कि वह तीव्र गति से बस को चलाने लगा। आखिरी नम्बर की बस थी। सब लोग अपने-अपने गन्तव्य स्थानों पर शीघ्रता से ही पहुँचने में रचि रहते थे। इसलिए ड्राइवर के तेज गाड़ी चलाने पर किसी ने आपत्ति नहीं की। मुश्किल से कोई पाँच सात मील ही गाड़ी चली होगी। आगे एक मोड़ था। मोड़ पर एक ट्रक खड़ा था जिसकी दोनों लाइटें जल रही थीं। बस के ड्राइवर ने मोचा होगा कि सामने से आने वाली गाड़ी भी चल रही है, इसलिए पास आने पर वह भी अपनी लाइट बचा लेगी। इसी धारणा के आधार पर तेज गति से चन्ती हुई बस को मोड़ पर घुमाया होगा। हम सब की निगाह सामने ही थी। देखते-देखते हमारा बस पत्थरों से लदे खड़े ट्रक से जाकर टकरा गयी। एक भीषण धमाका हुआ और बस उलट गई।

4. धारण एवं कठणाजनक दृश्य—बस के उलटते ही यात्रियों की दशा अत्यन्त कठणाजनक बन गई। मेरी कुहनियों पर और एक घुटने पर बहुत तेज दर्द हो रहा था। बस उलटी पड़ी थी और यात्री एक दूसरे पर आड़े-तिरेछे होकर

पड़े बिल-बिला रहे थे। बस की राँडों पर रखा सामान और वैसे उन यात्रियों पर लदे पड़े थे। कुछ यात्री जैसे-तैसे उठकर खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और कुछ दबे-भिचे कराह रहे थे। मैं अपने स्थान पर ही पड़ा-पड़ा दब से कराह रहा था और देख रहा था कि मभी के सिर और हाथ-पावों में चोटें लगी थी। सबके कपड़े खून से तर हो रहे थे। मेरे पास ही कुछ लोग बेहोश हुए भी पड़े थे जिनके सिर या बदन के किसी अन्य भाग से रक्त की धाराएँ बह रही थीं। मैं तो पीछे की ओर था। भागे वालों को देख नहीं पा रहा था लेकिन वहाँ और भी हाल बेहाल था। सब लोग घपनी ही चोटों से बेहाल होकर कराह रहे थे। किसी में किसी दूसरे की सहायता करने की सामर्थ्य नहीं थी। सबसे बड़ी मुसीबत तो यह थी कि जो लोग जैसे-तैसे करके किमी प्रकार चल फिर सकते थे, उन्हें बस से बाहर निकलने का कोई तरीका ही नहीं सूझ रहा था। कुछ क्षण बाद ही कोहराम और भी जोर से मच गया—“बचाओ, बचाओ, धरे हम धरे! धरे हमें बहार निकालो” धाड़ की चीख पुकार ने वहाँ बहुत ही कण्ठजमक दृश्य उपस्थित कर दिया था।

5. उपचार एवं सहायता कार्य—उस स्थान से कुछ दूर ही एक पेट्रोल पम्प था। वहाँ बैठे लोगों ने टक्कर का घमाका अवश्य सुना होगा। लोग दौड़ कर भाये। भास-पास बनी ढाण्डियों में भी भावाज सुनी होगी। वहाँ से भी लोग हाथ में लालटेन और लाइटियाँ लेकर भा गये। उसी समय सामने से घाने वाली एक यात्री बस भी भाकर वही रुकी। उसने से भी लोग निकल कर भा गये। इन सब लोगों ने मिलकर उलटी हुई बस में से जैसे-तैसे यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया कुछ लोग खिड़कियों में से नीचे बस में उतरे। कुछ बस के ऊपर बैठे और कुछ नीचे लड़े हुए। बाहर से भावाजें भा रही थीं—“सबसे ज्यादा घायल लोगों को पहले निकालो।” बड़ी मुश्किल से भीतर वाले लोग उन घायलों की त्रिन्दा लाशों को खिड़कियों से बाहर निकालने लगे। धीरे-धीरे बस खाली होने लगी। जब कुछ जगह हुई तो दिखाई दिया कि काफी लोग मर चुके थे। ड्राइवर की केबिन में बैठे और खड़े मभी लोग परमात्मा को प्यारे हो गये थे। यह देखकर मे कौंभ उठा—‘हे भगवान ! अगर उस समय मैं पीछे की ओर नहीं जाता तो इस बस में आज मेरी भी जीवन-यात्रा पूरी हो जाती।’ धाखिर मेरा भी नम्बर आया और मुझे भी खींच-खान कर बाहर निकला गया। मैंने लड़े रहने की कोशिश की लेकिन मेरे घुटने में इतना तेज दर्द हो रहा था कि मैं खड़ा नहीं रह सका। मुझे घायलों की पक्ति में एक ओर लिटा दिया गया। सबके बाद मैं लाशों को निकाला गया। मैं अपने स्थान पर ही लेटा-लेटा गिन रहा था। कुल तेरह लोग मर गये थे जिनमें ड्राइवर और कण्ठकटर भी शामिल थे। सभी घायल लोग पड़े-पड़े कराह रहे थे। उनमें ‘भी कुछ की हालत चिन्ता-

जनक बनी हुई थी। उस बस का कोई भी यात्री बाल बाल नहीं बचा था। सभी चोट-प्रस्त होकर घायलों की पक्ति में पड़े थे। चीख पुकार और कराहट की आवाजों से वहाँ दृश्य ऐसा कलगा-जनक बन गया था कि परिचर्या में लगे लोगों की भी आँसुओं में आँसू आ रहे थे। कोई हमें पानी पिला रहा था तो कोई हवा बर रहा था और कोई घावा पर पट्टी बाँध कर खून को बहने से रोकने का प्रयास कर रहा था।

इसी स्थिति में करीब दो घंटे का समय बीत गया। दो घंटे बाद जयपुर से पुनिम की गाड़ियाँ, अस्पताल की एम्बुलेंस और डाक्टरों तथा नर्सों की टोलियाँ आईं। रात का समय था इसलिए मान-पाप के लोग गैस-लाइटों भी ले लाये थे। प्रकाश के कुछ साधन पुलिस वाले भी लाये थे। डाक्टरों और नर्सों ने बड़ी तत्परता से घायलों को देखना और चिकित्सा करना प्रारम्भ किया। जिन लोगों की हालत गंभीर थी उन्हें एम्बुलेंस में डालकर जयपुर ले जाया गया। लोगों को पुनिम के सुपुं दे कर दिया गया। मुझे देखकर डाक्टर ने बताया कि तुम्हारे घुटने पर चोट लगी है, इसलिए दर्द अधिक है। वैसे तुम भाग्यशाली रहे नहीं तो घुटने की हड्डी टूट भी सकती थी। थोड़ी महरम पट्टी बरके मुझे आराम करने की सलाह दे दी गई। एक गाँव वाले ने मुझे अपना गाँव चलने का प्रस्ताव किया और मैं उसको साइकिल के पीछे बैठकर गाँव चला गया।

6 उपसंहार—मैं दो दिन बाद ही बिलकुल ठीक गया किन्तु उस भीषण दुर्घटना की याद के घाव मेरे दिल में अब भी बरे नहीं हैं। कौसी भयानक थी वह रात! कौसा था वह करण जनक दृश्य! क्या बीती होगी उन लोगों के दिल पर जिनके परिजन इस दुर्घटना में मर गये थे। इनका दोष किसे दिया जाय क्या होनहार ही सब कुछ होता है? प्रादि वाले अब भी मेरे मस्तिष्क में खबर काटती रहती है। क्या होता यदि मैं भी मर गया होता। मेरे माता-पिता के दिल पर क्या बीतती? और जिन्हे मरना ही था वे जीवित कैसे रह सकते थे? यही है जीवन का रहस्य? लेकिन नहीं, मुझे मरना या ही नहीं तो मर कैसे सकता था? यही है होनहार की प्रबलता। इस दुर्घटना से एक बहुत गहरा रहस्य मेरी समझ में यह आया कि जीवन क्षण-भंगुर है। इसलिए अनुप्य जब तक जिये उसे सत्कार्यों और भलाई के कार्यों में ही लगा रहना चाहिए ताकि यकायक मृत्यु आजाने पर भी पछताना न पड़े।

17 | जब मेरा छोटा भाई मेले में खो गया

निबन्ध की रूप-रेखा

1. प्रस्तावना
2. मेले की योजना और तयारो
3. मेले की भीड़-भाड़, खेल-तमाशे और घामोद-प्रमोद
4. मेले में छोटे भाई का खो जाना
5. तलाश के लिए बौड़-घूष और चिन्ता
6. छोटा भाई का मिल जाना-हादिक प्रसन्नता
7. उपसंहार

1. प्रस्तावना—मानव-जीवन अनुभवों की एक पाठशाला है। मनुष्य अपने बाल्य-काल से ही विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करता रहता है और उसका प्रत्येक अनुभव उसे कोई न कोई एक पाठ पढ़ा देता है। अनुभव से प्राप्त ज्ञान ही सच्चा ज्ञान होता है। ऐसा ज्ञान स्थायी होता है और भविष्य में वह मनुष्य का पथ-प्रदर्शन भी करता है। एक कहावत प्रसिद्ध है—'मनुष्य ठोकर खाकर ही सम्हलता है।' यह ठोकर मनुष्य का कटु अनुभव ही है। जब एक बार किसी परिस्थिति विशेष में मनुष्य किसी कठिनाई में पड़ जाता है तो उसे उस कठिनाई से छुटकारा पाने के लिए न जाने क्या-क्या प्रयत्न करने पड़ते हैं और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। प्रयत्न करते रहने से देर-सवेरे उसकी वह कठिनाई और परेशानों तो दूर हो जाती है, किन्तु उसे वह एक ऐसा पाठ भी सिखा देती है जो उसे जीवन पर्यन्त याद रहता है। कठिनाइयों और परेशानियों का अनुभव करने के बाद वह भविष्य में उन भूलों और गलतियों को नहीं दोहराता, जिनके कारण उसे कठिनाई में पड़ना पड़ा था। इस कथन के प्रमाण में मैं अपना ही अनुभव आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

2. विषय-प्रवेश—बात अधिक पुरानी नहीं है। दो साल पहले की ही बात है। उन दिनों मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी था। मुझे मित्रों के साथ खेल-तमाशे देखने और घामोद-प्रमोद करने में विशेष आनन्द आता है। जब भी कोई ऐसा अवसर

घाता है, मैं उसका पूरा लाभ उठाने का प्रयत्न करता हूँ। भ्रष्ट का महीना चल रहा था। हमारे स्कूल खुल ही गये थे। वर्षा की रिम-रिम और पहाड़ों की हरियाली देख-देख कर कहीं न कहीं भ्रमण पर जाने की इच्छा बार-बार होती थी। विद्यालय में अपने मित्रों के साथ प्रायः रोज ही इस प्रकार चर्चा होती रहती थी, किन्तु कोई उपाय नहीं सूझता था। एक दिन मेरे एक मित्र परमेश्वर ने बताया कि यहाँ से करीब छ मील दूर पहाड़ी पर नीलकण्ठ महादेव का मन्दिर है। वहाँ एक पहाड़ी झरना और छोटा सा तालाब भी है। तालाब के किनारे हरियाली से ढका एक बहुत बड़ा मैदान है। प्रतिवर्ष भादों की अमावस्या के दिन वहाँ मेला लगता है, जिसमें हजारों लोग जाते हैं। सयोग से उस दिन रविवार भी है। क्यों न उस दिन हम भी वहाँ चलें? मेला भी देखेंगे और प्रकृति की रमणीक छटा का भी आनन्द लेंगे।" परमेश्वर का प्रस्ताव मुझे बहुत अच्छा लगा। एक-दो अन्य साथियों से भी चर्चा की। वे भी सहर्ष तैयार हो गये। अब तो केवल एक ही काम बाकी था—माता-पिता से अनुमति प्राप्त करना। जब मैंने पिताजी से रविवार के दिन मेले में जाने की इजाजत माँगी तो उन्होंने पहले तो थोड़ी आनाकानी सी की। अनेक प्रकार के प्रश्न भी मुझमें पूछे, लेकिन आखिर मेरी विनम्र हठ से प्रभावित होकर उन्होंने स्वीकृति दे दी। मैं खूब प्रसन्न हो गया। परमेश्वर और अन्य साथियों ने भी अपने घर से इजाजत ले ली थी हम लोग दो दिन तक मेले में जाने की तैयारी करते रहे और सुखद कल्पनाओं का आनन्द लेते रहे।

रविवार के दिन सुबेरे परमेश्वर और दो अन्य साथी मेरे घर आ गये। हम चारों मित्र मेले के लिए घर से खाना होने ही वाले थे कि पिताजी मेरे छोटे भाई टिक्कू का हाथ पकड़े हमारे पास आये और बोले, "रामू! यह तुम्हारा छोटा भाई बल से ही तुम्हारे साथ मेले में जाने के लिए मचल रहा है। इसलिए इसे भी साथ ले जाओ। और देखो, यह जरा छोटा है, इसलिए इसका ध्यान भी रखना। वैसे मैंने इसे खूब समझा दिया है। यह तुम्हें किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करेगा।" पिताजी का यह फैसला मुझे बहुत बुरा लगा। टिक्कू पर तो इतना शोध आया कि उसके दो-चार भाँपट जमा हूँ। लेकिन मन मसोस कर रह गया। पिताजी के फैसले के विरुद्ध यदि मैं उसे साथ में जाने में मना करता तो मुझे इस बात की, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह दे मुझे ही जितने से रोक देते। इसलिए परिस्थिति की गम्भीरता को नमस्कार मैंने मन्नतुर होकर उसे भी अपने साथ ले निदा और हम सब मेले के लिए चल पडे। रास्ते में कुछ दूर तक तो हम सब गुमसुम हो चलते रहे। मेरे मित्रों को भी टिक्कू का साथ चलना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमारा मूड

ठीक हो गया और हम प्रामता में हँसते-खेलते पहाड़ की ओर तेजी से भागे बढ़ने लगे।

जहाँ से पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती थी, वहाँ से उबड़-खाबड़ पत्थरों की एक चोटी घाटी बनी हुई थी। मग्न लोग उसी पर होकर चढ़ रहे थे, हम भी चढ़ने लगे। भीड़-भाड़ खूब थी। उस घाटी के सँकड़े मार्ग में भी स्त्री-पुरुषों की घक्कम-मेल खूब हो रही थी। हम पूरी सावधानी से चल रहे थे। रास्ते में रुक-रुक कर पहाड़ की हरियाली और प्राकृतिक दृश्यों का आनन्द लेते जाते थे। इस प्रकार चलते-चलते दोपहर बारह बजे हम मेले के प्रमुख स्थल पर पहुँच गये। पहाड़ की एक ढलान पर सुन्दर शिवालय बना हुआ था, जहाँ दर्शनास्थियों की भीड़ लग रही थी। “हर-हर शो” और “नील गंड की जय” की धावाजें दूर से ही सुनाई पड़ रही थी जो पहाड़ों की श्रृंखला से और भी गूँघुर लग रही थी। मंदिर से हट कर नीचे की ओर एक तालाब था जिसमें ऊपर से झरना गिर रहा था। बड़ा मनोहर दृश्य था वह। तालाब के किनारे से लगा हुआ ही एक विशाल समतल मैदान था जिस पर रंग-बिरंगी पोशाकें पहने लोग आमोद-प्रमोद में व्यस्त हो रहे थे। हमने पहले मंदिर में भगवान् शिव के दर्शन किये। फिर तालाब के किनारे झरने के पास ही बैठकर भोजन किया और फिर हम मैदान की ओर मेला देखने के लिए चल पड़े। मेले में चाय, नमकीन, मिठाई और चाट की दूकानें लगी हुई थी। एक ओर बिसाती के सामान की दूकानें थी। पेड़ों पर झूले लटक रहे थे जिन पर मन चले लोग झूला झूल रहे थे। गुब्बारे और पीपाड़ी की ‘पी पी’ धावाज करते हुए खिलौने वाले इधर-उधर चक्कर लगा रहे थे। आकाश में बादल छाये हुए थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। हम लोग भी उन मेले की रेल-वेल में शामिल हो गये और इधर-उधर घक्के खाते हुए मेले की मस्ती में खो गये।

हम लोग भागे-भागे चल रहे थे और टिक्कू हमारे पीछे-पीछे चल रहा था। इसी विश्वास की मन में लिए हम भीड़ में भागे ही बढ़ते चले गये। हम लोग अपनी मस्ती में इतने खो गये कि हम में से किसी ने भी मुड़कर नहीं देखा कि टिक्कू हमारे साथ था रहा है या नहीं। काफी दूर निकल जाने पर एक पकौड़ी वाले को गरम-गरम पकौड़ी उतारते देखकर हमारी पकौड़ी खाने की इच्छा हुई। उसकी दूकान के पास जाकर जब मुड़कर टिक्कू को देखना चाहा तो टिक्कू दिखाई नहीं पड़ा।

मैंने परमेश्वर से प्रार्थना तो उसने कहा, “अपने पीछे-पीछे ही तो था। न जले कहाँ रुक गया! आता ही होगा कोई खोज देखने के लिए रुक गया होगा।” भव हम वहाँ खड़े होकर उसकी प्रतिक्षा करने लगे। मुझे एक-एक मिनट खसने लगा। मैं उन तीनों को उसी जगह खड़े रहने के लिए कहकर पीछे की ओर

टिक्कू को ढूँढने के लिए गया। भीड़ को चीरता हुआ, इधर-उधर चारों तरफ घाँसे भ्रमण करता हुआ मैं फानी दूर चला गया, लेकिन मुझे टिक्कू कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं बहुत धवराया और बेचैन हो गया। तभी मेरे मस्तिष्क में यह विचार आया कि हो सकता है वह अब तक परमेश्वर वरुणा से जा मिला हो और मुझे भीड़ में घाता दिखाई न दिया हो। फिर भी मुझे अपने इस विचार पर पूरा विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए प्रबली वार में दूसरे रास्ते से चला और जोर-जोर से "टिक्कू! ओ टिक्कू" आवाज़ लगाता हुआ उसे मेले में ढूँढने लगा। काफी देर बाद मैं इधर-उधर चक्कर लगाता हुआ पकौड़ी वाले की दुकान पर पहुँचा। अपने साथियों से उसके तब तक भी वहाँ न पहुँचने का समाचार सुनकर मेरे होश उड़ गये। मेरे मन में यह विश्वास हो गया कि टिक्कू मेले में कहीं खो गया है और अब वह कैसे मिलेगा? मेरे साथियों का भी मेरे न पहुँचने तक तो उसके जल्दी ही मिल जाने की उम्मीद थी किन्तु मेरे खाली हाथ लौटने पर तो उनको भी चिन्ता हो गई। 'अब क्या किया जाए? उसे कहीं ढूँढा जाय और कैसे ढूँढा जाय? न जाने वह हमसे कहीं बिछड़ा होगा? न जाने वह हमारी तलाश में रोता हुआ कहीं भटक रहा होगा?' ये सब विचार मेरे मस्तिष्क में इन्नी तेजी से घूमने लग कि मुझे चक्कर सा घाने लगा और मैं दोनों हाथों में अपना मिर पकड़ कर जमीन पर बैठ गया। कानों में मेले की चहल-पहल और घूम-घडाके की आवाज़ें पड़ रही थीं। ये आवाज़ें मुझे बहुत बुरी लग रही थीं लेकिन इन्हें मैं कैसे रोक सकता था। मेरे तीनों साथी भी हक्के-बक्के होकर सोच में ही डूब रहे थे। मेले में पुलित तो थी किन्तु खोरे हुए या बिछुड़े हुए लोगों की सूचना देने का कोई निश्चित स्थान नहीं था। मैं विलकुल निराश हो गया मेरी आँखों में आंसू आ गये।

कुछ देर बाद परमेश्वर ने एक उपाय सुझाया। कहा, "वह है तो कहीं न कहीं इसी भीड़ में। क्योंकि जब हम भोजन करते इस तरफ घाँसे थे तो वह हमारे साथ था और इसी भीड़ में वह हमसे बिछड़ा है। इसलिए हम चारों चारों दिशाओं में जावें और जोर-जोर से आवाज़ें देते हुए भीड़ में तलाश करें और तलाश करने के बाद हम पुनः उती स्थान पर मिले जहाँ बैठकर हमने भोजन किया था। इस प्रकार यदि वह एक वार में नहीं मिला तो दूसरी-तीसरी वार में तो हम उसे कहीं न कहीं ढूँढ लेंगे।" यह सुझाव हम सबको पसन्द आया और हम तत्काल चारों दिशाओं में चल पडे। मैं और दो अन्य साथी तो काफी तलाश करने के बाद भी खाली हाथ ही लौटे, किन्तु कुछ देर बाद परमेश्वर टिक्कू का हाथ घाने आना मुझे दूर से ही दिखाई पड़ गया। मैं बेतहाशा दौटना हुआ उसके पास गया और उससे लिपट कर खूब रोया। वह तो न जाने कब से रो रहा था। उसकी आँखें लाल-लाल हो रही थीं। कुछ देर बाद हमारा चित्त शान्त हुआ। हम भरने के पान गये, हाथ-मुँह धोना और फिर एक मिटरई की दुकान पर जाकर पेड़ों और नमकीन खाई।

3. उपसंहार—धीरे-धीरे थोड़ी ही देर में हम पूर्ण स्वस्थ हो गये। बही हँसी-दिल्लीगी और मेले की मस्ती पुनः लौट आई। कुछ देर बाद हम घर के लिए लौट पडे। रास्ते में मैंने कहीं भी टिकटू का हाथ नहीं छोड़ा। इस घटना ने यद्यपि मुझे कुछ घटों के लिए ही परेशानी में डाला था किन्तु मुझे यह सीख हमेशा-हमेशा के लिए मिल गई कि जोश और मस्ती में होश कभी नहीं खोना चाहिए। इसी प्रकार संकट की घड़ी में भी धबकना नहीं चाहिए और निराश होकर बैठने के बजाय मौज-समझकर संकट से उबरने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उस दिन यदि परमेश्वर मेरे माथ न होता तो न जाने क्या होता! परमेश्वर ने ही संकट से उकारने का रास्ता बतलाया और घाबिर उसी में संकट से उबारा। इसलिए परमेश्वर को सदा साथ रखना चाहिए।

□□□

निबन्ध की रूप रेखा

- 1 प्रस्तावना—प्रकृति का रक्षक और विनाशकारी रूप
- 2 अतिवृष्टि होना और बाढ़ आ जाना
- 3 नागरिक सुरक्षा-संगठन की सक्रियता
- 4 बाढ़ पीड़ितों को सहायता
- 5 विनाशकारीता का प्रत्यक्ष दर्शन
- 6 उपसंहार

1 प्रस्तावना—प्रकृति जीव मान की पापक और रक्षक है। वर्षा में ही हमें पानी उपलब्ध होता है। नदियाँ, नालाव और अन्य जलाशय वर्षा की कृपा से ही जब से पूर्ण होने हैं जो हमारे जीवन में मूल आधार अन्न तथा अन्य खाद्य वस्तुओं के उत्पादन में हमारी सहायता करने हैं। वर्षा से ही भूमि पर जीव मात्र के लिए पोषण की धावश्यक सामग्री उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त वायु, प्रकाश और धूप में भी प्रकृति हमारे जीवन की रक्षा करती है। इस प्रकार प्रकृति के जितने भी रूप हैं वे सब जीवों के पोषण और रक्षा के लिए ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि यह रक्षक और पोषक प्रकृति घोर विनाशकारी रूप भी धारण कर लेती है। जिस वायु में हम श्वसन लेकर जीवित रहते हैं वही कभी-कभी प्रचंड वेग से बहने वाली आँधी और तूफान का रूप धारण करके व्यापक विनाश का कारण बन जाती है। भीषण गर्मी से तपने हुए प्राणी जिस वर्षा के आगमन की आनुरता में प्रतीक्षा करते रहते हैं और आकाश में उमड़ते बादलों को देखकर जिन वर्षा की आशा में उनकी आँखें आकाश की ओर टकटकी लगाकर देखती रहती हैं, वही वर्षा जब अतिवृष्टि का रूप धारण करके पृथ्वी पर गिरती है तो उनका प्राण-दायक स्वरूप प्राण-लेवा बन जाता है।

2. विषय प्रवेश—जयपुर में वर्षा के इतिहास में सत्रह-अठारह जुलाई 1981 की तारीखें महा याद रहेगी। जयपुर नगर और आस-पास के क्षेत्रों में सत्रह जुलाई को प्रातःकाल शुरू हुई वर्षा ऐसी जमी कि लगातार रात और दिन पूरे क्षीण घटो तक मूलतः बार वर्षा होती रही, जिसमें चालीस इंच पानी गिरा।

लोग अपने घरों में या अन्य स्थानों पर जहाँ कहीं भी वे थे, फँसे रहे। सब के मन भय से काँप रहे थे—'न जाने क्या होने वाला है !' इन प्रतिवृष्टि का प्रभाव कहीं कितना पड़ रहा है, इसका किमी को भी अनुमान नहीं था। घटारह जुलाई को प्रातःकाल रेडियो पर समाचार सुना तो पता चला कि जयपुर का रेल, सड़क और वायु इन सभी मार्गों से देश के अन्य भागों से सम्पर्क टूट गया है। जयपुर के उत्तरी भाग से निकल कर पश्चिमी भाग में होकर बहने वाला प्रमानीसाहू का नाला एक उफनती हुई नदी के रूप में बह रहा है और उमने मार्ग के सभी पुलों को तोड़ दिया है। समाचार सुनकर हम सब चिन्तित हुए। इस नाले में बहते हुए न जाने कौनसा मार्ग अपना लिया होगा और इसके बहाव क्षेत्र में पड़ने वाले स्थानों की जाने कौसी दुर्गति हो रही होगी। वर्षा रुके तो इन सब बातों की जानकारी करना सम्भव हो और प्रचार भी हो सके, पीड़ितों की सहायता करने का भी प्रयास किया जा सके, किन्तु वर्षा बमने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ क्षणों के लिए इसकी रफ्तार कुछ धीमी पड़ जाती, किन्तु फिर वही मूसलाधार पानी गिरने लगता। सब लोग अपने-अपने घरों में टपकती छतों के नीचे बँठे-बँठे राम-नाम जप रहे थे और किसी अनिष्ट की आशंका से भयभीत हो रहे थे।

श्राद्धि तीसरे दिन वर्षा रुकी। लोगों ने राहत की सास ली। मैं नागरिक सुरक्षा दल में सैंटर वार्डन का काम करता हूँ। इस दैवी विपत्ति के समय पीड़ितों की सहायताार्थ अपनी सेवाएँ अर्पित करने के लिए उत्सुक हो रहा था। तभी मुझे पोस्ट वार्डन का मदेश मिला कि मैं शीघ्रतिशीघ्र नागरिक सुरक्षा-दल के कार्यालय में पहुँच जाऊँ। सन्देश मिलते ही मैंने आवश्यक सामग्री साथ ली और निश्चिन्त स्थान पर पहुँच गया। वहाँ नागरिक सुरक्षा दल के सभी अधिकारी और स्वयं सेवक उपस्थित थे। कमान्डर बतला रहे थे कि जयपुर नगर के बाहर सभी दिशाओं में वर्षा से जन-जन की भारी हानि हुई है, किन्तु सबसे अधिक गम्भीर स्थिति जयपुर के दक्षिणी भाग में क्षागनेर कस्बे और कस्बे से आगे पड़ने वाले क्षेत्र को है जहाँ भीलो तक पानी फैला हुआ है और गाँव के गाँव जलमग्न हो गये हैं। हम सबसे पहले सहायता कार्य करके, पीड़ितों को राहत पहुँचानी है। भूटपट टोलियाँ गठित हुईं, प्राथमिक चिकित्सा तथा अन्य आवश्यक सामग्री एकत्रित हुई और पुलिस तथा फ़ायर ए. सी. के जवानों से लदे ट्रकों के साथ एम्बुलेंस गाड़ियाँ और हमारी जीपें घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ीं। हम क्षागनेर कस्बे से आगे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पानी एक विशाल भील की तरह बहा हुआ था। जहाँ तक दृष्टि जाती थी। पानी ही पानी नजर आता था। पानी में डूबे हुए पेड़ और कहीं-कहीं भूरेपडे भी नजर आते थे। काफी दूर एक छोटी पहाड़ी भी नजर आ रही थी। कमान्डर ने दूरबीन से देखा तो पता चला कि पेड़ों की डालों पर तथा पहाड़ी पर लोग चढ़े हुए हैं और सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आर. ए. सी. के जवानों ने नौकाएँ

पानी में उतार दी और हमारी टोलियाँ सहायता के लिए चल पड़ी। जहाँ पानी कम गहरा होना था वहाँ पत्तवार कभी तो किसी घराशाही हुए मकान के ढेर से टकरानो थी और कहीं कहीं मरे पशु की लाश से। इससे यह अनुमान सहज होता था कि इन पानी में न जाने कितने मनुष्यों और पशुओं की लाशें डूबी पड़ी होंगी, लेकिन इस समय तो हमें केवल जीवितों को ही बचाना था। पेड़ों के पास जाने पर हमने देखा कि बहुत से लोग पेड़ों की डालों से बन्दरों की तरह बिरटे भूखे-प्यासे जिन्दगी और मौत के बीच भूल रहे हैं। नौका का पेड़ के तने से बाँधा और और नर्सनी लगाकर स्वयं सेवक ऊपर चढ़े। उन मृतप्राय लोगों को बड़ी सावधानी से नीचे उतारा गया। प्राथमिक चिकित्सा की गई। छाने-पीने को दिया गया और नौकाओं से उन्हें सहायता शिविरो में पहुँचाया गया।

यह सहायता कार्य और राहत कार्य दिन रात चलते रहे। सरकारी सहायता दलों के अतिरिक्त अनक समाज-सेवी संगठन भी इन कार्य में जुटे थे। कोई धिबिरमा-व्यवस्था को देर रहा या तो कोई आवास-व्यवस्था को। कोई भोजन पानी की व्यवस्था में लगा था तो कोई पहनने-पोडने के वस्त्रों की व्यवस्था में लगा हुआ था। पानी में ऐसे जिन लोगों को शीघ्र ही नहीं निकाला जा सका, उनके पास हैलिकॉप्टरों से खाद्य-नामसों के पॅकेट गिराये जा रहे थे।

दो-तीन दिन बाद पानी धीरे-धीरे उतरने लगा। जब पानी उतरा तो उस क्षण का दृश्य बड़ा ही बीभत्स और करुणाजनक बन गया। टूटे-फूटे मकानों के टुकड़े बरिस्तान से दिखाई पड़ने लगे। वही मकानों के नीचे दबे पशुओं और मनुष्यों की लाशें दिखाई पड़नी लगीं। जब पानी बिलकुल उतर गया तो जमीन पर मनुष्यों और पशुओं की लाशें पड़ी दिखाई दीं। सहायता शिविरो से आ-आकर लोग अपने परिवारों की लाशों को पहचानने लगे। उनका करुण प्रन्दन सुनकर सहायता कार्य में लगे स्वयं सेवकों को भी रोना आ जाना था। कोई अपने पुत्र के लिए छाती पीट-पीटकर रो रहा था तो कोई अपने पिता, माता, पत्नी, पति अथवा भाई-बहन के लिए रो रहा था। उनमें कुछ तो ऐसे मन्दभागी भी थे जिनका नारा परिवार ही जल-समाधि लेकर उन्हें रोने के लिए दकेला छोड़ गया था। सहायता कार्य में लगे लोग उन्हें ढाँस बँधा रहे थे, किन्तु जिन्होंने अपनी भाँसाँ के भागे ही अपनी दुनियाँ को बरबाद होते देखा था, वे धीरे-धीरे कौसे धरते? वे रो-रोकर पागल हुए जा रहे थे। एक ग्रामीण ने हिचकिचाते लेंते हुए रो-रोकर बतलाया कि किस प्रकार उसकी भाँसाँ के सामने ही उसका सारा गाँव बरबाद होना रहा और वह सहाय बना देखता रहा। वह बिना मन्दभागी है कि इस पहाड़ से दुख को भेजने के लिए अनेका ही बचा है। इसी तरह का करुणाजनक विलाप सभी लोग कर रहे थे। एक बूढ़ा किसान तो अपनी दामाद की लाश से तिपटकर ऐसा रोया कि वह दृश्य

किमी से देखा नहीं गया। वह डकार-डकार रोता हुआ जो कुछ कह रहा था उसका सार यह था कि उसका दामाद उसकी बेटी को लेने दो दिन पूर्व ही गाँव में आया था। जब वाद आई तो उस समय वह खेत पर ही था। उसे खेत पर उस बूढ़े ने ही भेजा था। यदि वह भी गाँव में ही होता तो बूढ़े के साथ भागकर अपनी जान बचा लेता। कैसा दुर्भाग्यपूर्ण संयोग हुआ कि बूढ़े माँ-बाप बच गये और जवान बेटी-दामाद चले गये।

उसे पकड़कर स्वयं सेवकों ने अलग किया और जल्दी-जल्दी मनुष्यों की लाशों को वहाँ से हटाने लगे। मनुष्य तो कम ही बाढ़ की चपेट में आये थे, किन्तु पशु तो सभी मारे गये थे। उनकी लाशें दूर-दूर तक फँती पड़ी थी जिन्हें गिद्ध और कौए तोच-तोचकर खा रहे थे। लाशों में निबलने वाली दुर्गन्ध वायु-मण्डल में व्याप्त हो रही थी। शीघ्र ही उन मृत पशुओं को भी वहाँ से हटाने की व्यवस्था होने लगी। वहाँ की भूमि का यह हाल था कि पानी के कटाव में जगह-जगह गड्ढे बन गये थे और यह स्पष्ट प्रतीत होता था कि अब यह जमीन कृषि के योग्य नहीं रही है।

3 उपसंहार—अबबारा में इस विनाश लीला की चर्चा सुनियों में छपी। राज्य-सरकार ने सहायता और पुनर्वास के लिए विशेष प्रयत्न किये। केन्द्रीय सरकार ने डम देवी विपत्ति में पीड़ितों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित की। स्वयं प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हैलिकाप्टर से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया और राज्य-सरकार को प्रधानमंत्री सहायता कोष से एक बड़ी राशि सहायता के लिए स्वीकृति की। अनेक स्वयं सेवी मण्डलों ने भी सहायता कोष स्थापित किये और बाढ़-पीड़ितों को सहायता पट्टीबाँट दी। इस विनाश लीला की चर्चा लोग रोज ही अपने घरों पर, दुकानों तथा अन्य स्थानों पर इकट्ठे होकर किया करते थे। कोई कहता था—दुनिया में पाप और अन्याय बहुत बढ़ गये हैं, इसलिए ईश्वर ने कोप किया है तो कोई इस दुर्घटना को वैज्ञानिकों द्वारा किये जा रहे अणु-विस्फोट का परिणाम बतलाता था। भले तब इतना ही समझ पाया कि उत्पत्ति और मृत्यु ये दोनों प्रकृति के शाश्वत नियम हैं जो सदा चलन आये हैं और चलने रहेंगे।

निबन्ध की रूप-रेखा

- 1 प्रस्तावना
- 2 मेरे एक मित्र का शरारती स्वभाव
- 3 कुछ शरारतें
- 4 वह शरारत जो मँहगी पड़ी
5. उपसंहार

1 प्रस्तावना—किसी कवि की एक उक्ति प्रसिद्ध है—‘तेरे मन कुछ और है, दाता के कुछ और।’ यह उक्ति बड़ी सार्यंक् और मही है शायद किसी ने अपने जीवन के अनुभवों का सार इस उक्ति में भरने का प्रयास किया है। हमारे जीवन में अनेक अवसर ऐसे आते हैं, जब हम कोई कार्य करने तो किसी प्रन्थ उद्देश्य से है और परिणाम कुछ और ही सामने आता है। हम किसी विषय में सोचने कुछ और है, होना कुछ और है। कभी कभी हमारे जीवन में घनायाम ही ऐसी घटनाएँ घटित हो जाती हैं, जिनको हम कल्पना भी नहीं करते। कभी हम बड़े अपराध करने भी निर्दोष ही बने रहने हैं और कभी हमारी साधारण सी भूल भी बहुत घानक सिद्ध हो जाती है। ऐसा हमेशा ही होता हो यह बात तो नहीं है, किन्तु अनेक बार जब ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं तो यह मानने को बाध्य होना ही पड़ता है कि इस बचन में मच्चाई है।

2 शरारती स्वभाव और शरारतें—मेरी कला का एक छान है—शैतान मिह। उसका यह नाम ‘यथा नाम तथा गुण’ की कहावत चरितार्थ करता है। या तो किसी ज्योतिषी ने उसकी ग्रह-दशा को देखकर ही उसका यह नाम मुझाया होगा और या फिर बचपन में उसके शरारती स्वभाव के प्रकट होन पर उसका नामा विना न यह नाम रखना उचित समझा होगा। या यह भी हा सवता है कि जापानियों की मान्यता के अनुसार बापक का हम जैसा नाम रखते हैं, बडा होने पर वह वैसा ही बन जाता है, उसका प्यार में नाम शैतान निह रख दिया हो और फिर नाम के साधार पर ही उसमें शरारत के गुण विकसित हो गये हो। जो भी हो, हममें सन्देह नहीं कि उसका नाम शैतान सिह यथार्थ है।

शैतानियों में उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए वह शैतानों का राजा 'शैतान-सिंह' ही है।

कद में वह बहुत छोटा है। शरीर से भी दुबला-पतला और कमजोर ही दिखाई पड़ता है। रंग-रूप में वह बहुत खूबसूरत और भोला-भाला ही दिखता है। उसकी मासूम शक्ल को देखकर कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह एक खतरनाक शरारती लडका होगा। मुझ से वह पक्की मित्रता रखता है, यद्यपि मैं उसमें बहुत मावधान रहता हूँ और डरता भी हूँ, लेकिन वह हमेशा मुझे अपने साथ रखता है और मुझमें कभी शरारत न करके 'एक घर तो डायन भी छोड़ती है' वाली बहावत धरितार्थ करता है। मुझे अपने साथ रखने का कारण भी मैं जानता हूँ। मैं शरीर से लम्बा-चौड़ा और हृष्ट-पुष्ट हूँ। जब कभी शरारत के कारण उसकी पिटाई की नीवत घा जाती है तो मैं उसकी रक्षा कर देता हूँ। उसके साथ रहने में मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि उसकी शैतानियों के फलस्वरूप जब कोई विभिन्न परिस्थिति बनती है तो मुझे भी देखने में खूब मजा आता है।

कक्षा में लडकों से छेड़-छाड़ करना, किमी की किताब किमी दूसरे लडके के बैले में रखकर उसे चोर भावित कर देना, किमी लडके की किसी अभ्यापक से झूठी तिकायत करके उसे पिटवा देना, दो गहरे मित्र लडकों को उल्टी-सीधी वानें समझाकर उनमें लड़ाई-भगडा करवा देना, फुटबाल की टीम में उसे शामिल न करने पर मंच शुरू होने ही चुपके से गेंद में सुई चुभाकर खिलाड़ियों को परेशानी में डाल देना और प्याऊ में रहे चपरामो के भोजन के साथ घाई सच्ची-मे खूब सारा नमक मिलाकर उसके भोजन का मजा किरकिरा कर देने के साथ-साथ घर पर उसका उसकी घरवाली से भगडा करवा देना आदि अनेक ऐसी शैतानियाँ वह करता ही रहता है और शैतानियों का पर्दा खुलने से पहले ही हमें बतला देता है, जिससे हम वह परिस्थिति उत्पन्न होने पर खूब हँसते और मनोरंजन करते हैं। इस प्रकार की शरारतें करना उसके लिए बहुत साधारण बात है, लेकिन उनका मस्तिष्क तो शैतानियों का घर है क्योंकि उसे किस स्थान अपना परिस्थिति में क्या शरारत शुरू पड़ेगी, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।

एक रोज 'नाग पञ्चमी' के दिन स्कूल में जल्दी ही छुट्टी हो गई। हम घर पर किताबें रखकर मेला देखने गये। हम कुल पाँच लडके साथ थे, जिनमें शैतान सिंह भी था। मेने में खूब भीड़ थी। स्त्रियाँ टोनी धना-चनाकर गीत गाती हुई आ जा रही थी। स्थान-स्थान पर कान-देविये (सपेरे) साँपो के पिटारे लिए बैठे थे और वीन बजा-बजाकर काने भयकर साँपो को नशा रहे थे। दर्शक उन्हें नाग-देवता समझकर पंमे चड़ा रहे थे। एक गुब्बारे वाला गुब्बारों में गैस भर-भरकर बेच रहा था। गैस से भरे गुब्बारे हवा में ऊँचे उठ रहे थे, जिन्हें उसने

धागों में बाँधकर हाथ में पकड़ रखा था। उसकी खूब बिक्री हो रही थी। उसके हाथ में बहुत सारे बड़े-बड़े गैस से भरे गुब्बारों के धागे सटक रहे थे। कहीं-कहीं गरमागरम पकौड़ी और चाट की दूकानें लगी हुई थीं। हम खूब मस्ती से इधर-उधर घूम रहे थे और मेने का ध्यान ले रहे थे। शैतान सिंह हमारे साथ ही था और कोई भी शरारत नहीं कर रहा था। मैं जानता था कि वह कोई शरारत सोच रहा होगा। भ्रवसर मिलने ही कर डालेगा। चलते चलते हम एक कालबेलिये के सामने जाकर रुके। उसने गने में एक बड़ा सा काला सर्प डाल रखा था और वह ऐसा दिखता था जैसे भगवान शिव ही विराजमान हो रहे हो। उसके सामने रबे पिटारे में और भी अनेक साँप थे, जिन्हें वह दर्शनापियों को दिखा दिखाकर पैसे कमा रहा था। कुछ क्षण बाद ही शैतान सिंह ने मेरे कान में कहा, "तुम जरा यहीं खड़े रहना। मैं अभी आता हूँ।" यह कह कर वह वहाँ से खिसक गया। कुछ देर बाद आकर उसने कालबेलिये से कहा, "बाबा! तुमको उधर मेरे पिताजी बुला रहे हैं। वे तुम्हारा एक फोटो खींचेंगे यहाँ तुम्हारे पिटारे के पास मैं बैठा हूँ। किसी को हाथ नहीं लगाने दूँगा।" यह कहकर उसने कुछ ही दूर खड़े एक मोटे से आदमी की ओर इशारा किया, जिसके हाथ में एक कंमरा भी था। कालबेलिया थोड़ा किभका तो जरूर। उसने पिटारे को उठाना भी चाहा, लेकिन फिर शायद मह सोचकर कि इस पिटारे को कौन ले जायगा? और पिटारा उठाने पर उसकी यह जगह छूट जायेगी। यह बालक बैठा ही है—उसने पिटारे को ठीक से बन्द किया और कुछ कमाई की आशा में फोटो खिंचवाने के लिए चल पड़ा। उसके कुछ दूर जाते ही शैतान सिंह ने फुर्ती से उस पिटारे को उठाया और पास ही खड़े गैस के गुब्बारे वाले के पाँवों की तरफ फेंक दिया और भाग खड़ा हुआ। पिटारा खुलते ही साँप निकल पड़े। हड़बड़ाहट में गुब्बारे वाले के हाथ से गुब्बारों का गुब्बारा छूट गया और गुब्बारे आकाश में उड़ गये। साँप तेजी से इधर-उधर चलने जा रहे थे और मेले में हड़कम्प मचा हुआ था। चारों तरफ ऐसी भगदड़ मची कि आदमी पर आदमी गिरने लगे। किसी की ममरू में नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है? कुछ देर बाद लोगों के भाग खड़े होने से मैदान खाली हुआ तो उसमें कुछ साँप रेंगने नजर आये। कुछ देर में वह कालबेलिया घबराया हुआ आया और उसने गिन गिनकर साँपों को इकट्ठा किया। उसके और गुब्बारे वाले के वतलाने पर लोगों को पता चला कि यह एक लडके की शरारत थी। लोग उसे ढूँढ़ने लगे, लेकिन वह उन्हें कहीं मिल सकना था? हम भी वहाँ से जल्दी से टरक गये, क्योंकि हमें यह डर था कि कोई यह न कह दे कि वह लडका इनका साथी ही था।

3. शरारत जो मँहगी पड़ी—श्रीर भी सुनो—हम जब विद्यालय से घर लौटते तो शैतान मिह रास्ते में अनेक शरारतें करता चलता था। सामने से आने वाली साइकिलों के पास आते ही वह कुछ ऐसा अभिनय करता कि साइकिल सवार हड़बड़ा जाता और मनुलन खोंकर गिर पड़ना। तब फिर शैतान सिंह उसे उठाता और प्यार से कहता “भैया ! जरा ध्यान से चला करो।” बेचारा साइकिल सवार शर्मिन्दा होकर अपनी चोट को सहलाता हुआ चला जाता। कभी ताँगे के पाम से गुजरने पर घोड़े के पावों में पटाखा चलाकर घोड़े को मचला देता और ताँगे के चालक, उसमें बैठी सवारियों और अन्य राहगीरों के लिए मुसिवत खड़ी कर देता। एक दिन विद्यालय से घर की ओर आने समय रास्ते में सामने से उसे एक मोटर साइकिल आती दिखाई दी। उसने शरारत मोच ली। जब मोटर साइकिल हम में कोई दम गज ही दूर होगी, उसने विचित्र सी आवाज करके चालक का ध्यान भंग कर दिया। ध्यान भंग होने ही उसका मनुलन बिगड़ गया। दूसरे ही क्षण मोटर साइकिल ने शैतान सिंह को जोरदार टक्कर मारी। चालक तो बाल-बाल बच गया, लेकिन शैतान सिंह को एक पाँव और एक हाथ की हड्डी टूट गई। उसके निर मे भी चोटें आईं। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके सारे कपड़े मून से लथपथ हो गये। बाजार में भीड़ इकट्ठी हो गयी। मोटर साइकिल के चालक की खूब पिटाई हुई। कुछ ममभदार लोगों ने आकर उसे बचाया। एक टैक्सी में डालकर वह चालक और कुछ अन्य लोग उसे अस्पताल में ले गये हमने दौड़कर उसके घर पर खबर की।

4 उपसहार—करीब तीन महीने बाद वह अस्पताल से ठीक होकर आया। उसके हाथ की हड्डी तो ठीक से जुड़ गई, लेकिन पाँव की हड्डी जुड़ने में थोड़ी कसर ही रह गई। इसलिए वह घब घबने में लगडाना है। उसकी पढाई का एक वर्ष बरबाद हो गया और उसके इलाज में भी करीब पाँच हजार रुपये खर्च हो गये। अब वह शरारत बिल्कुल नहीं करता है। एक दम सीधा-सादा लटका बन गया है। मैं जब उसके दुर्घटना से पूर्व के जीवन की याद करता हूँ कि वह कितनी शरारतें करता था। हर बार अपनी शरारत से दूसरों को मंकेट में डालकर स्वयं पूर्ण सुरक्षित रहता था और खूब हँसता था। मेरे विचार में यह उसका पार-कर्म ही था। उसे उसकी शरारतों का अधिक मूल्य चुकाना पड़ा। अब वह जीवनभर लगडा ही रहेगा। उसे यह एक ऐसी हानि हुई है जो कभी भी किसी प्रकार से पूरी नहीं हो सकती।

मतदान के दिन की एक मनोरंजक घटना

20

निबन्ध की रूप रेखा

- 1 प्रस्तावना—चुनाव जनतंत्र का मूल आधार
- 2 दोष-पूर्ण शासन प्रणाली
- 3 मतदान-केन्द्र की एक मनोरंजक घटना
- 4 घटना का प्रभाव और प्रतिक्रिया
- 5 उपसंहार

1. प्रस्तावना—चुनाव जनतंत्र का मूल आधार है। निर्वाचन के द्वारा ही यह निर्णय होता है कि जनता का बहुमत किस दल अथवा उम्मीदवार के पक्ष में है। शासन-प्रक्रिया में जनता की भागीदारी चुनाव के द्वारा ही होती है। पाँच वर्ष में या इससे पूर्व जब भी विधान-सभाओं, लोक सभा अथवा ग्राम-पंचायतों के चुनाव होते हैं, तो जन-समर्पण प्राप्त करने के लिए सभी उम्मीदवारों को जनता के सामने आना पड़ता है और उनके आक्रोश को भी सहन करना पड़ता है। एक साधारण सा व्यक्ति भी जब किसी बड़े और अत्यन्त प्रभावशाली नेता को खरी खोटी मुना देता है, तो वह उसे बड़े सद्भाव से नतमस्तक होकर सुन लेता है। उस समय उस मतदाता को यह प्रह्लास होता है कि उसके मत का कितना अधिक मूल्य है। चुनाव में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवार मतदाताओं की तुशामद करते हैं और उन्हें हर प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। मतदाता भी उम्मीदवारों की गर्जों को खूब समझता है, इसलिए वह भी जितना ही सचता है, उस अवसर का लाभ उठाने का प्रयत्न करता है।

2. दोष-पूर्ण शासन-प्रणाली—हमारे देश में जनतंत्र अभी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही है। चुनाव-प्रणाली में बहुत से दोष हैं, किन्तु जिन राजनैतिक दलों को दोषपूर्ण चुनाव-प्रणाली से ही लाभ मिलता है, वे इसमें सुधार की बातें कदो सोचने लगे? अन्य दल भी चुनाव प्रणाली में सुधार करने की बातें तो करते हैं, किन्तु इसके लिए ईमानदारी से वे भी प्रयत्न नहीं करते, बल्कि इस प्रणाली की क्षामियों से वे भी लाभ उठाने का ही प्रयत्न करते रहते हैं।

हमारी चुनाव-प्रणाली का सबसे बड़ा दांप यह है कि यह खर्चीली बहुत है। जिसके पास चुनाव में खर्च करने के लिए खूब धन होता है, वही चुनाव लड़ता है और वही चुनाव जीत भी जाता है। पैसा एक ऐसी चीज है जिसके लालच में कोई भी फँस जाता है और हमारे देश में-जहाँ गरीबों और दरिद्रों की संख्या खूब है-पैसा बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाता है। हमारे देश में तो पैसों से वोट ही नहीं ईमान और धर्म भी खरीदा जाता है। पैसों की इस शक्ति और दमना से राजनैतिक दल तथा उम्मीदवार पूर्णतया परिचित हैं और चुनाव के समय वे पैसों को पानी की तरह बहाकर अपने पक्ष में अविशुद्ध मन प्राप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। पैसा खर्च करने की विधियाँ भी वे जानते हैं और समय, स्थान तथा व्यक्ति के अनुसार नये-नये तरीकों की खोज और ईजाद करते रहते हैं।

3. मतदान केन्द्र को एक घटना—राजस्थान विधान सभा के चुनाव हो रहे थे। हमारे क्षेत्र में कुल पाँच उम्मीदवार मैदान में बचे थे, जिनमें दो के बीच ही काँटे की टक्कर थी। शेष तीन उम्मीदवार तो नगण्य थे। उन्हें शायद वोट काटने के लिए ही पैसा देकर किसी उम्मीदवार ने खड़ा किया था। चुनाव के दिन सभी मतदान केन्द्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ लगी हुई थी। उम्मीदवारों के समर्थक और कार्यकर्ता खूब दौड़ घूम कर रहे थे मतदान केन्द्रों के बाहर तम्बू लगे हुए थे, जिनमें बैठे कार्यकर्ता मतदाताओं की परिचायिकाएँ काट रहे थे। चाय की दुकानों, पान-सिगरेट की दुकानों तथा अन्य स्थानों पर लोगों की भीड़ लग रही थी। रंग-बिरंगी पोशाकें पहने स्त्री-पुरुष मतदान केन्द्रों पर आ-जा रहे थे और एक अच्छे-खासे मेले का सा दृश्य उपस्थित हो रहा था। लोग अपने-अपने कपड़ा लगाकर जीत-हार के दावे कर रहे थे।

मतदान-केन्द्रों के भीतर प्रत्येक उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट बैठे थे जो मतदाताओं की शिनाहती का काम कर रहे थे। वे पूर्ण सतर्क और चौकले थे। वे बराबर इसी बात की चौकसी कर रहे थे, कि कोई नकली मतदाता मतदान न कर सके। शुरु के चार घण्टों में मतदान की गति बहुत तीव्र रही। इन अवधि में किसी भी मतदान केन्द्र पर न किसी प्रकार का तनाव पैदा हुआ और न ही कोई झगड़ हुआ। मतदान का कार्य शान्तिपूर्वक चलता रहा। जब मतदाताओं की संख्या बहुत कम हो गई तो उम्मीदवारों के कार्यकर्ता अपनी-अपनी मतदाता सूचियाँ लेकर मतदाताओं को घरो पर टटोलने लगे और जिन्होंने मतदान नहीं किया था, उन्हें पहले मतदान कर आने का आग्रह करने लगे। इन अभियान के दौरान ही एक उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं को पता चला कि रामस्वरूप नाम के एक युवक की बहू यहाँ नहीं है, वह अपने मायके में गयी हुई है। संयोग से उनके यहाँ कुछ मेहमान भी आये हुए थे, जिनमें एक शादीशुदा युवती भी थी। कार्यकर्ताओं ने सोचा कि यह युवती घूँघट में जाकर अपना नाम तारा तथा पति का नाम

रामस्वरूप बतलाकर वोट दे दे तो एक वोट अपने पक्ष में धीर बढ़ सकता है। युक्ति तो बड़ी अच्छी सूभी थी, लेकिन वह युवती धीर उसके घर वाले मानें तभी तो। इस योजना की श्रियान्विति के लिए दौड़ धूप शुरू हुई। पहले तो सबने साफ मना कर दिया, लेकिन फिर उन पर न जाने क्या जादू हुआ कि वे सब ही तैयार हो गये। विपत्ती कार्यकर्ता भी गलियो में ही चक्कर लगा रहे थे। उन्हें वस्तुस्थिति का तो ज्ञान नहीं हुआ, किन्तु वे इतना अवश्य समझ गये कि दान में कुछ काला है। इसलिए उन्होंने वहाँ अपने गुप्तचर छोड़ दिये और पोलिंग एजेंटों को सावधान कर दिया।

दिन में करीब दो बजे मतदान केन्द्र पर एक युवती लम्बा घूँघट पहनाए एक छोटी बालिका को साथ लिए आयी। उस समय मतदान केन्द्र पर भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं थी। उस बालिका का तो पुलिस के सिपाहियों ने बाहर ही रोक लिया, युवती भीतर प्रविष्ट हो गई। जब वह मतदान अधिकारियों के सामने जाकर खड़ी हुई तो कुछ घबड़ाई हुई सी थी। पोलिंग एजेंट पहले से चौकने लगे। उसने अपने हाथ की पच्ची प्रथम मतदान अधिकारी को दी। उसने मतदाता सूची में उसका नम्बर ढूँढा और उससे अपना नाम बतलाने के लिए कहा। वह चुप रही। उसमें दुबारा और निबारा नाम पूछा गया, लेकिन वह चुप ही रही। चौथी बार मतदान अधिकारी के नाराज ने होकर बोलने से वह धीरे में बोली, "इस पच्ची में मेरा और मेरे पति का नाम लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए।" मतदान अधिकारी को कुछ मन्देह हुआ। उसने उसे सम्मानने हुए कहा, 'आप पढ़ी लिखी मालूम होती हैं। आप को अपना नाम बतलाने में क्या आपत्ति है? जब तक आप अपने मुँह से अपना नाम नहीं बतलावेंगी हम आपको वोट नहीं डालने देंगे।' यह कहकर उसने फिर उससे पूछा, "आपका नाम?" युवती ने धीरे से कहा, "तारा।" अधिकारी ने दूसरा प्रश्न किया, "क्या आप रामस्वरूप की बीवी हैं?" युवती के मुँह से अनायास ही निकल गया, "नहीं।" उस समय तक वह भोली भाली लड़की काफी घबरा चुकी थी। घोट देना गया भाव में। वह ता जल्दी से जल्दी पीछा छोड़कर भागना चाहती थी। जब मतदान अधिकारी ने उससे पुनः पूछा, "आप उन्टे-मीधे जवाब क्या दे रही हैं? साफ-साफ बतलाइये कि आपके पति का नाम रामस्वरूप है या नहीं?" युवती ने पीछा छोड़ने की नीयत से साफ-साफ कह दिया, "नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरा नाम भी तारा नहीं है। मैं तो किसी के कहवाने में से आकर वोट देने आयी थी। अब मुझे वोट भी नहीं देना है।" यह कहकर वह तेजी से मतदान केन्द्र के बाहर निकलने के लिए चक्कर पड़ी। पोलिंग एजेंट तो पहले से ही सावधान थे। उन्होंने लपककर उसका रस्ता रोक लिया और उसे कहवाने वाले व्यक्ति का नाम बतलाने के लिए उस पर दबाव डालने लगे। इधर मतदान अधिकारियों से उसे गिरफ्तार करने के लिए कहने लगे। उसे कहवाने वाले कार्यकर्ता भी बाहर ही खड़े थे। गडबड हानी देकर वे भी

भीतर दौड़ घाये । वे उसे जबरदस्ती मतदान केन्द्र से बाहर निकालने का प्रयास करने लगे । इतनी ही देर में दोनों ही पक्षों के कुछ और लोग भी भाग गये । अब वह मतदान-स्थल एक मुद्द-स्थल बन गया । पुलिस के जबान उन्हें रोक रहे थे और किसी तरह भगडा टाल रहे थे, लेकिन टाल कैसे सकता था ? पहले जोर-जोर में कहा-सुनी हुई और फिर लात-धूसों से मारपीट शुरू हो गई । भगडा उस युवती को लेकर ही हो रहा था । इसलिए वहाँ तैनात पुलिस के सिपाही ने उस लडकी को हाथ पकड़ कर एक तरफ खड़ी कर दी और पुलिस के उड़न दस्तों को टेलीफोन करने चला गया । उधर दोनों पक्षों के लोग धूसम-धूसम में व्यस्त थे । लडकी मौका पाकर वहाँ से खिसक गई और सीधे अपने घर पहुँच गई ।

कुछ ही देर में वहाँ सशस्त्र पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट आ पहुँचा । पुलिस को देखते ही समाजवीनों की भीड़ तो भाग खड़ी हुई । भगडा करने वाले दोनों ही पक्षों के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया । मजिस्ट्रेट ने मुख्य मतदान अधिकारी से मामले की जानकारी की और यह जान कर संतोष प्रकट किया कि उन्होंने फर्जी मतदान करने वाली लडकी को मतदान नहीं करने दिया । मतदान का कार्य पुनः शुरू हो गया ।

4 प्रभाव और प्रतिक्रिया—पुलिस तो वहाँ पहले ही भारी तादात में जमा हो चुकी थी, थोड़ी देर में ही वहाँ बड़े-बड़े नेताओं की जीपें आने लगी । मतदान केन्द्र के बाहर और आस-पास नेता ही नेता एकत्रित हो गये । दोनों पक्षों के नेता अपने-अपने कार्यकर्ताओं को छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे । इसके अतिरिक्त एक पक्ष के नेता उस लडकी को घर से गिरफ्तार करने की माँग कर रहे थे तो दूसरे पक्ष के नेता इस माँग का विरोध कर रहे थे । अखबारों के संवाददाता नेताओं की बातचीत को नोट कर रहे थे और तस्वीरें खींच रहे थे । आखिर दोनों पक्षों में समझौता हो गया । लडकी को गिरफ्तार करने की माँग वापस ले ली गई । मजिस्ट्रेट ने कार्यकर्ताओं की जमानतें लेकर उन्हें हिरासत से मुक्त कर दिया । बड़े नेता चले गये और मतदान शक्तिपूर्वक होने लगा ।

5. उपसंहार—घर-घर और गली-गली में इस घटना की चर्चा हो रही थी । कोई कहता था, उस लडकी के घर वालों ने फर्जी मतदान कराने का एक हथार रपया लिया था और कोई कहता था सो रपये ही लिए थे । जितने मुँह उतनी बात । मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता कि रामस्वरूप के परिवार वालों को इस घटना से कितनी आत्म-म्लानि हुई होगी किन्तु उस घटना के बाद कई दिनों तक उस परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर दिखाई नहीं दिया, हो सकता है कि सब तीर्थ-यात्रा करने चले गये हैं ।

निबन्ध की रूप-रेखा

1 प्रस्तावना

2 उत्सव की तैयारी

3. उत्सव का आयोजन—मुख्य प्रतिथि का स्वागत—सांस्कृतिक कार्यक्रम—
वार्षिक रिपोर्ट—पुरस्कार वितरण—मुख्य प्रतिथि का आशीर्वाद—विज्ञान
प्रदर्शनी का उद्घाटन—जलपान कार्यक्रम

4. उपसंहार

1 प्रस्तावना—शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। कक्षा के कमरों में विभिन्न विषयों की शिक्षा देने के साथ-साथ विद्यालयों में अनेक ऐसे कार्यक्रम और प्रवृत्तियों का संचालन भी होना है जिनसे छात्रों के बौद्धिक विकास के साथ-साथ उनका शारीरिक, चारित्रिक और सामाजिक विकास भी होना है। शारीरिक विकास के लिए खेल-कूद, योग, जिमनास्टिक तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन होता है और चारित्रिक तथा सामाजिक गुणों के विकास के लिए बालचर, एन. सी. सी., रेडक्रास, समाज-सेवा, भ्रमण तथा अनेक प्रकार के उत्सवों एवं समारोहों का आयोजन किया जाता है। समारोहों और उत्सवों में प्रमुख उत्सव वार्षिकोत्सव होता है जिसमें विद्यालय के सभी छात्र भाग लेते हैं। यह उत्सव प्रतिवर्ष जनवरी माह में आयोजित होता है। इसके आयोजन में छात्र अत्यन्त उत्साह से भाग लेते हैं। जैसी लगन और उत्साह वे इस उत्सव के आयोजन में प्रदर्शित करते हैं, वैसे उत्साह अपने पारिवारिक उत्सवों में भी नहीं दिखाते। अनेक दृष्टियों से यह उत्सव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे विद्यालय में भी प्रतिवर्ष वार्षिकोत्सव मनाया जाता है। पिछले वर्ष मनाया गया वार्षिकोत्सव विद्यालय के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ रहा था। ऐसी मान्यता विद्यालय के छात्र, अध्यापक तथा सरक्षक सभी ने व्यक्त की थी।

2 उत्सव की तैयारी—दिसम्बर का महीना जैसे ही समाप्त होने लगा, विद्यालय के छात्रों ने अध्यापकों तथा प्रधानाध्यापक जी से वृद्धता प्रारम्भ कर दिया कि इस वर्ष वार्षिकोत्सव कब मनाया जाएगा। सभी छात्र उत्सव की तैयारी में जाने को भातुर होने लगे थे। सभी के दिम में उमंग थी कि इस उत्सव में कुछ

महत्त्वपूर्ण कार्य करने का थोड़ा प्राप्त करें। एक जनवरी को नये वर्ष का बधाई-सन्देश देने हुए प्रधानाध्यापक जी ने प्रार्थना सभा में घोषणा की कि इन वर्ष विद्यालय का वार्षिकोत्सव द्वासीस जनवरी को मनाया जायेगा। इस घोषणा का सभी छात्रों ने हर्ष के साथ तालियाँ बजाकर स्वागत किया। उसी दिन अध्यापकों की एक मीटिंग हुई और विभिन्न बाजों की तैयारी के लिए समितियों का गठन हो गया। दूसरे दिन ही उत्सव की तैयारी प्रारम्भ हो गई। समितियों ने छात्रों की रचि और योग्यता के अनुसार उनमें काम बाँट दिया और सब लोग उत्सव की तैयारी में जुट गये। प्रधानाध्यापक जी ने दो दिन बाद ही छात्रों को सूचित किया कि इन बार वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा-मंत्री महोदय पधारेंगे। इसलिए उत्सव की तैयारी में किसी प्रकार की भी कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रधानाध्यापक जी की इस घोषणा का कुछ ऐसा जादू हुआ कि अध्यापकों तथा छात्रों में उत्सव की तैयारी करने की होड़ लग गई। विद्यालय-भवन के उपरान्त शाम तक और कभी-कभी तो रात तक भी छात्र तथा अध्यापक तैयारी में जुटे रहते थे। भेरा चपन सांस्कृतिक कार्यक्रम में किया गया था। हम सभी मन लगाकर अपने कार्यक्रमों की तैयारी करते रहे। विद्यालय-भवन की सफाई हुई, सजावट की तैयारी हुई, रंगमंच बना, निमन्त्रण-पत्र वितरित किये गये और तैयारी करने-करते ही 21 जनवरी का दिन घा गया। उस दिन विद्यालय का तोरण-द्वार, शाला का प्रांगण, प्रधानाध्यापक-कक्ष और रंगमंच इस प्रकार सजाये गये कि लगता था किनी राजा के घर उसकी कन्या का विवाह हो और बरात आने वाली हो। इन सारी सजावट की एक विशेष बात यह थी कि सजावट का सारा कार्य अध्यापकों के मार्गदर्शन में छात्रों ने ही किया था। किनी बाहर के व्यक्ति से कोई सहायता नहीं ली गई थी। अपने कार्य को देखकर सभी लोग भागवस्त मोन प्रमत्त थे। सब लोग अपनी तैयारी को अन्तिम रूप दे रहे थे। घड़ी की सुई भी धूम रही थी।

3. उत्सव का आयोजन—शाम के चार बजे और पी. टी. आई. जी की विशिल की भावाज प्रांगण में पूँज उठी। सब छात्र इधर-उधर से दोड़-दौड़ कर आये और प्रांगण में लाइन बनाकर खड़े हो गये। पी. टी. आई. जी ने भावश्यक निर्देश दिये और सब छात्र अपने-अपने स्थानों पर बैठ गये। लाउडस्पीकर पर देश-भक्ति के गानों की आवाज पूँज रही थी। प्रधानाध्यापक जी तथा अन्य अध्यापकों के कोठों पर बैज लगे हुए थे और वे व्यवस्था में इधर-उधर आते-जाते बड़े आकर्षक लग रहे थे। द्वार पर एक और एन. सी. सी के छात्र फौजी वेष्ट-भूषा में रुजे खड़े थे और दूसरी ओर स्वाउट्स का द्रुप खड़ा था। धीरे-धीरे संरक्षक तथा अन्य मेहमान आने लगे। देखते-देखते शाला का प्रांगण खवालच भर गया। प्रधानाध्यापक जी, छात्र-सतद के प्रधानमंत्री तथा स्वान्त-समिति के सदस्य द्वार पर ही खड़े होकर मुख्य अतिथि जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। मभी की निगाह द्वार की

घोर ही लगी हुई थी। ठीक साडे चार बजे मंत्री महोदय पधारें। कार से उतरने ही प्रधानाध्यापक जी तथा अन्य लोगों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। द्वार में प्रवेश करते ही एन सी सी के जवानों तथा स्काउट्स ने उन्हें सलामी दी। धीरे-धीरे चलते हुए वे मंच पर पहुँचे और अपना स्थान ग्रहण किया। अपने स्थान पर बैठकर जब उन्होंने सारी सजावट को देखा, तो देखते ही रह गये। इनी बीच रंगमंच से वाद्य यंत्रों की आवाज आने लगी। धीरे-धीरे पर्दा खुला और सरस्वती-वन्दना प्रारम्भ हुई। तब, ताल, गुर और अभिनय की दृष्टि से वन्दना का कार्यक्रम इतना अच्छा जमा कि दर्शक मुग्ध हो गये। वातावरण में पूर्ण निस्तम्भता और शान्त भाव व्याप्त हो गया। वन्दना समाप्त होते ही दर्शकों ने वरतल ध्वनि से अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। इसके पश्चात् प्रधानाध्यापक जी ने अपना स्वागत-भाषण दिया जिसमें उन्होंने मुख्य अतिथि महित सभी आगुस्तक अतिथियों के विद्यालय में पधारने पर विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत किया।

स्वागत-भाषण के पश्चात् अन्य कार्यक्रम प्रारम्भ हुए। पहले समूह गान हुआ उनके पश्चात् एक एकाभिनय का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। ये दोनों ही कार्यक्रम बहुत अच्छे जंघे। इसके पश्चात् प्रधानाध्यापक जी ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। रिपोर्ट में जब विद्यालय के श्रेष्ठ परीक्षा-परिणाम खेन बूद में विशेष उपलब्धियों का उल्लेख किया, तो उपस्थित सभी लोगों ने जोर-जोर से तालियाँ बजाकर विद्यालय-परिवार को अपनी बधाई दी। विद्यालय के अध्यापक तथा छात्र अपने आपको गौरवान्वित महसूस करने लगे। रिपोर्ट समाप्त होने पर पुन सव का ध्यान रंगमंच की ओर आकृष्ट हुआ। छात्रों ने एक सामूहिक लोक नृत्य प्रस्तुत किया। कलाकारों का मेकअप, वेश-भूषा और अंग-संचलन तथा हाव भाव इतने स्वाभाविक और आकर्षक थे कि दर्शक भूम उठे। राजस्थानी लोकगीत के भाव भी इतने प्रभावशाली थे कि श्रोताओं पर उसका प्रभाव दर्शनीय था। नृत्य की समाप्ति पर विद्यालय का प्राणण काफी देर तक तालियों की आवाज से गूँजता रहा। इसके पश्चात् पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। माइक पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्रों के नामों की घोषणा हुई, उनकी उपलब्धियों का महिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया। छात्र मंच के पास गये और मुख्य अतिथि महोदय ने उन्हें हाथ मिलाकर बधाई दी तथा पुरस्कार प्रदान किये। पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं ने माननीय अतिथि महोदय का सिर भुकाकर अभिवादन किया और फिर गर्व से अपने स्थान की ओर लौटे। प्रत्येक पुरस्कार पर फोटोग्राफर फोटो खींच रहे थे और दर्शक तालियाँ बजाकर पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं का अभिनन्दन कर रहे थे।

पुरस्कार-वितरण का कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् मुख्य अतिथि महोदय ने मार्शावाद प्रदान किया। अपने मार्शावाद भाषण में उन्होंने हमारे विद्यालय

श्रीर विद्यालय के कार्यक्रमों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने इस वार्षिकोत्सव आयोजन की प्रशंसा करते हुए यहाँ तक कह डाला कि ऐसा सुन्दर श्रीर व्यवस्थित आयोजन उन्होंने राजस्थान के किसी भी विद्यालय में नहीं देखा। परीक्षा-परिणाम, अन्य प्रवृत्तियाँ तथा अनुशासन की दृष्टि से यह विद्यालय राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। इसके लिए उन्होंने विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अध्यापक समुदाय तथा छात्रों को अपनी ओर से बधाई दी। उन्होंने अपने भाषण में अध्यापकों को छात्रों का विकास करने तथा—उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने का निर्देश दिया और छात्रों से अनुशासित रहकर चरित्र-निर्माण तथा जीवन-निर्माण के कार्यों में लगे रहने का संदेश दिया। आशीर्वाद भाषण के पश्चात् प्रधानाध्यापक जी ने अपना धन्यवाद-भाषण दिया, जिसमें उन्होंने मुख्य भतिषि सहित सभी आमन्त्रित भतिषियों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने विद्यालय के अध्यापकों तथा छात्रों को भी धन्यवाद दिया जिनके कठोर श्रम के कारण यह उत्सव सफल हुआ। उन्होंने अपने भाषण में मंत्री महोदय को यह आश्वासन भी दिया कि उनके निर्देशों का पालन करते हुए वे विद्यालय के छात्रों के विकास का कार्य पूरी, लगन, निष्ठा और परिश्रम से करते रहेंगे। धन्यवाद-भाषण के पश्चात् राष्ट्रगान हुआ और उसके साथ ही वार्षिकोत्सव का यह कार्यक्रम समाप्त हो गया। मंत्री महोदय अपने स्थान से उठे। उन्हें प्रधानाध्यापक जी विज्ञान-श्रयोगशाला में ले गये, जहाँ उन्होंने छात्रों के द्वारा लगायी गई विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और प्रदर्शनी को देखा। प्रदर्शनी से भी वे बहुत प्रभावित हुए। इसके पश्चात् जल-पान का आयोजन हुआ। जलपान के पश्चात् मुख्य भतिषि महोदय सबको बधाई और धन्यवाद देकर विदा हो गये। सभी लोग प्रसन्न और सन्तुष्ट थे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। सभी लोग अपनी धातचीत में यही विचार व्यक्त कर रहे थे कि ऐसा वार्षिकोत्सव इस विद्यालय में पहले कभी नहीं हुआ।

4. उपसंहार—किसी कार्य की सफलता कार्यकर्ताओं की लगन, उत्साह और परिश्रम पर निर्भर करती है। जब सब लोग संगठित होकर लगन और उत्साह से किसी कार्य में जुट जाते हैं तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। गत वर्ष हमारे विद्यालय के वार्षिकोत्सव में इस सत्य का हमने प्रत्यक्ष दर्शन किया। दूसरे दिन प्रधानाध्यापक जी ने प्रायःना सभा में अपने भाषण में भी यही बात दोहराई। वास्तव में विद्यालय केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करने का ही स्थान नहीं है, बल्कि हमारे भावी सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन की तैयारी का भी स्थान है। विद्यालय में आयोजित होने वाले समारोह और उत्साह हमें इसी तैयारी के अवसर उपलब्ध कराते हैं। हमें पूर्ण उत्साह से इनमें भाग लेकर इनका ध्यान उठाना चाहिए। . . . □□□

निबन्ध की रूप रेखा

- 1 प्रस्तावना
- 2 अग्निकाण्ड की सूचना प्राप्त होना
- 3 घटनास्थल का दृश्य
- 4 अग्नि-शमन के उपाय
5. अग्नि-शमन के बाद का दृश्य
- 6 उपसंहार

1 प्रस्तावना—होनहार प्रबल होता है। जीवन में जब जो घटना घटित होती होती है वह होकर ही रहती है। मनुष्य सदा अच्छी ही कल्पना करता रहता है, किन्तु अनेक बार उसकी कल्पना और इच्छा के विपरीत ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं जो उसके जीवन का स्वरूप ही बदल देती हैं। ऐसी घटनाओं के लिए वह स्वयं जिम्मेदार नहीं होता, किन्तु फिर भी अनायास ही ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं। इनसे होनहार की प्रबलता सिद्ध होगी है। आज हम पूर्ण सुखी, स्वस्थ और प्रसन्न हैं किन्तु, कल इस स्थिति में क्या और कैसा परिवर्तन हो जायेगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकना। हम अपने नगर, गाँव अथवा पड़ोस में ऐसी घटनाओं को यदा-कदा प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जिन घरों में हँसी के कहकहे गुँजते थे, उनमें रुदन और चीत्कार की आवाजें सुनाई पड़ने लग जाती हैं। जो बच्चे तक घनाद्वय व्यक्ति माना जाता था, वह आज दाने-दाने का मोहताज दिखाई देता है। ऐसी ही एक घटना पिछले वर्ष मेरे गाँव में घटित हुई थी, जब एक भीषण अग्नि-काण्ड ने अनेक परिवारों का तबाह कर दिया था।

2 सूचना प्राप्त होना—माचं का महीना चल रहा था। मेरी बोट की परीक्षाएँ चल रही थीं। 28 मार्च के दिन शाम को करीब साठ बजे मैं घर पर अपने कमरे में बैठा हुआ परीक्षा की तैयारी कर रहा था। दूसरे दिन सुबह गणित की परीक्षा थी, इसलिए मैं दत्तचित्त होकर गणित के प्रश्नों को हल कर रहा था। एकाएक मैंने घर के बाहर भगदड़ और शोर की आवाज सुनी। मेरा ध्यान भंग हुआ। मैं कान देकर आवाज को सुनने और समझने का प्रयत्न करने लगा। दूसरे ही क्षण मेरी समझ में आ गया। गाँव के किन्हीं मीहल्ले में आग लग गई थी और

गाँव के लोग घटनास्थल की ओर भागे जा रहे थे। मैं तत्काल उठा और सीधा मकान की छत पर गया। मेरे परिवार के अन्य सदस्य पहले से ही छत पर खड़े अग्निकाण्ड की ओर देख रहे थे। मैंने देखा—गाँव के दूसरे किनारे महाजनों के मोहल्ले में आग लगी हुई थी। सारी परिस्थिति समझ में आते ही मैं घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ा। मेरी आनाजी ने मुझे रोककर कहा कि कल मेरी परीक्षा है, इसलिए मैं न जाऊँ, किन्तु मैं रुका नहीं और तेजी से दौड़ता हुआ घटनास्थल के पास जा पहुँचा।

3 घटनास्थल का दृश्य—मैंने देखा—मेरे ही एक मित्र सुरेश के घर में आग लगी हुई थी। उसका प्राधा मकान पक्का था और प्राधा कच्चा। उसके कच्चे मकानों में आग लग रही थी और प्राधा की लपटें हवा के झोंके से इधर-उधर फैल रही थी। आस-पास बहुत से कच्चे मकान और भी थे, जिनमें से पास वाले अन्य मकान भी आग की लपटों में आ गये थे। आग की लपटें पक्के मकान की ओर भी बढ़ रही थी जिनसे मकान का सामान और दरवाजे जलने लगे थे। मकान में फँसे लोग अपने जीवन की रक्षा के लिए हाहाकार कर रहे थे। घटनास्थल पर आग की लपटों से तीव्र प्रकार फैला हुआ था और चारों ओर सँकड़ों लोग खड़े थे। सब लोग कित्तौब्य विमूढ़ होकर यह विनाश लीला देख रहे थे। किसी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस आग पर कैसे काबू पाया जाये और मकान में फँसे लोगों को बाहर कैसे निकाना जाये। उधर प्राधा का यह हाल था कि तीव्र हवा के झोंके से वह प्रचण्ड होती चली जा रही थी और आग-पाम के क्षेत्रों का और भी लपेटती जा रही थी। उस दृश्य को देखकर मेरा हृदय काँप उठा। एक क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा कि इस आग पर काबू पाना असंभव है। यह सर्वनाश करके ही शान्त होगी। आँवों के सामने धू-धू करके जलनी हुई आग का दृश्य और चारों ओर चील-गुंकार तथा लोगों की आवाजों का कानों के पदों फाड़ देने वाला शोर। मेरे तो हाथ-पाँव फूल गये, लेकिन दूसरे ही क्षण मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा। मैंने अनेक बार सुना था और पढ़ा भी था कि विपत्ति में धैर्य और साहस नहीं खोना चाहिए। धैर्य और साहस के बल से मनुष्य बड़ी से बड़ी विपत्ति को टालने में भी सफल हो जाता है। मुझे इस विचार से बल मिला और मैं आग बुझाने के कार्य में सहयोग करने का उपाय सोचने लगा।

4 अग्नि शमन के उपाय—तभी मैंने देखा कि बहुत से लोग बाल्टियों और मटकों से आग पर पानी उड़ेल रहे थे। लेकिन आश्चर्य ! पानी गिरते ही आग इस तरह भड़कती थी जैसे उस पर पानी न गिरकर घी पड़ा हो। मैंने निश्चय किया कि मैं आग पर मिट्टी डालूँगा। इस निश्चय के साथ ही मैं अपने स्थान से भागा। अपनी लूंगी खोलकर रास्ते में पड़ी मिट्टी भरकर और आग के पास जाकर उसे उड़ेल दिया। जिस जगह मिट्टी डाली थी, वहाँ आग थोड़ी शान्त हो गई। मुझे मिट्टी

डालते हुए देखकर अन्य लोग भी ऐसा ही करने लगे। जो लोग पानी डाल रहे थे, वे पानी डालते रहे और बाकी उपस्थित सभी लोग मिट्टी डालने के काम में लग गये। जिसे जो साधन मिला, उसी से मिट्टी डालते रहे। घोंडी सी धाग शान्त होते ही कुछ लोग साहस करके जलने हुए पक्के मकान में घुस गये और वहाँ फँसे लोगों को बाहर लाये। कुल 6 प्राणियों को बाहर निकाला जो जगह-जगह में भुलस गये थे और लाभग अचेत से ही हो गये थे। उनको बाहर निकालने वाले भी जगह-जगह से भुलस गये। उन सब को कुछ लोग सुरक्षित स्थान पर ले गये और उनकी चिकित्सा शुरू कर दी। लगातार एक घंटे तक पानी और मिट्टी की वर्षा करते रहने के बाद धाग पर काबू पाया जा सका। धाग की लपटों के शान्त होते ही वहाँ घोर अन्धकार व्याप्त हो गया। लोग अपने घरों की ओर लपके और लाल टेन लें लेकर प्राये (हमारे गाँव में अभी बिजली नहीं पहुँची है) नालानों के प्रवाण में अग्नि-पीडितों से मिले और उनको सान्त्वना देने लगे। जिनके मकान पूरी तरह धाग में स्वाहा हो गये थे उन्हें कुछ लोग अपने घरों पर ले गये। अन्य लोग धीरे धीरे अपने अपने घरों की ओर जाने लगे। वह अधिपारी काली रात कुछ परिवारों के लिए काल रात्रि के रूप में ही अवतरित हुई थी। रात्रि का अधकार घहराता जा रहा था, किन्तु लोग स्थान-स्थान पर इकट्ठे होकर कुछ देर पहले घटी घटना की चर्चाएँ कर रहे थे। मुझे दूसरे दिन परीक्षा देनी थी, इसलिए मैं जल्दी ही चला गया। बहुत देर बाद मुझे नींद आई। सुबह मैंने सुना कि उस गाँव में कोई नहीं सोया। कुछ भुलसे हमों की सेवा-मुखूना में लगे रहे और कुछ पीडितों को सान्त्वना देते रहे।

5 अग्नि शमन के बाद के दृश्य—दूसरे दिन प्रातःकाल उठा तो वही अग्नि-काण्ड की चर्चाएँ सुनीं। परीक्षा भवन में भी लोग इसी विषय पर चर्चाएँ कर रहे थे। परीक्षा समाप्त होने ही हम बहुत से लडके सीधे घटनास्थल पर पहुँचे। वहाँ काफी लोग इकट्ठे थे। कुल सात कच्चे मकान पूरी तरह जल गये थे। उनमें रखा सामान राख की ढेरी बन गया था। जगह-जगह अधजली लकड़ियाँ के टुकड़े पड़े थे। बाकी सब राख और कोयले ही थे। नगी छतों के, काली पडी दीवारों के वे कच्चे मकान मरघट का भा दृश्य उपस्थित कर रहे थे। सुरेश के कच्चे मकान तो राख की ढेरी बन ही गये थे, उसका पक्का मकान भी धुँआँ और धाग की लपटों से काला पड़ गया था। मकान के दरवाजे, बिड़कियाँ और जलने योग्य सभी सामान जला पड़ा था। लोहे के बक्स यद्यपि नहीं जले थे, किन्तु उनके भीतर के कपड़े और अन्य सामान जलकर राख हो गये थे। सुरेश का बाप और चाचा वही बँटे-बँटे विलापकर रहे थे। उनके परिवार के अन्य सदस्य इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिये गये थे। सुरेश का पिता सैठ कजोडमल तो रोकर कह रहा था कि इसने पचास हजार रुपये के मोट जल गये और करीब सत्तर हजार की उधार के खाते-बही जलकर राख हो गये हैं। अब वह क्या करेगा? उसे पंजा

घोर भ्याज कौन देगा ? कल तक वह लखपति था और आज कंगाल बन गया । सेठ कजोड़मत के अतिरिक्त तेरह परिवारों पर इस अग्नि-कांड का प्रभाव पड़ा था । उनके पास शरीर पर पहने हुए कपड़ों के अतिरिक्त घर में कुछ भी नहीं बचा था । अन्य सामान के साथ घर में रखा धनाज भी अग्नि की भेंट चढ़ गया था । वे सब पास के ही एक नीम के पेड़ की छाया में बँठे विलाप कर रहे थे । उनके चेहरे इतने उदास थे और मुखाकृति इतनी दयनीय थी कि देखी नहीं जाती थी । कभी वे ऊपर आकाश की ओर देखते, कभी अपने जले मकानों की ओर और कभी अपनी ओर देखकर रो पड़ते । उनको चारों ओर से घेरे गाँव के बहुत से बुजुर्ग और समझदार लोग बँठे थे, जो उन्हें सान्त्वना दे रहे थे, किन्तु वे रह-रह कर फूट पड़ते थे । कुछ लोग उनके पास भोजन सामग्री और पहनने के कपड़े लिए खड़े थे, किन्तु वे 'भूख नहीं है' कहकर टाल रहे थे और बहुत दुःखी हो रहे थे । आस-पास का सारा वातावरण शोकमय बना बना हुआ था । अग्नि-पीड़ितों की इस दयनीय दशा को देख-देख कर देखने वालों की भी आँसों में आँसू आ रहे थे । जले हुए मकानों पर पड़ा हुआ पानी और बानू रेत का ढेर उस दृश्य को और भी हृदय द्रावक बना रहा था । एक दूसरे पेड़ के नीचे इन अग्नि-पीड़ितों की स्त्रियाँ और बच्चे बँठे विलस रहे थे गाँव की स्त्रियाँ भुंड बना-बनाकर जाती हुई मकानों को देखने आ रही थी और उन पीड़ित स्त्रियों से प्राण लगने के कारण की तथा प्राण लगने के समय की परिस्थितियों की जानकारी कर रही थी । रोनी-कलपती स्त्रियों को वे सान्त्वना देती और विधि के विधान की चर्चा करती चली जाती थी । मैं वहाँ काफी देर खड़ा रहा । फिर भारी मन से घर की ओर चला पड़ा । मैं अपने मित्र सुरेश से मिलना चाहता था किन्तु वह तो अस्पताल में भर्ती था । दूसरे दिन शहर जाकर उससे अस्पताल में ही मिलने का निश्चय करके मैं घर चला गया ।

6 उपसंहार—इस भीषण अग्नि-कांड की सूचना ग्राम-वास के गाँवों में भी पहुँची और तीसरे दिन अखबार में भी समाचार छपे । करीब तीन लाख के नुकसान का अनुमान लगाया गया । ग्राम-वास के गाँवों के लोगों ने भी आकर धटनास्थल को देखा । सब लोग होनहार की प्रबलता और ईश्वर की लीला की विविधता की ही बातें करते झले गये । मैं भी सोचने लगा—कौसी विविध बात है ! कल शाम तक यहाँ कौसी चहल-चहन थी ! कौसी हँसी-मुँशी का वातावरण था ! और आज ? आज यहाँ एकदम सुनसान और बीरानी है । क्या किसी ने इस होनहार की कल्पना भी की थी ? फिर यह सब यकामक कैसे हो गया ? यही है सत्कार की अक्षरता, यही है परिवर्तनशीलता और यही है जीवन की क्षण-भंगुरता ।

निबन्ध की रूप-रेखा

1. प्रस्तावना
2. मेले की तैयारी
3. मेले के विभिन्न दृश्य
4. अचानक वर्षा आ जाना
5. वर्षा का प्रभाव
6. उपसंहार

1. प्रस्तावना—वर्षा, झाँधी और तूफान, ये सब प्रकृति के स्वभाविक रूप हैं। वायुमंडल में प्रकृति के विभिन्न तत्वों के योग और संयोग के फलस्वरूप ही वर्षा, झाँधी और तूफान आते हैं। इन रूपों में प्रकृति न हम पर कृपा करती है और न प्रकोप, क्योंकि कृपा और प्रकोप तो चेतन मन के गुण हैं प्रकृति तो जड़ है, उससे चेतनता की मांग करता ही भूल है। हम प्रकृति के किसी रूप से कभी लाभान्वित होते हैं तो उसकी कृपा मान लेते हैं और हानि उठाने पर उसका प्रकोप मान लेते हैं। हम अपने हिंनों की दृष्टि से ही प्रकृति पर कृपा या प्रकोप का आरोप लगा देते हैं, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। प्रकृति पूर्णतया स्वच्छन्द और स्वतन्त्र है। वह निर्लिप्त भी है। वर्षा से किसी को हानि होती है अथवा लाभ, इससे उसे कोई सरोकार नहीं होता। वर्षा कल कहाँ कितनी हो इस प्रकार का कोई नियन्त्रण वह स्वीकार नहीं करती। लोग बूँद-बूँद पानी के लिए तरसते रहते हैं और वर्षा बिन्कुल नहीं होती। कभी लोग भारी वर्षा से चाहि-आहि करने लग जाते हैं, अपार जन-धन की हानि हो जाती है किंतु वर्षा यमने का नाम नहीं लेती। अतः यह मानना पड़ता है कि प्रकृति स्वतन्त्र और स्वच्छन्द है। उस पर किसी का आज तक न तो नियन्त्रण स्थापित हो सका है और न कभी होगा। वह अजेय ही बनी रहेगी। वर्षा भौड़-भाड़, चहल-पहल और नाच-गान से भरपूर शीतला माता के मेले में अचानक तेज वर्षा होने और इतनी वर्षा हुई कि मेले का सराया रंग ही बदल गया।

2. मेले की तैयारी—चैत्र मास के कृष्णपक्ष की अष्टमी को जयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर चाकसू में प्रतिवर्ष शीतला माता का मेला लगता है। मास-पास

के गांवों, कस्बों और नगरों के लोग भारी मरुया में इस मेले में शामिल होते हैं। जयपुर से भी हजारों लोग इस मेले में प्रतिवर्ष जाते हैं। अष्टमी के दिन वहाँ दो-तीन लाख श्रद्धालु स्त्री-पुरुष माता के दर्शन करते हैं और पूजा करते हैं। मैंने दो-तीन बार पहले भी यह मेला देखते वा विचार किया था किन्तु पिताजी ने स्वीकृति नहीं दी। इस वर्ष कुछ सयोग ऐसा हुआ कि मेरे पड़ोस के ही कुछ लोग मेला देखने को तैयार हो गये। उनके साथ-जाने के लिए मैंने पिताजी से पूछा तो उन्होंने कुछ जर्हरी हिदायतों के साथ मुझे जाने की स्वीकृति दे दी। मैं खूब प्रसन्न हुआ और मेले की तैयारी में जुट गया। सप्तमी की रात को बस से जाने का कार्यक्रम निश्चित हुआ। मैंने एक थैले में एक जोड़ी कपड़े, पूजा का सामान और नाश्ते के लिए कुछ मिठाई व नमकीन रखी और अपने पड़ोसियों के साथ रात को करीब दस बजे घर से चल पड़ा। रोड-बैज ने मेले के लिए विशेष बसों की व्यवस्था की थी। हर दस-पन्द्रह मिनट बाद खाली बस आकर स्टैण्ड पर खड़ी हो जाती थी किन्तु बस के प्राते ही लोग उसमें चढ़ने के लिए दूट पड़ते थे। खूब धक्का-मुक्की होती और देखते-देखते बस खचालच भर जाती और खाना हो जाती। हमारे सामने तीन बसें भर कर चली गई किन्तु भीड़ तभी भी उतनी ही बनी हुई थी। आखिर हमने भी धक्का-मुक्की से ही चढ़ने का निश्चय किया और खाली बस के आकर एकते ही पिल पड़े। पसीने में तर हो गये, एक साथी के कपड़े भी फट गये किन्तु हम बस में चढ़ने में सफल हो गये। दस मिनट बाद बस खाना हो गई। हवा लगी तो पसीने मूमे। अब मेरा मन खूब प्रसन्न था। वर्षों की साधना आज पूरी हो रही थी। रात्रि को करीब एक बजे हम चाकसू पहुँच गये।

3. मेले के विभिन्न दृश्य—बस से उतर कर जब हम मेले के मैदान की ओर कुछ दूर घागे बड़े तो हमें मार्ग के दोनों ओर खुले मैदान में दूर-दूर तक बँल गाड़ियाँ खुली हुई दिखाई दीं। इन गाड़ियों में आम-यास के प्राणीय स्त्री-पुरुष मेले में आये थे और इस समय गाड़ियों को खोलकर बिथाम कर रहे थे। इधर-उधर से और भी गाड़ियाँ आ रही थी जिनमें बैठे स्त्री-पुरुष गाते-बजाने आ रहे थे। साथी रात का समय था लेकिन दूर-दूर तक गैस की लालटेनों का प्रकाश फैल रहा था। अपनी-अपनी गाड़ियों के पास स्त्री-पुरुष बैठे लोक गीत गा रहे थे। मुझे यह दृश्य बहुत अच्छा लगा। सोच कर तो यह गया था कि रात्रि में कहीं उपयुक्त स्थान ढूँढ कर थोड़ी देर सो लूँ, किन्तु यहाँ की चहल-पहन और नाच-गान की भस्ती का वातावरण देख कर नीद न जाने कहीं गायब हो गई। हम भी मस्त होकर उन प्राणीयों के नाच-गान देखते हुए इधर उधर चक्कर लगाने लगे। एक स्थान पर लोकगीतों का कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा था। नव-युवकों का दल एक धेरा डाल कर बैठा था। आनगोभे बज रहे थे, चंग तथा मजीरों की भीटी धून पर दो युवक मस्त होकर नाच कर रहे थे। धेरे के चारों ओर काफी लोग खड़े होकर वह नाच-गान का मन मोहक

दृश्य देख रहे थे। हम भी वही सड़के हो गए और देखने लगे। उम नृत्य में, गायन में और वाद्य यंत्रों की भीड़े स्वर में लोक सस्कृति का सच्चा स्वरूप प्रकट हो रहा था। गायक और नर्तक इतने मतवाले हो रहे रहे थे कि उन्हें अपने शरीर की भी सुनि नहीं थी। हमारा मन उस कार्यक्रम में ऐसा रमा कि हम भी वही बँठ गये और सुबह पाँच बजे तक, जब तक वह कार्यक्रम चलता रहा, हम वही बँठे रहे।

सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल गया था। जहाँ तक नज़र जाती थी, रंग-विरंगी पोशाक पहने ग्रामीण स्त्री-पुरुषों के झुंड दिखालाई पड़ते थे। हम लोगों ने पहल शीतला माता के दर्शन करने का निश्चय किया। शीतला का मन्दिर उस विशाल मैदान के बीच में एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है। हम भोड में घबके साथे हुए बड़ी कठिनाई से कदम-कदम आगे बढ़ने लगे। मार्ग के दोनों ओर विभिन्न प्रकार का सामान बेचने वालों की दुकानें लगी थीं, जिन पर सामान खरीदने वाले ग्रामीणों की भीड़ पड़ रही थी। किसी प्रकार चलते चलते हम पहाड़ी के पास पहुँच गये। मन्दिर की सीढ़ियाँ पर तिल रखने की जगह नहीं थी। पुलिस का इन्तजाम खूब अच्छा था किन्तु दर्शनाधिकियों की सरया इतनी अधिक थी कि उन्हें भीड़ पर काबू पाना कठिन हो रहा था। खूब धक्काम पली करने के बाद हम सीढ़ियाँ चढ़ सके। बड़ी कठिनाई से मन्दिर तक पहुँचे। माता के दर्शन किये। दूर से ही पूजा का सामान फँक कर चड़ाया और वापस लौटे। पहाड़ी पर से जब मैदान की ओर निगाह फँलाई तो अचिं चकरा गई। पहाड़ी के चारों ओर जहाँ तक दृष्टि जाती थी, बँल गाडियाँ और ग्रामीण स्त्री पुरुष ही दिखाई देने थे। यह दृश्य देखत हुए हम पहाड़ी से नीचे उतर आये। काफी दूर जाने पर हम मेले की भीड़ भाड से अलग हुए। वहाँ हम नित्य कम से निवृत्त हुए। नाचना किया और पुन मेले में शामिल हो गए। उस समय सुबह के दस बजे थे। मेले में भीड़ प्रतिक्षण बढ़ती ही जा रही थी। कुछ लोग माता के दर्शन करके अपनी गाडियों से लौटने भी लग थे किन्तु आने वालों की ही मख्या अधिक थी। किसी तरफ युवक अनगोभे बजाकर नाच गा रहे थे तो किसी तरफ युवतियाँ एक दूसरी के गले में बाह डाले इधर उधर चक्कर लगा रही थी। बसन्त ऋतु थी, इसलिए सब तरफ उमंग, उल्लास और मीठ-मस्ती का वातावरण बना हुआ था। हम लोग चक्कर लगात-लगाते घूम गये तो एक वृक्ष की छाया में बैठकर मेले का दृश्य देखने लगे।

4 अचानक वर्षा आ जाना—धमकीली धूप निकल रही थी। आसमान में बादल कब धिरे, किसी को पता नहीं चला। यकायक बूँदें गिरने लगी तो सब का ध्यान आकाश की ओर गया। दखत-देखते वर्षा प्रारम्भ हो गई। चारों तरफ हल-चल मची और कुछ ही क्षण में मूसलाधार वर्षा होन लगी। चंद्र के महीने में वर्षा होती ही नहीं है। इसलिए इस अप्रत्याशित वर्षा से सभी लोग विचलित हो गये। लाखों आदमी उस खुले मैदान में थे। कुछ वृक्षों का छोड़कर सिर छिपाने का दूर-

दूर तक कोई स्थान नहीं था। मेले में चारों ओर भगदड़ मच गई। वर्षा उसी प्रकार होती रही। जब कहीं स्थान नहीं दिखा तो लोग भुण्ड बनाकर छाती में छपना सिर छिपा कर अपने स्थान पर बैठ गये। वर्षा का वेग कम नहीं हुआ। जिनको ध्यान आ गया वे बैलगाड़ियों के नीचे जा छिपे। हम सयोग से पहले से ही एक वृक्ष के नीचे थे। कुछ देर में हमारे चारों ओर इतने लोग इकट्ठे हो गये कि मैदान दिसना बन्द हो गया। पूरे आधे घंटे तक मूसलाघार वर्षा होती रही। उसके बाद रुक गई।

5. वर्षा का प्रभाव—वे मौसम की इस अप्रत्याशित वर्षा का मेले में उपस्थित जन-समुदाय पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जमीन पर सब जगह कीचड़ ही कीचड़ हो गया। हलवाइयों की कड़ाइयों और मट्टियों में पानी भर गया। दुकानदारों का सारा सामान भीग गया और पानी में चढ़ गया। सबके कपड़े पानी में तर हो गये और कीचड़ में सन गये। संकड़ो बच्चों और बूदों की वर्षा में भीगने के कारण हालत गंभीर हो गई। हंसी खुशी, नाच-गान और मोज-मस्ती का वातावरण उदासी, मायूसी और विन्ता में बदल गया। मेले में रकने की किसी की रुचि नहीं रही। सब लोग अपने-अपने साधनों से खाना होने लगे। दुकानदार अपने माग को कोसते हुए वर्षा में भीगा हुआ अपना बचा खुचा सामान बटोर कर वाघने लगे। वर्षा रुकते ही कुछ बैलगाड़ियाँ और भी मेले के स्थान की ओर आने लगी तथा बसों से उतर-उतर कर पैदल यात्री भी आ रहे थे किन्तु अब वहाँ मेला नहीं था। वर्षा से हुई बर्बादी के दृश्य ही वहाँ तोप बने थे। वे भी सब कीचड़ में छप-छप करते मन्दिर की ओर चले जा रहे थे।

6. उपसंहार—हम लोग भी अपने कपड़ों को निचोड़ते हुए बस-स्टैंड की ओर चले जा रहे थे। बसों की प्रतीक्षा में हजारों आदमी खड़े थे। बस आकर रुकती और लोग उस पर टूट पड़ते। खूब धक्का-मुक्की हो रही थी। हमने निश्चय किया कि ऐसी धक्का-मुक्की में हम शामिल नहीं होंगे चाहे हमें शाम तक प्रतीक्षा करनी पड़े। हम दूर एक वृक्ष की छाया में बैठ गये। हर व्यक्ति की जुबान पर वर्षा से पहले जमे मेले की ओर फिर वर्षा से हुई बर्बादी की चर्चा थी। सब लोग अपना-अपना मौसम की इस मूसलाघार वर्षा के विषय में आश्चर्य कर रहे थे। कोई कहता था—'कलियुग चल रहा है, इसमें तो ऐसे ही काण्ड होंगे।' कोई कहता था—'दुनिया में पाप बहुत छा गया है, उसी की भगवान हमें सजा दे रहा है।' कोई कोई यह भी कहता था कि विज्ञान के नये-नये आविष्कारों के कारण ही ये सब हो रहा है। जितने मुँह उतनी बातें। मैं अपने स्थान पर बैठा यही सोच रहा था कि यह सब ईश्वर की लीला है। प्रकृति स्वच्छन्द और स्वतन्त्र है। उसे कोई नियम और मर्यादा में रखने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

निबन्ध की रूप-रेखा

- 1 प्रस्तावना
- 2 यात्रा का प्रयोजन और प्रस्थान
- 3 यमताल से समान की घड़ी हो जाना
- 4 घोर विपत्ति में पड़ जाना
- 5 विपत्ति से बचने के उपाय करना
- 6 उपसंहार

1 प्रस्तावना—लोग अक्सर कहते हैं कि विश्वास पर दुनिया कायम है। यदि हम एक-दूसरे पर विश्वास न करें तो हमारा काम ही नहीं चल सकता। घर में, समाज में, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में और हमारे कार्य-स्थानों पर हमको एक दूसरे पर विश्वास करना ही पड़ता है। साधारण बात से लेकर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयों पर भी किसी न किसी पर विश्वास करना ही पड़ता है। इसका कारण यह है कि सत्कार के जितने कार्य हैं, वे केवल एक व्यक्ति सम्पादित नहीं कर सकता। उसे दूसरे आदमी की सहायता और सहयोग लेना अनिवार्य होता है। इस सहायता और सहयोग के लिए विश्वास की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही गुप्त से गुप्त रहस्य हो, किन्तु उस गुप्त रहस्य का लाभ उठाने के लिए मनुष्य को वह रहस्य किसी न किसी के सामने प्रकट करना ही पड़ता है। इसके लिए उस व्यक्ति के चयन का आधार विश्वास ही होता है अतः यह सही है कि दुनिया विश्वास पर कायम है। किन्तु साथ में यह भी सही है कि विश्वास के साथ सावधानी व सतर्कता भी बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी असावधानी मनुष्य को घोर विपत्ति में डाल देती है। यह ज्ञान मुझे तब हुआ जब मेरी थोड़ी सी असावधानी ने मुझे घोर विपत्ति में डाल दिया।

2 यात्रा का प्रयोजन और प्रस्थान—मुझे नवंबर की चयन यात्रा की परीक्षा में साक्षात्कार के लिए दिल्ली जाना था। अपनी तहसील में मैं अनेका ही साक्षात्कार के लिए चयनित हुआ था। मैंने अपने कुछ मित्रों से मेरे साथ दिल्ली चलने का प्रस्ताव दिया। एक मित्र रामगोपाल तैयार हो गया। मैं बहुत प्रसन्न हुआ।

साक्षात्कार में सफल हो जाने का तो मुझे भरोंसा नहीं था क्योंकि मैंने सुन रखा था कि वहाँ सूबू सिफारिशें चयनी है। जिमकी सिफारिशें लगती होती है, उसी का चयन होता है। मेरे पास भगवान के सिवा किमी की सिफारिश नहीं थी, किन्तु मुझे इस बात की प्रसन्नता थी कि दम वहाने मुझे दिल्ली देखने का मौका मिलेगा। दोनों मित्र वहाँ सूबू घूम-फिरेंगे। लौटते समय कुछ अच्छी चीजें भी खरीद कर लायेंगे। मन में प्रसन्नता और उत्साह लिए दोनों मित्र निश्चित तिथि को अपने गाँव में जयपुर पहुँचे और वहाँ मैं रेल में बैठ कर दिल्ली पहुँच गईं। हम शाम को करीब सात बजे दिल्ली पहुँचे थे। दूसरे दिन साक्षात्कार था। उसके बाद हम तीन चार दिन और रुक कर दिल्ली की सैर करना चाहते थे। इसलिए हमने चाँदनी चौक में एक धर्मशाला में ही रुकने का निश्चय किया क्योंकि, होटलों की तुलना में धर्मशाला का किराया बहुत कम था। एक होटल पर साना खावा और अपने कमरे में जाकर विश्राम करने लगे।

3. सामान की चोरी हो जाना—उस धर्मशाला में स्नान-स्नान पर यात्रियों के लिए हिदायतों के बोर्ड लगे हुए थे जिन पर लिखा था 'जब कमरा से सावधान' 'यात्री अपने सामान की हिफाजत खुद करें' आदि। इन हिदायतों को पढ़कर हम दोनों मित्रों ने निश्चय किया कि कमरा खुला नहीं छोड़ना है और दिवस में घूमते समय पैसों पास में नहीं रखना है। दूसरे दिन सुबह नौ बजे होकर जब हम साक्षात्कार के लिए खाना खाए तो हमने नाम्ना और उस के किराये के पैसों ही जेब में रखे बाकी सारा पैसा अटैची में रख दिया। रामगोपाल धर्मशाला के मैनेजर से एक ताला माँग लाया। यद्यपि मैनेजर ने अपने स्वयं का ही ताला लगाने का हमसे आग्रह किया किन्तु हमारे पास ताला था नहीं और साक्षात्कार के लिए पहुँचने की बल्दी थी, इसलिए हमने एक मामूली सा ताला दस मान्यता से लगा दिया कि ताले तो साहू-कारों के लिए होते हैं, चोरों के लिए तो मभी ताले समझते होते हैं, और हम खाना हो गये।

दोपहर का करीब दो बजे हम धर्मशाला में लौटे। मैं मन में बहुत प्रसन्न था क्योंकि मेरा साक्षात्कार बहुत अच्छा हुआ था और सोच रहा था कि यदि योग्यता आघार पर चयन हुआ तो मैं अवश्य चुना जाऊँगा। इन्हीं मधुर कल्पनाओं में खोया मैं रामगोपाल के साथ ऊपर गया। हमने मार्ग में योजना बनायी थी कि पहले भर-पेट भोजन करेंगे और उस के पश्चात् ब्राज विडला मन्दिर तथा राजघाट देखेंगे। कमरे के दरवाजे पर वही ताला लटक रहा था। राम गोपाल ने ताला खोला और हम भीतर घुसे। देखा तो हमारी दोनों अटैचियाँ और अन्य सामान गायब था। हम हक्के-बक्के रह गये। मेरी अटैची में तो कीमती कपड़ों के साथ पूरे एक हजार के नोट थे। रामगोपाल के भी कपड़े और पाँच सौ रुपये उसकी अटैची में रखे थे। हम

दोनों एक-दूसरे की बकल देख रहे थे। कुछ क्षण तो हमारे मुँह से आवाज तक नहीं निकली। फिर मैं दौड़ता हुआ मैनेजर के पास पहुँचा। गारा किस्सा मुनकर उमने मुझे ही डाँटा—“हमने आपसे पहले ही कह दिया था कि ताना अपना ही लगाओ या फिर आप में से एक आदमी को रक जाना था। आपके बुक्मान की हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। हमें क्या पता, आप सामान लाये भी थे या नहीं।” कह कर वह अपनी जगह से उठकर चला गया। मैं आश्चर्य से उसकी ओर देखता रहा। कुछ देर वही खड़े मोचता रहा—अब क्या किया जाय।’ धीरे विपत्ति में पड़ गये थे हम लोग। भारी बुक्मान हुआ, माय में मूर्ख और बने।

4. घोर विपत्ति में पड़ जाना—कुछ देर बाद ऊपर कमरे में गया। रामगोपाल दीवार का महानग लिए, फिर पर हाथ रखे उदाम बैठे था। मैंने मैनेजर का जवाब उने सुनाया, उसने एक लम्बी सास ली। बोला कुछ भी नहीं। मैं भी उसके पाम बैठ गया। कुछ देर हम दोनों ही गुमगुम बैठे रहे। उस समय हमारी स्थिति वितनी दयनीय और चिन्ताजनक हो गई थी, इसका वर्णन करना कठिन है। क्या-क्या अपने ये, बंसी-बंसी योजनाएँ थी, सब कुछ समाप्त हो गया था। पेट में जोरबी मूल लगी थी किन्तु खाने के लिए जेब में पैसे नहीं थे। दिल्ली में कोई परिचित नहीं था और बड़े शहरों में बिना परिचय के कोई बात भी नहीं करता। खोये हुए सामान के मिलने की कोई आशा नहीं थी। सामान की कीमत का ध्यान आने ही दिल भर आता था। मुझे यह भी चिन्ता हो रही थी कि हम बापम कैसे पहुँचेंगे। किराये के पैसे का इन्तजाम कैसे होगा। कुछ देर बाद मैंने देखा, रामगोपाल की आँखों में आँसू फिर रहे थे। इच्छा तो मेरी भी रोने जैसी हो रही थी किन्तु न जाने मुझ में इस विपत्ति में भी साहस कहाँ ने आ गया था। मैंने उसे धैर्य बंधाया और उसे अपने माय पुलिस स्टेशन चलने का सुझाव दिया। थोड़ी देर बाद वह स्वस्थ हुआ। उमने नल पर जाकर मुट्टे घोसा और फिर दोना वहाँ से खाली हाथ रवाना हुए। दरवाजे निकलने लगे तो मैनेजर की मीठ पर बैठे एक लड़के ने हमें टोका, “बाबूजी! कमरे का किराया देकर जाओ।” मेरा भीतर दवा रोष फूट पड़ा। मैंने गुम्मे में कहा, “हम लोग कोई चोर उचकने नहीं हैं।” खाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे हैं। फिर अपने एक परिचित व्यक्ति के पाम जायेंगे। उमने पैसे लेकर तुम्हारा किराया चुका कर फिर जायेंगे। तुम लालों की किसी भगत में हमारा हजारों रुपयों का बुक्मान हुआ है और नुस किराने के पाँच रुपयों के लिए इज्जत बिगाटने हा। गर्म नहीं आती तुम्हें ?” न जाने क्यों उसने दुग न माना और अन्नता पूर्वक बोला “अच्छा बाबूजी! आपकी जेबें तब दे जाना।”

5. विपत्ति में बचने के उपाय—बाजार में आकर शव में पढ़ने पेट की भूख शान्त करता मैंने आवश्यक समझा। हमने अपनी जेब टटोली। दो रुपये मेरी जेब में निकले और डेढ़ रुपया रामगोपाल की जेब से। इतने में पैसे में भोजन ता कर

नहीं सकते थे। हमने एक रुपये की नमकीन और एक रुपये के सादा चने लिये। बाजार में ही एक तरफ खड़े होकर हमने चने खाकर भूख शान्त की। चने खाते समय बड़ी आत्म-ग्लानि हो रही थी किन्तु भूख शान्त करने के लिए दूसरा कोई उपाय ही नहीं था। चने खाकर पानी पिया और फिर एक टेबल से चाय पी। चाय पीकर हम घूमने हुए थाने पर पहुँच गये। बहार गेटे सिपाही ने हमें रोका और भीतर जाने का कारण पूछा। हमने मक्षेप में उसे सारा हाल बता दिया। न जाने क्यों उसे हमसे महानुभूति हो गई। वह स्वयं हमें अपने साथ लेकर श्री. एम. पी. के पास पहुँचा। मक्षेप वह हमारा परिचय देकर चला गया। मारा वृत्तान्त सुनकर वे गम्भीर होकर कुछ देर सोचते रहे और फिर उन्होंने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दे दिया। मैंने हाथ जोड़कर एक प्रार्थना और की, "यहाँ हमारा कोई परिचित व्यक्ति नहीं है। हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। किसी प्रकार जयपुर पहुँच जाएँ ऐसी व्यवस्था और कर दीजिए। वे कुछ धैर्य सोचते रहे और फिर उन्होंने उसी सिपाही को बुलाकर हमें किसी ऐसे ट्रक में बिठा आने का आदेश दिया जो जयपुर जा रहा हो। हमने उन्हें धन्यवाद दिया और रिपोर्ट लिखाकर सिपाही के साथ चल पड़े। वह हमें पास ही एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ले गया। उसने टी. एस. पी. साहब का नाम लेकर हमें जयपुर तक ट्रक में ले जाने का आदेश दिया और चला गया। जो ट्रक खाना हो रहा था उभी ट्रक में ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर हमें बिठा दिया गया। ड्राइवर समझ रहा था कि हम डी. एस. पी. साहब के आदमी हैं, इसलिए रास्ते में हमारी खूब आवा-भगत करता रहा। जयपुर पहुँच कर मैं राम गोपाल को लेकर अपने एक रिश्तेदार के घर चला गया।

6. उपसंहार—करीब एक महीने बाद मुझे दिल्ली थाने से अपने सामन की शिनाह्त (पहचान) करने का ममन मिला। मैं और रामगोपाल पुनः दिल्ली गये। हमारी अटेंचियाँ, कपड़े और अन्य सामान हमें मिल गया। तकदी नहीं मिली। हमने इस पर ही सतोष कर लिया। इस बार हम वहाँ पाँच दिन रके और पूरी दिल्ली की सैर की। उस घटना का एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है किन्तु उसकी अब भी बराबर याद आती रहती है।

फूस की छत के नीचे बरसात की एक रात

25

निबन्ध की रूप-रेखा

- 1 प्रस्तावना
2. यात्रा का प्रयोजन
- 3 गाँव की यात्रा
4. रात्रि में वर्षा का आ जाना—विभिन्न अनुभव
- 5 उपसंहार

1. प्रस्तावना—भारत गाँवों का देश है। यहाँ की लगभग अस्ती प्रतिशत जनता गाँवों में ही रहती है। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् यद्यपि गाँवों का खूब विकास हो गया है किन्तु फिर भी अभी गाँवों की मूल स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं आया है। अब भी ग्रामीण लोग जीवन की अनेक सुविधाओं से वंचित हैं। स्वभाव से भोले और सीधे होने के कारण वे अब भी धूर्त और चालाक लोगों से ठगें जाते हैं। कृषि-भूमि पर उन्हें स्वामित्व का अधिकार मिल जाने के बावजूद वे अपनी उपज का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। उनकी आर्थिक स्थिति आज भी खराब ही बनी हुई है। आर्थिक स्थिति में सुधार न होने के कारण उनका रहन-सहन और जीवन स्तर आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। मोटा खाना, मोटा पहनना, और फूस की छतों के नीचे कच्चे मकानों में गुजर-बसर करना ही उनका जीवन है। रात-दिन कड़ी मेहनत करते रहने के बावजूद वे अभावों से पूर्ण जीवन बिताते हैं। यह, या तो दुर्भाग्य है या फिर सामाजिक व्यवस्था का दोष। जो भी हो, इसका सीधा प्रभाव उन भोले-भाचे ग्रामीणों के जीवन पर ही पड़ना है।

2. यात्रा का प्रयोजन—मेरा निहाल एक गाँव में ही है। मेरे नानाजी भी एक किसान ही हैं। उनके पास पन्द्रह बीघा कृषि की भूमि है जिस पर वे स्वयं

सेतो के काम में लेते रहते हैं। उनके पास गाय-भैंस भी हैं। खाने-पीने के मूय टाट है किन्तु उनका मदान कच्चा ही है जिस पर फूम के छप्पर की छत है। भेतो में पेदावार भी खूब होती है किन्तु न जाने क्यों वे अब तक चाह कर भी पक्का मदान नहीं बना पाये हैं। मुझे वहाँ जाना और रहना बहुत अच्छा लगता है और वर्षा ऋतु में तो और भी अच्छा लगता है। सेतो की हरियाली और मिट्टी की सौधी महक से मन प्रफुल्लित हो जाता है। एक विशेष कार्य से रक्षा बन्धन के दिन जब मेरी माता जी राखी लेकर मेरे ननिहाल में नहीं जा सकी तो मैं ही राखी लेकर अपने ननिहाल गया।

3. गाव की यात्रा—मैं रक्षा-बन्धन के एक दिन पहले ही अपने ननिहाल (गाँव) में पहुँच गया। वहाँ अपने मेरा खूब हार्दिक स्वागत किया। मेरा सबसे छोटा मामा मेरी ही उम्र का है। मैं उसके साथ दिन भर सेतो की हरियाली का आनन्द नेता रहा। सेतो में बाजरा, ज्वार, मक्का, और उद-मूँग के पीठे खड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी, हरियाली ही हरियाली नजर आती थी।। वहाँ तुरई की बेलों में लम्बी तुरईयाँ लटक रही थी तो तो कहीं लोकी झूल रही थी। वही तरबूज की बेलों में लगे छोटे-छोटे तरबूज जमीन पर लोट रहे थे। खेतों में रंग-विरंगी पोशाक पहने किसानों की झिंझियाँ काम कर रही थी। कोई हरी-हरी घास का बड़ा मा गट्टर अपने सिर पर लिये घर की ओर जा रही थी। दरवाहे गाँवों के भुँडों के पीछे विभिन्न प्रकार की आवाज करते हुए चल रहे थे। पिछले दिनों उस गाँव में सर्पा हो गई थी, इसलिए फमलें बड़ी हो रही थी, घास भी खूब हो गया था। किसानों के मन प्रसन्न थे और पशुओं पर रौनक था रही थी। मनचने युवक इकट्ठे होकर मल्लार गा रहे थे। ये सब दृश्य देख-देख कर मैं प्रसन्न हो रहा था। शाम होने पर मैं अपने मामा के साथ घर लौटा। नानाजी ने पास-पास पाँच कच्चे घर बना रखे हैं जिन पर फूम की छतें हैं। उस समय वे कच्चे घर भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। फूस की छतों पर लोकी और तुरई की बेलें फँस रही थी। आँगन में एक और गाँ, बेल और भैंसें बंधी हुई थी और दूसरी ओर एक छप्पर के नीचे घास का ढेर लगा हुआ था। बाड़े के बाहर एक और गोबर का ढेर लगा हुआ था। आँगन में बड़ी-बड़ी चार पाइयाँ बिछी हुई थी। मैं एक चार पाई पर जाकर बैठ गया। नाना और नानी जी मेरे पास ही आ गये और मुझमें घर के समाचार पूछने लगे। कुछ देर बाद ही मैंने अपने छोटे मामा के साथ बैठ कर एक ही पाली में भोजन किया।

4. रात्रि को वर्षा का आगना-आसमान में बदल छा रहे थे। हवा बिलकुल बन्द थी, इसलिए उमस बहुत थी। खुले आँगन में ही एक चारपाई पर मेरे लिए बिस्तर लगा दिये गये। मैं कपड़े उतार कर उस पर आराम में लेट गया। रात्रि में बिजली तो है नहीं, इसलिए लाइट का मॉडिम प्रकाश मुझे बहुत अट-पटा सा लग रहा था।

पाम ही दूसरी चारपाइयों पर और लोग सो रहे थे । फिर आँख मीच कर नींद झोके का इन्तार करने लगे । कुछ देर बाद ही आकाश से बूँदें गिरने लगीं । हम लोग विस्तर और चारपाइयाँ उठाकर घरों के भीतर चले गये । वहाँ इधर-उधर सूब सामान फैल रहा था । सामान के ऊपर ही चारपाइयाँ बिछादी गईं और हम सो गये । बाहर से हवा आने का कोई मार्ग ही नहीं था, इसलिए मुझे बहुत गर्मी लगी । कुछ देर बर्षा भीरे-भीरे होती रही, फिर तेज हो गई । जब बर्षा तेज हुई तो उसकी आवाज ऊपर फूस को छत पर मैंने स्पष्ट सुनली । कुछ देर में ही वह फूस की छत टपकने लगी । 'टप', 'टप' करके पानी की मोटी-मोटी बूँदें मेरे चेहरे पर गिरी । मैं बूँदों से बचने के लिए चारपाई के किनारे की तरफ खिसक गया और करवट लेकर सो गया । कुछ क्षण तो मैं बचा रहा, लेकिन फिर एक मोटी बूँद मीचे मेरे कान में पड़ी और पानी कान के भीतर चला गया । मैं हड़बड़ कर उठ बैठा और गर्दन को तिरछा करके पानी को बाहर निकालने का प्रयास करने लगा । पानी की बूँदें तो मेरे मामा और नानाजी पर भी टपक ही रही थीं किन्तु मेरी हड्डाइहट से उन्हें कुछ चिन्ता सी हुई उन्होंने मेरी चारपाई और पीछे की तरफ खिसका दी, जहाँ छत की पूँज कुछ कम पुरानी थी । मैंने अनुभव किया कि वहाँ पानी नहीं टपक रहा था । जब मैं निश्चिन्त होकर सोने का प्रयास करने लगा । बर्षा निरन्तर तब होती जा रही थी । कुछ देर बाद नये स्थान पर भी मुझ पर पानी टपकने लगा । प्राप्तमान में विजलियों के कड़कने की आवाज आ रही थी और बर्षा तेज हो रही थी । मुझसे लेटा नहीं रहा गया । मेरे सारे विस्तर गीले हो गये और सारा शरीर पानी की बूँदों से भीग गया । मामा और नानाजी भी उठ बैठे । उनका हाल मुझ में भी खराब था । उन्होंने बर्षा की आशंका से पहले ही सबसे अधिक सुरक्षित स्थान पर मुझे सुलाया था । वह स्थान भी असुरक्षित हो गया था । उन्हें अपनी कोई चिन्ता नहीं थी । मैंने उनकी भावना को समझ कर विश्वास दिलाया कि न मुझे कोई तकलीफ है और न ही इसमें उनका कोई दोष है । तेज बर्षा में तो पक्के मकानों की छतें भी टपकने लग जाती हैं । उसी समय एक नयी मुसीबत आ गयी । छोटे सें ताक में रखी चिमनी यथायक गुल हो गई और घोर अन्धकार व्याप्त हो गया । नानाजी ने मामा से कहा कि चिमनी में से शायद तेल खत्म हो गया है, इसलिए उसमें तेल डालकर उसे दुबारा जलादे । कैसे आश्चर्य की की बात ! जहाँ अन्धकार में हाथ को हाथ दिखाई न दे, उस अन्धकार में ऊपर-नीचे सामान से धधा-खच भरें कमरे में तेल की बोतल ढूँढना और फिर अन्धरे में ही चिमनी को ढूँढ कर उसमें तेल डालना और फिर जलाना । ऊपर से टपाटप पानी टपक रहा सो अलग । तभी मुझे ध्यान आया कि मेरे थैले में टार्च है, लेकिन इस अन्धरे में थैले को कैसे ढूँढा जाय ! इसका भी उपाय नानाजी ने ही किया । अपनी जेब से माचिस निकाल कर एक तीली जलाई । मुझे एक बॉने में पड़ा अपना संला दिखलाई दिया । मैंने टार्च की रोशनी की ओर सामने

चिमनी तैयार करके जला दी। कुछ देर बाद बर्षा तो पम गई किन्तु फूस की छत का टपकना बन्द नहीं हुआ। मैंने गीले बिस्तरों को इकट्ठा करके धारपाई के एक किनारे पर रख दिया और बिना बिस्तर ही लेट गया। कुछ देर बाद पानी टपकना रुक हो गया। इसी बीच न जाने मेरी छाँच कब लग गयी। सुबह उठ कर घर से बाहर आया तो देखा—बड़ा मुहाबना मौसम था।

5. उपसंहार—उम दिन पूणिमा थी और रक्षा-वन्धन का त्यौहार था। इसलिए सब लोग घर पर ही थे। रात की घटना को याद कर करके सब लोग मेरी हंसी उड़ा रहे थे। उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा जैसे वे लोग इस प्रकार की अनुविषाओं को भोगने के अभ्यस्त हैं। कठिनाइयाँ और अनुविषाएँ तो उनके जीवन के अनिवार्य भंग हैं। मन ही मन मैं उनके साहसी जीवन की प्रशंसा कर रहा था। मामा के साथ तालाब पर मैंने स्नान किया और फिर खीर-पुड़ी का भोजन करके शाम को अपने घर लौट आया। फूस की छत के नीचे बितायी गई बरसात की रात मुझे सदा याद रहेगी।

□□□